वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2019-20

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, बि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

वार्षिक प्रतिवेदन - 2019-20

Annual Report - 2019-20

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02
निदेशक मंडल Board of Directors	03
वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-10
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	11-14
निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण Directors' Report & Management Discussion and Analysis	15-48
महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	49
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	50-67
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	68-92
कार्पोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	93-96
महाप्रबन्धकों का संक्षिप्त विवरण Brief Profile of General Managers	97-99
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	100-103
तुलन-पत्र 2019-20 Balance Sheet 2019-20	104-105
लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	106-107
लेखों से संबंधित अनुसूची Schedule to Accounts	108-170
स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	171-180
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	181-183
लाभांश वितरण दिशानिर्देश Dividend Distribution Guidelines	184
बासेल-III प्रकटीकरण Basel-III Disclosures	185-247

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
R M LALL & CO.
Chartered Accountants

एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
M C BHANDARI & CO.
Chartered Accountants

वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
V SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार,
RAMA K GUPTA & CO
Chartered Accountants

रावला एंड कं
सनदी लेखाकार
RAWLA & CO
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई: यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001
फ़ैक्स : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

M/s. KFin Technologies Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001
Fax: 040 23420814
e-mail: einward.ris@kfintech.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar, M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd. in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharastra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	305, नई दिल्ली हाउस, 27 बारखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001, फोन : 011-43681700
At New Delhi	:	305, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-43681700
कोलकाता	:	एपीजे हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, सी ब्लॉक 3रा तल, कोलकाता - 700 016 फोन : 033-66285900
At Kolkata	:	Apeejay House, 15, Park Street, C Block, 3rd Floor, Kolkata - 700 016 Phone : 033-66285900

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS

श्री ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
SHRI A. K. GOEL
Managing Director & CEO

श्री अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
SHRI AJAY VYAS
Executive Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

श्री के राजीवन नायर
निदेशक
SHRI K. RAJIVAN NAIR
Director

श्री आनंद मधुकर
निदेशक
SHRI ANAND MADHUKAR
Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 17वी वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कंफरेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगीः-

"31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, साथ ही लाभ-हानि लेखा एवं बैंक का नकदी प्रवाह, 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 14 जुलाई, 2020

Notice

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday the 7th August, 2020 at 11.00 AM to transact the following business:-

"To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with statement of Profit & Loss and Cash flow of the Bank made upto 31st March, 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period ended 31st March, 2020 and Auditors report on Balance sheet and statement of Profit & Loss and Cash flow."

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 14th July, 2020

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कोविद-19 के कारण विनियामक निर्देश

कोविद-19 महामारी के प्रकोप के बाद सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा बैंक की वार्षिक आम बैठक के संचालन में कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा सेबी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का विधिवत रूप से पालन करने के लिए वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

वार्षिक आम बैठक को अब आगे से 'ई-एजीएम' कहा जाएगा। बैठक के लिए माना गया स्थान यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700 001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ई-एजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक वीसी मोड में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आएं पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

सेबी के परिपत्र में निहित विषय-वस्तु के अनुसार तथा वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक के मद्देनजर, सदस्यों को मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस वार्षिक आम बैठक के लिए समाप्त कर दी गई है।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, संबंधित बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति तथा मत करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से savitajyotiassociates05@gmail.com पर भेज दी जाये और इसकी प्रति evoting@karvy.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 2 अगस्त, 2020, को सायं 5:00 बजे से पहले जमा करा दी जाये।

GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions Due to COVID-19

To comply with social distancing norms following outbreak of the COVID-19 pandemic, the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") duly following the guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank.

The Annual General Meeting hereinafter is called as "e-AGM".The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited, Registrars & Transfers Agents, to provide Video Conferencing facility for Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of e-AGM.

The Members can join the Annual General Meeting in the VC mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in theNotice.

The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

In line with SEBI Circular and in view of the meeting conducted through VC, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is dispensed for this Annual General Meeting.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the Annual General Meeting through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection,scanned copy of relevant Board Resolution are required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to savitajyotiassociates05@gmail.com with a copy marked to evoting@karvy.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of 2nd August, 2020.

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य https: // emeetings.kfintech.comand पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
- ई-एजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।
- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

6. ई-एजीएम से पहले वक्ता के पंजीकरण और प्रश्नों की रिकॉर्डिंग की सुविधाः

- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और https://emeetings.kfintech.com पर लॉग इन कर सकते हैं और नाम, डी मैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके उपलब्ध कराई गई विंडो 'अपने प्रश्न पोस्ट करें' पर क्लिक करके अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के पास शेयर रहते हैं। प्रश्नों की पोस्टिंग दिनांक 4 अगस्त, 2020 (10.00 बजे प्रातः) से शुरू होगी और दिनांक 5 अगस्त, 2020 (5.00 बजे साय) को बंद होगी।
- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- ई-एजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमति दी जाएगी और फिर ई-एजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

5. Instructions for shareholders for attending e-AGM through Video conference

- Member will be provided with a facility to attend e-AGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at https://emeetings.kfintech.comand click on the "video conference"and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for e-AGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to e-AGM:

- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by log in https://emeetings.kfintech.com and click on "post your questions". Queries/views/questions may be posted in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, if the shareholder continue to hold the shares as per the benpos as on cut off date. The posting of questions shall commence on 4th August, 2020 (10.00 AM) and closed on 5th August, 2020 (5.00 PM).
- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.
- During e-AGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the e-AGM.

- ई-एजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसमिशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवयकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 31 जुलाई, 2020 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।

8. रिमोट ई-मतदान के लिए निर्देश

i. दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।

ii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए https://evoting.karvy.com पर लॉग-इन करें

iii. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।

iv. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।

v. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।

vi. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।

vii. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और

- Speaker Registration during Question & Answers on the day of e-AGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting.

The members who are holding shares as on 31st July, 2020 being the cut off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Private Limited or to vote at the e-AGM. Person who is not a member as on cut off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

8. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

i. The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail.

ii. Log-in-to for Remote e-voting at https://evoting.karvy.com

iii. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, may cast their vote electronically.

iv. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.

v. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

vi. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vii. You need to login again with the new credentials.

viii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares

'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अनुपस्थित' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।

ix. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और सब्मिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।

x. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर savitajyotiassociates05@gmail.com भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।

xi. निर्दिष्ट तारीख यानी 31 जुलाई, 2020 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।

xii. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुन:संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।

xiii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

xiv. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

xv. पोर्टल 4 अगस्त, 2020 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 6 अगस्त, 2020 के शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।

xvi. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

9. ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ई-एजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

10. मतदान का परिणाम

बैंक ने मेसर्स सविता ज्योति, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रुप से नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

ix. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.

x. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at savitajyotiassociates05@gmail.com and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'

xi. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 31st July, 2020 can cast their vote in favour of or against the resolution.

xii. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.

xiii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.

xiv. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

xv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 4th August, 2020 to 5 p.m. on 6th August, 2020

xvi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or call KFin Technologies Pvt. Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

9. Instructions for members for e-voting during the e-AGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activiated upon instructions of the chairman during the e-AGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the e-AGM and have not casted their vote on the Resultions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the e-AGM.

10. Voting Results:

The Bank has appointed Ms. Savita Jyoti, Practising Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

11. लाभांश

आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/ 2004-05 दिनांक 04.05.2005 के अनुसार केवल वे ही बैंक लाभांश घोषित करने के पात्र हैं जो उपर्युक्त परिपत्र में सूचीकृत मानदंडों का अनुपालन करते हैं। चूँकि चालू वर्ष के दौरान बैंक को ₹2436.83 करोड़ की हानि होने के कारण निदेशक मंडल ने लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

12. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205ग(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 (अंतरिम एंव अंतिम) तथा 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें। जिन शेयरधारकों का लाभांश का आभी तक दावा नहीं किया गया है उनका विवरण बैंक की वेवसाइट के निवेशक खण्ड में उपलब्ध है।

13. शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तीकरण

अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 के साथ पठित गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवयकताओं का सूचीकरण), विनियमन, 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अनुसरण में सभी शेयरों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से ही अनिवार्य रूप से अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित करना है।

तदनुसार, दिनांक 01.04.2019 से, कोई भी शेयर भौतिक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के अनुरोधों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, यूको बैंक के भौतिक शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरणरूप में हस्तांतरित करें। शेयरधारक दोनों डिपॉजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डीमैट खाता खोल सकते हैं।

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.ucobank.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

11. Dividend

As per RBI Notification No.DBOD. No.NP.BC.88/21.02.067/2004-05 DATED 04.05.2005, ONLY THOSE Banks which comply with the criteria listedout in the above said circular are eligible to declare dividend. Since, Bank posted loss of Rs. 2436.83 Crore during the current year, no dividend is recommended by the Board.

12. Unpaid/Unclaimed Dividend

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/ unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Shareholders who have not claimed their dividend for the financial year 2012-13, 2013-14 (interim & Final) and 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s KFin Technologies Private Limited. The details of the shareholders whose dividend remained unclaimed are available on our Bank's website under Investors Section.

13. Mandatory Dematerialisation For Transfer of Shares

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 read with notification dated 01.04.2019, all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. April 1st , 2019

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

14. डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन

मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पतों आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032 को दें।

ii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके निक्षेपागार भागीदार के पास उनका डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि ठीक से अद्यतन किए गए हैं।

15. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड,
यूनिट: यूको बैंक,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष: (040) 67162222; फैक्स: (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

16. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस(तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाष: 033-44557227, फैक्स: 033-22485625

14. CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE

i. Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc.,

ii. Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addressesetc. are duly updated with their Depository Participant.

15. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s KFin Technologies Private Limited,

Unit : UCO BANK,

Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

Tel : (040) 671612222; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Kfintech Technologies Private Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

16. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 14 जुलाई, 2020

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 14th July, 2020

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारको,

मैं,वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें आप सभी के सम्मुख रखता हूँ। बैंक ने लगातार 17 तिमाहियों में हानि उठाने के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में लाभ अर्जित कर अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है। आपके बैंक द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों एवं की गई पहलों का विवरण संलग्न वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

आर्थिक अवलोकन

वर्ष 2019-20 के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधि सुस्त ग्राहक मांग, दीर्घावधि तक व्यापार तनाव, विस्तृत नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं दोनों में धीमी गति से बनी रही। शुल्कदर बढ़ने, व्यापार नीतियों में तेजी से बदलाव के परिणामस्वरूप निवेश वृद्धि में गिरावट आई तथा व्यापार आत्मविश्वास का क्षय हुआ। वैश्विक वस्तु कीमतों में, विशेष रूप से कच्चे तेल और औद्योगिक धातुओं की मांग में नरमी आई। इस सभी के बीच, वर्ष 2019 में विश्व अर्थव्यवस्था में 2.9% की धीमी वृद्धि देखी गई जो विगत वर्ष में 3.6% थी।

वित्तीय वर्ष 2020 में घरेलू अर्थव्यवस्था में भी 4.2% की मध्यम वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में वृद्धि व्यापक रूप से कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रभावित हुई। हालांकि, कृषि में कुछ अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। तेल की कम कीमतों के परिणामस्वरूप निर्यात में मंदी के बावजूद चालू खाता आधिक्य है। यद्यपि अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण बहुत अनिश्चित बना हुआ है, फिर भी सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए लोगों की गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधि धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही है। उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुनिया अभी भी कोविड-19 से जूझ रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक मंदी की स्थिति से निपटने तथा वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए कई उपाय अपनाया है जैसे रिवर्स रेपो दर में कटौती, गैर-बैंकिंग वित्तीय एवं सूक्ष्मवित्तीय कंपनियों को विशेष चल-निधि सहयोग, ब्याज-भुगतान और ऋण किस्तों

Dear Shareholders,

I place before you the highlights of your Bank's performance during the financial year 2019-20. Bank has improved its performance during the year by posting profit during the last quarter of the financial year 2019-20 after consequential losses for 17 quarters. Details of the achievements and initiatives taken by your Bank are provided in the enclosed Annual Report for the year 2019-20.

Economic Overview

Global economic activity during the year 2019-20 remained slow paced in both advanced economies and emerging market economies caused by sluggish consumer demand, prolonged trade tensions and wide ranging policy uncertainties. Raising tariffs, rapid shifts in trade policies resulted in dampening investment growth and deterioration of business confidence. Softening of demand weighed on global commodity prices, in particular crude oil and industrial metals. Amidst of all these, the world economy witnessed a muted growth of 2.9% in 2019 compared to 3.6% in the previous year.

Domestic economy also witnessed a moderate growth of 4.2% in FY 2020. The growth in last quarter of FY 2020 was largely impacted with outbreak of COVID -19. Some green shoots are, however, visible in agriculture. Low oil prices resulted in current account surplus despite slump in exports. Though the outlook of the economy remain very uncertain, economic activity is limping towards normalcy with people taking up activities by following safety norms. Industries could not still operate to its full capacity as the world is still battling with COVID-19.

Reserve Bank of India has taken series of measures to protect financial stability and arrest an economic meltdown resulted out of COVID 19 outbreak like reduction of reverse repo rate, provided special liquidity support to non-banking finance and

की चुकौती हेतु अधिस्थगन को बढ़ाना तथा राज्य सरकारों को आपातकालीन फंडिंग की सुविधा में वृद्धि है। एक राहत उपाय के रूप में, केंद्रीय सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रु. 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया है। उम्मीद है कि ये उपाय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को निश्चित रूप से कम करेंगे और देश को विकास के पथ पर छोड़ेंगे।

बैंक का कार्यनिष्पादन

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में बैंक ने घाटे को कम करके अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। वित्तीय वर्ष 2019 के रु.4,321 करोड़ की तुलना में बैंक ने अपने घाटे को कम कर वित्तीय वर्ष 2020 में रु. 2,437 करोड़ किया है। वित्तीय वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही के दौरान बैंक ने रु. 16.78 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान रु. 2,760 करोड़ के परिचालन लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में रु. 4,836 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ। इस तरह 75.22% की संवृद्धि हुई है। कुल आय वित्तीय वर्ष 2019 में रु.15,844 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2020 में रु.18,006 करोड़ हो गया और इस तरह 13.64% की संवृद्धि दर्ज की गई। जमाराशियों की लागत वित्तीय वर्ष 2019 के 5.07% से कम होकर वित्तीय वर्ष 2020 में 4.90% हो गई। वित्तीय वर्ष 2019 के रु.4,311 करोड़ के मुकाबले निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2020 में बढ़कर रु.5,092 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019 के रु.7,081 करोड़ की तुलना में रु. 7,272 करोड़ का प्रावधान किया।

मार्च, 2019 के रु.3,17,480 करोड़ की तुलना में बैंक का वैश्विक कारोबार 2.93% की कमी प्रदर्शित करते हुए दिनांक 31.03.2020 को रु.3,08,165 करोड़ पर स्थिर है। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार वैश्विक जमाराशि 2.38% कम हुई तथा यह दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु.1,97,907 करोड़ के मुकाबले रु.1,93,203 करोड़ पर स्थिर है। वैश्विक अग्रिम में 3.86% की गिरावट आई तथा यह दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु.1,19,573 करोड़ के मुकाबले रु.1,14,961 करोड़ पर स्थिर है।

वर्ष के लिए मुख्य क्षेत्र रिटेल अनुभाग में वृद्धि करना था। बैंक के कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में 12% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। गृह तथा कार (पूल को छोड़कर) ऋणों में क्रमशः 14% एवं 16% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के घरेलू निवेश में 11.05% की वृद्धि हुई और यह दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु. 80,622 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को रु. 89,532 करोड़ हो गया। मोटे तौर पर यह पुनर्पूंजीकरण बांड के आवंटन और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ।

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने घरेलू ऋण/निवेश से ब्याज आय में 7.30% की वृद्धि दर्ज की है जो दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु.12781.97 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को रु.13715.01 करोड़ है। इस प्रकार मुख्य तौर पर घरेलू ऋण/निवेश पोर्टफोलियो में संवृद्धि के कारण वर्ष दर वर्ष के आधार पर रु.933.04 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

गैर निष्पादित आस्तियों के प्रबंधन में सर्वांगीण प्रयास द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सकल एनपीए दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु.29,888 करोड़ से घटकर दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को रु.19,282 करोड़ हो गया। बैंक का जीएनपीए प्रतिशत दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के 25% से गिरकर दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को 16.77% हो गया। हमारा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के 9.72% से घटकर दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को 5.45% हो गया है। प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के 74.93% से बढ़कर दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को 85.46% हो गया।

दिनांक 31.03.2020 स्थिति के अनुसार बासेल III के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.70% पर बना रहा तथा सीईटी 1 8.98% पर स्थिर है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान भारत सरकार ने रु.4272 करोड़ की पूँजी डाली तथा दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का स्वामित्व 94.44% है।

microfinance companies, extension of moratorium on payment of interest and loan instalments, and facilitated increased emergency funding for state governments. As a relief measure, Central Government unveiled Rs.20 lakh crore Atmanirbhar Bharat package to boost various sectors of economy. Hopefully, these measures will surely minimise the impact of COVID 19 on economy and leave the country on growth path.

Bank's Performance

Bank has improved its performance by minimising losses as compared to the previous financial year. Bank has reduced its losses to Rs. 2,437 crore during FY 2020 as compared to Rs.4,321 crore in FY 2019. During the last quarter of the FY 2020, Bank has earned Net Profit of Rs. 16.78 Crore.

Operating Profit for FY 2020 is Rs.4,836 crore as against Rs.2,760 crore during FY 2019, thereby reflecting an increase of 75.22% .Total income registered a growth of 13.64 % from Rs.15, 844 crore in FY 2019 to Rs.18,006 crore in FY 2020. Cost of deposits has decreased from 5.07 % in FY 2019 to 4.90 % in FY 2020.Net interest income increased to Rs.5,092 crore in FY 2020 from Rs.4,311 crore in FY 2019.During the year Bank made provision of Rs. 7,272 crore against Rs.7,081 crore in FY 2019.

Global business of the Bank stood at Rs.3,08,165 crore as of 31.03.2020 compared to Rs.3,17,480 crore showing a decrease of 2.93% over March 2019. Global Deposits has decreased by 2.38% as of 31.03.2020 and stood at Rs.1,93,203 crore compared to Rs.1,97,907 crore as of 31.03.2019. Global advances fell by 3.86% and stood at Rs.1,14,961 crore compared to Rs.1,19,573 crore as of 31.03.2019.

The focus area for the year was increasing retail segment. Total Retail loan Portfolio of the Bank registered Y-o-Y growth of 12%. Home and Car (excluding pool) loans registered Y-o-Y growth of 14% and 16% respectively.

Domestic Investment of the Bank during the year 2019-20 increased by 11.05% from Rs.80,622 crore as on 31.03.2019 to Rs.89,532 crore as on 31.03.2020 largely due to allotment of recapitalization bond and purchase of Government securities.

During the Year 2019-20, the bank has registered a growth of 7.30% in interest income from domestic credit/ investments which stands at Rs. 13715.01 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs. 12781.97 crore as on 31.03.2019 thereby registering a growth of Rs. 933.04 crore on y-o-y basis mainly due to increase in domestic credit/ investment portfolio .

Asset quality of the Bank has been improved during the financial year 2019-20 backed by all round effort in management of non-performing assets. Gross NPA reduced to Rs. 19,282 crore as on 31.03.2020 from Rs. 29,888 crore as on 31.03.2019. The Gross NPA of the Bank dropped to 16.77% as on 31.03.2020 from 25% as on 31.03.2019. Our Net NPA has reduced to 5.45% as on 31.03.2020 from 9.72% as on 31.03.2019. Provision Coverage Ratio has increased to 85.46% as on 31.03.2020 from 74.93% as on 31.03.2019.

Capital Adequacy Ratio (CAR) under Basel III stood at 11.70% and CET 1 at 8.98% as on 31.03.2020. Govt. of India infused Capital to the tune of Rs. 4272 crore during the FY 2020 and GOI holding stood at 94.44% as on 31.03.2020.

वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई पहल

एमएसएमई संवृद्धि हेतु पहल

एमएसएमई कारोबार को बेहतर बनाने तथा परिचालन के कम लागत के लाभों को प्राप्त करने एवं एनबीएफसी में निपुणता की दृष्टि के साथ बैंक ने मेसर्स श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसआरइआई) से दिनांक 17.02.2020 को गठजोड़ किया है ताकि सह-उधार व्यवस्था के तहत निर्माण एवं खनन, खेत और चिकित्सकीय उपकरण की खरीद के लिए ऋणों के सह-उत्पत्ति की पेशकश की जा सके। इस कार्यक्रम के तहत ऋणों के स्रोत की सुविधा इक्विप्पो, कनोरिया फाउंडेशन पहल, मुहैया कराएगी।

बैंक ने एमएसएमई के लाभ के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान कई योजनाओं की शुरुआत की।

- एमएसएमई के तहत ग्राहकों के लाभ के लिए व्यावसायिक उपयोग के उद्देश्य हेतु मुद्रा के अंतर्गत दुपहिया के वित्तपोषण की योजना
- एमएसई के लिए एक विशेष योजना "यूको व्यापार समृद्धि" दिनांक 17/06/2019 को शुरूकी गई थी जिसमें रिटेल व्यापारियों सहित एमएसई को रु. 1 करोड़ तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए गए थे।
- एमएसएमई की तरलता की कमी को कम करने के उद्देश्य से एमएसएमई की नई योजना "एमएसएमई हेतु ऋण की स्टैंडबाय लाइन" दिनांक 06.01.2020 को शुरूकी गई।
- बैंक ने आरएक्सआईएल के साथ करार किया है तथा फरवरी, 2019 से आरएक्सआईएल प्लेटफार्म पर कारोबार कर रहा है। टीआरइडीएस के तहत भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं को देखते हुए टीआरइडीएस में बिलों में छूट के लिए बैंक ने टीआरइडीएस प्लेटफ़ार्म्स अर्थात एम1एक्सचेंज एवं इन्वायसमार्ट के साथ भी दिनांक 14.11.2019 को करार किया है।

तकनीकी पहल

एटीएम/डेबिट कार्ड:

बैंक ने अपने सभी एटीएम में यूकैश (कार्ड रहित नकद निकासी) की सुविधा शुरूकी है जिसका उपयोग एम-बैंकिंग सुविधा वाले हमारे ग्राहकों द्वारा किया जा सकता है। बैंक ने कैश@पीओएस सुविधा की भी शुरुआत की है जिसके द्वारा हमारे डेबिट एवं प्रीपेड कार्डधारक पीओएस/बीसी आउटलेट्स पर नकद निकासी की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक 400 नए पासबुक प्रिंटिंग कियास्क और 100 नए कैश रिसाइकलर मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

एम-बैंकिंग:

बैंक ने ग्राहकों के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस के साथ नया उन्न्त मोबाइल बैंकिंग एप्प एम-बैंकिंग प्लस पेश किया है जिसमें मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाता खोलना, 24x7 यूपीआई सेवाएं, भौतिक डेबिट कार्ड का उपयोग न करने वाले ग्राहकों के लिए वर्चुअल कार्ड की उत्पत्ति, बीबीपीएस के माध्यम से बिल भुगतान एवं रिचार्ज की सुविधा, एफडी रसीद का ऑनलाइन पंजीकरण, डेबिट कार्ड जारी करने हेतु अनुरोध/कार्ड सक्रियण की सुविधा, कॉल बैक सेवा हेतु अनुरोध, कार्ड को सक्रिय/निष्क्रिय करने की सुविधा के साथ यूको सिक्योर के माध्यम से डेबिट कार्ड की उन्नत सुरक्षा सुविधा, कार्ड की सीमा स्थापित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग सुविधा को प्रतिबंधित करना आदि सुविधाएं शामिल हैं।

ई-बैंकिंग:

बैंक ने नई सुविधाओं जैसे ई-मेल पर पीडीएफ प्रारूप में खाता विवरण प्राप्त करना, नए डेबिट कार्ड और चेक बुक हेतु आवेदन, ऑनलाइन सावधि जमा का नवीकरण तथा नामिती को जोड़ने की सुविधा, लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, खाते में पैन संख्या प्रविष्ट करने एवं फॉर्म 15जी/15एच जमा करने की शुरुआत की है।

INITIATIVES TAKEN UP IN FY 2019-20

Initiatives for MSME growth

With a view to improve MSME Business and to reap the benefits of low cost of operations and expertise of NBFC Bank has tied-up with M/s Srei Equipment Finance Limited (SREI) on 17.02.2020 to offer Co-origination of loans for purchase of construction and mining, farm and medical equipment under a co-lending arrangement. iQuippo, a Kanoria Foundation initiative, will facilitate sourcing of loans under this programme.

Bank launched several schemes during the financial year for the benefit of MSMEs

- Scheme for financing Two Wheelers under MUDRA for the purpose of commercial use for the benefit of customers under MSME
- A special scheme for MSEs "UCO Vyapar Samridhi"was launched on 17/06/2019 where collateral free loans up to Rs.1 crore are sanctioned to MSEs including Retail Traders
- With a view to mitigate the liquidity crunch of MSMEs, a new scheme for MSME "Standby Line of Credit for MSME" has been introduced on 06.01.2020.
- The Bank has tied-up with RXIL and is trading at RXIL platform with effect from February 2019. Considering future business prospect under TReDS, Bank has also tied-up with M1xchange and Invoicemart on 14.11.2019 for discounting of bills at TReDS.

TECHNOLOGICAL INITIATIVES

ATMs/Debit Cards :

Bank has introduced UCASH (Cardless Cash Withdrawal) facility at all UCO Bank ATMs which can be used by our customers availing M-Banking facility. Bank has also introduced Cash@POS facility by which our Debit and prepaid card holders can avail cash withdrawal facility at POS/BC outlets. Bank is in the process of Installation of 400 new Passbook Printing Kiosks and 100 new Cash recycler Machines for ease of customers

M-banking :

Bank has launched new revamped Mobile Banking App mBanking plus with better user interface for customers including facilities like online PPF account Opening through mobile banking, 24x7 UPI services, generation of Virtual card for customers who have not availed physical debit cards, utility bill payments and recharges through BBPS, online Regeneration of FD receipt, facility for debit card issuance request/card activation, Request for call back service, enhanced security for debit cards through UCO secure with facility of enable/disable card, setting card limit and restricting international usage facility.

E-Banking

Bank has implemented new features like Account Statement on email allowing customers to get pdf format account statement, New debit card request & Cheque book request, online FD renewal and Nominee addition facility, Online application for availing Locker facility, seeding of PAN in account & submission of Form 15G/15H.

ग्राहक सुविधा

बैंक ने डिजिलॉकर के माध्यम से टीडीएस प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है। बैंक ने पीपीएफ़ खाते में भुगतान के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्सन सुविधा भी शुरु की है।

कॉल सेंटर (यूको संपर्क)

बैंक ने ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों जैसे शेष राशि की पूछताछ, खाता विवरण, विगत 5 लेनदेनों का लघु विवरण, पैन एवं आधार लिंक किए जाने की स्थिति, कार्ड ब्लॉक करना, यूपीआई सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री संख्या 18002740123 के माध्यम से "यूको संपर्क" के नाम से आईवीआर आधारित फोन बैंकिंग समाधान की शुरुआत की है, यह सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को अपने पंजीकृत मोबाइल संख्या से टोल फ्री न. डायल करना होगा। यह सुविधा हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

बढ़ते कदम:

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने रिटेल और एमएसएमई खंड को बढ़ाने और वसूली खंड को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से भी ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में लाभ अर्जित कर सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारे बढ़ते कदम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। बैंक एनपीए स्लिपेज को कम करने और अग्रिम तथा कासा वृद्धि में औद्योगिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे भी सतत प्रयासरत रहेगा।

बैंक प्रौद्योगिकी संचालित एंड टु एंड ऑटोमेशन के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रणाली से अपनी मूल्यांकन तकनीकों को उन्नत करने के लिए लोन ओरिज्नेटिंग सिस्टम (एलओएस) की शुरुआत करने जा रहा है। एलओएस सुविधा प्रयोग कर ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन भी कर सकता है तथा ऋण के लिए आवेदन करते समय शाखा के चयन का विकल्प, ई-मेल/एसएमएस द्वारा ऋण आवेदन की स्थिति और इसके लंबित होने के कारणों की जानकारी जैसी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। ये प्रक्रियाएं कारोबार पर अनुपालन की प्राथमिकता के साथ पारदर्शिता को बढ़ाएंगी। प्रक्रियाओं में ये सुधार प्रतिक्रिया समय को कम कर देंगे और बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

बैंक कुछ फिनटेक फर्मों जो वित्तीय विश्लेषण के विशेषज्ञ हैं, के साथ टाई-अप कर अपने ग्राहक पहुंच तकनीकों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तेजी से बदलती दुनिया में ग्राहकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बैंक हर क्षेत्र में डिजिटल अभिग्रहण पर ध्यान देगा।

कोविड-19 ने भारत तथा पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया है। यह स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक इसकी बारीकी से निगरानी कर रहा है। बैंक लगातार अपने उधारकर्ताओं के संपर्क में रहेगा और उधारकर्ताओं की योग्यता के अनुसार उन्हे वित्तीय सहयोग प्रदान दिया जायेंगा।

मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के बहुमूल्य सहयोग और सभी परिस्थितियों में प्रबंधन को दिए गए मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं बैंक के कार्मिकों द्वारा दिखाए गए समर्पण और कड़ी मेहनत को भी स्वीकार करता हूं।

मैं सभी हितधारकों से सतत समर्थन की उम्मीद करता हूं।

(ए. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Customer Convenience

Bank provided facility for TDS certificate download through Digilocker. Bank has implemented Door Step Banking facilities for Senior Citizens and differently abled persons including those who are visually impaired. Bank also introduced Standing Instruction for payment in PPF account facility.

Call Centre (UCO SAMPARK)

Bank has introduced IVR based Phone Banking solution called "UCO SAMPARK" through toll free number 18002740123 to help customers to carry out various banking activities like Balance enquiry, Account Statement, Mini statements for last 5 transactions, PAN & Aadhaar link status, Blocking of Card, UPI services, Internet Banking facility etc. when dialed from their registered mobile numbers This facility is available in Hindi, English and ten (10) other regional languages.

Way Forward:

During the year 2019-20, Bank has taken several measures to increase retail & MSME segment and strengthen recovery segment. Several measures were also taken to improve customer convenience through technology and innovation. Bank has witnessed few green shoots by posting profit in the last quarter of the financial year 2019-20.

The way forward for FY 2020-21 is shift from survival to growth mode. Bank will continue its focus on containing slippages and reaching the Industry bench marks on advances and CASA growth.

Bank is in the process of introduction of Loan Originating System (LOS) to upgrade its appraisal techniques through technology driven end to end automation of loan appraisal system. Using LOS facility, customers will also be able to apply for loans through Bank's website and can avail the facilities like option of Branch selection while applying for Loan, tracking of the status of loan application and information on pendency reasons through e-mail/SMS. These processes will enhance transparency with priority of compliance over business. These improvements in processes will minimize the response time and ensures better asset quality.

Bank will focus on strengthening its customer reach techniques by tie up with few Fintech firms who are having expertise financial analytics. Bank will focus on Digital adoption in every area to meet the customer preferences in the fast changing world.

COVID 19 has disrupted economic activity of India and across the Globe. The situation continues to be uncertain and Bank is closely monitoring the same. Bank will continuously in touch with our borrowers and will provide financial support to the borrowers on merits.

I acknowledge and thank all the members of the Board for their valued support and guidance extended to the management in all the endeavors I also acknowledge the dedication and hard work shown by the employees of the Bank.

I look forward for continued support from all the stakeholders.

(A. K. Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2019-20
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2019-20

I. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.9% की दर से बढ़ी तथा वर्ष 2020 में कोविद–19 के कारण (-) 3.0% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक विकास पूर्वानुमान पर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि आर्थिक गिरावट अनिश्चित कारकों पर निर्भर करती है जिसपर भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन है। इनमें दुनिया भर में कोविद-19 महामारी का प्रकोप शामिल है। वायरस के छिटपुट प्रसार को देखते हुए, अधिकांश देशों ने वायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए एक उपाय के रूप में पूर्ण बंद की घोषणा की। इससे आपूर्ति में बाधा आई है तथा और उत्पादन घाटा हुआ है जिससे वैश्विक वित्तीय बाजार प्रभावित हुआ, खर्च करने की पद्धति और अस्थिर वस्तु की कीमतों में बदलाव आया। यह माना जाता है कि महामारी 2020 की दूसरी छमाही में दूर हो जाएगी और आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने पर 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020 में विकसित देशों के लिए निम्न पूर्वानुमान लगाया है संयुक्त राज्य अमेरिका (-) 5.9%, जापान (-) 5.2%, ब्रिटेन (-) 6.5%, जर्मनी (-)7.0%, फ्रांस (-) 7.2%, इटली (-)9.1% और स्पेन (-)8.0% में विकास की दर कम हो जाएगी।

वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, 2020 में खाद्य कीमतों में 2.6% की कमी और इसके बाद 2021 में 0.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संघर्ष और ब्रेक्सिट सौदे की संभावना के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार बेहद अस्थिर रहा। वैश्विक व्यापार संगठन को 2020 में वैश्विक व्यापार कारबार में 13-22% तक कम होने का अनुमान है। मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है। अधिकांश उभरती बाजार मुद्राएं मजबूत हुईं हैं।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था :

भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान अमेरिकी डॉलर में जीडीपी का उपयोग करने के रूप में दुनिया में पांचवें स्थान पर है। 2019 में अर्थव्यस्था का आकार $2.9 ट्रिलियन अनुमानित किया गया था। केंद्रीय बजट 2019-20 में 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य को अपनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने 2018-19 में 6.1% की तुलना में 2019-20 में 4.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमानित की थी। पिछले साल से विकास दर में गिरावट को आम तौर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मंदी के लिए जिम्मेदार “ठराया गया है। मांग पक्ष में, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मंदी वास्तविक अचल निवेश की वृद्धि में गिरावट के कारण हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 में जीडीपी में 5.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 में 1.9% के विकास का अनुमान लगाया था तथा कोविद-पूर्व स्थिति में मंदी के पूर्व के दौर में आते हुए तेज बदलाव के साथ 2021-22 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च, 2019 के 2.86% की तुलना में मार्च, 2020 को बढ़कर 5.91% हो गया। वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान मुद्रास्फीति दूसरी छमाही से कम थी क्योंकि खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट के साथ सब्जी, दालों, तेल, दूध, मांस और मछली के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। क्रूड तेल की कीमत में गिरावट से आने वाले महीनों में मुद्रस्फीति में गिरावट कम हो सकती है। कोविद-19 के वैश्विक महामारी में बदल जाने के कारण मुद्रास्फीति दृष्टिकोण अत्यंत ही अनिश्चित

I. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY:

Global economy has grew at 2.9% in 2019 and projected to decline by (-) 3.0% in 2020 due to Covid-19. There is always an uncertainty around the global growth forecast because the economic fallout depends on uncertain factors which are hard to predict. These include outbreak of COVID- 19 pandemic worldwide. Considering the sporadic spread of the virus, most of the countries declared a total shutdown as a measure to counter the spread of virus. This has resulted in disruption of supply and production losses, affecting global financial market, shifts in spending pattern and volatile commodity prices. It is assumed that the Pandemic will fade away in the second half of 2020 and global economy is projected to grow by 5.8% in 2021 as economic activity resumes. As per IMF forecast, the real GDP of advanced countries will contract during the year 2020. The negative growth estimated for United States (-) 5.9%, Japan(-) 5.2% , UK (-) 6.5% , Germany (-) 7.0% , France (-) 7.2%, Italy (-) 9.1% and Spain (-) 8.0%.

Commodity Prices have decreased, food prices are projected to decrease by 2.6% in 2020 and thereafter increase by 0.4% in 2021. Global financial market remained extremely volatile because of trade conflict between US and China and a possibility of Brexit deal. Global trade Organisation sees global Merchandise Trade contracting by as much as 13-22 % in 2020. In currency market the US dollar weakened against major currencies. Most of emerging market currencies was strengthened.

2. Indian Economy:

India's economy stood at fifth largest in the world as measure using GDP at current US dollar. The size of the economy was estimated at $2.9 trillion in 2019. The Union Budget 2019-20 had articulated the vision of Hon'ble Prime Minister to make India a $5 trillion economy by 2024-25. The National Statistical Office (NSO) had estimated the growth of real GDP in 2019-20 at 4.2% as compared to 6.1% in 2018-19. The deceleration in growth rate from last year has been attributed generally to slowdown of manufacturing and services sector. On the demand side, the deceleration in GDP growth was caused by a decline in the growth of real fixed Investment.RBI forecasted India's GDP growth at 5% in 2020-21. IMF had projected growth to be 1.9% in 2020 and expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID pre- slowdown trajectory growing at 7.4% in 2021-22.CPI inflation surged to 5.91% in March 2020 as compared to 2.86% in March 2019. Inflation during the first half of the fiscal was lower than second half because there was perceptible spike in food prices with notable increase seen in case of vegetable, pulses, Oils, Milk, Meat and fish. However, decline in Crude Oil prices will work towards easing inflationary pressure in the subsequent months. Due to COVID-19 outbreak becoming a global pandemic the inflation outlook of India is highly uncertain. With several major economic functions in

हो गया है। कई प्रमुख आर्थिक कार्यों के लॉकडाउन मोड में आ जाने के कारण मांग की स्थिति तेजी से कमजोर हो सकती है। तदनुसार, दुनिया भर के देशों को अपस्थिति का सामना करना पड़ सकता है और महामारी के कारण इन अत्यधिक नकारात्मक दबावों से भारत प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है। बाहरी क्षेत्र में, घरेलू एवं वैश्विक मंदी के कारण 2019-20 में भारत का कुल निर्यात एवं आयात घट गया। इसके अलावा व्यापार विवादों तथा कोविद-19 के प्रकोप के कारण मार्च 20 से देश के लगभग सभी राज्यों में बंद है। 2019-20 में निर्यात $330.08 बिलियन से घटकर $314.31 रह गया। पिछले वर्ष 2018-19 के $514.80 बिलियन के आयात से घटकर 2019-20 में यह $467.19 रह गया। 2019-20 के दौरान तिजारती व्यापार घाटा 2018-19 में $184 बिलियन की तुलना में कम होकर $152.96 बिलियन रहा। राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2018-19 में 3.8% की तुलना में 2020-21 में 3.5% निर्धारित किया गया।

बैंकिंग क्षेत्र में विकास:

वर्ष के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय मेगा बैंक बनाने के लिए किया गया। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक होंगे। 2019-20 में प्रणालीगत तरलता जून, 2019 से बड़े पैमाने पर अधिशेष में रही है। 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान चार खुले बाजार संचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी तथा खरीद/बिक्री स्वैप कार्रवाई द्वारा टिकाऊतरलता पहुंचाई गई। एसएलआर को चार चरणों में 25 बीपीएस कम किया गया है जो 13 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। 2019-20 की पहली छमाही के दौरान 10 वर्ष के बेंचमार्क जी-सेक की प्राप्ति सामान्यत: कम रही। 2019-20 की पहली तिमाही में अप्रैल से मध्य मई, 2019 तक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण 10 साल के बेंचमार्क में मामूली बढ़त हुई। इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरावट का रुझान है। मार्च के प्रारंभ में प्राप्ति की शुरुआत क्रमश: पुराने एवं नए बेंचमार्क में नरमी के साथ हुई। मार्च, 2019 की तरह सितंबर, 2019 के अंत में एससीबी का जीएनपीए अनुपात 9.3% पर बना रहा। बैंक ऋण में संवृद्धि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े के 13.3% की तुलना में 27 मार्च, 2020 को 6.1% (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) रही। एससीबी के सकल जमा में पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े के दौरान दर्ज 10.0% की तुलना में 27 मार्च, 2020 को 7.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्तूबर, 2019 को बैंकिंग क्षेत्र में बाह्य बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत की तथा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए नए विवेकपूर्ण ढांचे को जारी किया एवं आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना मानक के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई के मौजूदा ऋणों को एक बार पुनर्गठन करने की अनुमति दी। इक्विटी बाजारों में उच्च अस्थिरता सहित कई कारकों के कारण 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान भारतीय रुपया अस्थिर रहा। पोर्टफोलियो निवेश बुरी तरह प्रभावित हुआ। दर संरचना, ऋण की मात्रा तथा मीयादी संरचना के कारण 2019 में मौद्रिक संचरण कमजोर हुआ। नीतिगत दर कटौती का लाभ भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर में दिए जाने से बकाया रुपये जमा में सुधार हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी, 2019 से रेपो दरों में 135 बीपीएस की कमी की। 2019-20 की दूसरी छमाही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता प्रबंधन परिचालन को संशोधित तरलता प्रबंधन ढांचे के अनुरूप किया गया। मौद्रिक हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी-मार्च 20 के दौरान पांच एलटीआरओ का संचालन किया गया। इसके अलावा वित्तीय स्थितियों पर कोविद-19 के दबाव का सामना करने के लिए एक लक्षियत दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (टीएलटीआरओ) आयोजित किया गया। विकास को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय बजट 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रु3,50,000 करोड़ की पूंजी की सहायता दी।

lockdown mode, demand conditions may weaken sharply. Accordingly countries across the world may face deflation and India may not be immune to these extreme downside pressure imparted by the Pandemic. In the external sector, India's overall exports and import decelerated in 2019-20 due to domestic and global economic slowdown. Besides, trade disputes and outbreak of COVID-19 led to shut down since March,2020 in almost all states of the country. Export fell to $314.31 billion in 2019-20 from $330.08 billion. Imports also declined to $467.19 billion in 2019-20 against $514.80 billion in the previous year 2018-19. During 2019-20, merchandise trade deficit was $152.88 billion lower as compared to $ 184 billion in 2018-19. The budget estimate of fiscal deficit for 2020-21 has been set as 3.5% of GDP as compared to 3.8% in 2019-20 (Revised estimate).

Banking Sector Development:

In the 2020, 10 PSBs have been merged to churn out mega banks. The country will have a total of 12 PSBs. Systemic liquidity in 2019-20 has been largely in surplus since June 2019. Durable liquidity injection was undertaken through four open market operation (OMO) purchase auctions and buy/sell swap action, all conducted during first quarter of 2019-20. Statutory Liquidity Ratio has been reduced 25 bps each in four steps effective April 13, 2019. During the first half of 2019-20, the 10 year benchmark G-sec yield mostly softened. In the first quarter of 2019-20 initially from April to mid May 2019, 10 year benchmark yield hardened marginally on account of rise in crude oil prices,thereafter, largely followed a downward trend. In the early March, yield started with a softening in the new and old benchmark respectively. GNPA ratio of Scheduled Commercial Banks(SCB's)remained flat at 9.3% at the end of September 2019 .Growth of Bank Credit was 6.1 % (Y-o-Y basis) as on 27th March 2020 as compared to 13.2% in the corresponding fortnight end of the previous year. Aggregate deposit of SCB's grew by 7.9 % (Y-o-Y) as on 27th March 2020 as compared to 10.0 % recorded during the corresponding fortnight end of the previous Year. RBI introduced external benchmark system in the banking sector on 1st October 2019 and released the new prudential framework for resolution of stressed assets and permitting onetime restructuring of existing loans to MSMEs classified as standard without a downgrade in Asset Classification. The INR remained volatile during second half of 2019-20 due to multiple factors including the high volatility in equity markets. Portfolio investment was severely impacted. Monetary transmission has been weakened in 2019 on account of rate structure, quantity of credit and term structure. The pass through of policy rate cut to the weighted average domestic term deposit rate on outstanding rupee deposit improved. RBI had reduced repo rates by five times in the year 2019 and reduced 135bps. During second half of 2019-20, liquidity management operations by the RBI were conducted in line with the revised liquidity management framework. Five long term repo operations(LTROs) were conducted during Feb - March, 2020 with a view to ensuring monetary transmission. Furthermore one targeted long term repo operations (TLTRO) was conducted in March to address the COVID-19 inducted pressure on financial conditions.In the Union Budget 2020-21 Finance Minister has announced to infuse about Rs. 3,50,000 Cr by way of capital into PSBs for growth purpose.

II. 2019-20 में बैंक का कार्यनिष्पादन :

1. यूको का कारोबार वितरण चैनल:

1.1 पारंपरिक नेटवर्क :

बैंक के पास भारत एवं विदेश में भौगोलिक दृष्टि से भलीभांति फैला शाखा नेटवर्क है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक के 42 अंचल एवं 3086 घरेलू शाखाएं तथा 2 विदेशी शाखाएं (सिंगापुर एवं हांग-कांग में एक-एक) हैं। तेहरान, ईरान में बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया है जो 25.03.2017 से कार्य कर रहा है।

विगत 5वर्षों मे वैश्विक शाखा नेटवर्क इस प्रकार रहा :- (वैश्विक)

II. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2019-20:

1. UCO's Delivery Channels:

1.1 BRICK AND MORTAR NETWORK:

Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2020, Bank has 42 Zones and 3086 domestic branches and 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong). Bank's representative office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f. 25.03.2017.

The Global branch network over 5 years is as under:- (Global)

	मार्च / March '16	मार्च / March '17	मार्च / March '18	मार्च / March '19	मार्च / March '20
शाखा/Branch	3077	3104	3108	3088	3088

1.2 शाखा एवं कार्यालय नेटवर्क:

31.03.2019 एवं 31.03.2020 को जनसंख्या श्रेणीवार देशी शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

1.2 BRANCHES & OFFICES NETWORK:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2019 & 31.03.2020 is given below:

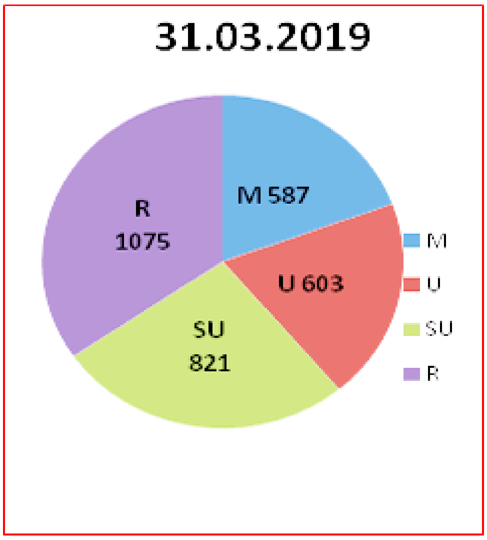

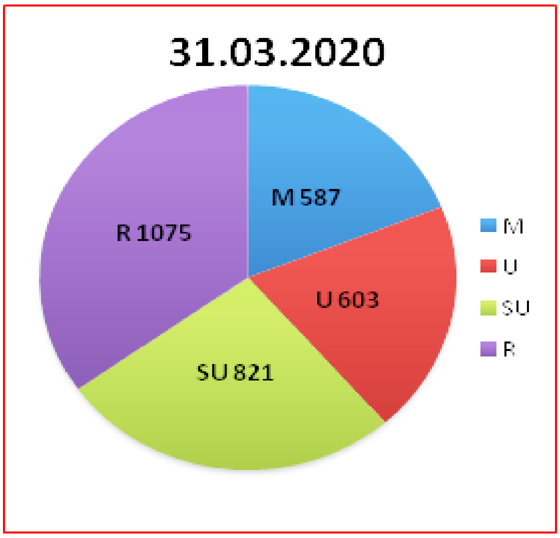

देशी शाखाओं में 6 फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएं, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएं, 4 सेवा शाखाएं तथा 1 केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र तथा 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा शामिल है। इसके अतिरिक्त, देशभर के विभिन्न केंद्रों की बड़ी शहरी शाखाओं से संबंधित 31 रिटेल लोन हब, 8 एसएमई हब, 72 मुद्रा तिजोरियां भी कार्य कर रही हैं।

2. कारोबार प्रोफाइल:

2.1. वैश्विक:

- दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक का वैश्विक कारोबार रु 3,08,165 करोड़ रहा और इसमें मार्च, 2019 के रु 3,17,480 करोड़ की तुलना में 2.93% की गिरावट दर्ज की गई।
- वैश्विक जमाराशि में 2.38% की गिरावट हुई और दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार यह रु 1,93,203 करोड़ हो गई। वैश्विक

The domestic branches include 6 Flagship corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 service branches and 1 central processing centre, 1 integrated treasury branch. Further 31 Retail loan hubs, 8 SME hubs, 72 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centres.

2. BUSINESS PROFILE:

2.1. GLOBAL:

- Global business of the Bank stood at Rs. 3,08,165 crore as of 31.03.2020 compared to Rs. 3,17,480 crore showing a decrease of 2.93% over March 2019.
- Global Deposits has decreased by 2.38% as of 31.03.2020 and stood at Rs. 1,93,203 crore. Global advances fell by 3.86%

अग्रिमों में 3.86% की कमी हुई और यह दिनांक 31.03.2019 के रु 1,19,573 करोड़ की तुलना में घटकर रु 1,14,961 करोड़ हो गई।

and stood at Rs. 1,14,961 crore compared to 1,19,573 crore as of 31.03.2019.

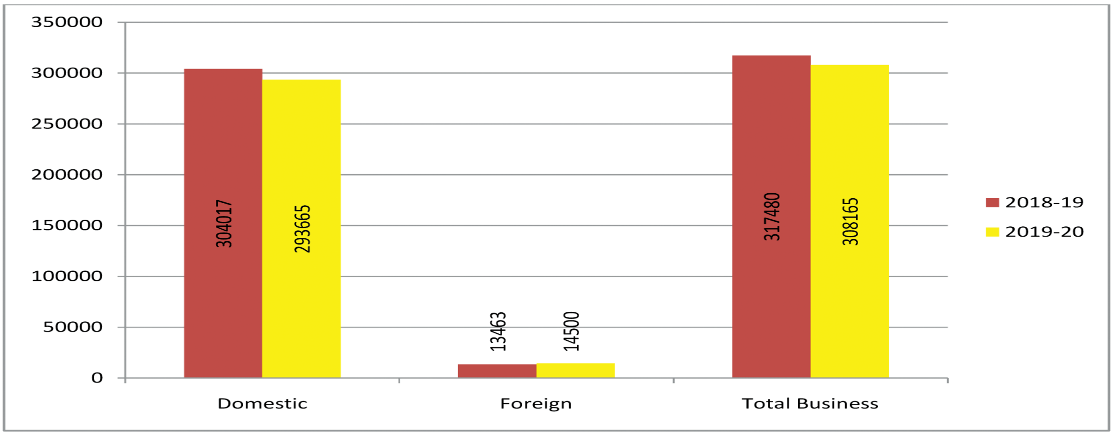

2.2. घरेलू :

- बैंक के समग्र देशी कारोबार में 3.40% की गिरावट हुई और दिनांक 31.03.2019 के रु 3,04,016.68 करोड़ से घटकर दिनांक 31.03.2020 को रु 2,93,665 करोड़ पर हो गया।
- कुल जमाराशि 2.12% की गिरावट के साथ रु 1,88,207.42 करोड़ हो गई।
- अग्रिम में 5.62% की गिरावट हुई तथा यह रु 1,11,738.53 करोड़ से घटकर रु 1,05,457.91 करोड़ हो गई।
- कासा जमाराशि वर्ष-दर-वर्ष 11.53% की कमी के साथ रु 75,691 करोड़ हो गई, बचत बैंक जमाराशि में 7.23% की वृद्धि हुई और यह रु 63,606.72 करोड़ हो गई। चालू जमाराशि में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 53.93% की कमी हुई और यह दिनांक 31.03.2019 के रु 26,243.07 करोड़ से घटकर रु 12085 करोड़ हो गई।
- देशी जमाराशि में अल्प लागत वाली (कासा) का अंश दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के 44.50% से घटकर दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को 40.22% हो गया।

2.2. DOMESTIC:

- Overall domestic business of the Bank has decreased by 3.40% and stood at Rs. 2,93,665 crore as on 31.03.2020 from Rs. 3,04,016.68 as on 31.03.2019.
- Total deposits decreased by 2.12% and stood at Rs. 1,88,207.42 crore.
- Advances shown a downward growth of 5.62% from Rs. 1,11,738.53 crore to Rs. 1,05,457.91 crore.
- CASA deposits decreased by 11.53% on Y-O-Y and stood at Rs. 75,691 crore, SB deposits grew by 7.23% and stood at Rs. 63,606.72 crore. Current deposits stood at Rs. 12085 crore compared to Rs. 26243.07 crore as of 31.03.2019, showing a fall of 53.93% on Y-O-Y basis.
- Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits declinedfrom 44.50% as of 31.03.2019 to 40.22% as of 31.03.2020.

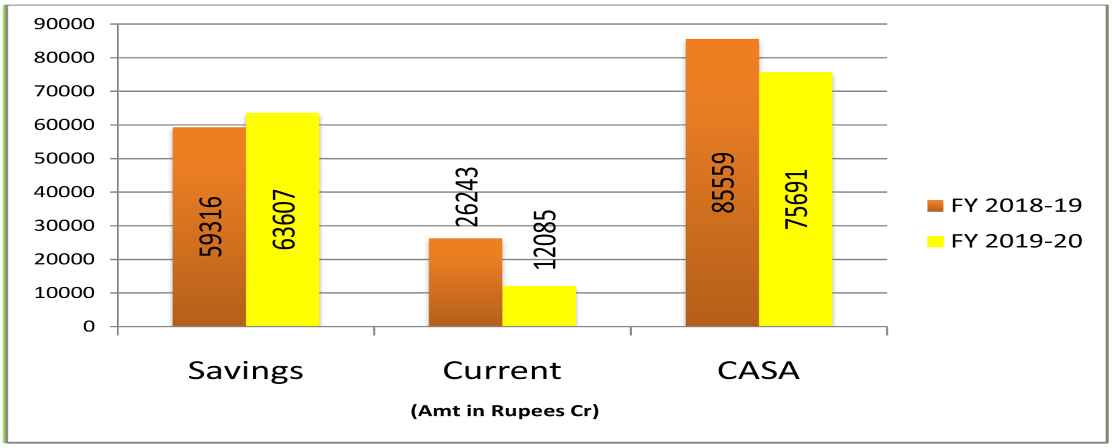

2.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक को रु. 2437 करोड़ की हानि हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 4321 करोड़ की हानि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020 में हानि कम हुई है और मार्च,2020 तिमाही में बैंक ने 16.78 करोड़ ता लाभ अर्जित किया है। परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष

2.3 FINANCIAL PERFORMANCE

Bank has incurred loss of Rs 2437 crore during FY 2020 as compared to Rs.4321 crore in FY 2019. The loss during FY 2020 is decreased and Bank has earned Net Profit of Rs. 16.78 Crore during the quarter ended March 2020. Operating Profit for FY

2019 में रु. 2760/- करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में बढ़कर रु.4836/- करोड़ हो गया जो 75.22 की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020 के दैरान कुल आय में 13.64% की वृद्धि दर्ज की गईजो वित्तीय वर्ष 2019 के रु. 15844 करोड़ से बढकर रु. 18006 करोड़ हो गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में रु. 7081 करोड़ का प्रावधान किया जो वित्तीय वर्ष 2019 में रु. 7272 करोड़ था। जमारशियों में लागत वित्तीय वर्ष 2019 के 5.07% से घटकर वित्तीय वर्ष 2020 में 4.90% हो गई। शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2019 में रु.4311 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में रु. 5092 करोड़ हो गई। मार्च 2020 को बासेल ।।। के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.70% रहा। वित्तीय वर्ष 2020 के दैरान भारत सरकार ने रु.4272 करोड़ की पूंजी प्रदान की जिससे भारत सरकार का स्वामित्व 31.03.2020 को 94.44% हो गया।

3. कोष एवं अंतरराष्ट्रीय

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निवेश में 11.05% की वृद्धि हुई और यह दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु 80622 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2020 को रु 89532 करोड़ हो गया। ऐसा पुनर्पूंजीकरण बांड के आबंटन और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ।

बैंक के एसएलआर निवेश में 6.48% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2019 की स्थितिके रु 56834 करोड़से बढ़कर दिनांक 31.03.2020 को रु 60520 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से उच्च प्रतिफल वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुआ। गर-एसएलआर निवेश (देशी) में 21.96% की वृद्धि हुई जो दिनांक 31.03.2019 के रु 23788 करोड़ से दिनांक 31.03.2020 को रु 29011 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा रु 4272 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड आबंटित किए जाने के कारण हुआ।

वर्ष 2018-19 के दौरान रु 6252.47 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने निवेशों के विक्रय से प्राप्त आय सहित कोष परिचालनों से रु 7762.28 करोड़ की आय अर्जित की जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कोष आय में 24.15% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा निवेशों से प्राप्त आय तथा निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ के कारण हुआ।

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने देशी निवेशों से प्राप्त ब्याज आय में 10.99% की वृद्धि दर्ज की जो दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के रु 5294.21 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को रु 5876.19 करोड़ हो गई जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु 581.98 करोड़ की संवृद्धि दर्ज की गई जो देशी निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि होने के कारण हुआ।

3.1 विदेशी कारोबार

विदेशी केन्द्रों का कुल व्यवसाय 7.69% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31.03.2019 तक के रु. 13,463 करोड़ से बढ़कर 31.03.2020 तक रु.14,499 करोड़ हो गया है। बैंक का विदेशी जमा मार्च, 2019 के रु.5,629 करोड़ की तुलना में घटकर मार्च, 2020 की समाप्ति में रु.4,996 करोड़ हो गया है। वर्ष-दर-वर्ष 21.30% की वृद्धि दर्ज करते हुए अग्रिम मार्च, 2019 के रु.7,834 करोड़ की तुलना में बढ़कर मार्च, 2020 में रु.9,503 करोड़ हो गया है।

भारत भर में स्थित 67 बी-श्रेणी की शाखाओं के साथ हमारा बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों/आयातकों तथा अनिवासी भारतीयों की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेंट कारोबार आइएनआर 39,319.11 करोड़ रहा।

फरवरी, 2012 से हामरा बैंक भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार "रुपया भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत ईरान के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यापार लेन-देन सुलभ करा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान को अनुमत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सुविधा होती है।

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम:

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क

2020 is Rs 4836 crore as against Rs 2760 crore during FY 2019, thereby reflecting an increase of 75.22% . During the year FY 2020 total income registered a growth of 13.64 % from Rs15844 crore in FY 2019 to Rs 18006 crore in FY 2020. During the year Bank made provision of Rs 7272 crore against Rs. 7081 crore in FY 2019. Cost of deposits has decreased from 5.07 % in FY 2019 to 4.90 % in FY 2020. Net interest income increased to Rs.5092 crore in FY 2020 from Rs.4311 crore in FY 2019. Capital Adequacy Ratio (CAR) under Basel III stood at 11.70% as on March 2020. Govt. of India infused Capital to the tune of Rs. 4272 crore during the FY 2020 and GOI holding stood at 94.44% as on 31.03.2020.

3. TREASURY & INTERNATIONAL

Domestic Investment of the Bank during the year 2019-20 increased by 11.05% from Rs 80622 crore as on 31.03.2019 to Rs 89532 crore as on 31.03.2020 largely due to allotment of recapitalization bond and purchase of Government securities.

The SLR investment of the Bank increased by 6.48% from Rs 56834 crore as on 31.03.2019 to Rs 60520 crore as on 31.03.2020 mainly due to purchase of high yielding Govt. Securities. The Non-SLR Investment (Domestic) grew by 21.96% from Rs 23788 crore as on 31.03.2019 to Rs 29011 crore as on 31.03.2020 mainly due to allotment of recapitalization bond from GoI amounting to Rs 4272 crore.

During the year 2019-20, the bank has earned income from Treasury operations including profit from sale of investments amounting to Rs 7762.28 crore vis-a`- vis Rs. 6252.47 crore during the year 2018-19, thereby registering a 24.15% increase in treasury income y-o-y basis mainly due to higher interest income from investments and profit from sale of investments.

During the Year 2019-20, the bank has registered a growth of 10.99 % in interest income from domestic investments which stands at Rs. 5876.19 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs. 5294.21 crore as on 31.03.19 thereby registering a growth of Rs. 581.98 crore on y-o-y basis mainly due to increase in domestic investment portfolio.

3.1 International Business

Total Business of overseas centers as of 31.03.2020 increased to Rs 14,499 crore from Rs. 13,463 crore as on 31.03.2019 showing a Y-o-Y growth of 7.69%. Overseas Deposit of the Bank declined to Rs. 4,996 crore at the end of March 2020 as compared to Rs. 5,629 Crore in March 2019. Advances increased to Rs. 9,503 Crore in March 20 from Rs. 7,834 Crore in March 2019 witha y-o-y growth of 21.30%.

Our Bank with 67 B-category Branches across India is committed to actively cater to the needs of Exporters / Importers Community and also serve the NRI Customers. The Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended on 31stMarch, 2020 stood at Rs. 39,319.11 crore.

Our Bank has also been facilitating Bi-lateral Banking Trade transaction with Iran under "Rupee Payment Mechanism" since Feb, 2012 as mandated by Govt. of India /RBI, thereby facilitating Indian Exporters, exporting permissible goods and services to Iran.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing

द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढ़ंग से सेवाएं देता रहा है। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया गया अग्रिम रु 57035 करोड़ था जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.63% था।

4.1.1 कृषि को अग्रिम :

बैंक का कुल कृषि अग्रिम रु 23,652 करोड़ रहा जो एएनबीसी का 17.68% है।

4.1.2 कमजोर वर्गों को अग्रिम:

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया ऋण रु 15,796 करोड़ रहा जो एएनबीसी का 11.80% है।

4.1.3 अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण:

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय ऋण रु 7605 करोड़ रहा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ऋण का 31.33% है।

5 विकास के लिए पहल :

मिशन 10000: बैंक ने मिशन मोड के अंतर्गत 10000 स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 15690 स्वयं सहायता समूहों को रु 380 करोड़ का वित्त प्रदान किया। हमारे बैंक को एसआरएलएम, पश्चिम बंगाल सरकार से वर्ष 2019-20 के लिए स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कार मिला है।

प्रधान मंत्री किसान सेचुरेशन: बैंक ने सरकार के कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सक्रिय उपाय किए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 187980 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 123609 हिताधिकारियों को तुरंत सैद्धांतिक संस्वीकृति दी गई तथा शेष पात्र आवेदनों पर बाद में कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में निधि जमा नहीं करने का संकल्प: बैंक को विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य में कमी के कारण ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में निधि रखना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के कारण बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में निधि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अत: वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में निधि जमा नहीं करने के संकल्प को प्राप्त कर लिया गया है।

ब्याज अनुदान की केंद्रीकृत प्रक्रिया: बैंक ने ब्याज अनुदान की केंद्रीकृत प्रक्रिया के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसे दिनांक 31 मार्च, 2020 से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है।

किसान केडिट कार्ड के अंतर्गत पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए वित्त प्रदान करना: बैंक ने सरकार के दिशानिर्देशों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है तथा किसान केडिट कार्ड के अंतर्गत पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए वित्त प्रदान करने हेतु योजना तैयार की है।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्राबैंक)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेग्राबैंक का नाम पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है तथा दिनांक 31.03.2020 को इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

6.1 क्षेग्राबैंक की पूंजी की स्थिति:

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी संरचना इस प्रकार है: रु 154.51 करोड़ (भारत सरकार), रु 108.16 करोड़ (यूको) एवं रु 46.35 करोड़ (पश्चिम बंगाल राज्य सरकार)

the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2020, the Priority Sector Advances of the Bank stood at Rs. 57,035 Crore constituting 42.63 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC)

4.1.1 Agriculture Advances:

Total Agriculture Advances of the Bank stood at Rs. 23,652 Crore constituting 17.68 % of ANBC.

4.1.2 Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at Rs. 15,796 Crore as of 31st March 2020 consisting 11.80% of ANBC.

4.1.3 Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank as on 31.03.2020 stood at Rs.7605 crore constituting 13.33% of Priority Sector Advances.

5. INITIATIVES FOR GROWTH:

MISSION 10000 : Bank had set a target to finance 10000 Self Help Groups under Mission mode. As of 31st March 2020, Bank was able to surpass the target and financed to 15,690 SHGs amounting Rs.380 crore. Bank has received award for outstanding performance in financing SHG for the year 2019-20 from SRLM, Govt. of West Bengal.

PM Kisan Saturation: Bank had taken proactive measures for successful implementation of the programme of the Government. As of 31st March 2020, 1,87,980 applications were received under the said programme, out of which 1,23,609 beneficiaries had been given in principle sanction immediately and rest eligible applications will be processed subsequently.

Sankalp for No RIDF for the Financial Year 2020-2021: Bank is required to park fund with RIDF for the amount of shortfall in achievement of agriculture Credit target during the preceding financial year.Bank through its achievement in agriculture credit target during the FY 2019-20, is not required to park fund with RIDF for the FY 2020-21. Hence, the Sankalp for no RIDF in FY 20-21 was fulfilled.

Centralised processing of Interest Subvention: Bank has achieved its objective of centralised processing of interest subvention, which has been successfully implemented wef. 31st March 2020.

Financing Animal Husbandry and Fishery under KCC: Bank has successfully implemented the direction from Government and formulated a scheme for financing Animal Husbandry and Fishery under KCC.

6. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2020.

6.1 Capital position of RRB:

The total capital of PaschimBangaGramin Bank as on 31.03.2020 stood at Rs. 309.02 crore comprising Rs.154.51 crore (Govt. of India), Rs.108.16 crore (UCO Bank) & Rs.46.35 crore (West Bengal State Govt.).

2019-20 के दौरान क्षेग्राबैंक का कार्यनिष्पादन

6.1.1 पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक:

गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2020 की स्थिति को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशि रु 5531.74 करोड़ रही जो 6.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 7.86 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिम रु 2954.88 करोड़ तक पहुंच गया। दिनांक 31.03.2020 को सीडी अनुपात 53.42% था जबकि दिनांक 31.03.2019 को सीडी अनुपात 52.87% था।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार रु 373.45 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31.03.2020 को सकल अनर्जक आस्ति रु 422.76 करोड़ रही। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सकल अग्रिम की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति 14.31% रही जो दिनांक 31.03.2019 की स्थिति को 13.76% थी। दिनांक 31.03.2020 को क्षेग्राबैंक का शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 9.28% रहा जो दिनांक 31.03.2019 को 9.50% था।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अर्जित रु 92.25 करोड़ के परिचालन लाभ की तुलना में 27.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए दिनांक 31.03.2020 को रु 117.58 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक को दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार रु 6.79 करोड़ शुद्ध लाभ की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को रु 36.54 करोड़ की शुद्ध हानि हुई तथा इस तरह दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार रु 101.17 करोड़ की संचित हानि दिनांक 31.03.2020 को बढ़कर 137.71 करोड़ हो गई।

6.2 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बैंक ने कई कार्यक्रम बनाए हैं/पहल की है। इनमें से कुछ कार्यक्रम/पहल निम्नलिखित हैं:

ए) हमारे बैंक ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं। ये 27 संस्थान समर्पित बुनियादी संरचना के साथ ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशल का विकास करने एवं उनकी बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की समस्या को कम करने के प्रति समर्पित हैं। ग्रामीण युवकों में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत ये संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन आर-सेटी में प्रशिक्षित सभी 16436 अभ्यर्थियों और 6295 हिताधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 96.31 करोड़ ऋण सहबद्धता मुहैया कराई गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान तीन (3) नवनिर्मित आरसेटी भवनों का उद्घाटन किया गया तथा ग्रामीण प्रशिक्षण संचालित करने के लिए इन्हें जिले की जनता को समर्पित किया गया।

ख) वित्तीय एवं सामाजिक हस्तक्षेप द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के उत्थान के लिए तथा अंगीकृत ग्रामों के समग्र विकास के लिए यूको उत्थान योजना के अंतर्गत बैंक ने अपने 19 अंचलों की 26 यूको शाखाओं के अंतर्गत 31 ग्रामों को अंगीकृत किया है।

ग) भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर बैंक ने ओडिशा के भद्रक और ढेंकानाल जिलों में 10 ब्लॉकों, 5 भद्रक में एवं 5 ढेंकानाल में, 10 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किए हैं। इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों का परिचालन व्यय बैंक और नाबार्ड 40:60 के अनुपात में वहन करते हैं।

Performance of RRBs during 2019-20

6.1.1 Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.5, 531.74 crore as on 31.03.2020, registering growth of 6.76 %. Total advance reached a level of Rs.2,954.88 crore with an annual growth of 7.86 % as on 31.03.2020. CD ratio stood at 53.42% on 31.03.2020 as against 52.87% on 31.03.2019.

The gross NPA stood at Rs.422.76 crore as on 31.03.2020 vis-a-vis Rs.373.45 crore as on 31.03.2019. Gross NPA to Gross Advance stood at 14.31% as on 31.03.2020 as against 13.76% as of 31.03.2019. The net NPA ratio of the RRB stood at 9.28% as on 31.03.2020 as against 9.50% as of 31.03.2019.

Paschim Banga Gramin Bank has earned an operating profit of Rs.117.58 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs.92.25 crore as on 31.03.19, registering growth of 27.46 %

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs.36.54 crore as on 31.03.2020 as compared to net profit of Rs.6.79 crore as on 31.03.19, thereby increasing accumulated loss from Rs. 101.17 crore as on 31.03.2019 to Rs. 137.71 crore as on 31.03.2020.

6.2 Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/ initiatives are as under:

a) Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal. These 27 institutes with dedicated infrastructure are devoted to impart training and skill up gradation and to mitigate the unemployment and under employment problems of rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social Responsibility (CSR). All RSETIs trained 16436 candidates and 6295 beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs.96.31 Crore during the Financial Year 2019-20. During the year 2019-20, three (3) newly constructed RSETI Buildings were inaugurated and dedicated to the people of the district for conducting Rural training.

b) Bank under UCO Utthan Scheme has adopted 31 villages falling under 26 UCO Branches in 19 Zones of the Bank for upliftment of BPL families and all-round development of adopted villages with financial & social intervention.

c) Under the initiative of Reserve Bank of India, Bank has set up 10 CFLs (Centres for Financial Literacy) in 10 Blocks, 5 each in Bhadrak and Dhenkanal district of Odisha. The Bank and NABARD bear the cost of operationalisation of these CFLs in 40:60 ratios.

घ) पूरे देश में बैंक के 34 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं और वित्तीय साक्षरता अभियान के आयोजन के लिए बैंक ने 29 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की भर्ती की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं ने 3655 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया और इसके द्वारा 203772 प्रतिभागियों में वित्तीय साक्षरता फैलाई।

ड.) नाबार्ड की पहल पर जनसंख्या के विभिन्न लक्ष्य समूहों में वित्तीय साक्षरता जागरूकता लाने हेतु हमारे बैंक की सभी ग्रामीण शाखाओं में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी) शुरुकिए गए हैं। डिजिटल साक्षरता और ई-लेनदेन करते समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे बैंक की 1075 ग्रामीण शाखाओं में 7362 वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इन कार्यक्रमों में हमारे बैंक ने रु 0.49 करोड़ व्यय किए।

7. वित्तीय समावेशन

7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित/कम बैंक सुविधावाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने हेतु पूरे देश में बैंक को 16225 ग्राम आबंटित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुरूप इन ग्रामों को 4066 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करनेऔर समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने के लिए इन 4066 उप सेवा क्षेत्रों में से 3600 उप सेवा क्षेत्र बीसी एजेंटों द्वारा टियर 5 ग्रामों (5000 से अधिक आबादी वाले) के बाकी 466 उप सेवा क्षेत्र शाखाओं द्वारा कवर किए जाते हैं। इन आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बैंक ने 3568 बैंक मित्र नियोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा व्यवहृत माइक्रो एटीएम के माध्यम से रु 8969.52 करोड़ के कुल 231.10 लाख लेनदेन किए गए और इस तरह प्रत्येक माह औसतन रु 747.46 करोड़ के लगभग 19.26 लाख लेनदेन किए गए।

मार्च, 2020 के अंत तक बैंक के 85.75 पीएमजेडीवाई खातों में रु 2833.98 करोड़ जमा थे और प्रत्येक खाते की औसत जमाराशि रु 3304.58 थी। हमने पात्र पीएमजेडीवाई खातेदारों को लगभग 20.21 लाख रुपे कार्ड वितरित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा प्रयुक्त माइक्रो एटीएम पर रुपे कार्ड के माध्यम से 2.14 लाख औसत लेन-देन किए गए जिनकी कुल राशि रु 110.90 करोड़ थी।

7.2 आधार को सीड किया जाना तथा उसका सत्यापन

पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पहचान के लिए ग्राहक द्वारा ऐच्छिक रूप से आधार दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। 31 मार्च 2020 तक 86.08% सक्रिय कासा खातों में आधार सीड किए गए हैं तथा 52.22% सक्रिय कासा खातों में आधार प्रमाणन कर दिया गया है। आधार पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवा के माध्यम से रु 8343.87 करोड़ की राशि का अंतरण हिताधिकारियों के खाते में किया गया है।

7.3 आधार इनरोलमेंट केंद्र

यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे बैंक में अब तक 300 आधार इनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं जो 10% शाखाओं को कवर करते हैं। अभी तक 1245 स्टाफ सदस्यों ने (परिचालक तथा पर्यवेक्षक) की सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की है और 1245 यूजर आईडी हमारे बैंक में सक्रिय किए गए हैं। अभी बैंक प्रति सेंटर प्रतिदिन आठ इनरोलमेंट / अपडेशन कर रहा है।

d) Bank has 34 Financial Literacy Centres across the country and has recruited 29 Financial Literacy Counsellors for conducting Financial Literacy Camps. During Financial Year 2019-20, the Financial Literacy Counsellors have conducted 3655 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 203772 participants.

e) Under the initiative of NABARD, Financial Literacy Awareness Programme (FLAP) has been initiated in all Rural Branches of our Bank for imparting financial literacy awareness for different target segments of population. Programmes were on digital literacy and safety measures to be adopted while doing e-transaction. Our Bank has 1075 Rural Branches where 7362 FLAPs were organized with contribution from our Bank in these programmes amounting Rs.0.49 Crore .

7. FINANCIAL INCLUSION

7.1 PradhanMantri Jan DhanYojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16225 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4066 Sub Service Area (SSA). Out of these 4066 SSAs, 3600 SSAs are covered though BC agents and remaining 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility. Bank has deployed 3568 Bank Mitras in these allotted SSAs. During the FY 2019-20 total 231.10 lacs transactions amounting Rs.8969.52 crore averaging every month about 19.26 lacs transactions amounting Rs.747.46 crore carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

By end of March 2020, Bank has Rs. 2833.98 Crore deposits in 85.75 lacs PMJDY Accounts with average balance of Rs. 3304.58. Bank has distributed around 20.21 lacs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2019-20 average transactions to the order of 2.14 lacs took place through Rupay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting to Rs.110.90 Crore.in aggregate.

7.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As per revised guidelines Aadhaar can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various welfare schemes. By 31st March 2020, around 86.08% operative saving accounts have been seeded with Aadhaar number and Aadhaar authentication has been done in 52.22% of operative saving accounts. Aadhaar based Direct Benefit Transfer worth Rs 8343.87 crore was transferred to the accounts of beneficiaries.

7.3 Aadhaar Enrolment Centre

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centers has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. So far, 1245 staff members (operators/supervisor) have passed the certification exam and 1245 User IDs are activated in our bank. At present Bank is doing about 8 enrolments/updations per day per centre.

7.4 माइक्रो क्रेडिट-ओवरड्राफ्ट सुविधा

हमारी सभी शाखाओं और अंचल कार्यालयों को रु 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देने के लिए आईबीए के विस्तृत दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई खातों में इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 180044 हो गई है इसमें संस्वीकृत की गई कुल राशि रु 36.55 करोड़ है।

7.5 सामाजिक सुरक्षा योजना

अब तक बैंकविहीन रहे लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने की सरकार की योजना के अंतर्गत बैंक में सुरक्षा पेंशन और बीमा योजनाएं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का कार्यान्वयन शाखाओं और बीसी के माध्यम से किया जा रहा है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 9.75 लाख तथा पीएमएमबीवाई के अंतर्गत 19.57 लाख सब्स्क्राइबर बीमित हुए हैं। अब तक पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत 987 दावों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के अंत तक अटल पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत 3.29 लाख सब्सक्राइबर बनाए गए हैं।

7.6 वित्तीय समावेशन प्रकल्प के माध्यम से राजस्व प्राप्ति

वित्तीय समायोजन के अंतर्गत लगातार किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम आए हैं और इन गतिविधियों के माध्यम से बैंक को मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के लाभ मिलना शुरूहो गया है। शाखाओं के संकेंद्रण को समाप्त करने के बाद अंतरण के खर्चे में कमी आई है और कासा आधार बढ़ा है, ये कुछ अमूर्त लाभ हैं। वित्तीय समायोजन के प्रकल्प के मूर्त लाभों में विभिन्न उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुआ कमीशन लाभ शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत रु 262.33 लाख, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत रु 32.28 लाख तथा एपीवाई कमीशन के अंतर्गत रु 152.13 लाख अर्जित किए। इसी प्रकार इस वर्ष में रु 4.91 करोड़ की राशि डीबीटी/डीबीएलटी के माध्यम से अर्जित की गई।

8. सरकारी कारोबार

बैंक के सरकारी कारोबार सेल ने लघु बचत योजना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के पेंशन. अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का काम किया।

वर्ष 2019-20 के दौरान सभी ब्रांचों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) खाते तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान पीपीएफ में 4105 (41%) तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 2920 (16%) की वृद्धि हुई।

एपीवाई के अंतर्गत खाते खोलने में भारी वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान 78745 खाते खुले जबकि 2019-20 में 125584 खाते खुले। इस प्रकार 60% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई।

एपीवाई के लक्ष्य को छः माह में प्राप्त करने पर बैंक को कई पुरस्कार एवं प्रास्तियां प्राप्त हुईं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः

- छह माह में एपीवाई इनरॉलमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वेडनसडे पुरस्कार।
- समस्त बैंकों हेतु लीडरशिप कैपिटल 2.0 पुरस्कार हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्राप्त किया।
- एपीवाई के लक्ष्य को प्राप्त करने पर दोनों एसएलबीसी को सिटिजनशिप पुरस्कार
- अंचलों के लिए 'राईज़ अबव द रेस्ट' पुरस्कार तीन अंचलों को प्राप्त हुए।

7.4 Micro Credit-Overdraft facility

Detailed guidelines by IBA for providing Overdraft facility up to Rs10,000/- has been sent to all branches/zones. Number of PMJDY accounts using the OD facility in the bank as on 31.03.2020 is 180044 involving aggregating sanctioned amount of Rs.36.55 Crore.

7.5 Social Security Schemes

Working on the Government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan JyotiBimaYojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha BimaYojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY scheme, 9.75 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 19.57 lakh lives are insured. So far a total of 4155 claims are settled under PMJJBY and 987 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 3.29 lac till year end.

7.6 Revenue generated through Financial Inclusion Project

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned Rs.262.33 lacs in PMJJBY, Rs.32.28 lacs in PMSBY and Rs.152.13 lacs in APY as commission during FY-2019-20. Similarly an aggregate amount of Rs 4.91 Crore is earned against DBT / DBTL during the year.

8. GOVERNMENT BUSINESS

Government Business Cell handles Small Saving deposit schemes, collection of direct and indirect taxes, Central and State Government Pension, Atal Pension Yojna (APY), Sovereign Gold Bonds (SGB) and National Pension System (NPS).

During the year 2019-20 all Branches have been authorized for the opening of account under Public Provident Fund (PPF), Sukanya Samriddhi Accounts (SSA) and Senior Citizen Saving Scheme (SCSS). There was increase in the accounts opened under PPF- 4105 (41%) and SukanyaSamriddhi Accounts scheme- 2920 (16%) during the year 2019-20.

There was a substantial increase in accounts opened under APY Scheme, from 78745 during 2018-19 to 125584 during 2019-20 shows 60% Y-o-Y growth.

Bank received several awards /accolades for achieving targets for APY enrolment in six months. These awards include:

- Winning Wednesday awards for achieving targets under APY enrolment for six months
- MD& CEO received the award for Leadership capital 2.0 meant for all Banks
- Citizenship award to both the SLBCs for APY achievement.
- Three zones received the award "Rise above the rest "meant for zones.

➢ 201 शाखाओं को एपीवाई लक्ष्य प्राप्ति पर बीट द बेस्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ।

➢ एपीवाई के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों हेतु 'प्लेज़ टू परसिस्ट' पुरस्कार एकमात्र यूको बैंक को प्राप्त हुआ।

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न उत्पादों यथा विभिन्न राज्य कर संग्रहण, सीबीडीटी कर संग्रहण, सीबीईसी कर संग्रहण, केंद्र एवं राज्य सरकार पेंन, अटल पेंन योजना (एपीवाई), पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एससीएसएस, सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड आदि के माध्यम से बैंक ने 26 करोड़ रुपये टर्नओवर कमीन कमाया। बैंक सरकारी कारोबार व्यवसाय की संवृद्धि हेतु सतत प्रतिबद्ध है।

9. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई)

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अंतर्गत रु 24486.12 करोड़ अग्रिम प्रदान किए गए।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एमएसएमई के अंतर्गत की गई पहल

➢ रिटेल तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा "यूको कार्निवाल" अभियान प्रारंभ किया गया जो दिनांक 21.03.20 तक चला। अभियान के दौरान केवल रिटेल क्षेत्र को रु 2964 करोड़ तथा केवल एमएसएमई क्षेत्र को रु 1348 करोड़ के ऋण संवीकृत किए गए।

➢ Psbloansin59minutes में रु 500 लाख तक के एमएसएमई उत्पादों की ऑनबोर्डिंग

➢ Psbloansin59minutes में मुद्रा उत्पाद (रु 10 लाख तक) की ऑनबोर्डिंग

➢ त्वरित चुकौती के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं:

- सावधि ऋणों के मामले में सभी पात्र एमएसएमई की अंतिम किश्त को माफ करना
- कैश केडिट के मामले में सभी पात्र एमएसएमई को नवीकरण प्रभार में 25% की छूट

➢ बैंक ने आरएक्सआईएल के साथ तालमेल किया है और फरवरी, 2019 से आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेड्स के अंतर्गत भविष्य में व्यापार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14.11.2019 को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बिलों की डिस्काउंटिंग के लिए एम1एक्सचेंज तथा इनवायसमार्ट के साथ तालमेल किया तथा वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर रु 65.05 करोड़ के कुल 1525 बिलों की खरीद की।

➢ एक साथ उधार देने की व्यवस्था के अंतर्गत निर्माण एवं खनन, खेती एवं चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद के लिए ऋण के को-ओरिजिनेशन देने के लिए दिनांक 17.02.20 को बैंक ने मेसर्स श्रेयी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसआरईआई) के साथ तालमेल किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की सोर्सिंग की सुविधा का कार्य कनोरिया फाउंडेशन की पहल इक्विप्पो द्वारा किया जाएगा।

➢ एमएसएमई के अंतर्गत लक्ष्यित ग्राहकों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए मुद्रा के अंतर्गत दो पहिया वाहन के लिए वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए नई योजना का शुभारंभ किया गया।

➢ दिनांक 17.06.2019 को एमएसई के लिए "यूको व्यापार समृद्धि" नामक विशेष योजना का शुभारंभ किया गया जिसके अंतर्गत खुदरा व्यापारियों सहित एमएसई को रु 1 करोड़ तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण संस्वीकृत किए जाते हैं।

➢ घटे हुए टीएटी के साथ एमएसएमई क्षेत्र को निधि उपलब्ध कराने के लिए आठ एसएमई हब बनाए गए।

➢ Beat the best award received by 201 Branches for their achievement under APY.

➢ UCO Bank is the only Bank to receive "Pledge to Persist" award meant for Banks for achievement under APY

Bank earned Turn over commission to the tune of Rs. 26 crore during the year 2019-20 on various products namely different state tax collections, CBDT tax collections, CBEC tax collections, central and state government pensions, Atal Pension Yojna(APY), PPF, Sukanya Samridhi Yojana , SCSS , Sovereign Gold Bond etc. Bank has continued its pledge to improve Govt business substantially.

9. MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME)

The advance under Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as on 31.03.2020 is Rs. 24,486.12 Crore

New initiatives taken under MSME during FY 2019-20

➢ Bank launched "UCO Carnival" campaign during the year 2019-20 to augment credit to Retail and MSME segment. An amount of Rs.2964 crore.loans sanctioned exclusively to Retail sector and Rs.1,348 Crore loans sanctioned exclusively to MSME sector during the campaign.

➢ Onboarding of MSME products up to Rs. 500 Lacs in Psbloansin59minutes portal

➢ Onboarding of Mudra product (up to Rs. 10 Lacs) in Psbloansin59minutes portal

➢ To encourage MSMEs for prompt repayment, Bank has introduced incentive schemes as under:

- In Case of Term Loans, waiver of last installment to all eligible MSMEs
- In case of Cash Credit, waiver of 25% of renewal charges to all eligible MSMEs

➢ The Bank has tied-up with RXIL and is trading at RXIL platform with effect from February 2019. Considering future business prospect under TReDS, Bank has also tied-up with TReDS platforms i.e. M1xchange and Invoicemart on 14/11/19 for discounting of bills at TReDS Platforms and a total of 1525 bills were purchased amounting to Rs.65.05 Crore during FY 19-20 on this platform.

➢ Bank has tied-up with M/s Srei Equipment Finance Limited (SREI) on 17/02/2020 to offer Co-origination of loans for purchase of construction and mining, farm and medical equipment under a co-lending arrangement. iQuippo, a Kanoria Foundation initiative, will facilitate sourcing of loans under this programme

➢ A new scheme for financing Two Wheelers under MUDRA for the purpose of commercial use launched in order to cater the target customers under MSME.

➢ A special scheme for MSEs "UCO VyaparSamridhi" launched on 17/06/2019 where collateral free loans up to Rs.1 Crore are sanctioned to MSEs including Retail Traders.

➢ Eight SME Hubs created for funding to MSME sector with reduced TAT .

- एमएसएमई की चलनिधि की कमी को कम करने के लिए दिनांक 06.01.2020 को एमएसएमई के लिए नई योजना "स्टैंडबाई लाइन ऑफ केडिट फॉर एमएसएमई" प्रारंभ की गई।
- "इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर इंक्रिमेंटल केडिट टू एमएसएमई, 2018" योजना कार्यान्वित की गई।
- भारत सरकार की एमएसएमई पुन:संरचना योजना का कार्यान्वयन
- दो ट्रेंचेस (रु 600 करोड़ प्रत्येक) में सिडबी से प्राप्त रु 1200 करोड़ का पुनर्वित्त
- उद्योग बेंचमार्क के अनुसार एमएसएमई नीति को संशोधित किया गया।
- टीएटी घटाने के लिए उद्यमीमित्र, पीएमईजीपी तथा पीएसबीऑनलाइन जैसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों की मॉनीटरिंग
- बैंक का केरल सरकार द्वारा प्रारंभ पुनर्वास पैकेज नोर्का डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर रिटर्न इमिग्रेंट्स (एनडीपीआरईएम) के कार्यान्वयन के लिए नोर्का रूट्स के साथ तालमेल
- उडान पोर्टल पर ऋणदाता के रूप में शामिल होने के लिए बैंक ने सीजीटीएमएसई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे बैंक को एमएसई को बेहतर तरीके से निधि उपलब्ध कराने में तकनीक का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

- With a view to mitigate the liquidity crunch of MSMEs, a new scheme for MSME "Standby Line of Credit for MSME" has been introduced on 06/01/2020
- Implemented scheme "Interest Subvention Scheme for Incremental Credit to MSMEs, 2018".
- Implementation of MSME restructuring scheme of GOI.
- Refinance from SIDBI of Rs. 1200 Crore taken in two tranches (Rs. 600 Crore each).
- MSME Policy modified as per Industry benchmark .
- Monitoring of Online Applications through Portals like Udyamimitra, PMEGP and Psbonline etc. to reduce TAT.
- Bank has tied up with NORKA ROOTS for implementing Government of Kerala Initiated rehabilitation package Norka Department Project for Return Emigrants (NDPREM).
- Bank has signed MOU with CGTMSE for participating as lender on UDAAN Portal. This will assist Bank to utilize technology in better sourcing of MSEs.

10. रिटेल बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिटेल बैंकिंग के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ इस प्रकार हैं :

10. RETAIL BANKING

The performance highlights of the bank under Retail during FY 2019-20 are furnished as under:

(₹ करोड़ में/ ₹ in crore)

उत्पाद / **Product**	**मार्च 2019 की स्थिति As on March 2019**	**मार्च 2020 की स्थिति As on March 2020**	**% वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष % Growth Y-o-Y**
आवास ऋण /Home Loan	13,545	14,679	8%
कार ऋण/ Car Loan	1,357	1,507	11%
वैयक्तिक ऋण/ Personal Loan	514	538	5%
अन्य रिटेल ऋण/ Other Retail Loan	7,076	8,499	20%
कुल रिटेल / **Total Retail**	**22,492**	**25,223**	**12%**

- रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में कुल 12% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। मूल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो (पूल एवं एलआरडी को छोड़कर) में 16% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
- फोकस क्षेत्रों आवास एवं कार ऋण (पूल रहित) में क्रमशः 14% और 16% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
- आवास ऋण, संपत्ति एवं पेंशनर को दिए जाने वाले ऋण को बेहतर किया गया।
- वैसे विद्यार्थी जो भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रु. 75 लाख तक की बढ़ी हुई ऋण सीमा के साथ एक नई शिक्षा ऋण योजना 'यूको एस्पायर' की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत मार्च, 2020 तक रु. 46.14 करोड़ रूपये संवितरित किए गए।
- बीओबी ईएसपीएस, 2019 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्मिकों को शेयर खरीदने के लिए 'बीओबी के कार्मिकों को यूको व्यक्तिगत ऋण योजना' की पेशकश की गई। इस योजना के तहत लगभग रु. 90 करोड़ रुपये का व्यवसाय प्राप्त किया गया।

- Total Retail loan Portfolio registered Y-o-Y growth of 12%. Core Retail Loan Portfolio (excluding Pool & LRD) registered Y-o-Y growth of 16%.
- Focus areas Home and Car (excluding pool) registered Y-o-Y growth of 14% and 16% respectively.
- Home Loan, Property and Pensioner Loan Products are improvised.
- To cater the financial needs of students pursuing Medical Courses in India and studies abroad, new Education Loan Scheme "UCO Aspire" with increased Limits up to Rs.75 Lacs was launched. As on Mar'20, Rs. 46.14 Crorewas sanctioned under this Scheme.
- "UCO Personal Loan Scheme to Employees of BoB" for Bank of Baroda Employees to subscribe shares offered under BoB ESPS 2019. Business of around Rs.90 Crore was mobilized under this Scheme.

➢ कोयंबटूर और कानपुर केंद्रों पर दो नए आरएलएच की स्थापना की गई।

➢ सभी रिटेल ऋण उत्पादों हेतु अच्छे ग्राहकों की पहचान के लिए न्यूनतम 600 सिबिल/क्रिफ हाइ मार्क स्कोर निर्धारित किया गया है।

➢ मौजूदा ग्राहकों में क्रॉस सेलिंग के अवसर ढूँढने, रिटेल ऋणों हेतु संभावित बाज़ारों की पहचान तथा एसएमएस आधारित ग्राहक प्रोफाइलिंग समाधान के लिए केडिट इन्फॉर्मेंन कंपनियों के साथ तालमेल किया गया।

➢ दिनांक 06.01.2020 को एक सीमित अवधि वाली 'यूको कार्निवल' के रूप में रिटेल एवं एमएसएमई ऋण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के दौरान कुल रु. 4312 करोड़ (रिटेल - रु. 2964 करोड़ और एमएसएमई - रु. 1348 करोड़) की संस्वीकृति दी गई।

11. बैंकाश्योरेंस

➢ बैंकाश्योरेंस कारबार को बढ़ाने के लिए बैंक एक कॉर्पोरेट एजेंट (समग्र) है और जीवन एवं सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए क्रमाः लाइफ इंयोरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा फ्युचर जनरल इंडिया इंयोरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ तालमेल किया गया है।

➢ समूह केडिट जीवन बीमा कवरेज के लिए बैंक कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंयोरेंस कंपनी लिमिटेड का मास्टर पॉलिसीधारक एवं समूह प्रासक है।

➢ बैंक बैंकायोरेंस कारबार के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी तालमेल के तहत नई चयनित बीमा कंपनियों के साथ करार करने की प्रक्रिया में है।

➢ बैंक निम्नलिखित आस्ति प्रबंधन कंपनियों के उत्पादों का वितरण भी करता हैः

1. मेसर्स कोटक महिंद्रा एएमसी लि.
2. मेसर्स रिलायंस निप्पोन लाइफ ऐसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
3. मेसर्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4. मेसर्स यूटीआईआई एएमसी लिमिटेड
5. मेसर्स एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
6. मेसर्स बड़ौदा एएमसी इंडिया लिमिटेड
7. मेसर्स आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल एएमसी लिमिटेड
8. मेसर्स फ्रैंकलिन टेंपलेशन म्यूचुअल फंड
9. मेसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड

➢ बैंकाश्योरेंस कारोबार को मजबूत करने के लिए बैंक ने भारतीय इंश्योरेंस विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) द्वारा प्रमाणित 347 चिह्नित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

➢ Two new RLHs at Coimbatore & Kanpur Centres were established.

➢ To onboard quality customers, a minimum CIBIL/CRIF High Mark score of 600 was set for all Retail Loan Products.

➢ Tied up with Credit Information Companies to identify Cross Selling opportunities among existing customers, identify potential markets for Retail Loans and for SMS based Customer Profiling Solution.

➢ "UCO Carnival", a limited period Retail and MSME Loan Campaign was launched on 06/01/20. Total Sanctions during the campaign wasRs. 4,312 Crore (Retail~Rs.2,964Crore and MSME~Rs.1,348 Crore).

11. BANCASSURANCE

➢ Bank is a Corporate Agent (Composite) for solicitation of Bancassurance business and has tie up arrangement with Life Insurance Corporation of India and Future Generali India Insurance Company Limited for Life and General Insurance business respectively.

➢ For Group Credit Life Insurance Coverage, Bank is the Master Policy Holder and Group Administrator of Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Company Limited.

➢ Bank is under process of executing Agreement with newly selected Insurance Companies under Corporate Agency Tie-up for Bancassurance Business

➢ Bank also distributes products of the following Asset Management Companies:-

1. M/s. Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
2. M/s. Nippon Life India Asset Management Limited
3. M/s. SBI Funds Management Private Limited
4. M/s. UTI Asset Management Company Limited
5. M/s. HDFC Asset Management Company Limited
6. M/s. Baroda Asset Management India Limited
7. M/s. ICICI Prudential Asset Management Company Limited
8. M/s. Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited
9. M/s. Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Limited

➢ In order to augment Bancassurance Business, Bank has 347 trained Specified Persons certified by Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI)

➢ 01/04/2019 से 31/03/2020 की अवधि में बैंकाश्योरेंस (लाइफ, नॉन लाइफ, ग्रुप लाइफ क्रडिट) तथा म्युच्यूअल फंड कारोबार के अंतर्गत कार्यनिष्पादनः-

➢ Business Performance under Bancassurance (Life, Non-Life, Group Life Credit) and Mutual Fund Business for the period 01/04/2019 to 31/03/2020 is as below:-

क्रमांक Sl	कंपनी का नाम Name of the Company	संगृहीत प्रीमियम (लाख ₹ में) Premium Collected (₹ in Lakhs)	अर्जित कमीशन (लाख ₹ में) Base Commission Earned (₹ in Lakhs)	पॉलिसी/फोलियो की सं. No of Policy/ Folio (₹ in Lakhs)
	ए. जीवन बीमा /A. Life Insurance			
1.	मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम M/s Life Insurance Corporation of India	1152.49	244.74	3651
	बी. साधारण बीमा/B. General Insurance			
2.	मेसर्स रिलायंस जेनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि. M/s Reliance General Insurance Co. Ltd.	196.85	26.56	9348
3.	मेसर्स फ्यूचर जेनरल इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लि. M/s Future Generali India Insurance Co. Ltd.	1717.47	248.23	82451
4.	मेसर्स लिबर्टी जेनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि. M/s Liberty General Insurance Co. Ltd.	2185.50	330.45	87746
	सी. समूह ऋण/C. Group Credit			
1.	मेसर्स कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इन्श्यूरेंस कं. लि. M/s. Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Co. Ltd.	1501.86	N/A	9451
	डी. म्यूटुअल फंड कारोबार/D. Mutual Fund Business			
1.	म्यूचुअल फंड कारोबार (9 एएमसी) Mutual Fund Business (9 AMCs)	N/A	14.87	N/A
	कुल कारोबार / Total Business	**6754.17**	**864.85**	**192647**

12. विधिक मामले

विशेषज्ञ विभाग एवं सलाहकार की भूमिका निभाने के कारण विधि विभाग का कार्य विभिन्न विधिक संस्थाओं में बैंक के विरुद्ध दायर दावों पर कार्य, विभिन्न ऋण वसूली प्राधिकरण में चूककर्ता उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं पर वसूली हेतु मामला दायर करने एवं इनके त्वरित निपटान हेतु ऐसे मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई कर बैंक के वसूली के कार्य में सहयोग करने तक ही सीमित नहीं रह गया है। विधि विभाग द्वारा वकीलों, स्टैंडिंग काउंसल, लीगल रिटेनर (यदि कोई हो तो) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के साथ बैंक के निविदा दस्तावेजों, समझौतों आदि के पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है तथा बैंक के हित में संतुलित निर्णय लिए जाने के लिए कारपोरेट विभागों/अंचल कार्यालयों को विधिक सलाह भी उपलब्ध कराई जाती है।

विधि विभाग ने शाखा कर्मचारियों के मध्य 21 परिपत्रों, सामान्य पत्रों एवं हैंड आउट के परिचालन द्वारा विधिक दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों पर अद्यतन जानकारी से अवगत कराने के माध्यम से शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने तथा उन्मुखीकरण में भी अपना सहयोग दिया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विधि विभाग ने सेंट्रल स्टाफ कॉलेज को विभिन्न विधिक विषयों पर संकाय के रूप में भी सहायता प्रदान की है। इस प्रकार विधि विभाग ने सम्बद्ध विधिक दायरे में उत्तरदायी सेवा तथा व्यावसायिक रूप से दक्ष सलाह देकर संस्थान की मूल्यवर्धिता को बढ़ाया है जिसका बैंक

12. LEGAL MATTERS

As a specialized Department and performing an advisory role, the role of Law Department is not limited only to defending the claims lodged against the Bank before various fora of Law but also in augmenting Bank's recovery in litigations filed by the Bank before Tribunals/Courts against defaulting borrowers/guarantors. It also entails maintaining a close follow- up and monitoring ensuring their expeditious disposal. Review of performance of Advocates,Standing Counsels, Legal Retainers (if any) are also undertaken by Law Department along with vetting of the Tender Documents of the Bank, Agreements etc., providing legal advice to Corporate Departments/Zonal Offices to take a balanceddecision in Bank's interest.

Law Department has also contributed in spreading awareness and orientation amongst the Field Functionaries to enable them to be conversant with latest developments on various issues from a legal perspective by issuance of 21 Circulars, Common Letters and Hand-Outs for circulation amongst the Field Functionaries.

In auxiliary to the above, Law Department has extended its support to the Central Staff College as faculty in imparting training on varied topics of law. Thus, Law Department enhances value to the organization by providing responsive service, commercially

के कारबार पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा।

astute advice within the relative legal framework thus having a transformative impact on Bank's business.

13. वसूली

हमारे बैंक का सकल एनपीए % मार्च, 2019 के 25.00% से घटकर मार्च, 2020 में 16.77% हो गया जिससे जीएनपीए मार्च, 2019 के रु 29,888.33 करोड़ से घटकर रु 19,281.95 करोड़ रह गया। बैंक का एनएनपीए % मार्च, 2019 के 9.72% से घटकर मार्च, 2020 में 5.45% हो गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ₹6181.38 करोड़ नए स्लिपेज का साक्षी रहा है । 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹2716.28 करोड़ की नकदी वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अनर्जक आस्ति में कुल ₹4308.67 करोड़ की नकदी वसूली और अपग्रेडेशन हुआ। बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना और अशोध्य ऋणों ऋणों की वसूली ही वह क्षेत्र है जिस पर बैंक ने पूरा ध्यान दिया हुआ है।

13.1 वसूली कार्यनिष्पादन :

संगठन के सभी स्तरों पर संशोधित निपटान योजना, सरफेसी अधिनियम, डीआरटी, लोक अदालतों, एनसीएलटी, देशव्यापी मेगा वसूली शिविरों, रोड शो, माओ अभियानों, जानबूझ कर चूककर्ताओं की घोषणा आदि से लाभ उठाते हुए वसूली में तेजी लाने के प्रयास किए गए।

पिछले तीन वर्षों के जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और कोटि उन्नयन के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

13. RECOVERY

Gross NPA % of our Bank has been decreased to 16.77% in March, 2020 from 25.00% in March, 2019 thereby quantum of GNPAs has decreased to Rs. 19,281.95 Crore in March 2020 from Rs.29,888.33 crore in March, 2019 respectively. The NNPA % of the bank has declined by 5.45% in March 2020 against 9.72 % in March 2019.

During the FY 2019-20 the Bank has witnessed fresh slippages of Rs. 6181.38 Crore. Cash Recovery of Rs. 2716.28 Crore for the year ended 31st March, 2020. The total reduction in NPA through Cash Recovery & Up-gradation of NPA during FY 2019-20 is Rs. 4308.67 Crore. Maintaining Bank's Asset quality and recovery of Bad debts remain main focus area for the Bank.

13.1 Recovery performance:

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization to take advantage of modified compromise settlement scheme, SARFAESI Act, DRTs, Lok Adalats, NCLT, Country wide mega Recovery Camps, Road Shows, MAO campaigns, declaration of wilful defaulters etc. were organized for speedy recovery.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under:

(₹ करोड़ में/ ₹ in crore)

विवरण/Particulars	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
नकद वसूली/Cash Recovery	1680.04	2991.52	2716.28
कोटि उन्नयन/Up gradation	2610.08	2332.20	1592.39
कुल /Total	**4290.12**	**5323.72**	**4308.67**
हानिग्रस्त आस्तियों में वसूली (एमएल एवं तकनीकी राइट ऑफ खाते) Recovery in Loss Assets (ML & Technical Write-off accounts)	181.56	448.30	1002.97
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	30549.92	29888.33	19281.95
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	24.64%	25.00%	16.77%
शुद्ध अनर्जक आस्ति/Net NPA	14082.07	9649.92	5510.66
शुद्ध अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	13.10%	9.72%	5.45%

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹4308.67 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल नकदी वसूली एवं अपग्रेडेशन ₹5323.72 करोड़ हुई थी। बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली पिछले वर्ष के ₹1002.97 करोड़ की तुलना में मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹448.30 करोड़ की हुई है।

हानिग्रस्त आस्ति में वसूली होने से लाभप्रदता पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसे देखते हुए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। हानिग्रस्त आस्तियों के साथ-साथ तकनीकी एवं विवेकसम्मत रूप से बट्टे-खाते डाले गए खातों में वसूली के लिए बैंक में एक अलग संप्रभाग लगातार मानीटरिंग कर रहा है।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2020 is Rs. 4308.67 Crore as against Rs. 5323.72 Crore for the year ended 31st March, 2019. The recovery in written-off accounts is Rs. 1002.97 Crore for the year ended 31st March, 2020 compared to Rs. 448.30 Crore for the previous year.

Recovery in Loss assets has a direct impact upon the profitability hence Bank giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts. A separate vertical in the Bank is monitoring consistently for recovery in loss assets including technically as well as prudentially written-off accounts.

13.2. कुछ वसूली पहल :

- रु. 1.00 करोड़ तक की बकाया शेष राशि वाले अनर्जक आस्ति एवं एमएल खातों के लिए बैंक के पास उदार समझौता निपटान योजना है जिसके तहत शाखा प्रमुखों को अनुमोदन करने की शक्ति दी गई है ताकि प्रस्तावित गैरविवेकाधीन गैरभेदभावपूर्ण ओटीएस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अनर्जक आस्ति खातों को कवर किया जा सके।
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई करने तथा अनर्जक आस्ति खातों के शीघ्र समाधान हेतु बैंक ने 492 प्रवर्तन एवं वसूली एजेंटों और 1709 कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) को सूचीबद्ध किया है।
- प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और अंचल कार्यालयों की सुविधा के उद्देश्य से खातों की प्रभावी निगरानी तथा उनके शीघ्र समाधान हेतु विधिक मामलों की निगरानी करने, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित पड़े मामलों के आधारभूत आंकड़े बनाने के लिए बैंक द्वारा विधिक प्रबंधन प्रणाली लागू की गई।
- अड़ियल उधारकर्ताओं के विरुद्ध नियमित आधार पर माओ (एक के विरुद्ध अनेक) दृष्टिकोण अपनाया जाता है और प्रधान कार्यालय स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है।
- प्रत्येक माह में दो दिन देशव्यापी मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी नियमित आधार पर की जा रही है।
- संभावित खरीददारों द्वारा सार्थक खोज करने हेतु नीलाम की जाने वाली पात्र संपत्तियों को आईबीए के कॉमन वेब पोर्टल 'e-Bक्रय' (https://ibapi.in) (भारतीय बैंक संघ की संपत्ति नीलामी सूचना) पर दिनांक 28.02.2019 से अपलोड किया जा रहा है।
- एनसीएलटी के लिए पात्र खातों का जोरदार तरीके से पता लगाया जा रहा है। एनसीएलटी मामले दायर किए जाने के संबंध में आगे विचार-विमर्श करने हेतु बैंक अन्य वित्तीय ऋणदाताओं के साथ नियमित संपर्क में है।
- एनसीएलटी के अंतर्गत अधिकांश खाते कॉन्सार्टियम/बहु बैंकिंग खाते हैं, जिनके समाधान हेतु कॉन्सार्टियम आदि के लीडर के साथ परामर्श कर प्रत्येक मामले के आधार पर निगरानी की जाती है। जहां बैंक कॉन्सार्टियम का लीडर है, वहां समाधान हेतु विभाग प्रत्येक खाते पर पूरी बारीकी से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।
- जहां हमारा बैंक कॉन्सार्टियम/जेएलएफ का सदस्य है, वहां हम प्रधान कार्यालय से विशेषकर नियमित अंतरालों पर जेएलएफ की बैठक बुलाने और उक्त बैठकों में उचित स्तरों पर हमारे बैंक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित लीडर बैंकों के उच्च प्रबंधन के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को नियमित आधार पर रख रहे हैं।
- एआरसी को बिक्री करने हेतु समय-समय पर पात्र अनर्जक आस्ति खातों की पहचान नियमित अंतराल पर की जाती है। प्रारंभ से रु. 6150.99 करोड़ के 434 खातों की बिक्री एआरसी को की गई।
- संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय ऋण माफी के तहत अपेक्षा के अनुसार अनर्जक आस्ति की वसूली के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु राज्य विशेष की योजनाओं यथा छत्तीसगढ सरकार लघु अवधि फसल कृषि ऋण माफी योजना, 2019 का निरुपण किया गया।

13.2. Some Recovery initiatives:

- Bank has liberal compromise Settlement scheme for NPA and ML accounts having O/s Balance up to Rs. 1.00 Crore under which the branch heads are empowered to approve compromise proposal to ensure more NPA accounts are covered under the proposed non-discretionary/ non-discriminatory OTS Scheme.
- Bank has empanelled 492 Enforcement & Recovery Agents and 1709 Business Correspondents (BCs) for effective and time-bound enforcement of action under SARFAESI Act and early resolution of NPA accounts.
- Bank has implemented the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring legal matters, creating database of all cases pending before different courts for effective monitoring and early resolution of accounts.
- MAO (Many against One) approach is adopted against recalcitrant borrowers on a regular basis and being monitored at HO level.
- Countrywide Mega Recovery Camps are being organized on Two days every month.
- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being conducted on quarterly basis.
- Eligible properties put for auction are uploaded on 'e-Bक्रय' a common web portal of IBA (https://ibapi.in) (Indian Banks Auction Properties Information) for meaningful search by the prospective buyers from 28.02.2019.
- Accounts eligible for NCLT are being explored vigorously. Bank is in liaison with other financial creditors on regular basis, for considering the way forward in respect of NCLT cases.

Most of the accounts under NCLT are consortium / multiple banking accounts which are being monitored for resolution on case to case basis in consultation with leader of consortium etc. Where Bank is the leader of the consortium, follow up was made in each and every account for the purpose of resolution.

Where our Bank is a member of Consortium / JLF, Bank is taking up the critical issues with the top management of the respective Leader Banks on regular basis, specifically to convene meeting of JLF at frequent intervals and ensuring our Bank's participation at suitable levels in such meetings.

- Eligible NPA accounts are identified for Sale to ARCs from time to time at regular interval. A total of 434 A/c's amounting to Rs.6150.99 crore has been assigned to Different ARCs since inception.
- State specific Schemes were formulated to widen the scope of NPA recovery as per requirement under Debt Waiver at the State Level through the SLBC of the respective states such as Chhattisgarh Govt. Short Term Crop agriculture debt waiver scheme 2019.

14. ऋण निगरानी

वर्तमान आर्थिक दशा ने बैंकिंग उद्योग में अशोध्य ऋणों को बड़ी तादाद में बढ़ा दिया है और नए स्लिपेज पर काबू पाने हेतु दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन द्वारा एनपीए पर अतिसक्रिय रूप से ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है। इस पर नजर रखने की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

- बैंक ने रेड फ्लैग्ड एकाउंट (आरएफए) की पहचान के लिए ढांचा तैयार किया है जो ढांचे के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण कपट से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) कहे जानेवाले ट्रिगर्स पर आधारित है जिनके खाते को आरएफए चिह्नित किए जाने के छह माह के भीतर उसमें कपट होने या न होने की पहचान की जाती है। ईडब्ल्यूएस की प्रणाली पहचान के संबंध में एक सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार 42 पूर्व-चेतावनी संकेत तथा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ईएएसई- सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार एजेंडा के अंतर्गत 84 पूर्व-चेतावनी संकेत तैयार करने में सक्षम है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों पर पड़ने वाले गंभीर दबाव को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुन:प्रवर्तन और पुनर्वास तथा एमएसएमई के एकबारगी पुनर्संरचना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ढांचा तैयार किया गया है और इस क्षेत्रों के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु लागू किया गया है।
- दबावग्रस्त आस्ति प्रबंध के हिस्से के रूप में रु 5 करोड़ और उससे अधिक की चूक की आस्तियों की साप्ताहिक रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) प्लेटफॉर्म को की जाती है तथा दैनिक आधार पर उसकी निगरानी की जाती है।
- दबावग्रस्त और एनपीए खातों की आधार स्तर पर निगरानी करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनपीए ट्रेकर चालू किया गया है।

कार्य पद्धति में प्रथम स्तर पर सुधार करने हेतु बैंक ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य नीति बनाई है और दिशानिर्देश दिए हैं:

क) ऋण निगरानी के लिए परिचालन दिशानिर्देश 2018-19 अद्यतन किया गया एवं निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इसे लागू किया गया।

ख) टीईवी परामर्शदाताओं के सूचीकरण हेतु नीति में संशोधन किया गया है तथा दिनांक 05.07.2019 से इसे लागू किया गया है।

ग) शाखा पदधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभावी ऋण निगरानी के संबंध में सैंतीस (37) परिपत्र जारी किए गए।

घ) बोर्ड से अनुमोदन लिए जाने के पश्चात रु 250.00 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े उधार खातों की विशेषीकृत और प्रभावी निगरानी के लिए एजेंसियों को दिनांक 15.02.2019 से कार्य पर लगाने की शुरुआत की गई।

ङ) स्टॉक और बही ऋण लेखापरीक्षकों के सूचीकरण और नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और इसे दिनांक 05.07.2019 को लागू किया गया।

च) रु 5.00 करोड़ और उससे अधिक के दबावग्रस्त खातों की सीधी निगरानी कार्यपालक निदेशक (ईडी) की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा पाक्षिक आधार पर की गई।

छ) ऋण प्रस्ताव के प्रसंस्करण के समय प्राथमिक एवं संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्ति के मूल्यांकन हेतु मूल्यांककों को सूचीबद्ध करने की नीति संशोधित की गई तथा इसे 23.05.2019 से लागू किया गया।

14. CREDIT MONITORING

Present economic situation has accentuated upsurge of bad loans in the banking industry force banks to deal with NPA more proactively by stressed asset management for arresting fresh slippage. Bank has geared up mechanism of tracking by initiating measures as under:-

- Bank has put in place framework for identification of Red Flagged Account (RFA) based on triggers known as Early Warning Signals (EWS) as per guidelines on Framework for dealing with loan frauds leading to the identification of the account as fraud or not within the period of six months from date of marking the account as RFA. Regarding System identification of EWS,a software package has been implemented which is capable of generating 42 EWS triggers as suggested by RBI along with 84 EWS triggers as suggested by DFS under EASE-Public Sector Reform Agenda.
- Considering severe stress in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sectors, Framework for revival and rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises and one time restructuring of MSME, formulated in terms of RBI guidelines and has been put in place for resolution of stressed asset under these sectors.
- As a part of stressed asset management, default assets 5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.
- NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.

To improve upon functioning at the grass root level,bank has devised furtherfollowingstrategic policy and guidelines:

a) Operational guidelines for Credit Monitoring 2018-19 has been updated and put in place after obtaining approval of the Board.

b) Policy for empanelment of TEV consultants has been revised and put in place on 05.07.2019.

c) Based on the feedback received from field functionaries and following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI), thirty Seven (37) numbers of circulars issued on effective credit monitoring during Financial Year (FY)2019-20.

d) Engagement of Agencies for Specialized Monitoring and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above Rs 250.00 Crore has been introduced on 15.02.2019 after obtaining approval of the Board.

e) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors has been revised and put in place on 05.07.2019.

f) Stressed accounts of Rs 5.00 Crore and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on fortnightly basis.

g) Policy for empanelment of valuers for the properties offered as securities, both primary and collateral while processing of credit facility has been revised and put in place on 23.05.2019.

15. जोखिम प्रबंधन

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर आने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल के के साथ विमर्श कर बैंक के कायाकल्प हेतु रणनीति प्रारंभ की है। विभिन्न वर्गों में बैंक की जोखिम वहन क्षमता का उल्लेख आईसीएएपी दस्तावेज में भी किया गया है।

बैंक ने विभिन्न परिदृश्यों में गंभीर तरलता तनाव का प्रबंधन करने के लिए एक आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) की शुरुआत की।

ऋण एवं परिचालन जोखिम के क्षेत्र में उद्योग स्तर पर श्रेष्ठ पद्धति की पहचान की गई है। हमारे बैंक की नीतियों की समीक्षा की गई और कुछ नीतियों की जांच बाहरी एजेंसियों द्वारा भी की गई।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अंचल कार्यालय और शाखा स्तर तक विस्तारित कर दिया गया है। शाखा स्तर पर परिचालन जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा तथा इसके मूल कारणों का विश्लेषण करने तथा उसे दूर करने के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

नए अनुमोदन या ऋण-सीमा में वृद्धि से पहले ऋण प्रस्तावों में निहित ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट रिस्क वर्टिकल बनाया गया है। बैंक विशेष रूप से पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस), ऋण प्रबंधन प्रणाली तथा क्रेडिट रेटिंग मॉड्यूल्स द्वारा इसे हमारे सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया में है।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) कक्ष को अपग्रेड किया गया। हमारी देयताओं और आस्ति उत्पादों का मूल्य निर्धारण ज्यादातर आरबीआई नीति दर के साथ जुड़ा हुआ है और यह बाजार संचालित है। रेपो रेट में बदलाव के साथ यह पारदर्शी है।

क्रेडिट रेटिंग कक्ष ऋण जोखिम के मूल्यांकन में लगा हुआ है और जोखिम रेटिंग मॉडल भी समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार क्रेडिट रेटिंग सिस्टम द्वारा की जाएगी।

कपट जोखिम प्रबंधन कक्ष का गठन कार्यपालकों की समिति (सीओई) और कपट प्रबंधन समूह (एफएमजी) द्वारा विभिन्न कपट प्रवण क्षेत्रों और कपटपूर्ण खातों की पहचान और निगरानी के लिए किया गया है।

कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं हेतु हमारे ऋणों की कीमतों को आरएआरओसी दस्तावेज से जोड़ दिया गया है। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लागू किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) सुधार एजेंडा - “इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेंस” (ईएएसई) हमारे बैंक में सफलतापूर्वक लागू हो गया है तथा ईएएसइ 2.0 के अंतर्गत दिसंबर, 2019 तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में यूको बैंक को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है।

यूको बैंक ने ऐप, पोर्टल या कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहकों के लिए अपनी योजनाओं की शुरुआत की। संपूर्ण भारत के प्रमुख शहरों में चेक एवं आयकर छूट प्रमाणपत्र एकत्रित करने तथा आयकर चालान, ड्राफ्ट एवं खातों की विवरणी की सुपुर्दगी जैसी सेवाओं के लिए “पीएसबी एलायंस” के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

कोविद -19 महामारी संकट के दौरान, बैंक ने बिना समय गंवाए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से एमएसएमई एवं गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस का विस्तार किया।

15. RISK MANAGEMENT

In order to come out of Prompt Corrective Action (PCA), Bank had initiated various Turn around Strategies after deliberating the same, with the Board of directors. The risk appetite of the Bank in different segments is also captured in ICAAP Document.

Bank put in place a Contingency Funding Plan (CFP) to manage severe liquidity stress under different scenarios.

Best practices at Industry level in Credit & Operational risk areas have been identified. The Policies of our Bank have been reviewed and some policies have also been vetted by the external agencies.

Risk Management culture has been percolated down to the zonal office and branch level. Zonal Office Level Operational Risk Management Committee has been formed to review the operational risk areas at field level and analysis of its Root Causes and its plugging thereof.

Credit Risk Vertical has been created to evaluate inherent credit risk in credit proposals before its fresh sanction or enhancement. Bank is in the process of linking it with our system, especially with the Early Warning System (EWS), Loan Management System and Credit rating modules.

Asset Liability Management (ALM) Cell was upgraded. Pricing of our Liabilities and Asset Products is mostly linked with RBI policy rate and it is market driven. It is transparent, with the change in Repo Rate.

Credit Rating Cell is engaged in evaluation of credit risk and the risk rating models are also recalibrated from time to time. As decided by the competent authority, the credit rating will be system driven.

Fraud Risk Management Cell has been formed for identifying and monitoring various fraud prone areas and fraud accounts, examining the cases by committee of executive (COE) and Fraud Management Group (FMG).

Our pricing of loan to Corporate Borrowers is linked with RAROC document. The online module for Credit Audit system has been implemented.

The Public Sector Banks (PSBs) Reform Agenda - "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE), has been successfully implemented in our Bank and UCO Bank has secured 9th Rank in December'19 quarter under EASE 2.0, amongst all PSBs.

UCO Bank unveiled its plans for customers to obtain via app,portal or call Centre, Doorstep Banking Services offered collectively by PSB as " PSB Alliance " for service such as pick -up of cheques and income-tax exemption certificates and delivery of Income-tax challan ,drafts and account statements in major cities across India.

During Covid-19 pandemic crisis, Bank implemented all the directives of Govt of India under AatmaNirbhar Bharat, without loss of time and Emergency Credit Lines also extended to the MSME and Non MSME borrowers, with the approval of Board of directors.

16. सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीआर एवं बीटी विभाग

1. एटीएम/डेबिट कार्ड :

- हमारे ग्राहकों के लिए हमारे बैंक के एटीएम में यू-कैश (कार्डरहित नकद आहरण) की शुरुआत
- बैंक के रुपे एवं वीजा डेबिट कार्डधारक तथा रुपे प्रीपेड कार्डधारक हेतु पीओएस के माध्यम से नकद आहरण की सुविधा
- रुपे सेलेक्ट कार्ड की शुरुआत

- ग्राहकों की एटीएम संबंधी शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए बैंक ने व्हाट्सएप न. 7596049109 की शुरूआत की।
- परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए बैंक ने 400 अतिरिक्त नए एटीएम लगाए।

2. एम-बैंकिंग:

मोबाइल बैंकिंग में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं:

- निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं के साथ नए मोबाइल बैंकिंग ऐप 'एम-बैंकिंग प्लस' की शुरुआत की गई :
- टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।
- पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई हेतु नामांकन।
- डेबिट कार्ड जारी एवं सक्रिय करना।
- पीपीएफ खाता खोलना।
- यूपीआई के विवादित लेनदेन हेतु यूपीआई डीएमएस पोर्टल की शुरुआत।
- सिंगापुर तथा हांगकांग शाखाओं के ग्राहकों के लिए नए एम-पासबुक ऐप की शुरुआत
- अनधिकृत डिजिटल लेनदेन की रिपोर्टिंग हेतु शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की शुरुआत।
- यूकोपे+ ऐप में आधार द्वारा पुष्टीकरण एवं शाखा चयन की सुविधा के साथ नया खाता खोलने के विकल्प की शुरूआत
- यूपीआई मैंडेट प्रबंधन प्रणाली लागू करना

3. ई-बैंकिंग:

ईज के एक अंग के रूप में ग्राहकों को सुविधाजनक बैंकिंग तथा सहूलियत प्रदान करने के क्रम में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई सुविधाओं को शामिल किया गया है:

- ई-मेल पर खाता विवरण
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड हेतु अनुरोध
- सावधि जमा का नवीकरण एवं नामिती को जोड़ना
- अतिरिक्त सुरक्षा हेतु कैप्चा की शुरूआत
- लॉकर हेतु आवेदन
- खाते को पैन संख्या से जोड़ना
- 15जी/15एच ऑनलाइन जमा करना
- चेक बुक हेतु अनुरोध

16. INFORMATION TECHNOLOGY, BPR & BT DEPARTMENT

1. ATMs/Debit Cards :

- Introduction of UCASH (Cardless cash Withdrawal) at our Bank's ATMs for our Customers.
- Cash@POS for Bank's Rupay& Visa Debit Card holders and Rupay prepaid card holders.
- Launching of Rupay Select Card .

- To resolve ATM related customer issues on the spot Bank provided WhatsApp Number 7596049109.
- Introduced additional 400 new ATMs to increase operational efficiency.

2. M-banking :

Features implemented in Mobile Banking:

- New Mobile Banking App mBanking plus launched with following additional services:
- Generation of TDS certificate.
- Enrolment of PMJBY and PMSBY.
- Debit card issuance and activation.
- PPF account opening.
- UPI DMSportal launched for lodging disputed transaction of UPI.
- New mPassbook App launched for Customers of Singapore and Hong Kong branches.
- Complaint management system portal launched for reporting unauthorized digital transactions.
- New account opening option introduced through UCOPAY+ app with AADHAAR validation and Branch selection.
- Implementation of UPI Mandate management system.

3. E-Banking :

As part of EASE of Banking and Customer Convenience initiatives following features have been implemented during last financial year:

- A/c Statement on email.
- Debit Card Request through internet banking.
- Renewal of Fixed Deposit and addition of nominee.
- Implementation of CAPTCHA for enhanced security.
- Apply for Locker
- Seeding PAN number in account.
- Online Submission of 15G/ 15H
- Cheque Book Request

4. ग्राहकों की सहूलियत हेतु लागू अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 24X7 एनईएफटी की सुविधा
- एनपीए खातों - गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन (ओटीएस-एनडीएनडी)के एकबारगी निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा
- टीडीएस प्रमाण-पत्र का डिजिलॉकर के साथ समन्वय
- ईज के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों सहित दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक बैंकिंग के तहत ई-बैंकिंग एवं यूको बैंक की वेबसाइट के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा की शुरुआत।
- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की ओर से सभी वर्ग के ग्राहकों के लिए सार्वभौमिक डोरस्टेप बैंकिंग हेतु एंकर बैंक के रूप में यूको बैंक को सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया है।
- भुगतान के निर्बाध प्रसंस्करण हेतु जेम पोर्टल के साथ समन्वय।
- पीपीएफ खाते में भुगतान हेतु स्थायी अनुदेश की सुविधा।
- पेंशन भुगतान में केंद्रीकृत ई-टीडीएस की शुरुआत की गई।
- शाखाओं में सीबीएस की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 2802 शाखाओं को 2 एमबीपीएस लिंक से अपग्रेड किया गया।

5. कॉल सेंटर:

बैंक ने पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा टोल फ्री संख्या 18002740123 के माध्यम से "यूको संपर्क" नाम से आईवीआर आधारित फोन बैंकिंग सुविधा प्रारम्भ की है। परस्पर संवादात्मक प्रतिक्रिया (आईवीआर) प्रणाली ग्राहकों के विभिन्न बैंकिंग कार्यकलापों को पूरा करने में मदद करती है, जिसमें सहायता के लिए किसी एजेंट की लगभग जरूरत नहीं होती।

यह सुविधा हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है जिसका लाभ कभी भी और कहीं से उठाया जा सकता है।

6. स्विफ्ट/एसएफएमएस:

- स्विफ्ट नोस्ट्रो और मैसेज समाधान प्रणाली की शुरुआत की गई।
- बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई (वैश्विक भुगतान नवोन्मेष) एवं स्विफ्ट घरेलू मेसेजिंग प्लेटफॉर्म लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

7. स्मार्ट पे:

- स्कूल/कॉलेज और दूसरे व्यापारियों से शुल्क/निधि के संग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 27 नए व्यापारियों को जोड़ा गया है।
- भारत बिल पे दिनांक 01.10.2019 से शुरू किया गया।

17. साइबर सुरक्षा

- महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को प्रभावित करने वाले साइबर खतरों से उबरने एवं प्रतिरोध हेतु त्वरित पहचान, सूचना का आदान-प्रदान, तेजी से प्रत्युत्तर, सुधारात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में साइबर संकट प्रबंधन योजना है।

4. Other important facility implemented for Customer Convenience

- Availability of 24X7 NEFT in line with RBI guidelines
- Online facility of One Time Settlement of NPA Accounts -Non-discriminatory and Non-Discretionary (OTS-NDND)
- Integration with DigiLocker for TDS certificate.
- Implementation of Door Step Banking facilities under EASE in Banking facility for Senior Citizens and Differently abled persons including those who are visually impaired - through e-Banking and UCO Bank's website.
- UCO Bank, being anchor Bank selected service providers for Universal Door Step Banking for all strata of customers on behalf of all Public Sector Banks.
- Integration done with GeM Portal for seamless processing of payments.
- Facility for giving Standing Instruction for payment in PPF account.
- Centralized eTDS has been implemented in pension payment.
- To improvise CBS access at branches 2802 nos. of Branches have been upgraded to 2 Mbps Link.

5. Call Centre :

Bank introduced IVR based Phone Banking solution called "UCO SAMPARK" through toll free number 18002740123 from registered mobile number. Interactive Voice Response (IVR) systems help customers complete various banking activities with minimal to no involvement of an agent for assistance.

It is available in Hindi, English and ten (10) other regional languages and can be accessed anytime and anywhere.

6. SWIFT/SFMS :

- SWIFT NOSTRO and Message Reconciliation System made live.
- Bank has initiated process for implementation of SWIFT GPI(Global Payment Innovation) and SWIFT Domestic Messaging Platform.

7. Smart Pay :

- Total 27 New merchants have been added during the financial year 2019-2020 for collection of fee/funds from School/ Colleges and other merchants.
- Bharat Bill Pay has been made live since 01.10.2019

17. CYBER SECURITY

- Bank has Cyber Crisis Management Plan in place to ensure rapid identification, information exchange, swift response and remedial actions to mitigate and recover from cyber threats impacting critical business functions.

- साइबर सुरक्षा हेतु बैंक की आवश्यकताओं, संबद्ध नियम और विनियम के अनुसार निर्देश और सहयोग उपलब्ध करवाने हेतु बैंक की साइबर सुरक्षा नीति एवं सूचना सुरक्षा नीति तैयार की गई।
- कार्मिकों के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने हेतु साइबर जोखिम जागरूकता कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- शाखाओं एवं कार्यालयों द्वारा साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु की गई तैयारी एवं कुशलता के मूल्यांकन हेतु टेबल टॉप अभ्यास कराए गए।
- ग्राहकों को साइबर जोखिम और खतरों से आगाह करने के लिए फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से साइबर सुरक्षा मानक अभ्यास एवं सुरक्षा टिप्स जारी किए गए।

कार्मिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए "**योर अवेयरनेस इज योर सेफ्टी**" के नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इस पुस्तिका में साइबर सुरक्षा के खतरों एवं बढ़िया साइबर सुरक्षा की आदतों के बारे में बेहतर तरीके से बताया गया है।

जारी किए गए विभिन्न प्रकार के परामर्शों यथा साइबर सिक्युरिटी थॉट ऑफ द वीक शृंखला, साइबर केबल 2020 शृंखला, बी अवेयर बी सिक्योर शृंखला, थिंक बिफोर यू एक्ट शृंखला एवं साइबर पत्रिका शृंखला के माध्यम से कार्मिकों के बीच जागरूकता और अधिक बढ़ी है। 30 नवंबर, 2019 को कंप्यूटर सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया था तथा पूरे नवंबर माह में सभी कार्मिकों के बीच ई-मेल के माध्यम से इंफोसेक शृंखला को परिचालित कर जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

18. ग्राहक सेवा

आमजन के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतों में से 98% का निवारण किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आरटीआई के तहत कुल 966 आवेदन प्राप्त हुए। आरटीआई के तहत 152 अपील की गई।

19. एमआईएस एवं एडीएफ़ कक्ष

आंतरिक रिपोर्टिंग के साथ विनियामक तथा विभिन्न सांविधिक निकायों आदि को रिपोर्टिंग करने के लिए बैंक में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) संप्रभाग है।

एमआईएस-एडीएफ में बैंक की सभी अलग-अलग प्रणालियों यथा फिनेकल (घरेलू एवं विदेशी), जीबीएम, एलएपीएस, घरेलू ट्रेजरी, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एम-वालेट आदि को शामिल किया गया है जो संगठन को बहुद्देशीय जानकारी प्रदान करने में वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रही हैं, जैसे कि समन्वय, नियंत्रण, विजुलाइजेशन, डेटा विश्लेषण, व्यापार के मूल्य और लाभ को बढ़ाने, इसके कार्यान्वयन और शीर्ष प्रबंधन स्तर पर डेटा प्रदान करके प्रभावी निर्णय लेने के लिए और अल्पावधि समय में जानकारी प्रदान करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक को विवरणियां/आंकड़े यथा बीएसआर, एसआईबीसी, एनआरडीसीएसआर आदि प्रस्तुत करने हेतु बैंक ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमआईएस एवं एडीएफ के तहत रिपोर्टिंग प्रणाली बनाई है। नियंत्रण, निगरानी एवं कारबार मानक की दैनंदिन रिपोर्टिंग हेतु व्यवसायिक संप्रभागों ऋण, जोखिम प्रबंधन, वसूली, कोष, अंतरराष्ट्रीय एवं वित्त को आंतरिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग को समयबद्ध तरीके से सभी तदर्थ डेटा को नियमित रूप से प्रस्तुत करने में चुनौती का सामना करना पड़ा किंतु विभाग ने इसे काफी अच्छे तरीके से पूरा किया।

- Bank has Cyber Security Policy and Information Security Policy in place to provide direction and support for cyber security in accordance with business requirements, relevant laws and regulations.
- Cyber risk awareness workshops and programmes have been conducted for employees for disseminating awareness at different user level.
- Table Top Exercises have been carried out to assess the preparedness and efficiency of Branches and Offices in reporting cyber incidents.
- Cyber security best practices and safety tips have been shared through Facebook and Twitter to make customers aware of the challenges of cyber risks and threats.

A Handbook on **"Your awareness is your safety"** has been published to spread awareness amongst employees. Cyber Security threats and best Cyber Security practices have been explained in this book in an illuminating manner.

Employee awareness has also been enhanced through various kinds of advisory viz Cyber Security Thought of the Week series, Cyber Cable 2020 series, Be Aware Be Secure series, Think Before You Act series and Cyber Patrika series. Computer Security Day was been celebrated on 30th November 2019 and an awareness campaign was also been organised throughout the month of November 2019 by circulating Infosec Series among all the employees, through Email.

18. CUSTOMER SERVICE

Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) is available for the public to lodge complaints online. 98 % of the total complaints received during the financial year 2019-20 have been redressed. Under RTI, a total of 966 applications were received, during FY2019-20. There were 152 appeals made under RTI.

19. MIS & ADF CELL

Bank is having Management Information System (MIS) vertical for internal reporting as well as reporting to regulatory and various statutory bodies etc.

MIS-ADF is integrated with all the discrete systems of our Bank, viz. Finacle (Domestic and Overseas), GBM, LAPS, Domestic Treasury, E-Banking, Mobile Banking, M-Wallet etc. and is performing as a one stop solution in providing information to the organization for multipurpose like co-ordination, control, visualization, data analysis to increase the value and profit of business, its implementations and TOP Management level for effective decision making by providing data and information in the shortest period of time.

Bank has developed reporting system under MIS ADF for submission of RBI returns/data viz. BSR, SIBC, NRDCSR etc. without any manual intervention through XBRL platform. Internal reports are made available for business verticals - Credit, Risk Management, Recovery, Treasury, International, Overseas and Finance for control, monitoring and reporting on day to day business parameters. Department faces the challenge of submission of all adhoc data on regular basis in time bound manner and succeeds in doing the same exceptionally well.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को दैनिक आधार पर डिजिटल चैनल कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग की जाती है।

बैंक विभिन केडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, क्रिफ हाइमार्क और ईक्विफैक्स को मासिक आधार पर उपभोक्ता, वाणिज्यिक एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खंडों की केडिट जानकारी की भी रिपोर्टिंग करता है।

विभाग ने मानकीकृत प्रारूप के अनुसार सीधे एसएलबीसी पोर्टल पर एसएलबीसी डेटा प्राप्त करने/प्रस्तुत करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया तैयार की है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरूकिए गए प्रोजेक्ट केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) को भी सफलतापूर्वक लागू कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत समयबद्ध तरीके से 117 आरबीआई विवरणियों को स्वचालित किया जाना है। स्वचालन प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। विभाग डेटा प्राप्त करने एवं प्रस्तुत करने की स्वचालन प्रक्रिया पर लगातार काम कर रहा है।

विभाग ने बीआई मॉड्यूल के माध्यम से वर्धित व्यवसाय विश्लेषण हेतु डेटावेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट डेटा के कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा संगठन की परिचालन क्षमता को बेहतर करने, मौजूदा उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाने, संगठन के सफल विकास हेतु नई परिवर्तनात्मक उत्पादों को शामिल करने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करने की भी शुरुआत की है।

20. कॉर्पोरेट संसूचना

बैंक ने अपनी उच्चस्तरीय पारदर्शिता तथा हितधारकों को सूचना में संगति एवं बैंक के वेबसाइट के माध्यम से रियल टाइम सूचना सहित समय पर स्पष्ट, सुसंगत, विश्वसनीय सूचनाओं को जारी कर पुन: सुदृढ़ कार्पोरेट प्रतिष्ठा बनाई है। बैंक का उद्देश्य संधारणीय, सुसंगत एवं प्रासंगिक संदेशों तथा कर्मचारियों को सूचना के बाह्य एवं आंतरिक माध्यमों के सम्यक मिश्रण से सूचित एवं राजी कराते हुए बैंक की गतिविधियों एवं विकास में शामिल करना है।

बैंक ने अपने विश्वस्तरीय वित्तीय संस्थान की इमेज को बनाने एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु विभिन्न चैनलों यथा प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से एवं हितधारकों के बीच अपेक्षित सूचना का प्रसार करने की कई पहल की है।

ए) प्रचार अभियानः

प्रिंट मीडिया :

प्रिंट मीडिया जनसाधारण से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। कॉर्पोरेट संसूचना विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जोरदार अभियान चलाकर इसका प्रभावी उपयोग किया है। देनदारी उत्पादों तथा लेनदारी उत्पादों यथा यूको कार्निवल, यूको चैलेंज, यूको होम लोन, यूको कार लोन, यूको होम एवं कार लोन हेतु फेस्टिवल ऑफर, पीएमएमवाई, स्टैंड-अप इंडिया, पीएसबीलोनइन59मिनट, केसीसी आदि का इस अवधि के दौरान अधिक प्रचार किया गया।

वैकल्पिक वितरण प्रणाली (एडीसी) के माध्यम से लेनदेन करने पर ज़ोर देने तथा बैंकिंग को अत्यधिक सुविधाजनक और ग्राहक उन्मुख बनाने के लिए यूको पे+, ई-बैंकिंग, आदि का इस अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया के माध्यम से वृहत रूप से प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं दैनिक समाचार-पत्रों में वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए गए।

आउटडोर मीडियाः

बाजार में एक सुदृढ़ ब्रांड वैल्यू को स्थापित करने में आउटवर्ड मीडिया के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आउटडोर मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार विशेषतः होर्डिंग, कियोस्क, दीवाल पर पेंटिंग, बैनर, प्रायोजन तथा बगीचों/पार्कों के सौंदर्यीकरण आदि द्वारा किया जाता है।

Digital channel performance reporting is made to Ministry of Electronics & Technology, Govt. of India on daily basis.

Bank is also reporting, credit information to consumer, commercial and SHG segments on monthly basis to different Credit Bureau like CIBIL, CRIF Highmark and Equifax.

Department has developed automated process for SLBC data generation /submission directly to SIBC portal as per standardized format. Bank has also successfully implemented Centralised Information Management System (CIMS) project launched by RBI. Under this project 117 RBI returns to be automated in a time bound manner. 1st phase of automation process have been completed successfully. Department is constantly taking initiatives to automate the processes of data generation and submission.

Department has also initiated the process of implementation of Data ware housing project data for enhanced Business Analytics through the BI module and act as Decision Support system for improving organizations operational efficiency, add value to existing products, engender new innovative products for successful growth of the Organization.

20. CORPORATE COMMUNICATION

Bank reinforces strong corporate reputation through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

a) Publicity Campaigns :

Print Media:

Print Media is an effective medium to connect to masses. Corporate Communications Department has utilized it effectively by carrying out focused intensified and vigorous publicity campaigns throughout the FY 2019-20. Liability products and Asset products viz. UCO Carnival, UCO Challenge, UCO Home Loan, UCO Car Loan, Festival offer for UCO Home & Car loan, PMMY, Stand-Up India, psbloanin59minutes, KCC etc. were prominently promoted during the period.

With a thrust on routing the transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) and making banking more customised and customer-oriented, UCO Pay+, E-Banking etc. were widely publicized through Print Media during the period.

Publication of financial results in leading national and local dailies was also executed through Print Media.

Outdoor Media:

The contribution of Outward Media towards establishing a strong brand value in the market cannot be underestimated. Outdoor media publicity is basically done through hoardings, kiosks, wall paintings, banners, sponsorship and beautification of gardens/ parks etc. Proposals related to sponsorship of events, health

कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच शिविर, खेलकूद के कार्यक्रम आदि के प्रायोजन से संबंधित प्रस्ताव भी समय-समय पर स्वीकृत किए जाते हैं।

check-up camps, sporting events etc. are also done from time to time.

ग्रामीण प्रचारः

अखिल भारतीय अवस्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाओं के होने के कारण ग्रामीण प्रचार यूको बैंक के प्रचार अभियान का अभिन्न अंग है। देश भर में स्थित अंचल कार्यालयों के माध्यम से बैंक की निगरानी में अनेक ग्रामीण प्रचार अभियान चलाए गए। बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में जागरूकता हेतु दीवाल पर पेंटिंग, रिक्शे से उद्घोषणाएं करवाई गईं एवं ऋण मेला आदि का आयोजन किया गया।

Rural Publicity:

Rural publicity is an integral part of publicity-campaign for UCO Bank having pan-India and strong rural presence. Bank has promoted and monitored various rural publicity campaigns through zonal offices located across the country. Wall-Paintings, announcements by Rickshaw, Loan fairs etc. were carried out for promoting awareness about products and services offered by the Bank.

बी) 77वां स्थापना दिवस समारोहः

बैंक ने 6 जनवरी, 2020 को राष्ट्र की सेवा में गौरवपूर्ण 77 वर्ष पूरे किए। देश भर में तथा विदेशों में स्थित कार्यालयों में इस समारोह को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। बैंक कर्मचारियों एवं कार्यपालकों ने उत्साह के साथ प्रधान कार्यालय-I से प्रिंसेप घाट तक आयोजित वाकथन में भाग लिया। इस अवसर पर देश भर में स्थित अंचल कार्यालयों एवं शाखाओं ने विभिन्न गतिविधियों यथा पौधारोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि का आयोजन किया।

b) Celebration of 77th Foundation Day:

The Bank completed 77th glorious years of service to the nation on 6th January, 2020. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Employees and executives of the Bank jubilantly participated in a Walkathon from Head Office I to PrincepGhat. Zonal Offices and Branches across the country organised different activities viz. planting saplings, blood-donation camp, health check-up camp etc.

सी) जन-संपर्कः

प्रेस सम्मेलनः

सूचनाओं को जारी करना एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों का कवरेज यथा वित्तीय परिणाम, पुरस्कार एवं सम्मान, नई शाखा का शुभारंभ करना जनसंपर्क को मजबूत करने के आधार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कॉर्पोरेट संसूचना विभाग ने तिमाही और वार्षिक परिणामों की घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया।

विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों, एजीएम और ईजीएम तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों हेतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रेस-विज्ञप्ति भी जारी की।

c) Public Relations:

Press Meet :

Dissemination of information and coverage of important events and occasions viz. Financial Results, Awards & Recognition, Opening of new branch is prerequisite for strengthening the public relations. During the FY 2019-20, Corporate Communications Department organised Press Meets for declaration of quarterly and yearly financial results and other important events.

Department has also arranged for press-release of financial results, AGM & EGMs and other important events in leading national and local newspapers throughout the Financial Year.

डी) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वः

बैंक का मानना है कि सीएसआर गतिविधियों को करने से मूर्त मूल्य निर्माण में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त सीएसआर से ग्राहकों के मस्तिष्क और समाज में एक सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। यह मौजूदा और भावी ग्राहकों में निष्ठा एवं अपनत्व की भावना पैदा करता है।

d) Corporate Social Responsibility :

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers.

इ) यूको टॉवरः

बैंक आंतरिक परिचालन हेतु गृह पत्रिका “यूको टावर” भी प्रकाशित करता है जिसमें यूकोजनों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यूको टॉवर का उद्देश्य कार्मिकों को बैंक में हो रहे सभी प्रकार के आयोजनों और गतिविधियों से अवगत कराना भी है।

e) UCO Tower :

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

21. मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कई कक्ष हैं जो विभाग के विभिन्न कार्यों को देखते हैं। सामंजस्यपूर्ण तथा उत्पादकोन्मुख वातावरण बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी कक्षों ने मिलजुल कर कार्य किया। स्टाफ सदस्यों के कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया।

21. HUMAN RESOURCE

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments of the departments. All these cells worked in tandem during FY 2019-20 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshop were organized for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

21.1 जनशक्ति प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 22436 है, इसमें विदेशी शाखाओं में कार्य करनेवाले कार्मिक भी शामिल हैं। हमारे पास 12281 अधिकारी तथा 7023 लिपिक हैं जिनमें से 3309 अजा, 1684 अजजा तथा 4132 अपिव हैं। हमारे बैंक में 3132 अधीनस्थ कर्मचारी हैं।

21.1 Manpower Management:

The Total staff strength as on 31st March, 2020 stood at 22436 including employees serving overseas. We have 12281 Officers and 7023 Clerks, out of which, 3309 are SC, 1684 are ST and 4132 are OBC. There are 3132 Sub staff in our Bank.

कुल स्टाफ में से 484 कार्मिक दिव्यांग हैं तथा 1456 अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। दिनांक 31 मार्च, 2020 को कुल कार्यबल में महिला कार्मिकों (5832) का हिस्सा 25.99% रहा।

21.2 आईआर नेगोशिएशन कक्षः

इस अवधि के दौरान प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएनों के बीच स्वस्थ औद्योगिक संबंध बने रहे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवधिक अंतराल पर यूनियनों/एसोसिएनों के साथ पारस्परिक सहयोग प्रवृत्ति तथा समादर के माध्यम से बैठकों तथा विमर्शों का आयोजन हुआ।

21.3 आरक्षण कक्ष :

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अजा/अजजा/अपिव/ दिव्यांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को प्रदत्त आरक्षण, छूट एवं अन्य रियायतों का कार्यान्वयन कर रहा है। भारत सरकार के दिशानिर्देशो के अनुसार वितीय वर्ष 2019-20 की आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान बैंक ने अजा/अजजा/अपिव/ तथा दिव्यांग श्रेणियों से 840 कार्मिकों (अजा-278, अजजा-145, अपिव-383, दिव्यांग-34); लिपिक से अधिकारी में पदोन्नति हेतु कुल 646 कार्मिकों (अजा-241, अजजा-118, अपिव-279, दिव्यांग-8) तथा अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग में कुल 596 कार्मिकों (अजा-342, अजजा-72, अपिव-177, दिव्यांग-7) को पदोन्नतिपूर्व प्राक्षिण दिया। हमारा बैंक, हिमाचल प्रदेश तथा ओडिशा में नोडल एजेंसी होने के नाते भर्ती पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

बैंक के अजा/अजजा तथा अपिव के कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च स्तर पर तथा अंचल कार्यालय (जहां आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं) स्तर पर उन कर्मचारियों के कल्याण संगठनों के साथ बैठकें की जाती हैं। इन बैठकों में कर्मचारियों की शिकायतें सुनी जाती हैं तथा उसके बाद बैंक की नीति एवं दिशानिर्देशों के अनुसार उनका निपटान किया जाता है।

आरक्षण कक्ष ने अपिव हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग डा. भगवान लाल साहनी; माननीय उपाध्यक्ष, डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति; माननीय सदस्य एवं वित्त प्रभारी श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल तथा आयोग के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 13.02.2020 को एक समीक्षा बैठक की मेजबानी की।

21.4 भर्ती कक्ष :

वर्ष 2019-20 में बैंक ने 435 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती की। इन 435 अधिकारियों में 155 महिलाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 454 लिपिकों की भर्ती भी हुई। इन 454 लिपिकों में से 135 महिलाएं हैं। वर्ष 2019-20 के लिए सीआरपी-VIII आरक्षित सूची के तहत 115 परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं 146 लिपिकों की भर्ती करने तथा वर्ष 2020-21 में सीआरओ- IX के तहत 500 परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं 650 लिपिकों की भर्ती करने पर बैंक विचार कर रहा है।

21.5 **प्रशिक्षण कक्षः**

अत्यंत गतिशील उद्योगों का एक अंग होने के कारण हमारे संगठन को इस निरंतर परिवर्तित परिवेश के साथ बने रहने के उद्देश्य से अपने कार्यबल को सतत अपडेट करने के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम करने होते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कारपोरेट विज़न तथा मिशन के सदृश तथा सर्वोच्च प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं।

वर्ष 2019-20 में, पूरे भारत के अंचल कार्यालयों सहित कोलकाता स्थित सेंट्रल स्टाफ कॉलेज (सीएससी) तथा 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित

Out of total staff, 484 employees are Differentially-abled and 1456 belong to the Minority Communities. Women employees (5832) constitute 25.99 % of the Total Workforce as on 31st March, 2020.

21.2 IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2019-20.

21.3 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Abled Persons and Ex-Servicemen employees as per reservation policy of the Government of India. During internal promotion process for the FY 2019-20, as per GOI guidelines, Bank has imparted Pre-promotion Training to 840 candidates for inter-scale promotion of officers (SC - 278, ST - 145, OBC - 383 and PWD - 34); 646 candidates for promotion from clerical to officers (SC - 241, ST - 118, OBC - 279 and PWD - 8); and 596 candidates for promotion from sub - ordinate to clerical cadre (SC - 342, ST - 72, OBC - 177, PWD - 7) belonging to SC/ST/OBC and PWD category. Our Bank, being the Nodal Agency in two states i.e. Shimla and Odisha, also provides pre -recruitment training.

In order to address the issues of SC / ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. The grievances of the employees are also handled and subsequently redressed by the cell, as per Bank's policy and guidelines.

The reservation cell hosted a review meeting for monitoring the implementation of reservation policy for OBC with Dr. Bhagwan Lal Sahni, Hon'ble Chairman, National Commission for Backward Classes along with Dr. Lokesh Kumar Prajapati, Vice - Chairman, Shri Kaushalendra Singh Patel, Hon'ble member and in-charge Finance along with other dignitaries of the Commission on 13.02.2020.

21.4 Recruitment Cell:

In the year 2019-20, Bank has recruited 435 Probationary officers. Out of total 435 officers, 155 officers are females. 454 clerks have also been recruited during the financial year 2019-20. Out of total 454 clerks 135 are females. Bank also proposes to recruit 115 Probationary officers and 146 Clerks under CRP-VIII reserve list for year 2019-20, and 500 Probationary officers and 650 clerks for 2020-21 under CRP-IX.

21.5 Training Cell:

Our Organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programmes in the concerned Fields. Training programmes are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management.

In FY 2019-20, 221 Executives, 11581 Officers, 4536 Clerks and 606 Sub-Staffs, totaling 16944 were trained in Internal Training

आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 221 कार्यपालक, 11581 अधिकारी, 4536 लिपिक एवं 606 अधीनस्थ कर्मचारी, कुल 16944 कार्मिक प्रशिक्षित किए गए। हमने अपने कार्यपालकों तथा अधिकारियों को सुप्रतिष्ठित बाह्य प्राक्षिण संस्थानों यथा आईआईएम, एनआईबीएम, सीएबी (आरबीआई), आईआईबीएफ, सीएएफआरएएल, आईआईबीएम आदि में भेजा। इन बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 578 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए जिससे उनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की धार आई।

नेत्रहीन कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 35 कर्मचारियों ने भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा जोखिम अधिकारियों के लिए जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम, नेत्रहीन कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम, नैतिकता एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कार्यक्रम, एचआर विश्लेषण पर कार्यशाला, एमएसएमई वित्तपोषण पर कार्यक्रम, हार्टफुलनेस कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को एमएसएमई, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या क्रमश: एमएसएमई- 633, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र- 2141 एवं वित्तीय समावेशन- 678 है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट विषयों यथा; आईटी एवं साइबर सुरक्षा में जागरूकता, ग्राहक सेवा, शाखा लाभप्रदता, डिजिटल उत्पाद इत्यादि को सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, क्षमता निर्माण पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर कुल 557 कर्मचारियों को मानदेय/प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

21.6 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) :

हमारा बैंक, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास एवं समावेशी संवृद्धि होती है और पूरे देश को लाभ मिलता है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल माहौल बनाने के संदर्भ में हमारे बैंक ने सर्वोच्च स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है। ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, के त्वरित निवारण हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित नियमों को लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फरवरी, 2020 माह में कुल 02 शिकायतें प्राप्त हुईं। सर्वोच्च स्तर की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

22. लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण :

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू किए जाने तथा बासेल-III मानदंडों को अंगीकार किए जाने के बाद लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग के कार्यों में भारी परिवर्तन हुआ है। नीतियों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिचित करने तथा आंतरिक नियंत्रण को चुस्त करने के पारंपरिक कार्य के साथ-साथ लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग, बैंक के दैनंदिन कार्यकलाप में उठाए जा रहे जोखिम का आकलन करता है। इस प्रकार लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों, प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।
- शाखाओं तथा अन्य सेवा आउटलेट की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को 2014 से अंगीकार किया गया है। जून, 2019 से हमारी एकीकृत कोष शाखा, मुंबई भी आरबीआईए के अधीन है। मई, 2019 से बैंक, जोखिम आधारित ऑनलाइन समवर्ती लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन लेखापरीक्षा प्रणाली पर चला गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शाखाओं की आरबीआईए कराने के लिए बैंक ने 80 सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्यपालकों को सूचीबद्ध किया है।

programmes conducted at our Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 7 Regional Training Centres, as well as Zonal Offices across India. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like IIMs, NIBM, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, IIBM, etc. in which 578 employees were trained in External Training programmes which helped them in acquiring a global competitive edge.

Specialized Training Programme for Visually Impaired employees was conducted in which 35 employees participated.

In FY 2019-20 some important Training programmes like Risk Management programme for Risk Officers, Programme for Visually Impaired employees, Programme on Ethics and Prevention of Corruption, Workshop on HR Analytics, Programme on MSME Financing, HeartfulnessProgramme etc. were conducted. During this period, employees have been given comprehensive training in the areas of MSME, Priority Sector & Agriculture and Financial Inclusion. The numbers of employee trained in these areas are: MSME- 633, Priority Sector-2141, and Financial Inclusion-678. Apart from this, some specific topics like Awareness in IT & Cyber Security, Customer Service, Branch Profitability, Digital Products etc. have been included in all Internal Training Programmes.

In FY 2019-20, total of 557 employees were paid honorarium/ incentive for passing Bank approved courses as per RBI guidelines on Capacity Building.

21.6 Internal Complaints Committee (ICC):

Our Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick redressal of such complaints, if any.

In FY 2019-20, total 02 complaints received in the month of Feb'2020. These complaints are under investigation with the Internal Complaints Committee-Apex Level.

22. AUDIT & INSPECTION :

- After the introduction of Risk Based Supervision of Banks by RBI and adoption of Basel-III norms, the function of Audit& Inspection has undergone a sea change. Along with traditional functions of ensuring proper follow up of policies & procedures, strengthening the internal control, the Audit & Inspection measures the risk the Bank faces in day to day operations. Hence the policies, process followed up by the Audit & Inspection Department have undergone significant changes.
- The Risk Based Internal Audit of Branches and other service outlets have been adopted since 2014. Our Integrated Treasury branch, Mumbai is also under RBIA from June 2019. The Bank has switched over to Risk based Online Concurrent Audit and Management Audit System from May 2019. During the year under review Bank has empanelled 80 retired Officers/Executives for conducting RBIA of branches.

- लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण विभाग के ऑफसाइट निगरानी कक्ष को मज़बूत किया गया है। 33 मानदंडों में सिस्टम जेनेरेटेड अलर्ट निकलते हैं। शाखाओं द्वारा इन अलर्टों को निपटाने की दर 93% के औसत पर पहुंच गई है। अलर्ट जेनेरेट करने के अतिरिक्त यह कक्ष बैक इंड डाटा माइनिंग करके अनेक आंतरिक खातों, संदेहास्पद लेनदेनों की निगरानी भी करता है।

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2087 शाखाओं में आरबीआईए, 25 अंचल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के 4 विभागों में प्रबंधन लेखा परीक्षा एवं 887 शाखाओं/कार्यालयों में समवर्ती लेखा परीक्षा की गई।

23. सतर्कता विभाग

1. निवारक सतर्कता के लिए संगठन द्वारा उठाए गए कदम

वर्ष 2019-20 के दौरान निवारक सतर्कता के लिए बैंक द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गएः

- सतर्कता मामलों से क्षेत्र अधिकारियों को अवगत कराने हेतु सीवीओ ने अपने बैंक के 42 अंचलों में से 21 अंचलों के साथ सीधा संवाद किया। सतर्कता से संबंधित मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर बिना भय अथवा पक्ष के बताने का यह एक विशिष्ट अवसर था।

- औचक निरीक्षण के लिए सतर्कता अधिकारियों ने संवेदनशील शाखाओं/कार्यालयों का दौरा किया तथा विभाग को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- अनियमितताओं अथवा इसके होने की गुंजाइश का पता लगाने हेतु आरबीआईए/समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों की नियमित आधार पर जांच की गई।

- निवारक सतर्कता कार्याालाओं एवं प्रशिक्षणों के दौरान क्षेत्र अधिकारियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहारों तथा प्रणालीगत सुधारों को साझा किया गया।

- शाखा स्तर पर ज्ञान के प्रसार हेतु विभागीय स्तर पर पता लगाई गई कार्यप्रणाली अथवा कुछ धोखाधड़ी को उजागर करते हुए परिपत्र जारी किए गए।

- अक्सर अनजाने में होनेवाली कुछ अनियमितताओं (स्टाफ एवं कार्यालय खातों में प्रविष्टियां) तथा इसके निवारक उपायों से संबंधित परिपत्र जारी किए गए।

- वास्तविकता जानने के लिए विभाग द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणियों की जांच की गई।

- 'ईमानदारी - एक जीवन शैली' विषय के साथ 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। विभाग के कार्यपालकों ने विभिन्न अंचलों का दौरा किया तथा विभिन्न आउटरीच गतिविधियों/कार्यक्रमों में सहभागिता की। इन कार्यक्रमों में स्टाफ सदस्यों, ग्राहकों एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया जहां जागरूकता पैदा करने के लिए निवारक एवं सहभागी सतर्कता उपायों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

- हमारे बैंक द्वारा आयोजित साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले युवा नागरिकों की संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई है।

- देश भर में 704 ग्राम सभाएं आयोजित की गईं तथा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा का बैंक एकमात्र ट्रस्टी नहीं है तथा यह एक दोतरफा प्रक्रिया है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा बनाए रखने में आम नागरिक समान हिस्सेदार हैं।

- आंतरिक कार्यशालाएं एवं साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

- The Offsite surveillance cell of Audit & Inspection Department has been strengthened. The system generated alerts are being generated in 33 parameters. The disposal of alerts by branches has reached an average of 93%. Apart from generation of alerts, this cell is also monitoring various internal accounts, suspicious transactions through back-end data mining.

- During the year under review, RBIA has been conducted in 2087 branches, Management Audit conducted in 25 Zonal Offices and 4 Head office Departments and 887 Branches / Offices are under Concurrent Audit.

23. VIGILANCE DEPARTMENT

1. Preventive Vigilance Initiatives taken by the Organization

Following preventive vigilance initiatives have been taken by the Bank during the year 2019-20.

- Direct interaction of the CVO was concluded successfully with 21 zones out of 42 zones in our Bank in an effort to sensitize field functionaries regarding vigilance matters. It was a unique opportunity to explain at appropriate level all vigilance related issues without fear or favour.

- Vigilance officers have visited sensitive branches/offices for surprise inspection and have submitted reports directly to the Department.

- RBIA/Concurrent Audit Reports have been examined on a regular basis to detect any irregularity or scope for the same.

- Best practices and systemic improvements were shared with field functionaries during Preventive Vigilance workshops and trainings.

- Circulars have been issued highlighting the modus operandi or certain frauds which have been detected at Department level for dissemination of knowledge at Branch level.

- Circular elaborating certain irregularities being committed, often unknowingly (entries in staffs and office accounts) and preventive steps

- Scrutiny of Annual Property Returns has been conducted by the Department to ascertain its genuineness.

- As part of Vigilance Awareness Week held from 28.10.2019 to 02.02.2019 with the theme "Integrity-a way of Life" Executive from the Department visited various zones and participated in various outreach activities / programmeattended by staff members, customers and local people where preventive and participative vigilance measures have been elaborately discussed to create awareness.

- There has been an appreciable increase in the number of young citizens who have participated in literary and artistic events organized by our Bank.

- 704 Gram sabhas were held across the country and it was clearly spelt out that the Bank is not the only truste of vigilance and probity and it is rather a two way process wherein ordinary citizens are equal shareholders in maintaining integrity in all walks of life.

- In-house workshops and literary events were also held.

2. संगठन द्वारा किए गए प्रणालीगत सुधार

- माल-गोदाम रसीदों के बंधक के एवज में ऋण के लिए प्रणालीगत सुधारात्मक उपायों को शामिल करने वाली एक व्यापक नीति कृषि एवं ग्रामीण व्यवसाय विभाग द्वारा परिचालित की गई।
- चालू खातों की प्रामाणिकता की निगरानी करने के प्रयास के साथ सभी नए चालू खातों के सत्यापन के लिए अंचल स्तर पर एक केंद्रीकृत कक्ष की शुरुआत की गई है। नामांकन में किसी भी बदलाव के लिए एसएमएस अलर्ट जारी किए गए।
- मोबाइल नंबर परिवर्तन के अनुरोध पर संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए पहले पूर्व मोबाइल नंबर पर तथा इसके बाद नए मोबाइल नंबर पर सृजित संदेश भेजा जाता है।
- सभी संबंधित मामलों में जीएसटीआईएन अधिकृत विक्रेताओं को खरीद एवं ई-भुगतान के लिए ई-टेंडरिंग की शुरुआत
- किसी भी लेनदेन को शुरूकरने के लिए ओटीपी के साथ ई-बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए कैप्चा की शुरुआत
- ऋण मूल्यांकन के मानकीकरण हेतु लैप्स-लेंडिंग ऑटोमेन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंतर्गत सभी एमएसएमई एवं कृषि योजनाओं का समावेश
- इसके अलावा सतर्कता के 260 मामलों का निपटारा किया गया जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान 267 नए मामले जुड़े।
- निवारक सतर्कता पर विभाग द्वारा आयोजित कार्याालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम - बैंक ने सतर्कता मामलों पर सीवीसी, नई दिल्ली; आईआईबीएफ, कोलकाता; एनआईबीएम, पुणे तथा गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों/ कार्यपालकों को नामित किया।

24. राजभाषा

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए सावधानीपूर्वक उपाय किए हैं। बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों के कार्यान्वयन हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की है तथा उक्त वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किया। बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा संबंधी अनुदेशों के पालन पर भी ध्यान दिया है।

24.1 संकल्प राजभाषा - 2020

राजभाषा के क्षेत्र में राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए जानेवाले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, प्रधान कार्यालय के लिए सर्वोच्च पुरस्कार एवं अंचल कार्यालय के लिए राजभाषा क्षेत्रीय पुरस्कार जीतने हेतु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे उच्च प्रबंधन की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से बैंक ने पहली बार संकल्प राजभाषा- 2020 कार्ययोजना को अंगीकार किया।

प्रधान कार्यालय के साथ-साथ अंचल कार्यालयों ने संकल्प राजभाषा- 2020 में शामिल सभी मदों को सक्रिय रूप में कार्यान्वित किया। इस प्रयास के परिणाम निम्नलिखित हैं:

2. Systemic improvements undertaken by the organization

- A comprehensive policy incorporating systemic improvement measures for loan against pledge of Ware House Receipts has been circulated by Agriculture and Rural Business Department.
- A centralized cell at Zonal Office level for verification of all new Current Accounts has been introduced with at attempt to monitor authenticity of current accounts. SMS alerts have been generated for any change in nomination.
- Mobile number change request now entails a message generated for the same which is sent to the earlier mobile number and then subsequently to the new mobile number to prevent possible frauds.
- Introduction of e-tendering for procurement and e-payments to vendors with capturing of GSTIN in all relevant cases.
- Introduction of Captcha for e-banking and mobile banking applications along with OTP for initiating any transaction.
- Inclusion of all MSME and Agriculture schemes under LAPS-Lending Automation Processing System for standardization of credit appraisal.
- Further, 260 number of vigilance cases have been disposed off while 267 new cases have been added during the year 2019-20.
- Workshops and Training programmes undertaken by the Department on Preventive Vigilance - The bank has nominated officers / executives to different training programmes on vigilance matters organized by CVC, New Delhi, IIBF, Kolkata, NIBM, Pune and Gujarat Forensic Sciences University at Gandhinagar.

24. OFFICIAL LANGUAGE

The Bank took proactive steps to implement the Official Languages Policy of Govt. of India and has meticulously taken measures to comply with the provisions of Official Languages Acts and the rules made thereunder. The Bank has also taken appropriate follow up actions to implement the directives as contained in the Annual Programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Departments of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India and also endeavoured to achieve various targets prescribed in the said Annual Programme. Bank has also given preferred attention to comply with the instruction of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India.

24.1 Sankalp Rajbhasha - 2020

With the inspiration and encouragement of Our Top Management, Bank, for the first time, adopted an action plan namely SankalpRajbhasha- 2020 to achieve the target of winning RajbhashaKirtiPuraskar, the highest award for Head Office and RajbhashaKshetreeyPuraskar for Zonal Offices given by Official Language Department, Govt. of India in the field of Official Language.

Head Office as well as Zonal Offices actively implemented all the items enumerated in the SankalpRajbhasha- 2020 Action Plan, the outcome of the endeavour are as under:

1. यूको बैंक जी डी बिड़ला स्मृति व्याख्यानमाला कुल 17 अंचल कार्यालयों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान का आयोजन किया। कुलपति, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर एवं अन्य गणमान्य महानुभाव वक्ता के रूप में शामिल थे।	**1. UCO Bank G D Birla Memorial Lecture** Total 17 Zonal Offices organised the lecture on different topics. The Speakers included VCs, Scientists, Economists, Professors and several distinguished persons.
2. यूको भारतीय भाषा सौहार्द सम्मान डॉ. एन चन्द्रशेखरन नायर, सुप्रसिद्ध हिंदी एवं मलयाली लेखक, अनुवादक, शिक्षक एवं निदेशक–केरल हिंदी साहित्य अकादमी को पहले यूको भारतीय भाषा सौहार्द सम्मान से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में रु. 51000/- एवं स्मृतिका शामिल है।	**2. UCO Bharteeya Bhasha Sauhard Samman** Dr. N Chandrashekharan Nayar, renowned Hindi and Malyali Writer, Translator, Teacher and Director-Kerala Hindi Sahitya Academy was honoured with first UCO Bharteeya Bhasha Sauhard Samman comprising Rs. 51000/- and a memento.
3. यूको मातृभाषा सम्मान राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उत्तीर्ण 8 राज्यों के कुल 28 अभ्यर्थियों को 15 अंचल कार्यालयों ने रु 5000/- एवं स्मृतिका से सम्मानित किया।	**3. UCO MatribhashaSamman** Total 15 Zonal Offices honoured 28 candidates of 8 States with Rs. 5000/- and a memento who cleared Civil Services Exam of State Public Service Commission through Hindi/ Regional Languages.
4. यूको राजभाषा सम्मान एमए (हिंदी) परीक्षा में अव्वल आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल 90 विद्यार्थियों को प्रधान कार्यालय सहित 41 अंचल कार्यालयों ने रु 5000/- एवं स्मृतिका से सम्मानित किया।	**4. UCO Rajbhasha Samman** Head Office and all 41 Zonal Offices honoured 90 students of different Universities with Rs. 5000/- and a memento who topped MA (Hindi) Exam.
5. लोकप्रिय हिंदी कार्यक्रम का प्रायोजन विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशालतम हिंदी कार्यक्रम सात दिवसीय 25वें हिंदी मेला में प्रधान कार्यालय ने रु 1.00 लाख का सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा 11 अंचल कार्यालयों ने अपने-अपने संबंधित केन्द्रों में लोकप्रिय हिंदी कार्यक्रम के प्रायोजन के तहत रु 10000/- प्रति अंचल सहयोग दिया।	**5. Sponsoring Popular Hindi Programme** Head Office sponsored 25th Hindi Mela, the largest Hindi Programme organised for seven days for Students in India with Rs. 1.00 Lakh. Besides this, 11 Zonal Offices also assisted Popular Hindi Programme in their respective Centers with Rs. 10000/- each.

24.2 राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी

बैंक ने 1 जुलाई, 2019 को आईआईबीएम, गुवाहाटी में **'भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका** विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें अखिल भारतीय यूको बैंक अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा कुल 8 पेपर प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी का उद्घाटन हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए के गोयल ने किया। डॉ. जवाहर कर्णावट, महाप्रबंधक-राभा, बैंक ऑफ बड़ौदा,

24.2 National Hindi Seminars

Bank organised a National Level Hindi Seminar on 'Contribution of Public Sector Banks in Indian Economy' at IIBM, Guwahati on 1st July, 2019 wherein altogether eight papers were presented by winners of All India Inter Bank Hindi Essay Competition. The Seminar was inaugurated by our Managing Director & CEO Shri A K Goel. Dr. Jawahar Karnavat, General Manager- OL, Bank of

मुंबई; श्री बदरी प्रसाद यादव, कार्यालयाध्यक्ष, क्षे.का.का. गुवाहाटी; श्री नरेश कुमार, महाप्रबंधक-मासंप्र, कासेवि एवं राजभाषा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

हमारे अंचल कार्यालय, पटना ने सीएसटीटी, नई दिल्ली के सहयोग से 30-31 जुलाई, 2019 को पटना में 'राजभाषा के विकास में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की भूमिका विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पटना, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, रांची एवं भागलपुर के विद्वानों ने भाग लिया।

24.3 हिंदी प्रशिक्षण

- हिंदी में अपना दैनिक कार्य करने के लिए 172 हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 3400 अधिकारियों एवं लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा लगभग 3200 अधिकारियों एवं लिपिकों को कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड पर डेस्क प्रशिक्षण भी दिया गया।
- सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता एवं सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपने प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सभी पक्षों को शामिल करते हुए हिंदी प्रशिक्षण दिया।
- इसके अलावा, लगभग 200 अधिकारियों एवं लिपिकों ने भारत सरकार की प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की।

24.4 हिंदी प्रकाशन

बैंक ने 'भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की जो अखिल भारतीय यूको बैंक अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के निबंधों का संकलन है। हमारी हिंदी पत्रिका 'अनुगूँज' सतत प्रकाशित की जा रही है जिसमें पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं के लेख शामिल किए गए हैं। हमारे सभी अंचल कार्यालय भी अपने अंचल की हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। कुल मिलाकर, वे एक ही समय में बैंक की गतिविधियों एवं स्टाफ की रचनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रधान कार्यालय ने दो ई-पत्रिकाएं- **यूको दैनिकी**- दैनिक प्रकाशन तथा **यूको मासिकी**- मासिक प्रकाशन शुरू की हैं। दोनों पत्रिकाएं सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को भेजी जा रही हैं। सभी अंचल कार्यालयों द्वारा भी यूको दैनिकी एवं यूको मासिकी निकाली जा रही है जिसे संबंधित अंचल के अधीन स्थित शाखाओं को परिचालित किया जा रहा है।

24.5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)

प्रधान कार्यालय, जो नराकास (बैंक), कोलकाता का संयोजक है, के अतिरिक्त हमारा अजमेर एवं भागलपुर अंचल कार्यालय तथा चंडीगढ अंचल के अधीन अजिप्र, रूपनगर, शिमला अंचल के अधीन अजिप्र नाहन एवं धर्मशाला अंचल के अधीन अजिप्र, बिलासपुर क्रमश: अजमेर, भागलपुर, रूपनगर, नाहन एवं बिलासपुर में नराकास के संयोजक हैं।

नराकास (बैंक), कोलकाता के इतिहास में पहली बार महामहिम श्री जगदीप धनखड़, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल को दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 को होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता में आयोजित नराकास की 68वीं छमाही समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बैंक के सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में माननीय श्री एकनारायन अर्याल, महावाणिज्यदूत-नेपाल, कोलकाता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

24.6 राजभाषा निरीक्षण

वर्ष के दौरान विभाग ने 11 अंचल कार्यालयों- हुगली, वर्धमान, गुवाहाटी, भोपाल, पटना, कोलकाता, साल्ट लेक, नागपुर, रायपुर, भागलपुर, भुवनेश्वर एवं सेंट्रल स्टाफ कॉलेज का निरीक्षण किया। इसी प्रकार, अंचल कार्यालयों ने भी अपने सम्बद्ध अंचलों की कुल 784 शाखाओं का निरीक्षण किया।

Baroda, Mumbai; Shri Badri Prasad Yadav, Officer in Charge, RIO, Guwahati; Shri Naresh Kumar, General Manager- HRM, PSD & OL and other dignitaries also graced the Seminar.

Our Zonal Office, Patna organised a two days National Seminar on 'Role of Commission for Scientific and Technical Terminology in Development of Official Language' at Patna on 30-31 July, 2019 in collaboration with CSTT, New Delhi. Scholars from Patna, New Delhi, Lucknow, Varanasi, Kolkata, Guwahati, Agartala, Ranchi and Bhagalpur attended the Seminar.

24.3 Hindi Training

- Approx. 3400 Officers and Clerks were trained through 172 Hindi Workshops to do their day to day work in Hindi. Also, approx. 3200 Officers and Clerks were also imparted Desk Training on computer on Hindi Unicode.
- Central Staff College, Kolkata & all Regional Training Centres imparted Hindi Training covering all aspects of OL Policy of GOI in each training programme.
- Further, approx. 200 Officers and Clerks passed Prabodh, Praveen &Pragya Hindi Exams of Govt. of India.

24.4 Hindi Publication

Bank published a book on 'Contribution of Public Sector Banks in Indian Economy' which is compilation of selected essays of participants of All India Inter Bank Essay Competition.Our Hindi Magazine 'Anugoonj' is continuously being published in which for the first time Regional Languages Articles were included. All our Zonal Offices are also bringing out their Zonal Hindi Magazines regularly. Altogether, they reflect the activities of the Bank and creativities of the Staff at same time.

Head office started two e-magazines namely, UCO Dainiki, a daily publication and UCO Masiki, a monthly publication. Both are being circulated to all our branches and offices. All Zonal Offices are also bringing out their UCO Dainiki and UCO Masikiwhich are being circulated under their respective Zones.

24.5 Town Official Language Implementation Committee (TOLIC)

Apart fromHead Office, who is the convenor of TOLIC (Bank), Kolkata, our Ajmer & Bhagalpur Zonal Offices and our LDM, Roopnagar under ZO Chandigarh & LDM, Bilaspur under ZO Dharmashala are convenor of TOLIC at Ajmer, Bhagalpur, Roopnagar and Bilaspur respectively.

For the first time in the history of TOLIC (Bank), Kolkata, Hon'ble Shri JagdeepDhankhad, Governor, West Bengal was invited as Chief Guest in the 68th Half Yearly Review Meet held on 23rd October, 2019 at Hotel Hindustan International, Kolkata. Hon'ble Shri EknarayanAryal, Consul General, Nepal at Kolkata was invited as Chief Guest in a programme to celebrate Vishwa Hindi Divas held at Bank's Central Staff College, Kolkata.

24.6 OL Inspection

Head Office inspected 11 Zonal Offices- Hooghly, Burdwan, Guwahati, Bhopal, Patna, Kolkata, Salt Lake, Nagpur, Raipur, Bhagalpur, Bhubaneshwar and Central Staff College during the year. Similarly, Zonal Offices in altogether inspected 784 Branches in their respective Zones.

24.7 उपलब्धियां

- यूको बैंक, प्रधान कार्यालय को नराकास (बैंक), कोलकाता का संयोजक होने के नाते राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में पूर्वी क्षेत्र के नराकासों में राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु लगातार तीसरे वर्ष- हैट्रिक, क्षेत्रीय राजभाषा के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो उल्लेखनीय है।
- नराकास (बैंक), अजमेर (संयोजक: यूको बैंक, अंचल कार्यालय, अजमेर) को राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के क्षेत्रीय राजभाषा के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- हमारे वाराणसी अंका, इलाहाबाद मुख्य शाखा और नागपुर अंचल के अधीन अकोला शाखा ने अपने संबंधित नराकास के प्रथम पुरस्कार जीते।
- हमारे सूरत अंका, धर्मशाला अंका, जोधपुर अंका, पणजी शाखा, बालोद शाखा, रावपुरा शाखा ने अपने संबंधित नराकास के द्वितीय पुरस्कार जीते।
- हमारे भुवनेश्वर अंका, रायपुर अंका, पटना अंका, एर्णाकुलम अंका, मुंबई अंका एवं गाजीपुर शाखा ने अपने संबंधित नराकास के तृतीय पुरस्कार जीते।
- हमारे गुवाहाटी अंका, नई दिल्ली अंका एवं धमतरी शाखा ने अपने संबंधित नराकास के विशेष पुरस्कार जीते।
- इसके अलावा, देश भर के नराकासों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विभिन्न अंचलों के हमारे स्टाफ सदस्यों ने 24 प्रथम, 15 द्वितीय, 21 तृतीय एवं 11 सांत्वना पुरस्कार जीते।
- इसके अतिरिक्त, हमारे स्टाफ सदस्यों ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं यूको बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं में 01 प्रथम, 03 द्वितीय एवं 07 सांत्वना पुरस्कार जीते और इस प्रकार सभी बैंकों में अपने बैंक की छवि बढ़ी।

24.8 विविध

- बैंक के राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन 12-13 जुलाई, 2019 को क्षे.प्र.के. भोपाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक ने किया तथा श्री हरीश सिंह चौहान, कार्यालयाध्यक्ष, क्षे.का.का. भोपाल मुख्य अतिथि थे। यह सम्मेलन श्री नरेश कुमार, महाप्रबंधक- मासंप्र, कासेवि एवं राजभाषा; श्री एस एस रतन, अंचल प्रबंधक, भोपाल और श्री ओ पी गुनानी, प्राचार्य, क्षे.प्र.के. भोपाल के निपुण मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
- भारतीय भाषा सौहार्द स्वरूप हिंदी पखवाड़ा/माह प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी अंचल कार्यालयों में उत्साह एवं जोश के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक सहित सभी संवर्गों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्य कार्यक्रम 16 सितंबर, 2019 को रोटरी सदन, कोलकाता में किया गया जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक द्वय, अन्य कार्यपालक तथा बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। श्री निर्मल कुमार दुबे, कार्यालयाध्यक्ष, क्षे.का.का., कोलकाता इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कुल 82 स्टाफ सदस्यों को पुरस्कृत किया गया।
- संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 को भुवनेश्वर अंचल की पुरी शाखा का निरीक्षण किया। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2 दिसंबर, 2019 को हमारे अंचल कार्यालय, नई दिल्ली तथा 26 दिसंबर, 2019 को प्रधान कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया।

24.7 Achievements

- UCO Bank, Head Office being the convenor of TOLIC (Bank), Kolkata was awarded First Prize-Kshetriya Rajbhasha Puraskar for the third consecutive year by Department of OL, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for excellence in implementation of Official Language for the year 2018-19 amongst all TOLICs in Eastern Region - a Hattrick, worth mentioning.
- Our Ajmer Zonal Office, convenor of TOLIC (Bank), Ajmer was also awarded Third Prize- KshetriyaRajbhashaPuraskar for the year of 2018-19 by Department of OL, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for excellence in implementation of Official Language.
- Our Varanasi ZO, Allahabad Main br. and Akola br. under ZO Nagpur won First Prize of their respective TOLIC;
- Our Surat ZO, Dharamshala ZO, Jodhpur ZO, Panaji br., Balod br., Raopurabr won 2nd prize of their respective TOLIC;
- Our Bhubaneshwar ZO, Raipur ZO, Patna ZO, Ernakulam ZO, Mumbai ZO &Ghazipur br. won 3rd Prize of their respective TOLIC
- Our Guwahati ZO, New Delhi Zo and Dhamtaribr won Special Prize of their respective TOLIC.
- Apart from this, our several staff members from different Zones won 24 First, 15 Second, 21 Third and 11 Consolation Prizes under various competitions organised by TOLICs all over Country.
- Further, our staff won several Prizes - one First, three Second and 7 Consolation Prizes in All India Inter Bank Hindi Essay Competitions organized by Bank of Baroda, Bank of Maharastra, Indian Bank, Indian Overseas Bank & UCO Bank thus increasing the image of the Bank among all Banks.

24.8 Miscellaneous

- Official Language Officer's Conference of the Bank was held on 12-13 July, 2019 at RTC, Bhopal. The Conference was inaugurated by Shri Charan Singh, Executive Director and Shri Harish Singh Chauhan, In Charge, RIO, Bhopal was Chief Guest. The Conference was held under the able guidance of Shri Naresh Kumar, General Manager- HRM, PSD & OL; Shri S SRatan, Zonal Manager, Bhopal and Shri O P Gunani, Principal, RTC, Bhopal graced the conference.
- BhartiyaBhashaSauhardSwaroop Hindi Pakhwada/Mahwas celebrated by Head Office as well as all Zonal Offices with enthusiasm and zeal starting 1st September. Several Competitions for all cadres including GMs were organised. The main programme was organised at Rotary Sadan, Kolkata on 16th Sept, 2019 which was attended by MD & CEO and both the EDs, Executives and large number of staff members. Shri Nirmal Kumar Dubey, in charge, RIO, Kolkata was Chief Guest of the programme. Altogether 82 staff members were awarded.
- Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected our Puri Branch under Bhubaneshwar Zone on 19th February, 2020. Department of Financial Services, Ministry of Finance inspected our Zonal Office, New Delhi on 2nd Dec, 2019 and Head Office on 26th Dec, 2019.

➢ वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चेन्नई, नागपुर एवं बेंगलुरु अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

25. विपणन

➢ बैंक ने व्यापारियों के लिए मोबाइल एप्प से समर्थित एवं वास्तविक समय पर एमआईएस रिपोर्ट के लिए अपने परिष्कृत ऑनलाइन फी कलेक्शन माड्यूल की शुरुआत की है।
➢ बैंक ने जनवरी, 2020 में अपने आधिकारिक इंस्टा-ग्राम पेज की शुरुआत की और इसके कुल फॉलोवर्स 854 हो गए हैं।
➢ बैंक द्वारा अपने उत्पादों जैसे चालू खाते, वेतन खाते, रिटेल एवं एमएसएमई ऋणों, पीओएस, ऑनलाइन फी कलेक्शन, डेबिट कार्ड आदि के संवर्धन/ग्राहक जागरूकता हेतु विभिन्न केन्द्रित आउटरीच कार्यक्रम एवं अभियान चलाए गए।
➢ बैंक ने ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से भावी ग्राहकों को अपने उत्पादों के संवर्धन हेतु तथा उन्हें व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए भी सभी शाखाओं में संपर्क कार्यपालकों को नामित किया है।

➢ फी कलेक्शन माड्यूल में कुल लेनदेन 1.61 करोड़ रहा।
➢ जारी कुल डेबिट कार्डः 25.41 लाख
➢ मोबाइल बैंकिंग में 550296 नए पंजीकरण
➢ भीम यूको यूपीआई में 87,775 नए पंजीकरण
➢ फेसबुक फॉलोवर्स बढ़कर 11660 हुए
➢ ट्विटर फॉलोवर्स में वृद्धिः 7620
➢ यू-ट्यूब सब्सक्राइबर बढ़कर 2.3 हजार हुए
➢ डिजिटल लेनदेनों के लिए एमईआईटीवाई द्वारा दिए गए लक्ष्य प्राप्त किए गए

➢ डॉक्टर ऋणः दिनांक 16.11.2019 से 31.12.2019 तक चले डॉक्टर ऋण अभियान के दौरान 1.5 माह के भीतर कुल 365 खाते खोले गए (पहले केवल 59 खाते दिनांक 01.04.2019 से 15.11.2019 के दौरान खोले गए) तथा रु.18.96 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई।

➢ ईएसपीएस हेतु बीओबी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत ऋणः दिनांक 26.09.2019 से 15.10.2019 के अभियान के दौरान कुल 2793 खाते खोलने के साथ रु. 92.75 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई।

➢ चालू खाताः दिनांक 23.09.2019 से 25.10.2019 तक एवं 16.11.2019 से 31.12.2019 के अभियान के दौरान कुल रु.173.93 करोड़ शेष राशि के साथ कुल 19091 खाते खोले गए। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 37007 चालू खाते खोले गए।

➢ यूको स्मार्ट किड्सः दिनांक 25.10.2019 से 15.11.2019 तक यूको स्मार्ट किड्स अभियान के दौरान कुल 66146 खाते खोले गए।

यूको टेलेविंगर

बैंकिंग से संबंधित विषयों के बारे में लोगों को प्रेरित एवं शिक्षित करने तथा अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने एक समर्पित यू-ट्यूब चैनल 'यूको टेलीविंगर' की शुरुआत की है। विभाग ने 'यूको अड्डा' नामक एक ई-पत्रिका की शुरुआत की है जिसमें सभी आयु समूहों के लिए विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। यह यूकोजनों में अंतर्निहित क्षमता एवं प्रतिभा की खोज करने के लिए मंच प्रदान करने की एक पहल है। इसे मासिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है।

26. सामान्य प्रशासन विभाग

हमारे बैंक ने किराये खर्च की जांच एवं उस पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ पट्टे के नवीकरण में होनेवाले विलंब को कम करने के लिए अखिल भारतीय

➢ During the year Chennai, Nagpur and Bengaluru Zonal Offices were inspected by Regional Implementation Office, Deptt. of OL, Ministry of Home Affairs.

25. Marketing

➢ Bank has launched its enhanced Online Fee collection module supported by mobile app & real time MIS report for merchants.

➢ Bank launched its official Instagram page in January 2020 and total followers reached: 854

➢ Bank has run variousfocussed outreach programmes and campaigns for promotion/customer awareness of our products such as Current Accounts, Salary accounts, Retail & MSME loans, POS, Online fee collection, Debit cards etc.

➢ Bank has designated Relationship Executives at all branches(forpromotionof our products to prospectivecustomers through enhancing customer awareness) and also to provide personalized experience to them.

➢ Total Transactions in Fee Collection Module stood at 1.61 Cr
➢ Total Debit Card Issued: 25.41 Lac
➢ New Registration in Mobile Banking is 550296.
➢ New registrations in BHIM UCO UPI is 87,775.
➢ Increase in Facebook followers to 11660.
➢ Increase in Twitter followers: 7620
➢ Increase in Youtube Subscriber to 2.3 k.
➢ Achieved Target Given by MEITY for Digital Transaction.
➢ Doctor loan: Total 365 accounts opened within 1.5 months with Total sanction amount of Rs. 18.96 crore during the Doctor loan campaign observed from16.11.2019 to 31.12.2019 (earlier only 59 accounts were opened during the period 01.04.2020 to 15.11.2020).

➢ Personal loan for BOB Employees for ESPS: Total account opened 2793 with Total sanction amount of Rs. 92.75 crore during the campaign period from 26.09.2019 to 15.10.2019.

➢ Current account: Total 19091 current account opened with Total balance of Rs. 173.93 crore during the campaign period from 23.09.2019 to 25.10.2019 and then from 16.11.2019 to 31.12.2019.

➢ UCO Smart Kids: Total 66146account opened under UCO smart kids campaign organized from 25.10.2019 to 15.11.2019

UCO Telewinger

Department launched a dedicated Youtube channel "UCO Telewinger" to inspire and educate the people about banking related topics and to promote our products.Department has launched an e-magazine called "UCO Adda", which contains variety of topics to engage all age groups. It is an initiative to provide a platform to discover the underlying potential and talent in UCOites. This is being published on monthly basis.

26. GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Our Bank has taken initiative for centralised rent payment of branches, ATM and other administrative Buildings on pan India

आधार पर शाखाओं, एटीएम तथा अन्य प्रशासनिक भवनों के केंद्रीकृत किराया भुगतान हेतु पहल की है। केंद्रीकृत किराया भुगतान प्रणाली (सीआरपीएस) लागू हो गई है तथा जनवरी, 2020 माह से कुछ शाखाओं/कार्यालयों को छोड़कर अन्य शाखाओं, एटीएम एवं प्रशासनिक भवनों से संबंधित किरायों का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत आधार पर किया जा रहा है।

basis to check and balance the rental expenditure as well as minimise the pendency of renewal of lease. The Centralised Rent payment System (CRPS) has now been implemented and made live since January 2020 and the rent payment related to our branches. ATMs and other Administrative office is being made centrally by Head office except for a few Branches /offices.

27. अनुपालन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य सभी नियामकों द्वारा अधिदिष्ट कार्यों का घरेलू एवं वैविक स्तर पर अनुपालन करना अनुपालन विभाग की ज़िम्मेदारी है। नियामकों, भारत सरकार के प्राधिकारी, सेबी, एफआईयू-इंड, पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग इकाइयों को विभिन्न नियामक विवरणियों एवं प्रावधानों यथा; केवाईसी/एएमएल मामलों, एसटीआर (संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट), सीटीआर (नकद लेनदेन रिपोर्ट), सीबीडब्ल्यूटीआर (सीमा पार तार अंतरण रिपोर्ट), सीएफटी (आतंकवाद हेतु वित्तपोषण का विरोध) आदि की रिपोर्टिंग में सतत पूर्णता पर ज़ोर दिया जा रहा है।

अनुपालन कार्यों में उल्लंघनों, यदि कोई हो, को कम करने हेतु अनुपालन एवं केवाईसी/एएमएल नीतियों की पुनरीक्षण एवं समीक्षा समय-समय पर की जा रही है तथा निदेाक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी 3051 नियमित कारोबार श ाखाओं में अनुपालन परीक्षण जांच (सीटीसी) की गई तथा सभी शाखाओं/कार्यालयों को समय पर अनुपालन कार्यों को सुनिचित करने की आवयकता के बारे में अवगत कराया गया। नियामक/सांविधिक प्राधिकारियों को सूचित किए जाने से पहले उपयुक्त स्तर पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, इस प्रकार यह प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाता है।

संकटमय नियंत्रण एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में अनुपालन कार्यों तथा मजबूत अनुपालन संस्कृति के विकास पर जोखिम प्रबंधन विभाग और लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के साथ आवधिक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

27. COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance Functions mandated by the Reserve Bank of India and all other regulators domestically as well as globally are the responsibility of Compliance Department. Emphasis is being laid on continuous perfection in reporting of various regulatory returns and provisions e.g. KYC/AML issues, STRs (Suspicious Transactions Report), CTRs (Cash Transaction Reports), CBWTRs (Cross Border Wire Transfer Reports, CFT (Combating of Finance for Terrorism), etc., to the Regulators, Govt. Of India Authorities, SEBI, FIU-IND, under PMLA Act 2002, as Reporting Entity (RE).

Compliance & KYC/AML Policies are being revisited / reviewed periodically and approved by the Board of Directors to mitigate breaches in Compliance Functions if any. During FY 2019-20, Compliance Test Checking (CTC) was undertaken in all the 3051 regular business Branches and all Branches/Offices have been sensitized about the need for ensuring timely Compliance functions. Critical issues are being discussed at appropriate levels before being reported to the Regulatory/Statutory Authorities, thus enhancing the system efficacy.

Periodic interactions with Risk Management Department and Audit & Inspection Department, is being done on critical control and compliance functions as a part of effective Risk Management and development of robust Compliance Culture.

28. बैंक की भावी योजना

कोविड- 19 के प्रकोप तथा मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह से जून, 2020 तक लॉकडाउन के प्रभाव ने बैंकिंग सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने तथा आर्थिक मंदी को रोकने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय सरकार ने राहत उपाय के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रु. 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया।

वर्तमान स्थिति के अनुरूप बैंक ने केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लागू करने के लिए अपनी रणनीति को पुनः तैयार किया है। बैंक के मुख्य क्षेत्र रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) में सुधार हो रहा है। इन कठिन समय में, कोविड-19 आर्थिक संकट से प्रभावित उधारकर्ताओं को योग्यता के आधार पर ऋण देने के लिए बैंक अपने आपातकालीन ऋण लाइन में विस्तार करेगा।

बैंक ने फिनैकल 10 में माइग्रेशन, मोबाइल, इंटरनेट एवं फोन बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में सुधार के लिए कई तकनीकी पहल की है। ग्राहक सुविधाओं में ये पहल आनेवाले महीनों में अच्छा परिणाम देगी। फिजिटल (भौतिक एवं डिजिटल) नेटवर्क की सहायता से बैंक कम लागत वाले संसाधनों के संग्रहण पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो जमीनी स्तर को मजबूत करेगा।

बैंक प्रौद्योगिकी संचालित ऋण प्रवर्तन प्रणाली की शुरुआत के साथ अपने ऋण प्रसंस्करण को उन्नत करने की प्रक्रिया में है जो कुछ महीनों में शुरु हो जाएगी। इस प्रणाली के प्रारम्भ होने से लगभग शुरूसे अंत तक ऋण

28. FUTURE PLAN OF THE BANK

The Outbreak of COVID - 19 and effect of lock down from last week of March 2020 to June 2020 caused severe adverse impact across all the sectors of Indian economy including banking. To address this situation, Reserve Bank of India has taken series of measures to protect financial stability and arrest an economic meltdown. As a relief measure, Central Government unveiled Rs.20 lakh crore Atmanirbhar Bharat package to boost various sectors of economy.

To fall in line with the current situation, Bank has redesigned its strategies to implement Atmanirbhar Bharat package announced by Central Government. The thrust area of the Bank is improving Retail, Agriculture and MSME (RAM). At these tough times, Bank will extend emergency credit lines, on merits, to the borrowers who were affected by COVID 19 economic crisis.

Bank has taken up several technological initiatives like migrating to Finacle 10, improving software of mobile, internet and phone banking. These initiatives in customer convenience will give good results in coming months. With the help of PHYGITAL(Physical& Digital) network, Bank will focus on mobilisation of low cost resources that will augment bottom line.

Bank is in the process of upgrading its loan processing with introduction of technology driven loan origination system which will be rolled over in couple of months. With introduction of this system, there will be almost end to end automation of loan

मूल्यांकन का स्वचालन होगा तथा ऋण प्रसंस्करण में खामियों से काफी हद तक बचा जाया जा सकेगा। त्वरित अनुमोदन से बैंक अपने रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा।

बैंक कुछ फिनटेक फ़र्मों, जिन्हें जीएसटी एवं आईटी विवरणियों का मूल्यांकन, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, बैंक विवरण, ग्राहकों के व्यवहारात्मक प्रतिमान सहित ग्राहक संसूचना में विशेषज्ञता हासिल हो, के साथ गठजोड़ करके अपने ग्राहक विस्तार तकनीक को मजबूत करने में ध्यान केन्द्रित करेगा।

पहली छमाही के अंत तक अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी। बैंक अपने उत्पादों एवं सेवाओं को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा तथा अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के तुरंत बाद मजबूत वृद्धि हेतु अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार करेगा।

29. निदेशक मंडल

29.1 कार्पोरेट अभिशासन

बैंक श्रेष्ठ कार्पोरेट अभिशासन में पूर्ण निष्ठा रखता है तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया है। यह अभिशासन बैंक के पारदर्शिता, कार्यदक्षता और जिम्मेदारी के मूलभूत मूल्यों के द्वारा सृजित होता है। अपने रोजमर्रा के परिचालन में इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देते हुए बैंक शेयरधारक की मूल्यवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। चूँकि बैंक श्रेष्ठ अभिशासन के प्रति वचनवद्ध है, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए कई बोर्ड समितियाँ गठित की हैं। बैंक की प्रणालियों एवं कारोबार प्रक्रियाओं के कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हो, को पहचानने एवं उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का विवास है कि श्रेष्ठ अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों एवं निदेशकों का भरोसा, निष्ठा एवं साख अर्जित करने तथा व्यापक तौर पर समाज का आदर पाने का मूल मंत्र है।

29.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन

- बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह का कार्यकाल दिनांक 09.03.2020 को समाप्त हो गया।
- सीए श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री अनिल शर्मा का कार्यकाल दिनांक 25.07.2019 को समाप्त हो गया।
- बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अमित चटर्जी का कार्यकाल दिनांक 29.02.2020 को समाप्त हो गया।

29.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की पंद्रह बैठकें हुई। इस अवधि में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों की

appraisals and lapses in loan processing can be avoided to a great extent. With the speedy approvals, Bank will boost its retail portfolio.

Bank will focus on strengthening its customer reach techniques by tie up with few Fintech firms who are having expertise in evaluation of GST & IT returns, analysis of financial statements, Bank statements, customer information including behavioural pattern of customers.

Economy is likely to be muted till the end of first half. Bank will make its products and services more competitive and improve its internal processes for a robust growth soon after economic revival take place.

29. BOARD OF DIRECTORS

29.1 Corporate Governance

Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and also to have respectable position in the society at large.

29.2 Changes in the Board of Directors

- The tenure of Shri Charan Singh as Executive Director of the Bank ended on 09.03.2020.
- The tenure of Shri Anil Sharma, Director under CA Category ended on 25.07.2019.
- The tenure of Shri Amit Chatterjee as Part-time Non-Official Director of the Bank ended on 29.02.2020.

29.3 Meetings of the Board of Directors

During the FY 2019-20, fifteen meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various Committees of

संख्या नीचे दी जा रही हैः

the Board held during the period is given below

क्रम सं. Sl.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	15
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	09
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	04
4.	निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Stake holders' Relationship Committee of the Board	02
5.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/	
	Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	06
6.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	03
7.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee)	03
8.	नामांकन एवं निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति	
	Nomination and Remuneration Committee of the Board	02
9.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	04
10.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/	
	Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	10
11.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/	
	Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases	03
12.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता)	
	Review Committee (Wilful Defaulters)	03

29.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय और प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं। कारोबार का व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण लागू किए गए हैं।

29.5 आभार

वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल में नामित किए गए श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक का निदेशक मंडल स्वागत करता है तथा बैंक के विकास की दिशा में उनके बहुमूल्य अवधारणाओं के लिए प्रतीक्षारत है।

29.4 Statement of Director's Responsibility:

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2020, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2020. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

29.5 Acknowledgements:

The Board welcomes the Executive Director, Shri Ajay Vyas nominated on the Board during the year 2019-20 and look forward for his valuable inputs towards the growth of the Bank. The Board acknowledges the valuable contributions of Shri Charan Singh,

श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक; श्री अमित चटर्जी, निदेशक एवं श्री अनिल शर्मा, निदेशक जिनका कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूरा हुआ, के मूल्यवान अवदानों को निदेशक मंडल अभिस्वीकृत करता है। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकारियों को उनके समर्थन एवं मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल, अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं समनुरूप बैंकों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(ए. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 30 जून, 2020

Executive director; Shri Amit Chatterjee and Shri Anil Sharma, Directors whose tenure completed during the financial year 2019-20. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other financial institutions and correspondent banks for their co-operation.

The Board of Directors expresses its gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the staff unions/associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank.

By order of the Board of Directors

sd/-

(A. K Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 30th June, 2020

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त 8 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक

KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 8 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2020

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड	मार्च 2020	मार्च 2019	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2016	मार्च 2015	मार्च 2014	मार्च 2013
Business Parameters	**March 2020**	**March 2019**	**March 2018**	**March 2017**	**March 2016**	**March 2015**	**March 2014**	**March 2013**
कुल जमा/Total Deposits	193204	197907	181849	201285	207118	214337	199534	173431
कुल अग्रिम/Total Advances	114961	119573	123990	131655	135508	151812	153163	131569
कुल कारोबार/Total Business	308165	317480	305839	332940	342626	366149	352697	305000
निवेश/Investment	92915	83810	72590	74768	84512	69231	67846	52515
ब्याज आय/Interest Income	15134	14331	14020	16326	18561	19359	18230	16752
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	10042	10019	10895	12509	13713	13797	12171	12170
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	5092	4311	3125	3817	4848	5562	6059	4582
परिचालन लाभ/Operating Profit	4836	2760	1334	2926	3603	4910	4940	3357
निवल लाभ/Net Profit	-2437	-4321	-4436	-1851	-2799	1138	1511	618
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	59.50	60.42	68.18	65.41	65.43	70.83	76.76	75.86

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त 8 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं

FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 8 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2020

विवरण / Particulars	मार्च 2020	मार्च 2019	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2016	मार्च 2015	मार्च 2014	मार्च 2013
कारोबार मानदंड/Business Parameters	**March 2020**	**March 2019**	**March 2018**	**March 2017**	**March 2016**	**March 2015**	**March 2014**	**March 2013**
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	28.28	27.21	20.64	20.70	24.05	26.04	30.99	25.88
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	4.90	5.07	5.37	5.83	6.11	6.35	6.17	7.12
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	9.20	9.52	8.69	9.60	10.17	9.92	9.91	10.63
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.69	2.52	1.79	1.96	2.42	2.69	3.19	2.72
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III Capital Adequacy (%) BASEL - III	11.70	10.70	10.94	10.93	9.63	12.17	12.68	
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	99.79	102.81	98.40	107.26	111.35	121.24	121.87	116.95
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	13.70	13.69	12.74	13.48	13.81	15.51	15.28	13.43
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	16.77	25.00	24.64	17.12	15.43	6.76	4.32	5.42
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	5.45	9.72	13.10	8.94	9.09	4.30	2.38	3.17
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	-0.96	-1.84	-1.88	-0.75	-1.25	0.48	0.70	0.33
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	7.56	12.82	31.53	48.50	75.71	107.91	104.85	97.19
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	-3.10	-11.16*	-25.23*	-13.29*	-26.03	11.20*	19.44*	6.28*

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

कारोबार दायित्व रिपोर्ट
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

खंड क : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not applicable
2.	कंपनी का नाम/Name of the Company	यूको बैंक/UCO BANK
3.	पंजीकृत पता/ Registered address	10, वि.त्रै.म.सरणी, कोलकाता– 700 001 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
4.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
5.	ई-मेल आईडी / E-mail id	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष / Financial Year reported	2019-20
7.	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी सक्रिय है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	क्षेत्र : Sectors: 1. बैंकिंग सेवाएं / Banking Services 2. सरकारी कारोबार / Government Business 3. कृषि बैंकिंग / Agriculture Banking 4. रिटेल बैंकिंग / Retail Banking 5. कोष परिचालन / Treasury Operations 6. कारपोरेट बैंकिंग / Corporate Banking 7. मर्चेंट बैंकिंग / Merchant Banking 8. बीमा (एजेंसी व्यवसाय) / Insurance (Agency business)
8.	ऐसे तीन उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी निर्मित / आपूर्ति करती है List three key products/services that the Company manufactures/provides	यूको बैंक व्यापक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ देने में लगा है जिसमें रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग एवं कोष परिचालन शामिल हैं। UCO Bank is engaged in providing wide range of banking and financial services including Retail Banking, Corporate Banking and Treasury Operations.
9.	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी का कारोबार होता है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of International Locations ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का देश भर में 3086 शाखाओं का नेटवर्क है तथा विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर केंद्रों पर दो विदेशी शाखाएँ हैं। As on 31.03.2020, UCO Bank has a net-work of 3086 branches spread across India and 2 overseas branches situated at Hong Kong and Singapore centres.
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय Markets served by the Company - Local/State/National/ International	यूको बैंक का ग्राहक वर्ग देशी एवं विदेशी केंद्रों में स्थित है। UCO Bank has clients in National and International locations.

खंड ख : कंपनी का वित्तीय ब्योरा / SECTION B : FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	प्रदत्त पूँजी / Paid up Capital	₹9918.34 करोड़ / crores
2.	कुल टर्नओवर (आईएनआर) / Total Turnover (INR) :	₹308165 करोड़ / crores
3.	कर पश्चात कुल हानि (आईएनआर) Total Loss after taxes (INR) :	₹2436.83 करोड़ / crores
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया कुल व्यय (सीएसआर) कर के बाद लाभ का प्रतिशत Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹4.68 करोड़ / crores
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है : List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :	बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यकलाप संचालित किए। इनमें से कुछ की सूची सिद्धांत 8 के तहत दी गई है। Bank took up several activities under Corporate Social Responsibility. Few of the activities are listed under Principle 8.

खंड ग : अन्य ब्योरे / SECTION C : OTHER DETAILS

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं **?** Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	नहीं / No
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ वर्तमान कंपनी की कारोबार दायित्व पहल में शामिल होती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें : Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company (s):	लागू नहीं / Not Applicable
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (यथा आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के कारोबार दायित्व में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%) :	नहीं / No

खंड घ : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के प्रति उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

क) कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

- नाम : श्री अजय व्यास
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे

SECTION D : BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR Policy/Policies.

- Name : Shri Ajay Vyas
- Designation : Executive Director

b) Details of the BR head

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआईएन (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री टी बी नेगी
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	033 44558060
5	ई-मेल आईडी	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri T B Negi
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	033 44558060
5.	E-mail id	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

2. सिद्धांतवार कारोबार दायित्व नीति/नीतियाँ / Principle-wise BR Policy/policies

क्र.सं. Sr.No.	प्रश्न / Questions	राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के सिद्धांत Principles of National Voluntary Guidelines (NVG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.	क्या उक्त सिद्धांत हेतु आपकी कोई नीति/नीतियाँ हैं ? Do you have a policy/policies for the said principle?	हाँ / Yes
2.	क्या यह नीति संबद्ध जोखिम धारकों के परामर्श से बनाई गई है ? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हाँ / Yes
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? Does the policy conform to any national /international standards?	बैंक की कारोबार दायित्व नीतियाँ सामान्यत: भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर सम्यक विचार कर बनाई जाती हैं। The Business Responsibility Policies of the Bank are formulated duly considering the guidelines issued by Government of India, Reserve Bank of India from time to time.
4.	क्या यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? Has the policy being approved by the Board?	हाँ / Yes
5.	क्या नीति की कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है ? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हाँ / Yes
6.	नीति की ऑनलाइन देखी जानेवाली लिंक का उल्लेख करें ? Indicate the link for the policy to be viewed online?	https://www.ucobank.com/about-us
7.	क्या इस नीति को सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हां। कारोबार दायित्व सिद्धांतों से संबंधित नीतियां बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। हितधारकों को विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म/ संचार के अन्य साधनों द्वारा इन नीतियों के संबंध में भी सूचित किया जाता है। Yes. The policies relating to the Business Responsibility principles are uploaded on the Bank's website. Stakeholders are also kept informed about these policies through various social media platforms/other means of communication.
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	हाँ / Yes
9.	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हाँ / Yes
10.	क्या किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/आकलन करवाया है? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	कारोबार दायित्व के सिद्धांतों के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यकलापों को उनकी समीक्षा/आकलन के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। The activities taken up by the Bank under the principles of Business Responsibility are reported to the Board/Top Management for its review/evaluation.

3. बीआर से संबंधित अभिशासन/Governance related to BR

कंपनी के बीआर निष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएँ। 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक । Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3-6 months, Annually, More than 1 year	वार्षिक/ **Annually**
क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है? Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	बैंक वर्ष में एक बार बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक है http://www.ucobank.com/about us Bank publishes BR report annually. The hyperlink for viewing the report is http://www.ucobank.com/aboutus

खंड ड. : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

बैंक की कारोबार नीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत मूल्यों के ताने बाने से बनाई गई हैं। कारपोरेट अभिशासन मानकों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट' भाग में देखी जा सकती है।

बैंक ने निदेशक मंडल में मौजूद अपने निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता बनाई है जिनमें सत्यनिष्ठ एवं नैतिक आचार के उच्चतम मानकों का अनुपालन विहित किया गया है। इसमें वैयक्तिक और व्यावसायिक संबंधों के वास्तविक अथवा आभासी हितपरक टकरावों के साथ निर्वाह की समुचित और नैतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 बनाए हैं जिनमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के आचार की मर्यादा दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार के संबंध में मूलत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग (लिंक :http://cvc.nic.in/ man04.pdf) द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति बनाई है जिसके माध्यम से उचित सेवा, डिलिवरी एवं मेकैनिज्म की समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। यह नीति बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ग्राहक सेवा में सुधार संबंधी नीति की समीक्षा और बैंक द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है।

बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया है ताकि बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण के सर्वोच्च तंत्र द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सभी शिकायतों की जांच की जा सके।

SECTION E : PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

The Bank's business policies are woven around the core values of transparency and professionalism. Details of Corporate Governance standards are specified in the 'Report on Corporate Governance' section of annual report.

Bank has laid down Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management that envisages adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. Board of the Bank framed UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 which envisages conduct of the officer employees of the Bank.

Besides the above, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf) in relation to ethics, bribery and corruption.

Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, with an aim to minimise instances of customer complaints and grievances through proper service, delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The Policy is made available on Bank's website.

Customer Service Committee of the Board has been constituted for review of policies in regard to improving customer service and also to examine issues having a bearing on the quality of customer service rendered by the bank.

Further to strengthen the internal Grievance Redressal mechanism of the Bank, Internal Banking Ombudsman (IO) has been appointed by the Bank to examine all the complaints which were rejected or partially accepted by the highest level of Bank's internal redressal machinery.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर प्रतिक्रियाः Response to principle-wise performance :

क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है? Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?	नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियाँ बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं । बैंक का कोई सहयोगी निकाय या संयुक्त उद्यम नहीं है। The policies relating to ethics, bribery and corruption covers the Bank and its employees. Bank does not have subsidiaries or joint ventures.
पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत शिकायतें प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं? How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?	बैंक ग्राहकों की शिकायतें के निवारण को मजबूत करने के उपाय कर रहा है तथा 'मानकीकृत लोक शिकायत समाधान प्रणाली (एसपीजीआरएस) नामक ऑनलाइन ग्राहक शिकायत निवारण मॉड्यूल कार्यान्वित किया जा चुका है। The Bank is taking measures to strengthen Customer Complaints Redressal and had already implemented a web based on-line customer redressal module called 'Standardized Public Grievance Redressal system'(SPGRS).
वर्ष के प्रारंभ में शिकायतों की संख्या No. of Complaints at the beginning of the year	371
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of Complaints received during the year	23067
वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या No. of Complaints redressed during the year	22867
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending during the year	571
समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत Percentage of complaints redressed	97.52%

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो निरापद हों और अपने पूरे जीवन काल में धारणीयता बनाए रखें।

बैंक के पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएं है, चाहे वह कारपोरेट हो या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, कृषि, बुनियादी ढांचा या व्यक्तिगत खंड। बैंक प्रौद्योगिकी का बेहतरीन उपयोग करके समाज और ग्राहकों की वरीयताओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाता है। इस दिशा में बैंक द्वारा किए गए उपायों में से कुछ निम्नानुसार हैं।

- दिनांक 17.07.2019 को शिक्षा ऋण योजना 'यूको एस्पायर' प्रारंभ की गई जिसके तहत भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रम तथा विदेश में अध्ययन के लिए रु. 75 लाख तक का अधिकतम ऋण दिया जाता है।
- बैंक ने यूको बैंक-एसबीआई को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड प्रारंभ करने के लिए दिनांक 19.08.2019 को मेसर्स एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया।
- बैंक ने निम्नलिखित समाधान उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 06.02.2020 को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों इक्स्पेरियन तथा इक्विफैक्स के साथ करार किया:

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

Bank has variety of financial products and services for different sectors of the economy whether it is corporate or MSME sector, exports, agriculture, infrastructure or the personal segment. Bank continuously brings in innovation in its products and services for meeting the changing needs of the society and customer preferences by making best use of technology. Few of the measures taken up by the Bank in this direction are as under:

- "UCO Aspire", an Educational Loan Scheme launched on 17/07/2019 with maximum loan amount of Rs.75 Lacs for Medical Courses in India and Studies Abroad
- Bank has entered into MoU with M/s SBI Cards and Payment Services Limited on 19/08/2019 for launching UCO Bank-SBI Co-Branded Credit Card.
- Bank has tied up with credit information companies Experian and Equifax on 06/02/2020 for providing various solutions such as:

- ➢ मार्केट इनसाइट डैशबोर्ड
- ➢ एकाउंट रिव्यू/स्क्रब
- ➢ एसएमएस आधारित ग्राहक प्रोफाइलिंग

- बैंक ने टीएटी को घटाने तथा बेहतर जोखिम अंकन मानकों के लिए कोयंबतूर तथा कानपुर में नए आरएलएच खोले जिससे कुल आरएलएच की संख्या 31 हो गई।
- बैंक ने दिनांक 26.09.2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के लिए वैयक्तिक ऋण योजना की शुरुआत की।
- बैंक ने गुणवत्तापूर्ण आवास ऋण संग्रहण के लिए दिनांक 07.08.2019 से मार्केटिंग एसोसिएट्स को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।
- आवास ऋण जैसे विभिन्न उत्पादों तथा उसकी प्रक्रिया में सुधार/बदलाव/युक्तिसंगत किया गया।
- 'रिटेल तथा एमएसएमई खंड में ऋण बढ़ाने के लिए बैंक ने 'यूको कार्निवाल' अभियान शुरू किया जो 21.03.2020 तक चला। इस अभियान के दौरान केवल रिटेल क्षेत्र में कुल रु. 2964 करोड़ तथा केवल एमएसएमई क्षेत्र में रु. 1348 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए गए।
- त्वरित चुकौती हेतु एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की:
  - ➢ मीयादी ऋण के मामले में, सभी पात्र एमएसएमई की अंतिम किश्त को माफ करना
  - ➢ कैश क्रेडिट के मामले में, सभी पात्र एमएसएमई के नवीकरण प्रभार में 25% की छूट
- घटे हुए टीएटी के साथ एमएसएमई क्षेत्र को निधि उपलब्ध कराने के लिए आठ एसएमई हब स्थापित किए गए।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों की सह-व्युत्पत्ति के लिए बैंक ने दिनांक 17.02.2020 को मेसर्स श्रेई इक्विप्मेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसआरईआई) के साथ समझौता किया।
- ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बिलों की डिस्काउंटिंग के लिए बैंक ने दिनांक 14.11.2019 को एम1एक्सचेंज तथा इनवायसमार्ट के साथ समझौता किया। वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर रु. 65.05 करोड़ के कुल 1525 बिलों की खरीद की गई।
- दिनांक 17.06.2019 को एमएसई के लिए विशेष योजना "यूको व्यापार समृद्धि" शुरू की गई जिसके तहत खुदरा व्यापारियों सहित एमएसई को रु. 1 करोड़ तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण सस्वीकृत किए जाते हैं।
- बैंक के डिजिटल उत्पादों को ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज तैयार किया गया।
- बैंक ने मोबाइल एप्प के साथ अपने संवृद्ध ऑनलाइन शुल्क संग्रहण मॉड्यूल तथा व्यापारियों को वास्तविक समय पर एमआईएस रिपोर्ट की सुविधा की शुरुआत की।
- बैंक ने बैंकिंग से संबंधित विषयों के बारे में लोगों को प्रेरित तथा शिक्षित करने एवं अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल का उपयोग कर "यूको टेलीविंगर" प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।
- बैंक ने अपने उत्पादों यथा चालू खाते, वेतन खाते, रिटेल एवं एमएसएमई ऋण, पीओएस, ऑनलाइन शुल्क संग्रहण, डेबिट कार्ड आदि को बढ़ावा देने/ग्राहकों के बीच जागरूकता लाने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- बैंक ने ग्राहकों के बीच हमारे उत्पादों को बढ़ावा देने / जागरूकता के लिए तथा उन्हें व्यक्तिगत अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सभी शाखाओं में रिलेशनशिप इक्जिक्यूटिव को नामित किया।
- आकर्षक विशेषताओं के साथ एक नया उत्पाद यूको केयर प्लस चालू खाता शुरू किया गया।

- ➢ Market Insights Dashboard
- ➢ Account Review/Scrub
- ➢ SMS based Customer Profiling

- Bank has opened two new RLHs at Coimbatore and Kanpur to reduce TAT and to have better underwriting standards taking the tally of RLHs to 31.
- Bank introduced a Personal Loan Scheme for Bank of Baroda Employees on 26/09/2019.
- Bank has allowed empanelment of Marketing Associates for mobilising quality Home Loans w.e.f 07/08/2019.
- Improvising/Modifying/Streamlining various products like Home Loan etc. and processes.
- Bank launched "UCO Carnival" campaign valid up to 21/03/2020 to augment credit to Retail and MSME segment. Total Rs.2964 crores loans sanctioned exclusively to Retail sector and Rs.1348 Crores loans sanctioned exclusively to MSME sector during the campaign.
- To encourage MSMEs for prompt repayment, Bank has introduced incentive schemes as under:
  - ➢ In Case of Term Loans, waiver of last instalment to all eligible MSMEs.
  - ➢ In case of Cash Credit, waiver of 25% of renewal charges to all eligible MSMEs
- Eight SME Hubs have been established for funding to MSME sector with reduced TAT.
- Bank has tied-up with M/s Srei Equipment Finance Limited (SREI) for Co-origination of priority sector loans on 17/02/2020.
- Bank has tied up with M1Xchange and Invoicemart on 14/11/2019 for discounting of bills at TReDS Platforms. A total of 1525 bills were purchased amounting to Rs.65.05 Crores during FY 19-20 on this platform.
- A special scheme for MSEs "UCO Vyapar Samridhi" launched on 17/06/2019 where collateral free loans up to Rs.1 crore are sanctioned to MSEs including Retail Traders.
- Bank's official Instagram page has been created to promote Digital products of Bank to customers.
- Bank has launched its enhanced Online Fee collection module with mobile app & real time MIS report for merchants.
- Bank has launched a platform called "UCO Telewinger" by using a dedicated Youtube channel to inspire and educate the people about banking related topics and to promote our products.
- Bank has run various outreach programmes and campaigns for promotion/customer awareness of our products such as Current Accounts, Salary accounts, Retail & MSME loans, POS, Online fee collection, Debit cards etc.
- Bank has designated Relationship executives at all branches for promotion/customer awareness of our products to customers and also provide personalized experience to them.
- A new product UCO CARE PLUS current account is launched with attractive features.

सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन पर जवाबः / Response to principle-wise performance:

अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया हैः List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and /or opportunities :	बैंक सतत विकास में विश्वास रखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि इसका कारबार मॉडल पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके लिए बैंक ने यह दिशानिर्देश जारी किए हैं कि किसी भी मीयादी ऋण के संवितरण के पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उधारकर्ता द्वारा, जब भी आवश्यक हो, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी अनिवार्य सांविधिक तथा अन्य अनुमोदन/अनुमति प्राप्त किए जाते हैं। बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिसमें सामाजिक सरोकार तथा सुविधाएं शामिल हैं: • स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) • वित्तीय साक्षरता केंद्र The Bank believes in sustainable development and ensures that its business model incorporates environment protection. Towards this concern, Bank has put in place guidelines that before the disbursement of any Term Loan, it should be ensured that, whenever required, all necessary statutory and other approvals/permissions including those from Pollution control boards have been obtained by the borrower. Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities : • Self Help Groups and Joint Liability Groups • Kisan Credit Card (KCC) • Financial Literacy Centres
ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें : उत्पाद की इकाई (वैकल्पिक) डालेंः For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) put unit of product (optional) : i) मूल्य श्रृंखला भर में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान कमी? Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) कम उपयोग किया जाना। Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	 लागू नहीं / Not Applicable लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? यदि हां, तो स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की क्षमता तथा सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?	लागू नहीं / Not Applicable

क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रिसायकल करने का कोई तंत्र है? यदि हॉ तो, उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें। Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If year, that is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	बैंक एक विनिर्माण इकाई नहीं है और इसके कार्यालयों में उत्पन्न कचरे का प्रबंधन कचरे के निपटान की प्रक्रियाओं का पालन करके किया जाता है। Bank is not a manufacturing unit and the waste generated in its offices is managed by following the procedures for disposal of wastes.

सिद्धांत 3: कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन होना चाहिए।

- यूको बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंधन संबंध (एमआर) नीति तथा औद्योगिक संबंध (आईआर) नीति के पालन द्वारा कर्मचारियों के हितों को बनाए रखता है तथा उसे बढ़ावा भी देता है। कर्मचारी अपने एसोसिएशन का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक में प्रबंधन तथा यूनियन/एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। पारस्परिक सहयोगपूर्ण मनोभाव तथा सद्भावना के साथ आवधिक अंतराल पर यूनियन/एसोसिएशन के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा विचार-विमर्श किए जाते हैं।
- कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं जिसके द्वारा भर्ती के समय तथा पदोन्नति के दौरान जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, धर्म, दिव्यांगता या यौन अभिविन्यास से ऊपर उठकर समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- यूको बैंक अपने कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं का उनके कार्य-जीवन में संतुलन का ध्यान रखता है। मातृत्व अवकाश, सबैटिकल अवकाश, स्पाउस स्थानांतरण, एकबारगी महिला अधिकारी स्थानांतरण आदि कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखा जाता है।
- यूको बैंक बराबरी तथा बिना भेदभाव के सभी कर्मचारियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है जिससे उनका कौशल एवं क्षमता लगातार बेहतर हो सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर अनुमोदित किया जाता है जिससे पूरे वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों का कौशल उन्नयन होता रहे।

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

- UCO Bank maintains and promotes the well-being of employees by following Board Approved Management Relation (MR) Policy & Industrial Relation (IR) Policy. Employees are free to choose their associations. The Industrial Relations climate in the Bank is cordial between the Management and the Unions/Associations. Meetings and discussions are held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect.
- Employee recruitment and promotion policies are approved by Board which provides equal opportunities at the time of recruitment as well as during the course of promotion irrespective of caste, creed, gender, race, religion, disability or sexual orientation.
- UCO Bank take cognizance of the work-life balance of its employees, especially that of women. Maternity leave, Sabbatical leave, spouse transfer, one-time Lady officer transfer, etc. are various processes through which work-life balance is maintained.
- UCO Bank provides continuous skill and competence upgrading of all employees by providing access to necessary learning opportunities, on an equal and non-discriminatory basis. Training calendars are approved by the competent authority for providing skill up-gradation for all employees throughout the year.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं Please indicate the total number of employees	22436
2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं (वर्ष के दौरान) Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis (during the year)	0
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं Please indicate the number of permanent women employees	5832
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाली स्थाथी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं (वर्ष के दौरान) Please indicate the number of permanent women employees with permanent disabilities	89
5. क्या आपके यहा प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारि एसोसिएशन है Do you have an employee association that is recognized by the management.	हां / Yes
6. आपके स्थाथी कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं ? What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association ?	87.66%

<table>
<tr>
<td rowspan="4">7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या बताए।

Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.</td>
<td>क्र.सं.

SN</td>
<td>श्रेणी

Category</td>
<td>वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या

No. of complaints filed during the financial year</td>
<td>वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या

No. of complaints pending as on the end of the financial year</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम
Child labour/forced labour/involuntary labour</td>
<td>शून्य
Nil</td>
<td>शून्य
Nil</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>यौन उत्पीड़न
Sexual harassment</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>भेदभावपूर्ण रोजगार
Discriminatory Employment</td>
<td>अजा/SC - 03
अजजा/ST - 01
दिव्यांग/PWD - 01</td>
<td>शून्य
Nil</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">8. पिछले वर्ष में नीचे दिए गए आपके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?

What percentage of your under mentioned employees were given safety and skill up-gradation training in the last year?</td>
<td colspan="2">क) स्थायी कर्मचारी
a) Permanent Employees</td>
<td colspan="2">हमारे कोलकाता स्थित सेंट्रल स्टाफ कॉलेज तथा 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ पूरे देश में स्थित अंचल कार्यालयों द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 16944 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 578 कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।
16944 employees were trained in Internal Training programmes conducted at our Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 7 Regional Training Centres, as well as Zonal Offices across India. 578 employees were trained in External Training programmes</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">ख) स्थायी महिला कर्मचारी
b) Permanent Women Employees</td>
<td colspan="2">4866</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी
c) Casual/Temporary/ Contractual Employees</td>
<td colspan="2">0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">घ) दिव्यांग कर्मचारी
d) Employees with disabilities</td>
<td colspan="2">457</td>
</tr>
</table>

सिद्धांत 4: कारोबारियों को चाहिए कि वे सभी हितधारकों, खासकर वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के हितों का आदर करें और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।

बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ संबंध रखता है। इसके लिए वह अपने द्वारा पेश की गई सेवाओं में नवोन्मेष बढ़ाते हुए उनको समझ-बूझकर निर्णय लेने के अवसर देता रहता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक अपने हितधारकों, जैसे निवेशकों और हितधारकों, ग्राहकों और क्लाएन्टों, कर्मचारियों, सरकार एवं नियामकों, समुदायों तथा एनजीओ के साथ निरंतर संपर्क रखता है। ग्राहक सेवा में उत्तमता हासिल करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे रिलेशनशिप प्रबंधकों की नियुक्ति, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चौबीसों घंटे के कॉल सेंटरों की स्थापना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा बैंक के उत्पादों से जुड़ी विशिष्टताओं के बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। बैंक ने कर्मचारियों से संपर्क करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए पोर्टल बनाए हैं।

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised

Bank builds strong relationship with internal as well as external stakeholders by continuously engaging with them for making informed decisions in enhancing innovation in services offered. Bank at its various levels frequently engages with its stake holders viz. Investors and Shareholders, Customers and Clients, Employees, Government and Regulators, Communities and NGOs. To achieve excellence in customer service, Bank has taken up measures like appointment of Relationship Managers, establishment of 24 x 7 Call centre to address any queries of the customers, conducting training programmes to employees and educating customers about various special features associated with the products of the Bank. Bank has developed portals to communicate with the employees and to enrich their knowledge.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

क्या कंपनी ने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हाँ। Has the company mapped its internal and external stakeholders?	हाँ / Yes ● हितधारकों को कई श्रेणियों यथा सरकार, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान / बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड में वर्गीकृत किया गया है। Shareholders are classified into different categories viz. Government,Foreign Institutional Investors, Financial Institutions/Banks,Insurance Companies, Mutual Funds. ● ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मिड-कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में बांटा गया है। Customers are segmented into Large corporate, Mid-corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ● मानव संसाधन प्रबंधन विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखता है। HRM Dept. looks after the interest of the bank employees.
उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है? Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?	हाँ / Yes बैंक ने वंचित, कमजोर तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है जिसमें लघु एवं सीमांत किसान, किराएदार और पट्टे वाले किसान, भूमिहीन श्रमिक तथा ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर / पॉवर टिलर ऋण, मत्स्यपालन ऋण, पीएमजेडीवाई, ओवरड्राफ्ट आदि जैसी विशेष ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities viz. Kisan Credit Card, Tractor/Power Tiller Loan, Fishery loan PMJDY Overdraft Facility etc.
क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अपने साथ लेकर चलने की कोई विशेष पहल की है ? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	बैंक का मानना है कि हाशिए पर पड़े, बैंकरहित और वित्त सहायता से रहित व्यक्तियों को मदद देने से वे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में योगदान देंगे। सीमांत वर्गों को मजबूत करने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं में एक इच्छुक भागीदार रहा है और वंचित और सीमांत हितधारकों के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं के साथ आया है। छोटे / सीमांत किसानों को अनुदानित दर पर ऋण दिया जाता है। सूक्ष्म / लघु उद्यम, महिला एसएचजी, अल्पसंख्यक समुदाय और महिला लाभार्थी बैंक समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी), वित्तीय साक्षरता केंद्र जैसे विभिन्न ट्रस्ट / केंद्र चला रहे हैं।

	The Bank believes that helping the marginalized, unbanked and financially excluded will enable them to contribute productively to the economy. Access to basic financial services is crucial to strengthen marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. The Bank is an active participant in various Government Schemes and has come out with products and services designed for disadvantaged and marginalised stakeholders. Loans are given at subsidized rates to small/marginal farmers. Micro/small enterprises, Women SHG's, minority community and women beneficiaries The Bank is running various Trusts/Centres such as Rural Self Employment Training Institutes (RSETI's), Financial Literacy Centres in order to empower the marginalised sections of society.

सिद्धांत 5 : कारोबारियों को चाहिए कि वह मानव अधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करें।

- यूको बैंक भारत के संविधान, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों तथा मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल में अंतर्निहित मानवाधिकार को समझता है। कारोबारियों को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मानव अधिकार अंतर्निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित प्रकृति के हैं।
- यूको बैंक ने उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए अंचल स्तर और शीर्ष स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति बनाई है जिससे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सुरक्षित और निरापद महसूस करते हैं।

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

- UCO Bank understands the human rights content of the Constitution of India, national laws and policies and the content of International Bill of Human Rights. Businesses should appreciate that human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature.
- UCO Bank created Internal Complaints Committee at Zonal Level & Apex Level to deal with any sexual harassment complaints to ensure a harassment free workplace where employees feel safe and secure in discharging their responsibilities

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

कंपनी मानवाधिकार नीति में मात्र कंपनी शामिल है या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	नीति सभी के लिए लागू है। The policy is applicable to all.
पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं? How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें: 23067 Total complaints received during the FY 2019-20 : 23067 दूर की गई शिकायतें: 97.52% Complaints Redressed : 97.52%

सिद्धांत 6 : कारोबारी पर्यावरण का सम्मान, रक्षा और उसे बचाने के प्रयास करें।

यूको बैंक अपनी न्यायसंगत एवं चेतना के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने हेतु हर तरह के अवशिष्टों को दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है।

सभी जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक चैनेल यथा एटीएम, ई- बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि का उपयोग करते हुए कागजरहित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रकृति एवं हरियाली का संरक्षण हो सके। ग्राहकों को ई-विवरणी प्रदान की जा रही है एवं हितधारकों के साथ ई- पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है फलस्वरूप कागज के उपयोग में काफी कमी आई है।

Principle 6: Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment

UCO Bank, with due consideration and consciousness towards protecting the environment, is striving for the use of reducing the waste in all fronts.

All depositors are encouraged to do paperless transactions by using electronic channels such as ATM, E-banking, RTGS/NEFT etc. which greatly reduce the use of paper thereby conserving the nature and greenery. The customers are provided with e-statement and efforts are being made for maximising the use of e-correspondence with all stakeholders thus minimising the use of paper.

जिन परियोजनाओं को पर्यावरण से संबंधित अनापत्तिपत्र प्राप्त करना वांछित है उन्हें वित्तपोषित करते समय बैंक ने उधारकर्ताओं को पर्यावरण की रक्षा करने को ध्यान में रखते हुए सभी मानदंडों का अनुपालन करने पर जोर डाला। पुनः परियोजना जो टिकाऊविकास के रूप में पर्यावरण के लिए चिंता दिखाती है उन्हें रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने, अपशिष्ट न्यूनीकरण करने एवं प्रदूषण संरक्षण करने पर जोर डाला गया।

बैंक कार्बन के उत्सर्जन और विकिरण से बचने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में वातानुकुलन मशीनों में इको फ्रेंडली रेफ्रिजेरेंट गैस, ग्रीन जेनेरेटर, सीएफएल लाइट का उपयोग करते हुए आंतरिक रूप से भी पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। बैंक की जिन शाखाओं में बार-बार बिजली कटती रहती है वहां सौर उर्जा का उपयोग किया जा रहा है। बैंक के कुछ फिक्सचरों में अनुपयोगी लकड़ी के उत्पादों से बने पुनर्नवीनीकरण एमडीएफ/पार्टिकल बोर्ड जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए गए। बैंक के सभी नए उपक्रमों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बारिश के पानी का संग्रहण किया गया।

जेनरेटर जनित प्रदूषण को रोकने के लिए जेनरेटर के स्थान पर हमारा बैंक पावर बैक अप के रूप मैं इंवर्टर का इस्तेमाल शुरू कर रहा है।

While financing those projects which require environmental clearances, bank insists compliance, by borrowers, of all related stipulations in order to protect the environment. Further, the projects that show concern for environment in the form of sustainable development, use of renewable natural resources, waste minimisation and pollution prevention are encouraged.

Bank also involves in the preservation of environment internally by using eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, green generators and CFL lights in several of its offices to avoid carbon emissions and radiation. Bank is also exploring the use of solar energy for branches where power failures take place very frequently. Recycled MDF/Particle Boards made of discarded wooden particles are used for the use of bank's furniture at some locations. In all the new ventures of Bank, rain water harvesting is being undertaken to preserve the ground water level.

Further our Bank is introducing use of Inverters as power back up in place of Generator in Branches/ Offices to prevent pollution caused by the generators.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others.	लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है। Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.
क्या कंपनी में पर्यावरणीय बदलाव, वैश्विक ताप आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए नीतियाँ/पहल हैं ? Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc?	उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और पकड़ करती है ? Does the company identify and assess potential environmental risks?	उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? Does the company have any project related to Clean Development Mechanism ?	कोई नहीं / None.
क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई पहल की है ? Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.	लागू नहीं / Not Applicable.
रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न निकासी पदार्थ/कचरा सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमत सीमाओं के अंदर हैं ? Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported ?	लागू नहीं / Not Applicable.
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/वैध नोटिसों की संख्या जो लंबित (यानी जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं ? Number of show cause/legal notices received from Central pollution control Board/State Pollution Control Board which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	शून्य / Nil

सिद्धांत 7: सार्वजनिक नियामक नीतियों को प्रभावित करने में कारोबारियों को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए।

बैंक नियामक नीति के कार्यकारी ढाँचे के भीतर अपने उत्पादों और सेवाओं का स्वरूप निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक विकास की ओर उन्मुख करना है। बैंक के निदेशक मंडल ने अपने प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रचार नीति निर्मित की है। इसमें राष्ट्र के जन-जन के बीच बैंक के उत्पादों, सेवाओं और पहलों आदि को लोकप्रिय बनाने के दिशानिर्देश निहित हैं।

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

Bank designs its products and services within the frame work of the regulatory policy and with the objective to bring in economic development of the country. The Board of the Bank has laid out a Publicity Policy for implementation of the Publicity & PR related activities. It contains the guidelines for popularising the Bank's Products, Services and Initiatives etc among masses across the Nation.

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:

क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संगठनों का नाम बताएँ जिनसे आपका कारोबारी व्यवहार होता हैः Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with :	हां / Yes. बैंक निम्नलिखित का सदस्य है / Bank is a member of : • भारतीय बैंक संघ (आइबीए) Indian Banks Association (IBA) • इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) National Institute of Bank Management (NIBM) • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) National Payments Corporation of India (NPCI) • बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) Banks Board Bureau (BBB)
क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/पैरवी की है? यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्सः अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य) Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	बैंक इन संघों के साथ मिलकर काम करता है और नीति निर्माताओं के लिए आर्थिक, वित्तीय और समावेशी विकास नीतियों पर इनपुट देता है। Bank closely works with these associations and gives inputs on economic, financial and inclusive development policies for the policy makers.

सिद्धांत 8 : कारोबारी समावेशी उन्नति और एकसमान विकास का समर्थन करें।

बैंक ने व्यापक रूप से वंचित वर्गों को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली की छत्रछाया में लाने के उद्देश्य से अपना योगदान दिया है। इसके पीछे लक्ष्य यह रहा है कि अब तक अर्थजगत की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को आगे लाया जाए। बैंक ने भारत सरकार द्वारा अभियान की शक्ल में चलाई जा रही वित्तीय समावेशन परियोजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" में अब तक 85.75 लाख खाते खोल दिए हैं और ₹ 2833.98 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। इन प्रमंजधयो खातों में औसतन ₹ 3304.58 रुपये की जमाराशि है।

बैंक ने 180044 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ओवर ड्राफ्ट सुविधा देते हुए देश के बैंकविहीन लोगों को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने में भारत

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

Bank contributed largely to the objective of bringing the excluded masses under the umbrella of structured banking system with an aim to inculcate saving habit among the people who are so far excluded from the economic mainstream and to cater to the credit needs of people below the poverty line. Bank has so far opened more than 85.75 lakh accounts under the Government of India's mission mode financial inclusion project "Pradhan Mantri Jan DhanYojna" and mobilized Rs. 2833.98 crore with average balance of Rs. 3304.58 in these PMJDY accounts.

Bank took part in the initiative of Government of India in providing micro credit facility to unbanked people of the country through

सरकार की पहल में भाग लिया। इसमें कुल मिलाकर रु. 36.55 करोड़ की राशि लगी।

successful implementation of Over Draft Facility to 180044 PMJDY account holders involving aggregate sanctioned amount of Rs. 36.55 crore.

अब तक बैंक विहीन रही आबादी को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर काम करते हुए, बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा एवं पेंशन उत्पाद यथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) लागू कीं। पीएमजेबीवाई के तहत, 9.75 लाख ग्राहकों का बीमा किया गया है और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 19.57 लाख लोगों का बीमा किया गया है। पीएमजेजेबीवाई के तहत अब तक कुल 4155 दावों को निपटाया गया है, और 987 दावों को पीएमएसबीवाई के तहत निपटाया गया है। इसके अलावा साल के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल 3.29 लाख ग्राहक संख्या पार कर ली गई है।

Working on the Government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti BimaYojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMJBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY Scheme, 9.75 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 19.57 lakh lives are insured. So far a total of 4155 claims are settled under PMJJBY scheme and 987 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 3.29 lac till year end.

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरु की है। किफायती आावास उपलब्ध करने के सरकार के विजन को पूरा करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 31.03.2020 को अपने मकान के स्वप्न को पूरा करने के लिए 2410 हिताधिकारियों को रु. 5,250 लाख का ब्याज अनुदान संवितरित किया है।

Government of India has launched Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) with an aim to provide housing for all in urban areas by 2022. In fulfilling Government's vision of affordable housing, Bank has signed Memorandum of Understanding with National Housing Bank for implementation of Scheme. As of 31/03/2020, Bank has fulfilled the dream of owning a house of 2,410 beneficiaries by disbursing Rs. 5,250 Lacs towards the interest subsidy.

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

Corporate Social Responsibility

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बैंक ने अनेक कार्यक्रम/पहल कार्यान्वित किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. बैंक के पास देश भर में 29 आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) हैं, जो उद्यमिता विकास की दिशा में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने पूरे भारत में 27 आर-सेटी में शुद्ध आधार पर रु. 4,06,63616.29 व्यय किए हैं।

2. यूको बैंक ने बेंगलुरु में नेशनल एकेडमी ऑफ आरयूडीएसइटीआई के लिए भवन निर्माण में रु. 54,00,000/- का अंशदान दिया है।

3. जयपुर में दो सरकारी स्कूलों में पूरे एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वंचित बच्चों को मध्यांतर भोजन खिलाने हेतु अक्षयपात्र फाउंडेशन को रु. 3,59,700/- की वित्तीय सहायता दी गई।

4. पटना में कुसुम फाउंडेशन ट्रस्ट को रु. 4,76,500/- के 10 नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त डेस्कटॉप कंप्यूटर दान में दिए गए।

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/ initiatives areas under:

1. The Bank has 29 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) spread across nation to impart training and skill upgradation of rural youth geared towards entrepreneurship development. During the financial year 2019-20, the Bank has incurred Rs.4,06,63,616.29 on a net basis in 27 RSETI's across India.
2. UCO bank has contributed Rs.54,00,000/- towards construction of Building for National Academy of RUDSETI at Bangalore.
3. Extended financial support of Rs.3,59,700/- to The Akshaya Patra Foundation for feeding Mid-Day meals to under privileged children in two Govt. schools in Jaipur for one complete academic year.
4. Donated 10 latest technology desktop computers worth Rs. 4,76,500 to Kusum Foundation Trust in Patna.

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी)

RURAL SELF EMPLOYMENT INSTITUTES (RSETIS)

ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरसेटी) देश भर के 27 अग्रणी जिलों में स्थापित हैं। यूको बैंक के तत्वावधान में यूको डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित ये संस्थान स्थायी आजीविका के साथ स्वरोजगार लेने के लिए बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, प्रेरित और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण परिणाम लाने के लिए मानक प्रशिक्षण सुविधाओं और इनपुटों को जोखिमधारकों की विविधता के समर्थन के साथ प्रदान किया जाता है। आरसेटी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बैंक और राज्य सरकार के बीच एक तीन-तरफा साझेदारी है। कार्यक्रम के

Rural Self Employment Institutes (RSETIs) established in 27 lead districts across the country and managed by UCO Development Trust under the aegis of UCO Bank are operating with objectives of identifying, training, motivating & facilitating unemployed youth to take up Self Employment with sustainable livelihood. To bring in quality outcome, standardized training infrastructure and inputs are provided with the support of stake holder's multi diversity. RSETI is a three way partnership between the Ministry of Rural Development, Govt. of India, the Bank and the State Govt. As

अनुसार राज्य सरकार एक एकड़ भूमि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक आरसेटी भवन के निर्माण के लिए 1.00 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। बीपीएल / एसईसीसी ऑटो समावेश सूची के तहत उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की लागत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम एनआरएलएम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और इसके निर्धारित नियमों के संशोधित नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। आशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार सेटेलमेंट प्रतिशत तथा ऋण लिंकेज प्रतिशत के साथ प्रतिपूर्ति सम्बद्ध की जाती है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आरसेटी के लिए व्यय का विवरण यहां दिया जा रहा है;

(क) राजस्व व्ययः ₹16,55,440/-

यह राशि एनआरएलएम से बीपीएल / एसईसीसी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और केवीआईसी / अन्य एजेंसियों से प्राप्तियों के लिए व्यय दावों की प्रतिपूर्ति के साथ नेट की गई है।

(ख) पूंजीगत व्ययः ₹4,63,47,039/-

(राशि वास्तुकारों / ठेकेदार / एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए गए बिलों के आधार पर आरसेटी के भवन निर्माण के लिए खर्च की जाती है)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ₹4,80,02,479/- (रुपये चार करोड़ अस्सी लाख दो हजार चार सौ उन्यासी मात्र) का व्यय किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

वित्तीय साक्षरता के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन वर्षों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशन निधि के समर्थन से नौ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 80 सीएफएल स्थापित करने का निर्णय लिया है। पायलट प्रोजेक्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान किए गए एनजीओ / एजेंसियों के सहयोग से बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। बैंक परियोजना की समग्र व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि चिन्हित गैर सरकारी संगठन आबंटित ब्लॉकों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का निष्पादन करेंगे।

इस संबंध में डीएचएएन फाउंडेशन के सहयोग से यूको बैंक को पायलट प्रोजेक्ट के निष्पादन करने वाले बैंक के रुप में चुना गया है। आरबीआई ने ओडिश के भद्रक जिले के तहत पांच ब्लॉक और ढेंकनाल जिले के तहत पांच ब्लॉकों को सीएफएल परियोजना की स्थापना के लिए यूको बैंक को आवंटित किया है। यूको बैंक ने इस उद्देश्य के साथ सीएफएल परियोजना शुरू की हैः

- घरेलू बजट बनाने और वित्तीय लेनदेन का अभिलेख बनाने की आदत को विकसित करने के लिए।
- बचत खाते में लेन-देन को प्रोत्साहित करना और बैंक में सावधि जमा/ आवर्ती जमा में जमा करके सक्रिय बचत करना।
- जब भी आवश्यकता हो लोगों को वित्तीय संस्थानों से उधार लेना सुनिश्चित करना।
- बैंकिंग और बैंकिंग लोकपाल में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करना अर्थात एनईएफटी, आरटीजीएस, आइएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि।
- लोगों को जीवन बीमा और पेंशन संबंधी उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

per the programme State Government provides land measuring around one acre and MoRD, Govt. of India gives a Grant-in-aid of Rs.1.00 crore for construction of each RSETI Building. The cost of training for candidates under BPL/SECC Auto Inclusion list are reimbursed as per revised rule of MoRD, GoI and its stipulations, under flagship programme NRLM of Govt. of India through SRLM. In the modified standard operating procedure reimbursement is linked with settlement percentage and credit linkage percentage.

The details of expenditure for RSETIs incurred during the FY 2019-20 are mentioned hereunder:

A. Revenue Expenditure: Rs. 16,55,440/-

The amount is netted with the reimbursement of expenditure claims from NRLM for trainings to BPL/SECC candidates and receivables from KVIC/other agencies

B. Capital Expenditure: Rs.4,63,47,039/-

(The amount is expended against Building Construction of RSETIs against the bills raised by Architect / Contractor / Agencies)

As stated above, the total amount of expenditure incurred is Rs.4,80,02,479/-(Rupees Four Crore Eighty Lac Two thousand four hundred seventy nine only) during the FY 2019-20.

Centre for Financial Literacy (CFL)

To explore innovative and participatory approaches to financial literacy, RBI has decided to commission a pilot project for three years and setting up 80 CFLs at block level across nine states with support from Financial Inclusion Fund through NABARD. The pilot project will be implemented by Banks in collaboration with NGOs/Agencies identified by RBI. The Banks would be responsible for overall governance of the project whereas the identified NGOs will execute the project as per stipulated guidelines in the allotted blocks.

In this regard UCO Bank has been selected as one of the Bank to execute the pilot project in collaboration with DHAN Foundation. RBI have allotted five blocks under Bhadrak district and five blocks under Dhenkanal district of Odisha to UCO Bank for setting up of CFL project. UCO Bank has undertaken the CFL project with the objective as follows:

- To inculcate the habit of making a household budget and recording financial transaction.
- Encourage transaction in saving account and active saving by depositing in bank through Fixed Deposit / Recurring Deposits.
- Ensure people to borrow from Financial Institutions whenever required.
- Create awareness about grievance redress mechanism in banking & Banking Ombudsman. Encourage transaction through electronic means viz. NEFT, RTGS, IMPS, Internet Banking, Mobile Banking, UPI etc.
- Encourage people to get Life Insurance and Pension related products.

- उत्पाद, प्रक्रिया और वित्तीय साक्षरता के संरक्षण पर लक्षित समुदाय के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना।

सीएफएल बजट की स्थापना के लिए सीएपीईएक्स और ओपेक्स के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के माध्यम से आवंटित किया गया था, जिसमें यूको बैंक को संचालन व्यय का 40% वहन करना पड़ता है और 60% नाबार्ड द्वारा वहन किया जाएगा। परिचालन व्यय के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए धन फाउंडेशन को प्रेषित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

- To facilitate in enhancing Knowledge, Attitude and Behaviour of target community on Product, Process and Protection of Financial Literacy.

In connection to the setting up of CFL budget was allotted for CAPEX and OPEX by RBI through NABARD wherein UCO Bank has to borne 40% of operation expense and 60% will be borne by NABARD. The details of amount remitted to Dhan Foundation for the FY 2019-20 for operational expenditure is as follows:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए (सीएफएल) ओपेक्स /(CFL) OPEX for FY 2019-20		
धन फाउंडेशन को विप्रेषित राशि Amount Remited to Dhan Foundation	नाबार्ड से प्राप्त दावा राशि (व्यय का 60%) Claim From NABARD (60% of Expenditure)	यूको बैंक का अंशदान (व्यय का 40%) Uco Bank Contribution (40% of Expenditure)
₹ 3696284/-	₹ 2217770/-	₹ 1478514

वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी)

वित्तीय साक्षरता वित्तीय उत्पादों की मांग बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इस पर विचार करते हुए नाबार्ड ने बैंकों के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न लक्षित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता जागरूकता प्रदान की है। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लक्षित समूह वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोग, वयस्क, किसान, स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, एसएचजी और उद्यमी थे। कार्यक्रम ई-लेन-देन करते समय अपनाए जाने वाले डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा उपायों पर होंगे।

यूको बैंक ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी) शुरूकिया है जो निम्नानुसार है:

- ➢ बीएसबीडी खाते, बचत बैंक, आवर्ती और सावधि जमा खाते खोलना।
- ➢ रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड जारी करना और सक्रिय करना।
- ➢ पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन।
- ➢ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी / आरटीजीएस, आईएमपीएस, बीएचआईएम-यूपीआई आदि के लिए पंजीकरण करके इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करना।

मासिक आधार पर प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा एफएएलपी आयोजित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए नाबार्ड से पूर्व मंजूरी लेनी होती है और अनुदान प्रतिपूर्ति के आधार पर होता है और इस प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम जारी नहीं किया जाएगा। एफएलपी के लिए अनुदान सहायता संरचना इस प्रकार है:

1. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसग़ढ, झारखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित कार्यक्रमों के लिए खर्च का 100% या 5000 रुपये इसमें, जो भी कम हो प्रति कार्यक्रम की सहायता।
2. पूर्वोत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए 100% व्यय या ₹6250 प्रति कार्यक्रम की सहायता इसमें जो भी कम हो उपलब्ध होगा।
3. उपर्युक्त सभी के अलावा अन्य सभी राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए प्रति कार्यक्रम किए गए व्यय के 60% की सहायता या, 5000 रूपये जो भी कम हो।

Financial Literacy Awareness Programme (FLAP)

Financial literacy is an important tool for creating demand for financial products. Considering this NABARD imparts financial literacy through banks to different target segments of population. The target groups for conducting programmes were newly inducted people in financial system, adults, farmers, school children, senior citizen, SHGs and Entrepreneurs. Programmes will be on digital literacy and safely measures to be adopted while doing e-transaction.

UCO Bank has undertaken the Financial Literacy Awareness Programme (FLAP) with the following objectives which is as follows:

- ➢ Opening of BSBD accounts, SB, Recurring and Term Deposit Accounts.
- ➢ Issuance and activation of RuPay Debit Cards and RuPay Kisan Cards.
- ➢ Enrolment for social security schemes viz. PMJJBY, PMSBY and APY.
- ➢ Encourage transactions through electronics means by registering them for Internet Banking, Mobile Banking, NEFT / RTGS, IMPS, BHIM-UPI etc.

Grant assistance is provided for conducting FLAP by each rural branches on monthly basis for which prior sanction has to be taken from NABARD and the grant is on reimbursement basis and no advance will be released for the purpose. The structure of grant assistance for FLAP is as follows:

1. Support 100% of expenditure or Rs.5000 per programme whichever is less for programmes conducted in J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands.
2. Support of 100% of expenditure or Rs.6250 per programme, whichever is less, would be available for programmes conducted in North Eastern States.
3. Support of 60% of the expenditure incurred per programme or Rs.5000 whichever is less for programmes conducted in all other states apart from the one mentioned above.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यूको बैंक का खर्च इस प्रकार है:

For the FY 2019-20, UCO Bank's expenditure for conducting Financial Literacy Awareness Programmes is as follows:

क्रम सं SI No	कुल ग्रामीण शाखाएं Total Rural Branches	फ्लैप का आयोजन करने में कुल व्यय Total Expenditure for conducting FLAP	नाबार्ड से प्राप्त/प्राप्त होनेवाला अनुदान Grant received/'ll be received from NABARD	यूको बैंक का अंशदान UCO Bank contribution
1070	11865	₹2,80,95,913/- (Feb 2020)	₹1,78,62,021/- (Dec 2019)	₹49,42,677/- (Dec 2019)

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

वित्तीय साक्षरता केंद्र बिल्डिंग ब्लाक हैं जो वित्तीय साक्षरता गतिविधियों को जमीनी स्तर पर शुरू करते हैं। बैंक बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहे हैं और एफएलसी ईको-सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के एफएलसी और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचालन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे।

यूको बैंक के पास 7 राज्यों में अग्रणी जिले हैं। इन जिलों में से अभी 29 एफएलसी काम कर रहे हैं। वित्तीय साक्षरता उपभोक्ताओं को औपचारिक उत्पादों और प्रदाताओं के लाभों को समझने और उन विकल्पों को अपनाने में सक्षम बनाती है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और पैसे के लिए अच्छे मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एफएलसी विभिन्न लक्षित समूहों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाता है। किसान, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, स्कूली बच्चे, एसएचजी, वरिष्ठ नागरिक आदि के रूप में वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता की पहल करने में प्रमुख हितधारक है। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के 7 प्रमुख जिलों में 29 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता काम कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफएलसी पर वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओ के वेतन पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है:

Financial Literacy Centre (FLC)

Financial literacy centres are the building blocks that initiate the financial literacy activities at the ground level. Banks are providing basic infrastructure and strengthening the FLC Eco-system. RBI had issued operational guidelines for conduct of financial literacy camps by FLCs and rural branches of banks.

UCO Bank has lead districts spreading over 7 states. Out of these districts 29 FLCs are functioning at present. Financial literacy enables consumers to understand the benefits of formal products and providers and to make choices that fit their needs and represent good value for money. FLC adopts a tailored approach for different target groups viz. Farmers, Micro and Small Entrepreneurs, as school children, SHGs, senior citizens etc. Financial literacy counselors are heading the Financial Literacy Centres (FLCs) is the key stakeholder in driving the financial literacy initiatives at the ground level. 29 financial literacy counselors are working in 7 lead districts of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan and Odisha.

The total expenditure towards salary for financial literacy counselors at FLCs for the FY 2019-20 is as follows:

क्रम सं Sl. No.	वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओ की संख्या No. of Financial Literacy counsellors	यूको बैंक द्वारा प्रदत्त राशि (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए) Amount paid by UCO Bank (for FY 2019-20)
1	35	₹75,22,985/-

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन पर उत्तर : / Response to principle-wise performance:

क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति का विशेषीकृत कार्यक्रम/ पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। Does the company have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्वयं का फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से चलाई जाती हैं? Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है? Have you done any impact assessment of your initiative?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above
सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि आइएनआर में और चालू परियोजनाओं के विवरण? What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above

क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?	**जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।** As explained above

सिद्धांत 9: कारोबारियों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उसे उसका मूल्य प्रदान करना चाहिए

ग्राहक को उनकी नब्ज समझकर उसे मुदित करना बैंक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए बैंक ने अपने ग्राहकों की अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जो कुछ अनुभव किया है, उसे गौर से सुना है।

क्षेत्र में, ग्राहकों का सामना करने वाले शाखा कर्मचारी हमारी सेवाओं / उत्पादों / चैनलों के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं और राय के बारे में हमे जानकारी देते हैं। ग्राहक हमें अपने बैंक की वेबसाइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम इन फीडबैक को संकलित करते हैं और सुधार के सुझावों पर तुरंत अमल करते हैं। इनके अलावा, ग्राहक हमें लिखते भी हैं, जो उन्हें समझने का एक अच्छा माध्यम होता है। हमारे असंख्य ग्राहक हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के बारे में हमारे अधिगम के समृद्ध स्रोत हैं। बैंक नियमित ग्राहक मिलन भी आयोजित करता है।

बैंक के पास ग्राहकों के लिए एक समर्पित ग्राहक सेवा सेल उपलब्ध है । ग्राहकों के लिए बैंक के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है। ग्राहकों की शिकायतों के समय पर और कुशल निपटान की सुविधा के लिए, बैंक के पास एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसे "मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली" (एसपीजीआरएस) कहा जाता है। बैंक ने उन लोगों की एक समर्पित टीम ख़ड़ी की है जो अपने समर्पित प्रयासों से शिकायत समाधान में तेजी ला रहे हैं।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers in a responsible manner

Achieving customer delight by understanding their pulse has been the prime objective of the bank. In achieving the same, bank has intently listened to what customers feel about our products, services and our channels.

At the field, the customer facing branch staffs provide the feedback regarding the customer's responses and opinions regarding our services/products/channels. Customers also provide us feedback on our bank's website. We compile these feedback and act on the suggestions for improvement immediately. Apart from these, the customers write to us, which also provides a good source of learning their pulse. Our umpteen customer interactions through our call centres serve as rich source of learning regarding customer satisfaction. The bank also conducts regular customer meets.

The bank has a dedicated customer service cell to be available to customers, when they are in need. The bank has a robust Grievance Redressal mechanism for customers.To facilitate timely and efficient disposal of customer complaints, the bank has an integrated Grievances Redressal system called the "Standardized Public grievance Redressal system" (SPGRS). Bank has dedicated team of people who are expediting complaint resolution through their dedicated efforts.

सिद्धांत-वार प्रदर्शन का जवाब: :/ Response to principle-wise performance:

वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं। What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.	केवल 571 यानी 2% ग्राहक शिकायतें वित्त वर्ष 2019-20 में लंबित हैं। Only 571 i.e.2% of customer complaints are pending for FY 2019-20.
क्या कंपनी स्थानीय कानूनों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, उत्पादों के लेबलों पर उत्पाद की जानकारी, प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं/ मंतव्य (अतिरिक्त जानकारी)। Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/Remarks (additional information).	लागू नहीं / Not Applicable
क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और / या पिछले पांच वर्षो के दौरान प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण दें। Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	शून्य / Nil
क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण कराया है? Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	ऑनलाइन ग्राहक प्रतिक्रिया पेज के माध्यम से और प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा बैंक ग्राहकों की संतुष्टि के विषय में निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करता रहता है। Bank obtains feedback on continuous basis about customer's satisfaction through online customer feedback page and by direct interaction.

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लाज (आई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव रहना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2 Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking,(iii)co-operative, (iv) economics,(v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other directors are appointed/

1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

nominated under various sections viz., 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2020:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Director	पदभार ग्रहण करने की तारीख Date of assuming office	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2020	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या No. of membership in Committees of the Bank	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद Directorship held in other companies
1.	श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel Managing Director & Chief Executive Officer	02.11.2018	26500	07	04	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ़) New India Assurance Co Ltd, Indian Institute Of Banking and Finance (IIBF)
2.	श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	03.04.2019	----	09	----	----
3.	श्री आनंद मधुकर सरकार के नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar Govt. Nominee Director	04.12.2018	----	07	18	इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस), आईएफसीआई लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, (आईआईएफसीएल) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)IFCI Ltd., India Infrastructure Finance Company Ltd.(IIFCL), India Infrastructure Finance Company (UK) Ltd., National Housing Bank(NHB)
4.	डॉ. अरविंद शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Dr, Arvind Sharma RBI Nominee Director	23.02.2015	----	03	----	----
5.	डॉ. आशीष साहा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Dr. Asish Saha Part-time Non-official Director	27.12.2017	----	09	----	----
6.	श्री के राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	02.12.2017	100	08	----	----

* बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (बीएलसीएसी) के अतिरिक्त / Other than Board Level Credit Approval Committee (BLCAC).

2.2.1 दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2020:

क्र.सं. / Sl No	निदेशक का नाम / Name of the Director	नियुक्ति की तारीख / Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख / Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे / No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh, Executive Director	10.03.2015	09.03.2020	09
2	श्री अनिल शर्मा, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri Anil Sharma, Director under CA Category	26.07.2016	25.07.2019	09
3	श्री अमित चटर्जी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Sri Amit Chatterjee, Part-time Non-Official Director	01.03.2019	29.02.2020	07

2.2.2 निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

26 दिसंबर 1964 को जन्मे श्री अतुल कुमार गोयल ने 02 नवंबर 2018 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाला। इसके पूर्व वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल आनर्स के साथ कॉमर्स में स्नातक की उपाधि धारण करते हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य हैं। इसके साथ वे सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (सीएआईआईबी) भी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के नाते श्री गोयल ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो यथा बड़े कारपोरेट, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय आयोजना और निवेशक संबंध के साथ साथ सपोर्ट सेवा, कारोबार प्रक्रिया रूपांतरण, अनुपालन आदि में काम किया है। अपने समृद्ध अनुभव और ज्ञान से उन्होंने बड़े कार्पोरेट और तुलन पत्र प्रबंधन विभागों में अमित सेवा दी है । इलाहाबाद बैंक में श्री गोयल ने अनेक महत्वपूर्ण विभागों में जिसमें बैंकिंग परिचालन, खासकर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर कार्य किया है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल कार्यालय के प्रधान का भी कार्यभार निभाया है। श्री गोयल एक हंसमुख एवं मिलनसार कार्यपालक हैं जो अपने सर्वोत्तम नेटवर्किंग कौशल के लिए भी जाने जाते हैं।

श्री गोयल ने आइबीए की कराधान समिति के सदस्य रहने के अलावा प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों जिसमें एनआईबीएम, पुणे, आईएमटी, दिल्ली शामिल है, के द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने काफराल के द्वारा देश और विदेश में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक

15 अगस्त, 1962 को जन्मे श्री अजय व्यास एक अनुभवी और तकनीक-प्रिय बैंकर हैं।

श्री अजय व्यास ने 3 अप्रैल, 2019 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले श्री व्यास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में क्षेत्रीय महाप्रबंधक थे।

श्री व्यास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारक हैं तथा उन्हें वाणिज्य बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अधिग्रहण सेवाओं और विपणन जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों का वृहत अनुभव है। दिनांक 01.10.1993 को प्रबंधक

2.2.2 Brief Profile of the Directors

Shri Atul Kumar Goel
Managing Director & Chief Executive Officer

Born on December 26, 1964, Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank on November 02, 2018. Prior to his elevation as MD & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India.

Shri Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

As Executive Director in Union Bank of India, Shri Goel handled almost all key portfolios like Large Corporate, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc. Through his rich knowledge and experience, his contribution especially to Large Corporate and Balance sheet Management department is immeasurable. During his stint at Allahabad Bank, Shri Goel handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO). He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank. Mr. Goel, an ever smiling and easy to approach Executive is also known for his high networking skills.

Shri Goel has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi apart from member of Taxation Committee in IBA. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

Shri Ajay Vyas, Executive Director

Born on 15th August, 1962, Shri Ajay Vyas is a seasoned and tech-savvy banker.

Shri Ajay Vyas assumed the charge as the Executive Director of UCO Bank on 3rd April, 2019. Shri Vyas was Field General Manager in Central Bank of India, Bhopal.

Shri Vyas holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and possesses varied experience in different areas of banking such as Commercial Banking, Financial Inclusion, General Administration, Electronic payments, Cards - Debit and Credit,

(सिविल) के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण के साथ उनका बैंकिंग कैरियर शुरूहुआ।

Acquiring Services and Marketing. His career in Banking began when he joined Central Bank of India as Manager (Civil) on 01.10.1993.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में अपनी छब्बीस वर्षों की सेवा के दौरान, उन्होंने शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और एफजीएम कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अपने बैंकिंग कैरियर के दौरान, उन्होंने बैंक के कई युवा कर्मचारियों की मेंटरिंग की है। उच्च शिक्षा और पेशेवर दौरे पर उन्होंने जापान, थाईलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों की व्यापक यात्रा की है।

During his twenty-six years of service at Central Bank of India, he held various positions in Branches, Zonal Offices and FGM Offices. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. He has travelled widely abroad in countries like Japan, Thailand, Holland, Singapore, France and Malaysia for advance studies and professional tours.

वे बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश के संयोजक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं।

He has also held the post of Chairman of Banks' Town Official Language Implementation Committee, Bhopal, Convenor of State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh and Member of different committees set up by Govt. of Madhya Pradesh.

श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक

Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director

30 नवंबर, 1972 को जन्मे श्री आनंद मधुकर आईआरपीएस (भारतीय रेल कार्मिक सेवा) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। अभी वे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में उन्होंने 4 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला। श्री मधुकर ने हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने यूसीएलए, बर्कले से नीति तथा अभिशासन में एक अल्पावधिक पाठ्यक्रम भी किया है तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नेगोशिएशन कौशल का पाठ्यक्रम भी किया है।

Born on November 30,1972, Shri Anand Madhukar is an IRPS (Indian Railway Personnel Service) Officer of 1997 Batch. At present, he is posted as Officer on Special Duty in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He has joined Bank's Board as Government Nominee Director w.e.f December 04, 2018. Shri Madhukar holds a Masters Degree in History from Hansraj College, Delhi University. He has also pursued short term courses on Ethics and Governance from UCLA, Berkeley and on Negotiation Strategies from London School of Economics.

श्री आनंद मधुकर को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का लगभग 21 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। इनमें कुछ इस प्रकार हैं:

1. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर डिवीजन। प्रायः 22000 कर्मचारियों के मानव संसाधन विभाग के प्रधान का दायित्व निभाया है।
2. रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व रेलवे के अध्यक्ष के रूप में समूह डी के लिए प्रायः 8 लाख आवेदकों से में करीब 2500 भर्तियां की हैं।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय में निदेशक (एसीसी) के रूप में उन्होंने सीपीएसई,पीएसबी, स्वशासी निकायों, ट्रिब्यूनलों आदि में वरिष्ठ नियुक्तियां सम्पादित की हैं। इस क्रम में उन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने तथा भारत सरकार की मानव संसाधन नीतियों को विहंगम दृष्टि से देखने का अवसर मिला है। उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें वर्ष 2008-09 का रेल मंत्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

Mr Anand Madhukar has experience of around 21 years and has held several significant positions which include :

1. Senior Divisional Personnel Officer of Chakradharpur Division of South Eastern Railway heading HR functions for approximately 22,000 employees.
2. As Chairman of Railway Recruitment Cell of South Eastern Railway handled Group D recruitment for app. 2500 vacancies having 8 lakhs applicants.
3. As Director (ACC) in DOPT handled senior appointments in CPSEs, PSBs, Autonomous Bodies, Tribunals etc. requiring approval of the Appointments Committee of the Cabinet, getting a bird's-eye view of the HR policies of the Govt. of India in the process. He was awarded with Minister of Railways Award for outstanding performance for the year 2008-09.

डॉ. अरविंद शर्मा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक

Dr. Arvind Sharma , RBI Nominee Director

5 अगस्त, 1958 को जन्मे डॉ. अरविंद शर्मा को फॉरेक्स रिजर्व प्रबंधन, औद्योगिक एवं निर्यात ऋण सहित बैंकिंग के कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2015 को उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वे एमबीए, सीएफए, सीएआईआईबी, पीएचडी हैं तथा उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है।

Born on 5th August, 1958, Dr Arvind Sharma possesses wide experience in the fields of Forex Reserve Management, Industrial and Export Credit and many other fields of Banking. He was appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India on 23.02.2015. He is qualified as MBA, CFA, CAIIB, Ph.D and has worked as Chief General Manager, RBI Central Office.

डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director

8 अक्तूबर, 1954 को जन्मे डा. (श्री) आशीष साहा ने 27 दिसंबर, 2017 को यूको बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में योगदान दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डाक्टरेट की उपाधि तथा मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट (एमबीएम) - वित्त की उपाधि धारण करने वाले डा. साहा 10 वर्षों से भी ज्यादा समय तक राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के निदेशक रहे हैं। बैंकिंग तथा वित्त के क्षेत्र में सुदीर्घ अनुभव रखनेवाले डा. साहा प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों से संबद्ध रहे हैं। सम्प्रति वे फ्लेम विश्वविद्यालय, पुणे में बैंकिंग तथा वित्त के फैकल्टी हैं।

Born on 8th October, 1954, Dr. (Shri) Asish Saha joined UCO Bank as Part-time Non-official Director on 27thDecember 2017. Dr. Asish Saha is Ph.D in Commerce from University of Calcutta and Masters in Business Management (MBM) - Finance.Dr. Asish Saha has served as Director, NIBM for over ten years. He has wide experience in the field of Banking and finance and has been associated with several renowned educational institutions and is currently a faculty for Banking and Finance at FLAME University, Pune.

श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक

1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री के राजीवन नायर सम्प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं तथा निगम के मुख्य जीवन बीमा परामर्शी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशक हैं। यूको बैंक के निदेशक मंडल में उन्होंने 2 दिसंबर, 2017 को शेयर धारकों के निदेशक के रूप में योगदान दिया। उन्हें विपणन, वित्त, विधि तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है।

Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category

Born on 1st September 1961, Shri K Rajivan Nair is presently working with Life Insurance Corporation of India and is currently holding the post of Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He joined the Board of UCO bank on 2nd December 2017 as Shareholder Director and has vast experience in the areas of Marketing, Finance, Law, Human Resource.

2.2.3. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. Sl No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO	लेखाशास्त्र एवं बैंकिंग Accountancy and Banking
2.	श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas, Executive Director	बैंकिंग Banking
3.	श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director	प्रशासन Administration
4.	डॉ. अरविंद शर्मा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Dr, Arvind Sharma, RBI Nominee Director	बैंकिंग Banking
5.	डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director	बैंकिंग एवं वित्त Banking & Finance
6.	श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category	बैंकिंग एवं विपणन Banking and Marketing

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 15 (पंद्रह) बैठकें आयोजित की गईं :

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 15 (fifteen) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

05.04.2019	24.04.2019	14.05.2019	13.06.2019	21.06.2019	24.07.2019	08.08.2019
28.08.2019	18.09.2019	24.10.2019	07.11.2019	13.12.2019	16.01.2020	06.02.2020
06.03.2020						

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारुऔर कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 3 (तीन) निदेशकों की जगह 5 (पांच) निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with 5 (five) directors as against minimum of 3 (three) directors stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत /लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. आशीष साहा, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार नामिती निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में इस समिति की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 (नौ) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

04.04.2019	14.05.2019	25.07.2019	08.08.2019	18.09.2019
07.11.2019	17.01.2020	06.02.2020	07.03.2020	

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव,

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,

iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और

iv) समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, डॉ. अरविंद शर्मा, भारतीय

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 The ACB, at present, comprises Dr Asish Saha, Part-time Non-Official Director as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director as its members. During the period under review, 9 (nine) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 During the period under review, 9 (nine) meetings of the ACB were held on following dates:

04.04.2019	14.05.2019	25.07.2019	08.08.2019	18.09.2019
07.11.2019	17.01.2020	06.02.2020	07.03.2020	

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c)of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

i) High value credit/loan, compromise and write-off proposals,

ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises,

iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and

iv) Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 The MCB, at present, comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Dr Arvind Sharma, RBI Nominee

रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 15 (पंद्रह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

Director and Shri K. Rajivan Nair, Director appointed under shareholder category as its members.

3.2.3 During the period under review, 15 (fifteen) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

24.04.2019	13.05.2019	13.06.2019	21.06.2019	24.07.2019	28.08.2019
18.09.2019	17.10.2019	07.11.2019	13.12.2019	16.01.2020	29.01.2020
25.02.2020	06.03.2020	25.03.2020			

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए. के. गोयल तथा सदस्य के रूप में कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री राजीवन नायर शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

14.06.2019	29.08.2019	12.12.2019	06.03.2020

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB, at present, comprises Shri A. K. Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

14.06.2019	29.08.2019	12.12.2019	06.03.2020

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/निदेशकों की शिकायतों, यथा - धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का त्वरित निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।

3.4.2 समिति में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक तथा श्री अमित चटर्जी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। उक्त सदस्यो में से श्री चरण सिंह तथा श्री अमित चटर्जी ने कार्यकाल पूरा होने पर क्रमशः दिनांक 09.03.2020 एवं 29.02.2020 को पदत्याग कर दिया।

3.4.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 17.10.2019 एवं 25.02.2020 को आयोजित की गईं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण किया गया।

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Stake Holders' Relationship Committee of the Board is constituted under the Chairmanship of Non-executive Director for speedy redressal of complaints/ grievances of shareholders/ investors, like, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee comprises of Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Charan Singh, Executive director and Shri Amit Chatterjee, Part time Non-Official director as its members. Out of the above members, Shri Charan Singh and Shri Amit Chatterjee demitted their office on 09.03.2020 and 29.02.2020 respectively on completion of tenure.

3.4.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 17.10.2019 and 25.02.2020. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर. एपीपीटी. नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के साथ पठित भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 अभी डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री के. राजीवन नायर, शेयर-धारक शेणी के अंतर्गत निदेशक समिति के सदस्य हैं।

3.5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 13.05.2019 एवं 13.06.2019 को आयोजित की गईं।

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India guidelines dated 30.08.2019 read with RBI circular DBR. Appt. No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 The Committee, at present, comprises Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category.

3.5.4 During the period under review, 2(two) meeting of the erstwhile Remuneration Committee of the Board was held on 13.05.2019 and 13.06.2019.

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.6.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए. के. गोयल, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, सरकार के नामिती निदेशक, श्री आनंद मधुकर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा एवं शेयरधारक श्रेणी के. अंतर्गत निदेशक श्री के. राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 6 (छह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving ₹1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.6.2 At present, the Committee comprises of Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.6.3 During the period under review, 6 (six) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

14.06.2019	24.07.2019	29.08.2019	24.10.2019	16.01.2020	07.03.2020

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्य:

i) जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए. के. गोयल, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, सरकार के नामिती निदेशक श्री आनंद मधुकर एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री के. राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 (तीन) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

24.04.2019	25.07.2019	13.12.2019

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

i) To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 At present, the Committee comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.7.4 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

24.04.2019	25.07.2019	13.12.2019

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं; श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक एवं डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

i) स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 At present, the Committee comprises of Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director as its members.

3.8.2 Objectives of the Committee:

i) To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,

iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईः

25.07.2019	12.12.2019	17.01.2020

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 वर्तमान में इस समिति में कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, सरकार के नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री के. राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईः

14.06.2019	29.08.2019	12.12.2019	07.03.2020

3.10 एनपीए खातों मे वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल हैं तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक तथा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 10 (दस) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईः

ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,

iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,

iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and

v) To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 During the period under review, 3 (three) meeting of the Committee was held on dates as follows:

25.07.2019	12.12.2019	17.01.2020

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 At present, the Committee comprises Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.9.3 During the period under review 04 (four) meetings of the committee were held on the dates as follows:

14.06.2019	29.08.2019	12.12.2019	07.03.2020

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director as its members.

3.10.3 During the period under review, 10(ten) meetings of the committee were held on dates as follows:

24.04.2019	13.05.2019	13.06.2019	24.07.2019	28.08.2019
24.10.2019	13.12.2019	16.01.2020	06.02.2020	06.03.2020

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में अपील मामलों के निपटान की समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें 24.04.2019, 14.05.2019 एवं 25.07.2019 को आयोजित की गईं।

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee comprises Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director andDr. Asish Saha, Part-time Non-official Director as its members.

3.11.3 During the period under review, 3(three) meetings of the Committee were held on the dates 24.04.2019, 14.05.2019 and 25.07.2019.

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) और इसके अतिरिक्त इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं जो जान-बूझकर चूक करनेवाला घोषित करने हेतु जान-बूझकर चूक करने वाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री के राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 03 (तीन) बैंठकें क्रमशः 14.06.2019, 29.08.2019 एवं 13.12.2019 को आयोजित की गईं।

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman and Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.12.3 During the period under review, 03 (three) meetings of the Committee were held on the dates 14.06.2019, 29.08.2019 and 13.12.2019.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) HR related issuesof the Bank (HR Committee)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	15	15	15	15	03	03	04	04	03	02
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh Executive Director	15	14	14	13	03	03	04	04	03	03
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	15	14	15	13	03	02	04	04	03	02
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	15	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	15	15	15	15	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Shri Anil Sharma Director	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	15	14	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	03	03
श्री अमित चटर्जी, निदेशक Shri Amit Chatterjee Director	14	14	13	13	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	15	04	15	05	03	02	04	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	10	10	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh Executive Director	10	08	06	05	09	08	04	04	03	03
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	10	09	06	05	08	07	04	04	03	03
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	10	04	06	02	09	05	04	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	09	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Shri Anil Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	10	09	06	06	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अमित चटर्जी, निदेशक Shri Amit Chatterjee Director	09	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	03	03
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

बैठक/Meetings of the								
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committiee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committiee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं 03	लागू नहीं 03
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	02	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	02	02	NA	NA	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Shri Anil Sharma Director	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	01	01
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	02	01	00	00	03	02	03	03
श्री अमित चटर्जी, निदेशक Shri Amit Chatterjee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	03	03	03	03
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	02	00	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

नोट/Notes:

1. *निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director
2. लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
14वीं वार्षिक आम बैठक 14th Annual General Meeting	28 जून, 2017 28th June, 2017	10.30 बजे 10.30 A.M.	इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर (ईजेडसीसी), आई बी 201, सेक्टर III, आईए ब्लॉक, साल्टलेक, कोलकाता - 700 006 Eastern Zonal Cultural Centre (EZCC), IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata - 700 006
15वीं वार्षिक आम बैठक 15th Annual General Meeting	27 जून, 2018 27th June, 2018	10.30 बजे 10.30 A.M.	मिनी ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल, जे.बी.एस. हैल्डेन एवेन्यू, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata – 700046
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	20 फरवरी, 2019 20th February, 2019	11.00 बजे 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	25 मार्च, 2019 25th March, 2019	11.00 बजे 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
16वीं वार्षिक आम बैठक 16th Annual General Meeting	26 जून, 2019 26th June, 2019	10.30 बजे 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	6 नवंबर, 2019 6th November, 2019	10.30 बजे 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	14 फरवरी, 2020 14th February, 2020	10.30 बजे 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए दिनांक 26.10.2017 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई थी। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख तक बैंक को केवल एक नामांकन श्री के. राजीवन नायर का प्राप्त हुआ। चूंकि बैंक को केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ, अतः यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 66 (1) के तहत श्री राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना गया। दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था।

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक दिनांक 26 जून, 2019 को भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाईब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में हुई थी। श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक एवं श्री अनिल शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) 28 जून, 2017 को सम्पन्न हुई शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए। इन विशेष संकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों ने i) फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य सांस्थिक प्लेसमेंट तथा/या अन्य पूँजी उत्थापन विकल्पों के माध्यम से 10 रुपये प्रत्येक के 70,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 के तहत कर्मचारियों को 5,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने iii) भारत सरकार को अधिमानिता के आधार पर 1150 करोड़ रुपये के उनके पूँजी अवदान के लिए 37.44 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 30,71,58,119 (तीस करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हज़ार एक सौ उन्नीस) तक इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दिया।

ii) जैसा कि 12.02.2018 के डाक बैलट की नोटिस में कहा गया है, बैंक के शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 6507 करोड़ रुपये के प्राप्त कुल पूँजी निवेश के एवज में 31.16 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 208,82,54,172 इक्विटी शेयर जारी करने का विशेष संकल्प पारित किया है।

iii) 27 जून, 2018 को शेयरधारकों की सम्पन्न हुई वार्षिक आम बैठक में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य सांस्थिक प्लेसमेंट तथा/या अन्य पूँजी उत्थापन विकल्पों के माध्यम से 10 रूपये प्रत्येक के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया।

iv) 20 फरवरी 2019 को सम्पन्न हुई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में तीन विशेष संकल्प पारित किए गए हैं। इन विशेष संकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों ने i) भारत सरकार को उनसे प्राप्त 3076 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश के एवज में अधिमानिता के आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164 (1) के अनुसरण में 20.95 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 146,82,57,756 इक्विटी शेयर निर्गत तथा आबंटित करने ii) कर्मचारियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 के तहत कर्मचारी शेयर खरीद

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 26.10.2017 for election of one shareholder director from amongst the shareholders other than Central Government under Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received only one nomination from Shri K. Rajivan Nair before last date fixed for filing nomination. Since Bank has received only one valid nomination, Shri Rajivan Nair is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 12th December, 2017 stand cancelled since there is no other agenda to be transacted at the meeting.

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 26th June, 2019 at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027. Shri A.K. Goel, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Charan Singh, Executive Director, Shri Ajay Vyas, Executive Director and Shri Anil Sharma, Part-time non official Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

i) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 28th June, 2017, three special resolutions have been passed through which the following approvals have been accorded by the shareholders for i) Issue of 70,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options, ii) issue of 5,00,00,000 equity shares to employees under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of upto 30,71,58,119 (Thirty Crore Seventy one lakh Fifty Eight thousand One hundred Nineteen) equity shares to Government of India at an issue price of Rs.37.44 per equity share on preferential basis against their capital contribution of Rs.1150 crores.

ii) Shareholders of the Bank approved special resolution as contained in notice of postal ballot dated 12.02.2018 for issue of 208,82,54,172 equity shares at an issue price of Rs.31.16 per share against aggregate capital infusion of Rs. 6507 Crore received during the financial year 2017-18.

iii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 27th June, 2018, a special resolution passed for issue of 150,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

iv) In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 20th February, 2019 three special resolutions have been passed through which following approvals have been accorded by the shareholders of the Bank (i) for issue and allot of 146,82,57,756 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.20.95 per share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.3076 Crore. ii) Issue of 20,00,00,000 equity shares to employees through Employees Share Purchase Scheme namely UCO

योजना नामतः यूको बैंक ईएसपीएस 2019 के माध्यम से 20,00,00,000 इक्विटी शेयर निर्गत करने iii) योग्य सांस्थिक प्लेसमेंट के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये की समग्र राशि का इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दिया।

v) 25 मार्च 2019 को सम्पन्न हुई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसके माध्यम से शेयरधारकों ने बैंक के निदेशक मंडल को अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को उनसे प्राप्त 3330 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के एवज में अधिमानिता के आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164 (1) के अंतर्गत नियत किए गए 19.01 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 175,17,09,626 इक्विटी शेयर निर्गत तथा आबंटित करने में सक्षम बनाया।

vi) 6 नवंबर 2019 को संपन्न हुई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसके माध्यम से शेयरधारकों ने बैंक के निदेशक मंडल को अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को उनसे प्राप्त रु. 2130 करोड़ के पूँजी निवेश के एवज में अधिमानिता के आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164 (1) के अंतर्गत नियत किए गए रु. 16.89 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 126,11,01,243 इक्विटी शेयर निर्गत तथा आवंटित करने में सक्षम बनाया।

vii) 14 फरवरी 2020 को संपन्न हुई शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसके माध्यम से शेयरधारकों ने बैंक के निदेशक मंडल को अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को उनसे प्राप्त रु. 2142 करोड़ के पूँजी निवेश के एवज में अधिमानिता के आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 164(1) के अंतर्गत नियत किए गए रु. 16.54 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 129,50,42,321 इक्विटी शेयर निर्गत तथा आवंटित करने में सक्षम बनाया।

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रुचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2019, 30.09.2019 एवं 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है।

Bank ESPS 2019 under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of equity shares for an aggregate amount of Rs.1000 Crores through Qualified Institutional Placement.

v) In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 25th March, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 175,17,09,626 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.19.01 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.3330 crore.

vi) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 6th November, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 126,11,01,243 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.89 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2130 crore.

vii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 14th February, 2020 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 129,50,42,321 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.54 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2142 crore.

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com).Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2019, 30.09.2019 & 31.12.2019 were published within the prescribed time limit in atleast one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Bank or with Depositories and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders.

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (पूर्व में कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के मुद्दे के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई: यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032
फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001
फ़ैक्स : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा के साथ कक्ष स्थापना की है। निवेशकों की शिकायतें यदि बैंक के कार्यालयों में या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उनका त्वरित निष्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यूको बैंक के शेयरों के बारे में शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा किसी भी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी- hosgr.calcutta@ucobank.co.in बनाया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

बैंक ने शेयरधारक की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों के निवारण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारकों की शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Private Limited (Formerly known as Karvy Fintech Private Limited), Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All grievances regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

M/s. KFin Technologies Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032
Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001
Fax: 040 23420814
e-mail: einward.ris@kfintech.com

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances whether received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- **hosgr.calcutta@ucobank.co.in** has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E-mail : hosgr.calcutta@ucobank.co.in

The Bank has also constituted Stakeholders Relationship Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

The status of Shareholders' complaints as on 31.03.2020 is as under:

1.	1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Pending complaints as on 1st April, 2019	शून्य NIL
2.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Complaints received during the year ended on 31.03.2020	777
3.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें Complaints disposed of during the year ended on 31.03.2020	777
4.	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Complaints pending as on 31.03.2020	शून्य NIL

7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

बीएसई बैंकेक्स और एनएसई निफ्टी 50 का तुलनात्मक इक्विटी प्रदर्शन निम्नलिखित लाइन चार्ट में प्रस्तुत किया गया हैः

7.2.1 Share Price Movement

The equity performance in comparison to BSE Bankex and NSE Nifty 50 is presented in the following line charts:

एनएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT NSE (वित्तीय वर्ष/FY 2019-20)

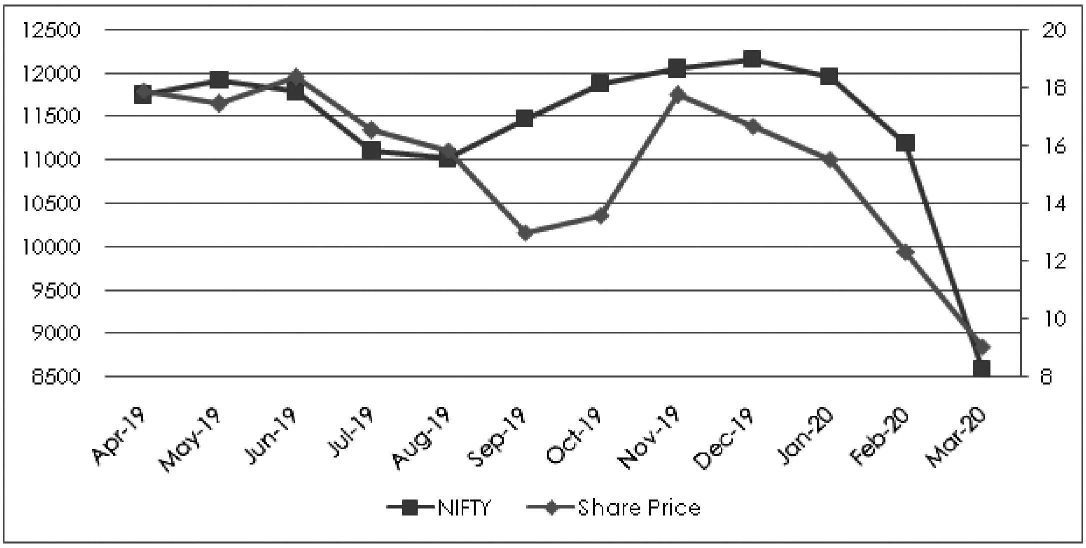

बीएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT BSE (वित्तीय वर्ष/FY 2019-20)

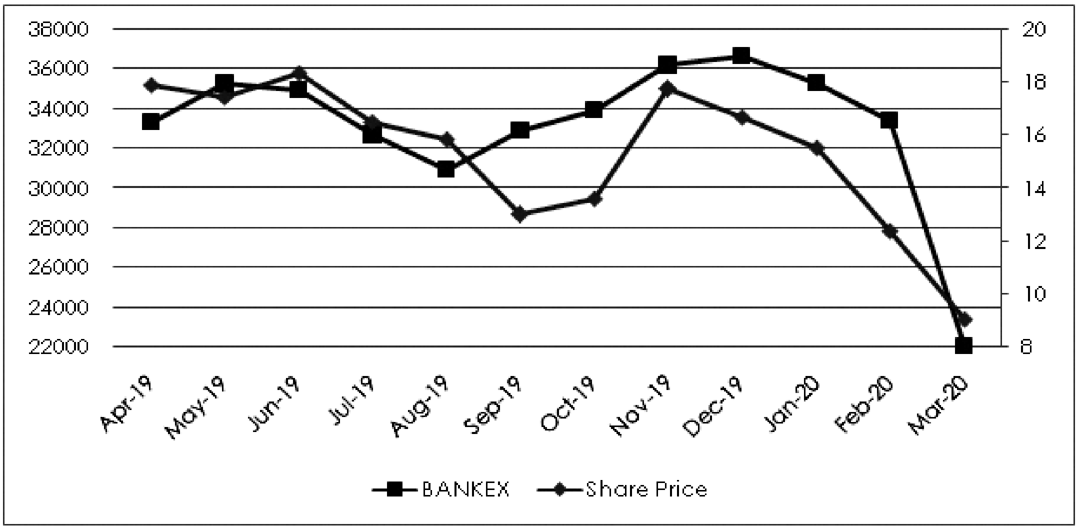

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2019-20 were as follows:

माह Month	बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E				नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-19	20.45	17.50	17.90	2.45	20.45	17.80	17.90	24.54
मई/May-19	18.60	16.55	17.45	1.96	19.60	16.50	17.45	14.70
जून/Jun-19	19.35	16.90	18.35	2.55	19.40	17	18.35	27.08
जुलाई/Jul-19	19.90	16.45	16.50	2.45	19.90	16.40	16.55	20.76
अगस्त/Aug-19	17.05	14.10	15.85	1.48	17.10	14.10	15.85	12.39
सितंबर/Sep-19	15.85	12	13	1.06	15.90	12.70	13	17.30
अक्तूबर/Oct-19	13.90	11	13.61	2.34	13.90	11.40	13.60	16.46
नवंबर/Nov-19	22.20	12.75	17.75	13.71	22.40	12.85	17.75	137.33
दिसंबर/Dec-19	18.10	14.90	16.70	5.63	18.10	14.85	16.70	58.31
जनवरी/Jan-20	17.45	15.50	15.55	2.33	17.40	15.50	15.55	28.16
फरवरी/Feb-20	16.70	12	12.40	1.83	16.70	12	12.35	18.66
मार्च/Mar-20	12.99	8.40	9.06	2.31	13	8.40	9.05	17.78

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें।

अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार है:

i) झंझट रहित अंतरण; ii)शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं; iii) लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा; iv) नामांकन सुविधा; v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अर्मूतीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए 01018 है।

वर्ष 2019-20 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपोजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2020 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

i) Hassle free transfer ; ii) No threat of loss of share certificate; iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits; iv) Nomination facility; v) Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Listing Fee and Custody Fee of Stock Exchanges and Depositories for the year 2019-20 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March, 2020, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	1,04,77,637	0.10
एनएसडीएल/NSDL	47,46,76,482	4.79
सीडीएसएल/CDSL	943,31,86,503	95.11
योग/Total	991,83,40,622	100.00

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलुरु, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें। बैंक ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को उनकी अभिरक्षा सेवाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक जिंस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.4 शेयरधारिता का वितरण

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad. The Bank has paid the annual fees to NSDL and CDSL for their custodial services.

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2020

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता			
A. Promotes' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	9367292970	94.44
आ. संस्थाएं			
B.Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	30	11749850	0.12
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	12	1102008	0.01
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	5	227058395	2.29
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	4	1459942	0.01
इ/C. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	314340	242180946	2.44
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	1598	57662575	0.58
भारतीय रिजर्व बैक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI	3	7400	0.00
ई/D. अन्य/Others			
न्यास / Trust	15	40673	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	850	2248029	0.02
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	95	955373	0.01
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय Non Resident Indian non repatriable	643	696032	0.01
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	966	5582060	0.06
योग्य संस्थागत खरीदार / Qualified Institutional Buyer	1	304369	0.00
योग/ TOTAL	**318563**	**9918340622**	**100.00**

7.4.2 31.03.2020 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2020

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	304262	95.51	100657882	1.01
5001	10000	4781	1.50	35288635	0.36
10001	20000	7798	2.45	109836670	1.11
20001	30000	1013	0.32	24716923	0.25
30001	40000	292	0.09	10159790	0.10
40001	50000	153	0.05	6943727	0.07
50001	100000	201	0.06	13803442	0.14
100001	और अधिक/And above	63	0.02	9616933553	96.96
	कुल/TOTAL	**318563**	**100.00**	**9918340622**	**100.00**

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2008-09	1.00	2014-15	2.00
		2015-16 to 2019-20	शून्य/NIL

7.5.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.5.2. दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमेटेरलाएज़ करे।

7.5.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 to IEPF.

7.5.2. Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

दिनांक 31.03.2020 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है:

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2020 :

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2019	204	28100
ii.	वर्ष 2019-20 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2019-20	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2020	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.6 बॉण्ड

7.6 BONDS

7.6.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2020 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार है:

7.6.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2020 are as follows:

क्र.सं. SN.	निर्गम विवरण Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1.	9% बॉण्ड शृंखला XII 9% Bond Series XII	INE691A09185	1000	28.12.2012	28.12.2022	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2.	8.95% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.95% Basel III Tier II Bonds	INE691A08047	1000	31.03.2017	31.03.2027	31.03.2022
3.	9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.644% Basel III Tier II Bonds	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
4.	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option

7.6.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड मुद्दों, बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोन: (002) 40807000;
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

7.6.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustee is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

7.6.3 क्रेडिट रेटिंग/Credit Rating

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9% बॉण्ड श्रृंखला XII 9% Bond Series XII	8.95% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.95% Basel III Tier II Bonds	9.64% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.64% Basel III Tier II Bonds	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	ए+(स्थिर) A+(Stable)	ए+(स्थिर) A+(Stable)	---	---
क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Ltd.	ए+ स्थिर A+ Stable	---	---	---
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	---	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	---	---	एए - (स्थिर) AA - (Stable)	एए - (स्थिर) AA - (Stable)

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय "उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि" के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नांकित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है :

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

गैर-कार्यकारी निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In terms of SEBI directives, the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply for Listed Public Sector Banks, only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

8.1. Remuneration of Directors:

Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director& CEO and Executive Director is fixed by the Central Government. Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting : ₹20,000/- per sitting and ₹5000/- per chairing committee meetings.

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for

बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2019-20 are as under :

क्र. सं. Sl No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (रु.) Amount (Rs)
1.	डॉ. अरविंद शर्मा / Dr. Arvind Sharma	11,85,000/-
2.	श्री अनिल शर्मा / Shri Anil Sharma	4,60,000/-
3.	डॉ. आशीष साहा / Dr. Asish Saha	13,30,000/-
4.	श्री अमित चटर्जी / Shri Amit Chatterjee	13,85,000/-
5.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	4,05,000/-

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानिता के आधार पर आबंटन के द्वारा रु. 2130 करोड़ तथा रु. 2142 करोड़ की पूंजी जुटाई। इस प्रकार जुटाई गई पूंजी का उपयोग कॉमन इक्विटी एवं टियर - I पूंजी के लिए किया गया। बैंक ने पब्लिक अथवा राइट इश्यू के माध्यम से कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान डिबेंचर प्रकृति के अपरिवर्तनीय बॉन्ड जारी करके प्रति ट्रेंच रु. 500 करोड़ के दो ट्रेंचों में रु.1000 करोड़ जुटाए हैं।

8.4. 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2020 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत https://www.ucobank.com/aboutus /Policies /Related Party Transaction Policy. पर दी गई है।

8.6 बैंक जिंस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए जिंस मूल्य जोखिम और जिंस हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नही है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https://www.ucobank.com/ पर उपलब्ध है।

8.9 किसी भी कर्मी को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. Proceeds from Public Issues, Preferential issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2020, the Bank has raised Rs. 2130 crore and Rs.2142 Crore through preferential allotment of equity shares to Government of India. The Capital raised was utilized for the purpose of shoring up the Common equity and Tier 1 Capital of the Bank. Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue.

The Bank has raised 1000 crores in two tranches of Rs.500 crores each through issue of Non-convertible bonds in the nature of Debenture during the financial year 2019-20.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2020.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2020. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under https://www.ucobank.com/aboutus / Policies /Related Party Transaction Policy.

8.6 The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7 Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2020

8.8 Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at https://www.ucobank.com/

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरणः

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 :

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	2
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	0
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	2

9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार हैः

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	**निदेशक मंडल / The Board** एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	बैंक ने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कार्यालय प्रदान नहीं किया है। Bank has not provided office for the non-executive chairman.
2.	**शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights** पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by uploading the financial results on the website.
3.	**लेखा-परीक्षा योग्यता / Audit Qualifications** कंपनी अनधिकृत वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है। Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2019-20 का अभिन्न अंग है।

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2019-20 का अभिन्न अंग है।

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-
(ए. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for year 2019-20 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2019-20.

11.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2019-20.

12.0. AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2019-20.

For UCO Bank

sd/-

(A. K. Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer

अनुलग्नक-।

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमो में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते आर एम लाल एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 000932सी

(सीए विकास चंद्र श्रीवास्तव)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 0401216
यूडीन : **20401216AAAABW3605**

कृते एम सी भंडारी एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002ई

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 064393
यूडीन : **20064393AAAAMW6776**

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 311017ई

(सीए दिव्येंदु पाल चौधुरी)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 016830
यूडीन : **20016830AAAABF2989**

कृते रमा के गुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 005005सी

(सीए नितीन गुप्ता)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 419124
यूडीन : **20419124AAAABC2400**

कृते रावला एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 001661एन

(सीए हरदीप सिघंल)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 505618
यूडीन : **20505618AAAABY9585**

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.06.2020

Annexure - I

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2020, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2020 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For R M LALL & CO
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(CA VIKAS CHANDRA SRIVASTAVA)
Partner
Membership No. 0401216
UDIN: 20401216AAAABW3605

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No.064393
UDIN: 20064393AAAAMW6776

For V SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830
UDIN: 20016830AAAABF2989

For RAMA K GUPTA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(CA NITIN GUPTA)
Partner
Membership No. 419124
UDIN: 20419124AAAABC2400

For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(CA HARDEEP SINGHAL)
Partner
Membership No. 505618
UDIN: 20505618AAAABY9585

Place: Kolkata
Date: 26.06.2020

अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

क) हमने बैंक के वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,

ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :

i. वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की,यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

ह/-
शशि कांत कुमार
उप महाप्रबंधक
(मुख्य वित्त अधिकारी)

ह/-
ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 26.06.2020

शेयरधारकों से हरित पहल के तहत अपील

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्वी फिंटेक प्रा. लिं. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स कार्वी फिंटेक प्रा.लि.
यूनिट : यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष : (040) 67162222; फैक्स : (040)23420814

मै/हम____________________, जो भौतिक रूप में बैंक के____________ शेयर धारण किए हुए हूँ/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

फोलियो न.____________ ई-मेल आईडी____________

____
प्रथम धारक के हस्ताक्षर

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Dear Sirs,

Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2019-20 and to the best of our knowledge and belief

   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;

   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2019-20 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee

   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2019-20

   ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank

Sd/-
(Shashi Kant Kumar)
Deputy General Manager
(Chief Financial Officer)

For UCO Bank
Yours faithfully,

Sd/-
A. K. Goel
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date : 26.06.2020

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Fintech Pvt Ltd. on the follwing format.

M/s. Karvy Fintech Private Limited
Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 67162222; Fax : (040)23420814

I/We ____holding_________________shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No ___________________________ E-mail id ________________________

____
Signature of the first holder

महाप्रबन्धकों का संक्षिप्त विवरण / Brief Profile of General Managers

क्र.सं. Sl No	नाम Name	योग्यता Qualification	कौशल/अनुभव Skills/Experience
1	श्री आर के छत्तानी Shri R K Chhattani	एम.एस.सी.(एजी), एमबीए M.SC.(AG),MBA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 37 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण व्यवसाय विभाग के प्रमुख हैं। He has 37 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head, Head of IT Dept and Presently Heading Agriculture & Rural Business Department.
2	श्री नरेश कुमार Shri Naresh Kumar	एमए (डबल), एलएलबी, डीईई, पीजीडीएफ़ए, पीजीडीएमए, एडीवी धन प्रबंधन, ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा MA(DOUBLE),LLB,DEE, PGDFA, PGDFM,ADV WEALTH MANAGEMENT, DIPLOMA IN REAUSURY, INVESETMNET & RISK MANAGEMENT	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है; इन्होंने अंचल प्रमुख तथा जोखिम प्रबंधन के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में मा.सं.प्र. विभाग के प्रमुख हैं। He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities; He has worked as Zonal Head and Head of Risk management. Presently heading HRM Department.
3	श्री टी बी नेगी Shri T B Negi	बी.ए. B.A.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष तथा बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में कार्यनीति आयोजना विभाग के प्रमुख हैं। He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as chairman of Paschim Banga Gramin Bank and Branch Head of large branches. Presently Heading the Strategic Planning Department.
4	श्री अरुण गुप्ता Shri Arun Gupta	एम.कॉम, एआईसीडबल्यूए M.COM,AICWA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 38 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख, अंचल प्रमुख, ऋण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में ऋण निगरानी विभाग के प्रमुख हैं। He has 38 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Branch Head of Large Branches, Zonal Head, Incharge of Credit Department & presently heading Credit Monitoring Department.
5	श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	बी.एससी.(एच), सर्टिफाइड क्रेडिट एवं ट्रेजरी प्रोफेस्नल B.SC.(H),CERTIFED CREDIT & TRWASURY PROFESSIONAL	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने विदेशी केंद्रों में, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष एवं अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में भुवनेश्वर अंचल के प्रमुख हैं। He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in overseas centre, Chairman of Paschim Banga Gramin Bank & Zonal Head. Presently heading Bhubaneswar Zone.
6	श्री दिलीप कुमार मृधा Shri Dilip Kumar Mridha	एम.एससी(ईसीओ) M.SC(ECO)	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के संकाय सदस्य के रूप में एवं विदेशी केन्द्रों में कार्य किया है और वर्तमान में जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख हैं। He has 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as faculty of training centre, worked in overseas and presently heading Risk Management Department.

7	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	बीए(एच) BA(H)	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों के संकाय के रूप में, अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वह मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं। He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Faculty of Training Centre, Zonal Head and presently he is Chief Compliance Officer.
8	श्री वी शंकर नारायणन Shri V Sankara Narayanan	बी.एससी. B.SC.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 29 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने ट्रेजरी और विदेशी केंद्रों में कार्य किया है और वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय विभाग के प्रमुख हैं। He has 29 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in treasury and overseas centre .Presently heading International department.
9	श्री निधु सक्सेना Shri Nidhu Saxena	बी.कॉम.,एमबीए B.COM.,MBA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 13 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख तथा अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में रिटेल विभाग के प्रमुख हैं। He has 13 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Branch head of Large Branches, Zonal head. Presently heading Retail department.
10	श्री राम कुमार Shri Ram Kumar	एम.कॉम, एसीए M.COM,ACA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों के संकाय के रूप में, बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में तथा अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में ऋण एवं वित्त विभाग के प्रमुख हैं। He has 36 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Faculty in training centre, Headed large branches, Zonal Head. Presently heading Credit & Finance Department
11	श्रीमती आशा राजीव Smt. Asha Rajiv	बी.कॉम B.COM.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 29 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रबन्धक के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में निरीक्षण एवं बोर्ड विभाग की प्रमुख हैं। He has 29 yrs of experience in our bank in various capacities. She has worked as Zonal Head. Presently heading Inspection & Board Department.
12	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	बी.ई. B.E	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 11 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में सू.प्रौ. विभाग के प्रमुख हैं। He has 11 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head. Presently heading IT Department.
13	श्री पंथागनि मनोज Shri Panthagani Manoj	बी.ए. B.A	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में ये वसूली विभाग के प्रमुख हैं। He has 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head and presently heading Recovery Department.
14	श्री के मोहन दास Shri K Mohan Doss	बी.एससी.,पीजीडीसीए B.SC.,PGDCA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं, ऋण निगरानी एवं दबावग्रस्त आस्ति संप्रभाग में कार्य किया है। वर्तमान में चेन्नई के अंचल प्रमुख हैं। He has 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in Large Branhes, Credit Monitoring & Stress asset vertical. Presently Working as Zonal Head , Chennai.

15	श्री विजय कुमार Shri Vijay Kumar	एम.एससी. M.SC.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और अब कृषि एवं ग्रामीण व्यवसाय विभाग के प्रमुख हैं। He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head and now heading Agriculture and Rural Business Department.
16	श्री हरमोहन कुमार अरोड़ा Shri Harmohan Kumar Arora	एम.कॉम, एलएलबी, आईसीडबल्यू, सीएस M.COM,LLB,ICWA,CS	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 38 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में मुंबई अंचल के अंचल प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। He has 38 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Branch Head of large branches and now working as Zonal Head of Mumbai Zone.
17	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	बी.कॉम B.COM.	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षेत्रों में 31 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में नागपुर के अंचल प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। He has 31 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as Zonal Head and presently working as Zonal head Nagpur.
18	श्री ए जेना Shri A Jena	बी.एससी.,एमबीए B.SC,MBA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने विदेशी केंद्रों, बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया हैं और इस समय ये भुवनेश्वर अंचल के अंचल प्रमुख तथा एसएलबीसी प्रभारी हैं। He has 30 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked in overseas centre, Branch Head of large branches & now Zonal head of Bhubaneswar & SLBC in charge.
19	श्री श्रवण कुमार सांख्यान Shri Shrawan Kumar Sankhyan	बी.एससी,एमबीए B.SC,MBA	इनका हमारे बैंक में विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में तथा अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में इंदौर अंचल के अंचल प्रमुख हैं। He has 36 yrs of experience in our bank in various capacities. He has worked as branch head of Large branches, Zonal Head. Presently working as Zonal Head Indore.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों , एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वितीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यधीन निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन -प्रणाली विद्यमान हैः

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की हैः

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020

To,
The Members,
UCO BANK

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "the bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2020 according to the provisions of:

(i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;

(ii) The Depositories Act, 1996 (as amended) and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

b) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ;

d) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और अपरिवर्तनीय एवं प्रतिदान योग्य अधिमान्य शेयर का सूचीकरण) विनियम, 2013; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंकों पर लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(vi) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधिः

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 यथा संशोधित के अनुपालन की भी जॉच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया हैः

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड के कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन बनाया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं। फिर भी, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अभी तक बैंक के वर्कमैन और अधिकारी कर्मचारियों के बीच से निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है और रिक्त पदों को भरने के लिए मामले को भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। इसके अलावा हमने यह नोट किया है कि बैंक शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, लेकिन सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के मद्देनजर बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचानलन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; (Not applicable to the Bank during the audit period)

g) Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

h) Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

i) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

(v) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949
- The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970
- Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations,2003

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act. However, two directors among the workman and officer employee of the Bank are not yet appointed as per the requirement of the above mentioned act and the matter has been referred to the Government of India for filling of the vacant positions. Furthermore, we noted that the Bank is among the top 500 listed entities, but there is no independent woman director on the Board pursuant to Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there was no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके कि:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(सी) के साथ पठित धारा 51 और 46(4)(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के "केवाईसी मानदंडों/एएमएल मानकों/सीएफ़टी/कर्तव्यों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने तथा "बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना-अनुशासन की आवश्यकता" के कारण रु 50,00,000 (रूपये 5 मिलियन मात्र) का अर्थदंड लगाया। इसके अतिरिक्त सीआरआईएलसी डेटा मंच पर हुए कपट की रिपोर्टिंग देर से करने के लिए रु 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) का अर्थदण्ड लगाया।

2. समीक्षाधीन अवधि में बैंक ने अधिमानिता के आधार पर बैंक के प्रोमोटर, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को निम्नलिखित रूप में नए एक्विटी शेयर जारी किए हैं:

   (i) दिनांक 07.11.2019 को ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹16.89 के निर्गम मूल्य पर 126,11,01,243 एक्विटी शेयर।

   (ii) दिनांक 28.02.2020 को ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹16.54 के निर्गम मूल्य पर 129,50,42,321 एक्विटी शेयर।

   (iii) भारत सरकार की दिनांक 18.04.2019 को प्रकाशित गजट अधिसूचना दिनांक 06.04.2019 द्वारा बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 6000 करोड़ से बढ़कर ₹10000 करोड़ हो गया है।

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725
युडीआईएन: F005935B000365008

दिनांक :26.06.2020
स्थान : कोलकाता

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc. save and except:-

1. During the period under review, RBI in exercise of powers conferred under Section 47A(1)(c) read with section 51 and 46(4)(i) of The Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 50,00,000 (Rupees Five million only) for non-compliance of RBI directives on "KYC Norms/AML Standards/CFT/Obligation of banks and financial institutions under PMLA 2002" and also on "Opening of Current Accounts by Banks- Need for discipline" and secondly a penalty of Rs. 1,00,00,000 (Rupees One Crore only) for delayed reporting of fraud on CRILC data platform.

2. During the period under review, the Bank has issued and allotted new equity shares for cash on Preferential basis to the Government of India (President of India), the promoter of the Bank as detailed below:

   (i) 126,11,01,243 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹ 16.89 per share on 07.11.2019

   (ii) 129,50,42,321 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹ 16.54 per share on 28.02.2020.

   (iii) the Authorized Share Capital of the Bank has been increased from ₹ 6,000 Crore to ₹ 10,000 Crore vide GOI Gazette notification dated 06.04.2019 published on 18.04.2019

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725
UDIN : F005935B000365008

Date: 26.06.2020
Place: Kolkata

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

विषय: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के तहत प्रमाण-पत्र।

हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक यूको बैंक ("बैंक") के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों और प्रलेखों के सत्यापन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं हुआ है।

नियुक्ति हेतु पात्रता / बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की निरंतरता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर इनके ऊपर अवधारणा व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी सक्षमता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक का संचालन किया है।

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725
युडीआईएनः F005935B000365008

दिनांक :26.06.2020
स्थान : कोलकाता

To,
The Members,
UCO Bank

Sub: Certificate under Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to the Directors of UCO Bank ("the Bank") as on 31st March, 2020 with respect to the regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we certify that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725
UDIN : F005935B000365008

Date: 26.06.2020
Place: Kolkata

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	31.3.2020 की स्थिति As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति As on 31.3.2019 ₹
पूंजी /Capital	1	9918 34 06	5423 39 82
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		–	3596 68 22
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	9291 28 35	8370 97 22
जमाराशियां / Deposits	3	193203 44 35	197906 78 17
उधार Borrowings	4	15695 06 21	8323 67 86
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	7800 02 16	6862 56 73
योग /TOTAL		**235908 15 13**	**230484 08 02**

वास्ते आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी
For **R M LALL & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(सीए विकाश चंद्र श्रीवास्तव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 0401216
यूडीन : **20401216AAAABW3605**
(CA VIKAS CHANDRA SRIVASTAVA)
Partner
Membership No. 0401216
UDIN: 20401216AAAABW3605

वास्ते एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई
For **M C BHANDARI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393
यूडीन : **20064393AAAAMW6776**
(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No. 064393
UDIN: 20064393AAAAMW6776

वास्ते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई
For **V SINGHI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 016830
यूडीन : **20016830AAAABF2989**
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830
UDIN: 20016830AAAABF2989

वास्ते रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी
For **RAMA K GUPTA & CO**
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(सीए नितीन गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 419124
यूडीन : **20419124AAAABC2400**
(CA NITIN GUPTA)
Partner
Membership No. 419124
UDIN: 20419124AAAABC2400

वास्ते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए हरदीप सिघंल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 505618
यूडीन : **20505618AAAABY9585**
(CA HARDEEP SINGHAL)
Partner
Membership No. 505618
UDIN: 20505618AAAABY9585

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 26-06-2020

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां ASSETS	अनुसूची Schedule	31.3.2020 की स्थिति As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति As on 31.3.2019 ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	6776 72 84	8823 01 03
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	11029 43 00	15609 08 87
निवेश/Investments	8	90998 81 30	82231 69 18
अग्रिम/Advances	9	101174 25 29	99313 84 23
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	2840 37 28	2822 31 43
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	23088 55 42	21684 13 28
योग /TOTAL		**235908 15 13**	**230484 08 02**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	39082 15 89	87384 97 98
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	7822 35 04	8538 84 34

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

आनंद मधुकर
निदेशक
ANAND MADHUKAR
Director

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 26-06-2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2019 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	15134 33 32	14330 63 23
अन्य आय /Other Income	14	2871 21 30	1513 51 46
योग/TOTAL		**18005 54 62**	**15844 14 69**
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	10042 06 01	10019 47 85
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	3127 88 75	3064 42 43
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		7272 42 75	7081 32 70
योग/TOTAL		**20442 37 51**	**20165 22 98**
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		-2436 82 89	- 4321 08 29
लाभ/(हानि) अग्रेनीत / Profit/(Loss) Brought Forward		-9975 45 40	- 5603 83 47
योग/TOTAL		**-12412 28 29**	**- 9924 91 76**

वास्ते आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी
For **R M LALL & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(सीए विकाश चंद्र श्रीवास्तव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 0401216
यूडीन : **20401216AAAABW3605**
(CA VIKAS CHANDRA SRIVASTAVA)
Partner
Membership No. 0401216
UDIN: 20401216AAAABW3605

वास्ते एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई
For **M C BHANDARI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393
यूडीन : **20064393AAAAMW6776**
(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No. 064393
UDIN: 20064393AAAAMW6776

वास्ते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई
For **V SINGHI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 016830
यूडीन : **20016830AAAABF2989**
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830
UDIN: 20016830AAAABF2989

वास्ते रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी
For **RAMA K GUPTA & CO**
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(सीए नितीन गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 419124
यूडीन : **20419124AAAABC2400**
(CA NITIN GUPTA)
Partner
Membership No. 419124
UDIN: 20419124AAAABC2400

वास्ते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए हरदीप सिघंल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 505618
यूडीन : **20505618AAAABY9585**
(CA HARDEEP SINGHAL)
Partner
Membership No. 505618
UDIN: 20505618AAAABY9585

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 26-06-2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2019 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves			-
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		125 11 45	50 53 64
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend			-
प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on Proposed Dividend			-
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet		-12537 39 74	- 9975 45 40
योग /TOTAL		**-12412 28 29**	**- 9924 91 76**
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)		**₹ - 3.10**	**₹ - 11.16**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

आनंद मधुकर
निदेशक
ANAND MADHUKAR
Director

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 26-06-2020

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020
अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020		31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 1000,00,00,000 (600.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1000,00,00,000 (600,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	10000 00 00		6000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000/- के 2,25,000 बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर 2,25,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹1,00,000/- each	2250 00 00	12250 00 00	2250 00 00	8250 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 991,83,40,622 (542,33,98,204) ईक्विटी शेयर 991,83,40,622 (542,33,98,204) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 936,72,92,970 (505,94,39,780) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 936,72,92,970 (505,94,39,780) shares held by Central Govt.]	9918 34 06		5423 39 82	
		9918 34 06		5423 39 82
योग /TOTAL		**9918 34 06**		**5423 39 82**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020		31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2255 91 17		2255 91 17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती				
Addition / Deduction during the year				
		2255 91 17		2255 91 17
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष				
Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	514 39 01		463 85 37	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit & Loss Account	125 11 45		50 53 64	
	639 50 46		514 39 01	
		639 50 46		514 39 01
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	2349 75 51		2351 77 69	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	30 25 14		17 64 70	
	2380 00 65		2369 42 39	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	31 63 42		19 66 88	
		2348 37 23		2349 75 51
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	12257 83 35		7165 07 46	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	3462 52 72		5092 75 89	
		15720 36 07		12257 83 35

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020		31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019	
	₹	₹	₹	₹
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	485 33 09		464 12 18	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	31 01 89		21 20 91	
	516 34 98		485 33 09	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	224 22 00			
		292 12 98		485 33 09
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	476 86 70		413 78 22	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/ from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	89 19 69		63 08 48	
	566 06 39		476 86 70	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		566 06 39		476 86 70
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit & Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	-9975 45 40		-5603 83 47	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-2561 94 34		-4371 61 93	
		-12537 39 74		-9975 45 40
योग (I से Vतक) / TOTAL(I to V)		**9291 28 35**		**8370 97 22**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020
अनुसूची 3 — जमाराशियां
Schedule 3 — DEPOSITS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	197 30 06	259 31 19
ii) अन्य से/From Others	12263 76 32	26354 97 63
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	63685 99 36	59376 46 99
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	1794 04 99	3116 98 33
ii) अन्य से/From Others	115262 33 62	108799 04 03
योग/TOTAL(I, II & III)	**193203 44 35**	**197906 78 17**
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	188207 41 62	192278 14 84
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	4996 02 73	5628 63 33
योग/TOTAL (i & ii)	**193203 44 35**	**197906 78 17**

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	7849 00 00	939 75 33
ii) अन्य बैंक/Other Banks	3571 55 04	3471 74 70
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	4228 46 25	3875 50 72
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	46 04 92	36 67 11
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	**15695 06 21**	**8323 67 86**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	12648 85 05	4711 84 15
इसमें शामिल है/ Includes		
पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1061 35 00	
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	2 92 25	4 89 72
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	164 19 00	295 61 00
गौण ऋण/Subordinated Debt	1000 00 00	2075 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		500 00 00
बासेल III कंप्लाएंट टीयर - II बॉडों Basel-III Compliant Tier-II Bonds	2000 00 00	1000 00 00

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	55 62 15	71 89 75
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	669 84 87	991 76 23
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	752 69 67	690 05 95
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	6321 85 47	5108 84 80
योग /TOTAL	**7800 02 16**	**6862 56 73**
इसमें शामिल हैं / Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	493 21 83	492 87 13

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	923 42 31	585 08 33
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	5848 06 82	8237 92 70
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	5 23 71	
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	**6776 72 84**	**8823 01 03**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	10 04 61	13 61 55
ख) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts	3385 95 28	4992 20 70
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास a) With Banks	3325 00 00	9792 21 38
ख) अन्य संस्थाओं के पास b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	**6720 99 89**	**14798 03 63**
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	287 78 69	379 70 65
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	3548 72 17	276 62 06
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	471 92 25	154 72 53
योग /TOTAL	**4308 43 11**	**811 05 24**
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	**11029 43 00**	**15609 08 87**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020
अनुसूची 8 — निवेश
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	60518 42 23	56719 40 66
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	2 00 00	27 00 00
iii) शेयर/Shares	282 92 33	296 23 82
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	23216 21 65	19461 77 73
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	108 15 69	108 15 69
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	3633 37 75	2565 01 77
योग/TOTAL	**87761 09 65**	**79177 59 67**
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	3237 71 65	3054 09 51
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	**3237 71 65**	**3054 09 51**
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II) **	**90998 81 30**	**82231 69 18**

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /
** Net of provision for Depreciation on Investments & provision for Non-Performing Investments

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020			31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019		
निवेश INVESTMENTS	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	89531 51 59	1770 41 94	87761 09 65	80622 05 15	1444 45 48	79177 59 67
II. भारत के बाहर Outside India	3383 33 73	145 62 08	3237 71 65	3187 54 85	133 45 34	3054 09 51
योग/TOTAL	**92914 85 32**	**1916 04 02**	**90998 81 30**	**83809 60 00**	**1577 90 82**	**82231 69 18**

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान
Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/		
Bills Purchased and Discounted	5722 74 54	8286 83 68
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण /		
Cash Credits, Overdrafts and Loans		
repayable on demand	46734 50 74	41344 33 66
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	48717 00 01	49682 66 89
योग/TOTAL	**101174 25 29**	**99313 84 23**
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/		
(बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/		
Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	90058 39 23	86686 43 14
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/		
Covered by Bank/Govt. Guarantees	2125 67 08	5373 15 46
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	8990 18 98	7254 25 63
योग/TOTAL	**101174 25 29**	**99313 84 23**
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	42076 12 92	37212 60 47
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	11172 84 76	8979 33 79
(iii) बैंक/Banks	26 20 87	7 21 18
(iv) अन्य/Others	39344 04 96	45695 78 02
योग/TOTAL	**92619 23 50**	**91894 93 46**
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	1691 96 91	2770 39 56
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	5720 54 36	3647 21 43
(ग) अन्य		
(c) Others	1142 50 52	1001 29 78
योग/TOTAL	**8555 01 79**	**7418 90 77**
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	**101174 25 29**	**99313 84 23**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. **परिसर**/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	286 10 29	289 50 99
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	5 58 39	3 87 23
	291 68 68	293 38 22
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	17 99 37	4 99 66
	309 68 05	298 37 88
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	4 88 36	12 27 59
	304 79 69	286 10 29
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	2585 61 49	2555 36 36
	2890 41 18	2841 46 65
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	2890 41 18	2841 46 65
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	326 54 36	293 53 65
योग/ TOTAL	2563 86 82	2547 93 00
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	1753 80 25	1683 43 95
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	2 36 29	2 88 96
	1756 16 54	1686 32 91
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	125 26 66	70 72 46
	1881 43 20	1757 05 37
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	15 02 50	3 25 12
	1866 40 70	1753 80 25
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	1597 87 57	1487 42 98
योग/ TOTAL	268 53 13	266 37 27
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	7 97 33	8 01 16
योग/TOTAL	7 97 33	8 01 16
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	**2840 37 28**	**2822 31 43**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	2098 53 86	1700 94 44
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	1864 06 26	1989 83 31
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	5 47 91	5 33 85
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	9362 08 00	8086 37 00
VII. अन्य/Others	9758 39 39	9901 64 68
योग/TOTAL	**23088 55 42**	**21684 13 28**

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2020 ₹	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2019 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	190 19 93	189 09 33
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 11 50	3 11 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	26270 49 17	74361 44 98
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents -		
क) भारत में A) In India	4642 56 64	4738 18 99
ख) भारत के बाहर B) Outside India	62 04 61	45 01 29
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4156 20 32	4674 12 17
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	3757 53 72	3373 99 72
योग/ TOTAL	**39082 15 89**	**87384 97 98**
# इसमे आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	1670 78 65	2316 59 20

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	8140 50 66	7824 75 49
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	5939 08 85	5348 27 68
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	476 29 52	501 85 88
IV.	अन्य/Others	578 44 29	655 74 18
	योग/TOTAL	**15134 33 32**	**14330 63 23**

अनुसूची 14 – अन्य आय
Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹		31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹	
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)		183 77 92		232 63 88
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	1092 68 15		310 59 81	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	55 19 44	1037 48 71	29 84 83	280 74 98
III.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	23 38		9 98 80	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	12 76	10 62	49 75	9 49 05
IV.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	244 60 17		199 70 57	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	8 33 68	236 26 49	38 92 13	160 78 44
V.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		8 97 80		4 84 83
VI.	विविध आय/ Miscellaneous Income #		1404 59 76		825 00 28
	योग/TOTAL		**2871 21 30**		**1513 51 46**

इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं /
Includes Recovery in Written Off Accounts — 1002 97 27 — 448 29 99

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000′ को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	9308 69 80	9329 26 93
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	243 60 97	249 92 97
III. अन्य/Others	489 75 24	440 27 95
योग/TOTAL	**10042 06 01**	**10019 47 85**

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000′ को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1929 39 59	1946 21 67
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	264 67 40	255 43 45
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	27 26 22	29 47 28
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	8 30 96	14 05 55
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	137 28 93	136 88 11
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	76 98	46 61
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	42 69 76	37 67 12
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	4 06 78	5 64 69
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	7 16 33	61 25 09
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	13 24 52	9 17 14
XI. बीमा/Insurance	180 38 06	160 04 68
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	512 63 22	408 11 04
योग/TOTAL	**3127 88 75**	**3064 42 43**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING?

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. अग्रिम / ADVANCES:

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के आनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुर्ननिर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. निवेश / INVESTMENTS

3.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षिति, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनि ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्याकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की सममुल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाति है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्ह्रास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यह्रास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/ spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली /Translation

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/A) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/a) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/b) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ)/B) **निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan**

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/C) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/a. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/b. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/c. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है। Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।
Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।
In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियो निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।
Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आाधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्यापित होने पर किया जाता है।
Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।
Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याय की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।
Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।
Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।
Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/a) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय मे होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।
Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/b) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।
Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/c) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/d) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थ्गित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता हैः

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/a) बचाव-व्यवस्या पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/b) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/c) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/d) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/e) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

(e) Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें/Items	31.03.20 की स्थिति As on 31.03.20	31.03.19 की स्थिति As on 31.03.19
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य शेयर टियर-I पूंजी अनुपात (%)/ Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.98	8.64
(ii)टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	8.98	8.64
(iii)टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.72	2.06
(iv)कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	11.70	10.70
(v)भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)/ Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	94.44	93.29
(vi)पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	4494.94	3115.24
(vii)टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised; out of which	--	--
(पीएनसीपीएस): / (PNCPS):	--	--
पीडीआई: / (PDI):	--	--
(viii)टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised; out of which	1000	
Debt capital instrument:	1000	--
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : (बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) Preference Share Capital Instruments : [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	--	--

I. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नांकित शेयर जारी कर आवंटित किए -

क) भारत सरकार को दिनांक 23.04.2019 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹9.01 (रूपये नौ एवं पैसे एक मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति ईक्विटी शेयर ₹19.01 (उन्नीस रुपये एक पैसा मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रूपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 175,17,09,626 (एक सौ पचहत्तर करोड़ सत्रह लाख नौ हजार छः सौ छब्बीस) ईक्विटी शेयर दिये गये। जिसके परिणामस्वरूप ₹3330 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ।

ख) बैंक ने सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 के अनुपालन में यूको बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) 2019 के तहत कर्मचारियों से न्यूनतम निर्धारित मूल्य रु.19/- प्रति शेयर में 25% की छूट के बाद रु.14.25 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर रु.10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 18,70,89,228 (अठारह करोड़ सत्तर लाख नवासी हजार दो सौ अट्ठाइस) इक्विटी शेयर से कुल रु. 266.60 करोड़ की पूंजी जमा की है।

ग) भारत सरकार को दिनांक 07.11.2019 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर रु. 6.89 (रुपये छह एवं नवासी पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति इक्विटि शेयर रु. 16.89 (रुपये सोलह एवं नवासी पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक रु. 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 126,11,01,243

I. During the year the Bank issued shares and allotted -

a) 175,17,09,626 (One Hundred and Seventy Five Crore Seventeen Lakhs Nine Thousand Six Hundred Twenty Six) equity shares of face value of Rs. 10/- each for cash at an issue price of Rs. 19.01 (Rupees Nineteen and Paise One) per equity share including premium of Rs. 9.01 (Rupees Nine and Paise one) per equity share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, on preferential basis to Government of India on 23.04.2019 resulting in capital infusion of Rs. 3330 Crore.

b) 18,70,89,228 (Eighteen Crore and Seventy Lakhs Eighty Nine Thousand Two Hundred Twenty Eight) equity shares of face value of Rs.10/- each for cash at an issue price of Rs.14.25 per share after a discount of 25% on the floor price of Rs. 19/- per share, in compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 to the employees under UCO Bank Employee Share Purchase Scheme (ESPS) 2019 against their capital contribution aggregating to Rs.266.60 Crore.

c) 126,11,01,243 (One Hundred and Twenty Six Crore Eleven Lakh One Thousand Two Hundred Forty Three) equity shares of face value of Rs. 10/- each for cash at an issue price of Rs. 16.89 (Rupees Sixteen and Paise Eighty Nine) per share per equity share including premium of Rs.6.89 (Rupees Six and Paise Eighty Nine) per equity share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI

(एक सौ छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख एक हजार दो सौ तैंतालीस) इक्विटि शेयर दिए गए जिसके परिणामस्वरूप रु. 2130 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ।

घ) भारत सरकार को दिनांक 28.02.2020 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर रु. 6.54 (रुपये छह एवं पैसे चौवन मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति इक्विटि शेयर रु. 16.54 (रुपये सोलह एवं पैसे चौवन मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक रु. 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 129,50,42,321 (एक सौ उनतीस करोड़ पचास लाख बयालीस हजार तीन सौ इक्कीस) इक्विटि शेयर दिए गए जिसके परिणामस्वरूप रु. 2142 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ।

II. वर्ष के दौरान

- बैंक ने दिनांक 28.06.2019 को कुल रु. 500 करोड़ के 9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड जारी किए और दिनांक 16.12.2019 को कुल रु. 500 करोड़ के 9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड जारी किए।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 800 करोड़ के टियर II बॉण्डस (8.92%) की श्रृंखला XI को भुनाया तथा रु. 500 करोड़ के 8.90% यूको बैंक टियर II बॉण्डस का कॉल ऑप्शन दिया।

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं अनर्जक निवेश पर मूल्य-ह्रास/के प्रति किए गए निवेश तथा प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

ICDR Regulations, 2009, on preferential basis to Government of India on 07.11.2019 resulting in capital infusion of Rs. 2130 Crore.

d) 129,50,42,321 (One hundred Twenty Nine crore Fifty lakh Forty Two thousand Three hundred Twenty One) equity shares of face value of Rs. 10/- each for cash at an issue price of Rs. 16.54 (Rupees Sixteen and Paise Fifty Four) per share per equity share including premium of Rs.6.54 (Rupees Six and Paise Fifty Four) per equity share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, on preferential basis to Government of India on 28.02.2020 resulting in capital infusion of Rs. 2142 Crore.

II. During the year -

- the Bank issued 9.644% Basel III Tier II Bonds on 28.06.2019 aggregating Rs. 500 crore and 9.71% Basel III Tier II Bonds on 16.12.2019 aggregating Rs. 500 Crore.
- During the year, the Bank has redeemed Tier II Bonds (8.92%) Series XI of Rs. 800 crore and exercised Call option for 8.90% UCO Bank Tier II Bonds of Rs.500 crore.

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें/Items	31.03.20 की स्थिति As on 31.03.20	31.03.19 की स्थिति As on 31.03.19
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	89531.52	80622.05
(b) भारत के बाहर/ Outside India	3383.34	3187.55
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	1770.42	1444.46
(b) भारत के बाहर/Outside India	145.62	133.45
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	87761.10	79177.60
(b) भारत के बाहर/Outside India	3237.72	3054.10
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1577.91	1627.83
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year	474.38	570.45
: विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	8.98	3.15
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	145.23	623.52
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	1916.04	1577.91

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2020 को बकाया Outstanding as on 31st March 2020
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	–	7874.96	56.21	–
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	–	–	–	–
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गईं प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	–	8600.00	698.60	–
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	–	–	–	–

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	22636.46	20539.84	2613.36	15858.13	19805.45
(ii)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	920.74	44.90	50.00	44.90	44.90
(iii)	बैंक / Banks	2763.51	2669.74	-		
(iv)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1240.96	1037.64	557.31	1158.55	1065.07
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध* Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates*	108.16	108.16	-	108.16	108.16
(vi)	अन्य /Others	1486.88	1486.88	-	-	1486.88
(vii)	**उप योग** (i से vi) तक Sub Total (I to vi)	29156.71	25887.16	3220.67	17169.74	22510.46
(viii)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	983.11	-	145.62	145.62	145.62
(ix)	योग / Total (vii-viii)	28173.60	25887.16	3075.05	17024.13	22364.84

* आरआरबी में निवेश / Investment in RRB.

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक शेष / Opening balance	879.87	577.12
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	387.64	300.57
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	90.47	0.04
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	9.79	2.22
अंतिम शेष / Closing balance	1186.84	879.88
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	1078.55	799.76

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है :
The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2020	31.3.2019
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	22960.72	19369.56
- अन्य/-others	34879.34	34079.40
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	35074.79	30360.64
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	--	--

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category :

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2019-20	2018-19
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	1670.79	2316.59
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	23.63	20.66
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	4.00	1.53

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम सं. S.No.	विवरण Particulars	2019-20	2018-19
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2019 (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु “अत्यंत प्रभावी” नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु “अत्यंत प्रभावी” नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	-	-

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूपः

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Managing Director & CEO and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are

का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाः

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

placed to the MD & CEO/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/ liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl.No.	विवरण Particulars	2019-20		2018-19	
		मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	26270.48	1670.78	74361.45	2316.59
	क)/a) बचाव के लिए / For hedging	26270.48	920.00	74361.45	795.00
	ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	शून्य/Nil	750.78	शून्य/Nil	1521.59
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
	क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	7.52	4.00	12.77	1.53
	ख)/b) देयता (-) / Liability (-)	280.52	0.00	1.87	शून्य/Nil
3	ऋण एक्स्पोजर / Credit Exposure	815.77	39.59	2389.85	39.95
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
	क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	40.20	लागू नहीं/NA	-2.51
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-32.73	लागू नहीं/NA	-21.90
	ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
	अधिकतम /Maximum	लागू नहीं/NA	3.08	लागू नहीं/NA	-1.01
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	4.93	लागू नहीं/NA	4.08
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	बचाव-व्यवस्था पर- / on hedging				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	70.73	लागू नहीं/NA	7.08
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	3.73	लागू नहीं/NA	-12.80
	क्रय-विक्रय पर / on trading				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	2.13	लागू नहीं/NA	3.50
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	4.01	लागू नहीं/NA	1.55

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹23.63 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹20.66 करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligations will be ₹23.63 crores for FY 2019-20 (₹20.66 crore for FY 2018-19)

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹23.63 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है और एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹ 23.63 Crores, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें / Items	2019-20	2018-19
(i)	(क)/(a) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ (%) /Gross NPA as to Gross Advances (%)	16.77%	25.00%
	(ख) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) /		
	(b) Net NPAs to Net Advances(%)	5.45%	9.72%
(ii)	अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
	(क)/(a) **प्रारंभिक शेष / Opening Balance**	**29888.33**	**30549.92**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	6181.38	9082.44
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	16787.76	9744.03
	(घ)/(d) **अंतिम शेष / Closing Balance**	**19281.95**	**29888.33**
(iii)	सकल अनर्जक आस्तियाँ में उतार-चढ़ाव/Movement of Net NPAs		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष /**Opening Balance**	**9649.92**	**14082.07**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	5254.17	7720.07
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	9393.43	12152.22
	(घ)/(d) अंतिम शेष / **Closing Balance**	**5510.66**	**9649.92**
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
	(क)/(a) **प्रारंभिक शेष /Opening Balance**	**18993.71**	**15090.61**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान /Provisions made during the year	6178.73	8323.41
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ/राइट-बैक /Write-off/ write-back during the year :	12479.09	4420.31
	(घ)/(d) **अंतिम शेष / Closing Balance**	**12693.35**	**18993.71**

4.2 आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं आरबीएस 2018-19 के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान
Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBS 2018-19

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/157 डीबीआर. बीपी. बी.सी नंबर 32/ 21.04.018/ 2018-19 दिनांक अप्रैल 1, 2019 के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आय वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन को भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षक प्रक्रिया के अनुसार अपने नोट को वित्तीय स्टेटमेंट के साथ उसके विवरण के साथ देंगे। प्रावधान में विचलन निम्नलिखित रूप से है:

In terms of RBI circular no. RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/ 21.04.018/2018-19 April 1, 2019, the Banks are required to disclose divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to the financial statements, the details of divergence in provisioning are as under:

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹crore)

क्रम सं. Sr.	विवरण Particulars	राशि Amount
1.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सकल अनर्जक आस्ति Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	29888.33
2.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सकल अनर्जक आस्ति Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	31105.75
3.	सकल अनर्जक आस्ति में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	1217.42
4.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को शुद्ध अनर्जक आस्ति Net NPAs as on March 31,2019 as reported by the Bank	9649.92
5.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को शुद्ध अनर्जक आस्ति Net NPAs as on March 31,2019 as assesses by RBI	9484.87
6.	शुद्ध अनर्जक आस्ति में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	-165.05
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	18993.71
8.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति में अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	20383.88
9.	प्रावधान में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	1390.17
10.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (पीएटी) Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	-4321.09
11.	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के उपरांत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद (पीएटी) समायोजित (आनुमानिक) शुद्ध लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning*	-5225.53 #

* आरबीआई आरएआर 2019 के अनुसार / As per RBI RAR 2019

** आंकड़ों में 770,00,000 रुपये के निवेश के मूल्यांकन के लिए प्रावधान में विचलन शामिल है।
Figures includes divergence in provision attributable to valuation of investments of Rs. 770,00,000.

आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के साथ समायोजित आंकड़े।
Figures adjusted with impact of Deffered Tax Assets (DTA)

4.3 पुनर्संरचित खातों का विवरण

दिनांक 31.03.2020 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक (राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार → / अस्ति वर्गीकरण → / विवरण ↓			सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
				मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक ऑकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	2	0	33	2	37	1284	4	8	2	1298	855	464	2821	5	4145	2141	468	2862	9	5480
			2019	5	2	32	2	41	2	1	10	2	15	772	451	2819	4	4046	779	454	2861	8	4102
		बकाया राशि	2020	67.35	0.00	2690.39	38.59	2796.33	178.54	2.91	9.88	3.13	194.46	124.10	68.60	4093.48	1139.50	5425.68	369.99	71.51	6793.75	1181.22	8416.47
			2019	(96.28)	272.77	3742.18	38.59	4149.82	4.74	2.13	12.18	1.60	20.65	648.06	754.32	3989.08	147.93	5539.39	749.08	1029.22	7743.44	188.12	9709.86
		प्रावधान	2020	5.87	0.00	42.12	0.00	86.58	4.69	0.04	0.38	3.13	8.24	45.80	1.12	34.66	1139.50	1221.08	56.36	3.46	74.86	1181.22	1315.90
			2019	25.25	40.90	1496.87	0	1563.04	0.09	0.32	4.87	1.60	6.88	11.50	113.15	1595.63	0	1720.28	36.84	154.38	3097.38	1.60	3290.20
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	0	0	0	0	0	2422	43	0	0	2465	377	4	6	0	387	2799	47	6	0	2852
			2019	0	0	0	0	0	1283	3	0	0	1286	83	13	3	0	99	1366	16	3	0	1385
		बकाया राशि	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.33	43.53	0.00	0.00	300.86	24.60	0.32	104.80	0.00	130	281.93	43.85	104.80	0.00	430.58
			2019	0	0	0	0	0	170.94	2.29	0	0	173.23	22.41	117.09	0.45	0	139.95	193.35	119.38	0	0	313.18
		प्रावधान	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	8.50	0.00	0.00	15.09	3.69	0.05	70.64	0.00	74.38	10.22	8.55	70.64	0.00	89.41
			2019	0	0	0	0	0	4.65	0.01	0	0	4.66	1.12	7.39	0.02	0	8.53	5.77	7.40	0	0	13.19
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	0	0	0	0		57	-37	-20	0		88	-46	-42	0		145	-83	-62	0	
			2019	0	0	0	0		1	0	-1	0		0	0	0	0		1	0	-1	0	
		बकाया राशि	2020	0.00	0.00	0.00	0.00		12.49	1.61	10.88	0.00		9	3	6	0.00		21	4	17	0.00	
			2019	0	0	0	0		0.69	0	-0.69	0		0	0	0	0		0.69	0	-0.69	0	
		प्रावधान	2020	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA		0.00	0.00	0.00	0.00	
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान / जोखिम भार नहीं रखा गया अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं हैं	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0	69	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	69	0.00	0.00	0.00	69
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0
		बकाया राशि	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0	9	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8.64	0.00	0	0.00	8.64
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2020 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार →			सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	अस्ति वर्गीकरण → / विवरण ↓			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष के पुनर्संरचित खाते की अवनति	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	0	0	-7	7		-1114	910	204	0		-413	190	83	140		-1527	1100	287	140	
			2019	0	-1	1	0		-1	0	1	0		0	0	-1	1		-1	-1	1	1	
		बकाया राशि	2020	0.00	0.00	-609	609		-93.59	77.68	15.91	0.00		-83.0	28.00	40.50	14.50		-176.59	105.68	-552.94	623.85	
			2019	0.00	-270.06	270.06	0.00		-01-.13	-182.37	182.50	0.00		0.00	0.00	-34.11	34.11		-0.13	-452.43	418.45	34.11	
		प्रावधान	2020	0.00	0.00	-609	609		0	12	6	0.00		0.00	4	20	14.50		0	16	-583	624	
			2019	0.00	-13.09	13.09	0.00		0.00	-6.95	6.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-20.04	20.04	0	
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खाते की बट्टे खाते डाला जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	0	0	0	2	2	0	0	12	0	0	0	0	21	2	0	0.00	0.00	33.00	4.00	37
			2019	3	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	-1	1	4
		बकाया राशि	2020	0.00	0.00	0.00	38.59	39	0.00	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	114.77	10.02	0.00	0.00	0.00	138.60	48.61	187.21
			2019	29.93	2.71	1321.85	0.00	1353.49	-4.51	-180.86	184.11	-1.53	-2.79	546.37	802.81	-138.06	-957.46	253.66	570.79	624.66	1367.90	-958.99	1604.36
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2020	2	0	26	7	35	2580	994	220	2	3694	907	704	2931	143	4532	3489	1698	3184	145	8226
			2019	2	0	33	2	37	1284	4	8	2	1298	855	464	2821	5	4145	2141	469	2864	8	5482
		बकाया राशि	2020	67.35	0.00	2081.04	609.35	2757.74	346.13	125.73	12.84	3.13	487.83	74.61	99.69	4129.89	1143.98	5448.17	488.09	225.42	6223.77	1756.46	8651.20
			2019	67.35	0.00	2690.39	38.59	3796.33	178.54	2.91	9.88	3.13	194.46	124.10	68.60	4093.48	1139.50	5425.68	369.99	71.51	6793.75	1181.22	8416.47
		प्रावधान	2020	1.79	0.00	1040.52	609.35	1651.66	19.50	18.86	5.25	3.13	46.74	1.49	14.95	2064.95	1143.98	3225.37	22.77	33.81	3110.72	1756.46	4923.76
			2019	5.87	0.00	42.12	0.00	47.99	4.69	0.04	0.38	0.00	5.11	45.80	1.12	34.66	0.00	81.58	56.36	3.46	74.86	0	134.68

मानक पुनर्संरचित आंकड़ों को छोड़कर जिन्हें उच्च प्रावधान या जोखिम भार की जरूरत नहीं होगी (यदि लागू हो)

विभिन्न श्रणियों के अंतर्गत मात्रा एवं मूल्य में प्रारंभिक शेष को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्गठित, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनःसंकलित किया गया है।

* संबंधित आंकड़ों (₹1करोड़ से कम के खातों के मामले में) की अनुपलब्धता के फलस्वरुप संबंधित सेल में संचयी सूचना नहीं दी गई है।

4.3 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2020

NAME OF THE BANK: UCO Bank (Amount in ₹. Crore)

Sl No	Type of Restructuring →			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification → / Details ↓			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Openening figures)*	No. of borrowers	2020	2	0	33	2	37	1284	4	8	2	1298	855	464	2821	5	4145	2141	468	2862	9	5480
			2019	5	2	32	2	41	2	1	10	2	15	772	451	2819	4	4046	779	454	2861	8	4102
		Amount outstanding	2020	67.35	0.00	2690.39	38.59	2796.33	178.54	2.91	9.88	3.13	194.46	124.10	68.60	4093.48	1139.50	5425.68	369.99	71.51	6793.75	1181.22	8416.47
			2019	(96.28)	272.77	3742.18	38.59	4149.82	4.74	2.13	12.18	1.60	20.65	648.06	754.32	3989.08	147.93	5539.39	749.08	1029.22	7743.44	188.12	9709.86
		Provision thereon	2020	5.87	0.00	42.12	0.00	86.58	4.69	0.04	0.38	3.13	8.24	45.80	1.12	34.66	1139.50	1221.08	56.36	3.46	74.86	1181.22	1315.90
			2019	25.25	40.90	1496.87	0	1563.04	0.09	0.32	4.87	1.60	6.88	11.50	113.15	1595.63	0	1720.28	36.84	154.38	3097.38	1.60	3290.20
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	2020	0	0	0	0	0	2422	43	0	0	2465	377	4	6	0	387	2799	47	6	0	2852
			2019	0	0	0	0	0	1283	3	0	0	1286	83	13	3	0	99	1366	16	3	0	1385
		Amount outstanding	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.33	43.53	0.00	0.00	300.86	24.60	0.32	104.80	0.00	130	281.93	43.85	104.80	0.00	430.58
			2019	0	0	0	0	0	170.94	2.29	0	0	173.23	22.41	117.09	0.45	0	139.95	193.35	119.38	0	0	313.18
		Provision thereon	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	8.50	0.00	0.00	15.09	3.69	0.05	70.64	0.00	74.38	10.22	8.55	70.64	0.00	89.41
			2019	0	0	0	0	0	4.65	0.01	0	0	4.66	1.12	7.39	0.02	0	8.53	5.77	7.40	0	0	13.19
3	Upgradations to restructured standard category during the FY*	No. of borrowers	2020	0	0	0	0		57	-37	-20	0		88	-46	-42	0		145	-83	-62	0	
			2019	0	0	0	0		1	0	-1	0		0	0	0	0		1	0	-1	0	
		Amount outstanding	2020	0.00	0.00	0.00	0.00		12.49	1.61	10.88	0.00		9	3	6	0.00		21	4	17	0.00	
			2019	0	0	0	0		0.69	0	-0.69	0		0	0	0	0		0.69	0	-0.69	0	
		Provision thereon	2020	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA		0.00	0.00	0.00	0.00	
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0	69	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	69	0.00	0.00	0.00	69
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0
		Amount outstanding	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0	9	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8.64	0.00	0	0.00	8.64
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2020

NAME OF THE BANK: UCO Bank

(Amount i n ₹. Crore)

Sl No	Type of Restructuring →			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification → / Details ↓			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Down-gradations of restruc-tured accounts during the FY	No. of bor-rowers	2020	0	0	-7	7		-1114	910	204	0		-413	190	83	140		-1527	1100	287	140	
			2019	0	-1	1	0		-1	0	1	0		0	0	-1	1		-1	-1	1	1	
		Amount outstan-ding	2020	0.00	0.00	-609	609		-93.59	77.68	15.91	0.00		-83.0	28.00	40.50	14.50		-176.59	105.68	-552.94	623.85	
			2019	0.00	-270.06	270.06	0.00		-01-.13	-182.37	182.50	0.00		0.00	0.00	-34.11	34.11		-0.13	-452.43	418.45	34.11	
		Provi-sion thereon	2020	0.00	0.00	-609	609		0	12	6	0.00		0.00	4	20	14.50		0	16	-583	624	
			2019	0.00	-13.09	13.09	0.00		0.00	-6.95	6.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-20.04	20.04	0	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of bor-rowers	2020	0	0	0	2	2	0	0	12	0	0	0	0	21	2	0	0.00	0.00	33.00	4.00	37
			2019	3	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	-1	1	4
		Amount outstan-ding	2020	0.00	0.00	0.00	38.59	39	0.00	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	114.77	10.02	0.00	0.00	0.00	138.60	48.61	187.21
			2019	29.93	2.71	1321.85	0.00	1353.49	-4.51	-180.86	184.11	-1.53	-2.79	546.37	802.81	-138.06	-957.46	253.66	570.79	624.66	1367.90	-958.99	1604.36
7	Restruc-tured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	No. of borrow-ers	2020	2	0	26	7	35	2580	994	220	2	3694	907	704	2931	143	4532	3489	1698	3184	145	8226
			2019	2	0	33	2	37	1284	4	8	2	1298	855	464	2821	5	4145	2141	469	2864	8	5482
		Amount outstan-ding	2020	67.35	0.00	2081.04	609.35	2757.74	346.13	125.73	12.84	3.13	487.83	74.61	99.69	4129.89	1143.98	5448.17	488.09	225.42	6223.77	1756.46	8651.20
			2019	67.35	0.00	2690.39	38.59	3796.33	178.54	2.91	9.88	3.13	194.46	124.10	68.60	4093.48	1139.50	5425.68	369.99	71.51	6793.75	1181.22	8416.47
		Provi sion there on	2020	1.79	0.00	1040.52	609.35	1651.66	19.50	18.86	5.25	3.13	46.74	1.49	14.95	2064.95	1143.98	3225.37	22.77	33.81	3110.72	1756.46	4923.76
			2019	5.87	0.00	42.12	0.00	47.99	4.69	0.04	0.38	0.00	5.11	45.80	1.12	34.66	0.00	81.58	56.36	3.46	74.86	0	134.68

Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

Opening Balances in quantity and value under different categories have been regrouped, rearranged and recomputed wherever considered necessary.

*In the absence of relevant details (Pertaining to account less then Rs. 1 Cr) the cumulative information in the relevant cell has not been given.

4.3.1 एमएसएमई पुनर्संरचित खाते

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/100/डीबीआर/नं. बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक एमएसएमई पुनर्संरचित खातों का विवरण निम्नानुसार हैः

4.3.1 MSME Restructured Accounts

In accordance with RBI vide circular No. RBI/2018-19/100/DBR No. BP. BC. 18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019 on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Services Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2020 as under:

पुनर्संरचित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	राशि (रुपये करोड़ में) Amount (Rs. in Crores)
2353	365

4.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

अ/A. बिक्री के विवरण/Details of seles

आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण
Details of Financial Assets sold to Securitisation/Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें / Item	2019-20	2018-19
(i)	खातों की संख्या / No. of accounts	0	2
(ii)	कुल बकाया राशि Aggregate Balance Outstanding	0.00	46.24
(iii)	एफआईटीएल बकाया राशि FITL Balance Outstanding	0.00	0.00
(iv)	कुल प्रावधान / Aggregate Provision	0.00	46.24
(v)	एससी/आरसी(ii-iii-iv) को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC (ii-iii-iv)	0.00	--
(vi)	कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	0.00	2.47
(vii)	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बाबत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	87.36	214.57
(viii)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain/(loss) over net book Value	0.00	2.47

4.5 एससी/आरसी के अतिरिक्त खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
Details of Non performing financial assets purchased/sold to other than SC/RC

अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण / Particulars	2019-20	2018-19
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	(क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या / (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2019-20	2018-19
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil

4.6 (a) **प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का ब्योरा /Details of Investment in Security Receipts:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण **Particulars**	**बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying**		**गैर-बैंकिंग कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying**		**Total कुल**	
प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	**गत वर्ष Previous Year**	**चालू वर्ष Current Year**	**गत वर्ष Previous Year**	**चालू वर्ष Current Year**	**गत वर्ष Previous Year**	**चालू वर्ष Current Year**
	1574.24	1486.88	0.00	0.00	1574.24	1486.88

4.6 (b) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का प्रकटीकरण / Disclosure of Investment in Security Receipts.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण /**Particulars**	**विगत 5 वर्षो में जारी प्र.प्रा. SRs issued within past 5 years**	**5वर्षो से अधिक परंतु विगत 8 वर्षो में जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years**	**विगत 8 वर्षो से पूर्व जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 8 years ago**
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा.का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	627.19	842.11	17.56
	(i)के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (i)	211.51	293.59	17.56
(ii)	अन्य बैंकों /वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा. का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	(ii) के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
कुल/ Total (i) +(ii)		627.19	842.11	17.56

4.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2019-20	2018-19
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	493.22	492.87

उपर्युक्त प्रावधान में आस्ति वर्गीकरण पर 'कोविद -19 नियामक पैकेज' से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कोविद-19 पर दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020 एवं 23.05.2020 के प्रावधान के कारण विस्तारित लाभों के लिए मानक आस्तियों पर रु. 57.15 करोड़ शामिल है।

Above provision include Rs. 57.15 crore on Standard Assets for benefits extended due to RBI guidelines relating to 'COVID 19 Regulatory Package' on asset classification and provisioning dated 27.03.2020, 17.04.2020 and 23.05.2020 on COVID -19.

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड 'डीएएमईपीएल' को मानक खाते के रूप में रखा है। तथापि, आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

In terms of Supreme Court and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. "DAMEPL" as standard account. However, necessary provision as per IRAC norms have been made which are detailed as under:-

आईआरएसी मानदंड के अनुसार एनपीए के रूप में नहीं मानी गई राशि Amount not treated as NPA as per IRAC norms	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान Provisions required to be made as per IRAC norms	किया गया वास्तविक प्रावधान Provision actually held
194.14	48.54	48.54

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

	मदें / Items	2019-20	2018-19
(i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय(%)/Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	5.98	6.11
(ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय(%)/ Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	1.13	0.65
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय(%)/Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	1.91	1.18
(iv)	आस्तियों पर आय /Return on Assets (%)	-0.96	-1.84
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore)	13.70	13.69
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (₹ in lakh)	-10.84	-18.64

6.0 आस्ति देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2020 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2020

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	1दिन 1 Day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 30 दिन तक 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह तक 31days to 2 months	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक Over 2 months and upto 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 year	5 बर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	2,593 (1824)	4,347 (6596)	4,089 (5433)	8,066 (9810)	9,579 (11312)	7,330 (10658)	21,494 (24026)	28,997 (37505)	32,067 (29562)	16,634 (8135)	58,007 (53047)	1,93,203 (197907)
सकल अग्रिम / Advances Gross	672 (582)	1,477 (3440)	1,893 (2143)	2,933 (1965)	3,448 (3078)	3,825 (4921)	7,701 (6999)	13,491 (8641)	13,854 (15882)	11,658 (12618)	54,009 (59303)	1,14,961 (119573)
सकल निवेश /Investments Gross	- (3)	-	35 (249)	337 (262)	701 (2020)	925 (566)	2,012 (3401)	2,531 (4559)	5,905 (4233)	8,785 (6846)	71,684 (61668)	92,915 (83810)
उधार/Borrowings	46 (976)	-	5,535	- (275)	35	68 (33)	105 (174)	2,628 (2266)	5,278 (2275)	0 (1325)	2,000 (1000)	15,695 (8324)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	609 (585)	142 (1170)	627 (279)	3,961 (1612)	3,438 (2766)	3,622 (1808)	1,734 (3133)	3,177 (706)	2,549 (4422)	189 (433)	4,776 (2418)	24,824 (19331)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	440 (709)	90 (197)	469 (230)	1,196 (124)	588 (1848)	335 (972)	1,144 (1403)	2,810 (2149)	7,588 (6416)	344 (902)	3,362 (2090)	18,366 (17040)

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2019-20	2018-19
क/a) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) (i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	18680.39 9241.53	15438.52 8279.05
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	1018.09	980.40
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	--	--
क/a.आवासीय / Residential,	--	--
ख/b.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	--	--
ख/b) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3620.77	3020.66
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	**32560.78**	**27718.03**

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2019-20	2018-19
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	213.40	308.95
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	--	--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	--	--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	--	--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	19.00	20.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter’s contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	--	--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	--	--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	--	--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	--	--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	47.70	49.99
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	**280.10**	**378.94**

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2020	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2020	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2019	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2019
नगण्य/Insignificant A1	12548.50	11.2021	8403.96	10.60
कम/Low A2	2980.97	2.0976	567.30	—
सामान्य/Moderate B1/B2/C1	1.18	0.00	178.53	—
अधिक/High C2	—	—	—	—
अत्यधिक/Very High D	—	—	—	—
सीमित/Restricted	—	—	—	—
ऋणेतर/Off-credit	—	—	—	—
कुल/Total	**15530.65**	**13.2997**	**9149.79**	**10.60**

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा के भीतर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL) Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

The Bank had taken single borrower exposure & Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2020	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2019
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	12121.38	7075.93
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights,licences,authority etc	0	-
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	N/A	N/A

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान (बट्टे खाते डाले गए) की राशि

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made/(written back) for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2020	31.03.2019
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	शून्य/Nil	25.93
भारत के बाहर/Outside India	शून्य/Nil	(10.57)

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई शास्ति का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 और 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत बैंक पर शास्ति की है:

क) पीएमएलए, 2002 एवं 'बैंक द्वारा चालू खाता खोलना- अनुशासन की आवयकता' के तहत 'केवाईसी मानदंड/एएमएल मानक/सीएफ़टी/बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की बाध्यता पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न करने पर रु.50 लाख (रुपये पचास लाख मात्र)।

ख) बैंक को सीआरआईएलसी डेटा प्लेटफॉर्म पर कपट की रिपोर्टिंग देरी से करने पर रु.1 करोड़ (रुपये एक करोड़ मात्र)

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

During the financial year 2019-20, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with section 51 and 46(4)(i) of The Banking Regulation Act, 1949, has imposed penalty of :

a) Rs. 50 lakhs (Rupees Fifty lakhs only) for non-compliance of RBI directives on "KYC Norms/AML Standards/CFT/ Obligation of banks and financial institutions under PMLA 2002" and "Opening of Current Accounts by Banks -Need for discipline".

b) Rs 1 crore (Rupees One Crore only) on the Bank for delayed reporting of fraud on CRILC data platform.

9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नही हुआ है।

9.2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

i. बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।

ii. चालू वर्ष की देयताओं के लिए लाभ एवं हानि खाते में रु.820.84 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु.832.86 करोड़) (₹0.40 करोड़, पिछले वर्ष का ₹0.40 करोड़ के वार्षिक चिकित्सा सहायता सहित) की राशि सुरक्षित की गई है। लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवश्यक लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त रोजगार के बाद के लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है: -

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2020 as compared to those followed in the previous financial year 2018-19.

9.2 Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting policy No. 10 of Schedule -17.

9.3 AS - 15 -Employee Benefits (Revised)

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) " Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. A sum of Rs. 820.84 crore (Rs. 832.86 Crore for F.Y. 2018-19) (including Annual Medical Aid of Rs. 0.40 crores, previous year 0.40 crores) has been charged to the Profit & Loss Account towards current year's liabilities. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

(a) (ए) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	7216.32	6939.02	849.64	913.68	490.69	480.88	39.36	36.00	14.72	14.16	1.95	1.66
ब्याज लागत Interest Cost	451.34	489.00	49.20	60.26	32.72	36.07	2.63	2.70	0.98	1.06	0.13	0.12
चालू सेवा लागत Current Service Cost	78.45	30.11	56.25	47.32	41.36	35.33	0	-	3.45	2.94	0	-
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	899.28	-837.96	224.00	-220.45	0	-	0	-	0	-	0	-
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	708.68	596.14	91.28	48.83	-34.15	-61.59	-4.88	0.66	-7.09	-3.45	0.48	0.17
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	7555.51	7216.31	822.37	849.64	530.62	490.69	37.11	39.36	12.06	14.71	2.56	1.95

(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2020	पेंशन/ Pension 2019	उपदान/ Gratuity 2020	उपदान/ Gratuity 2019
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	7004.15	6920.77	832.23	692.15
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	579.94	579.96	68.91	57.38
नियोक्ता अंादान /Employer's contribution	677.18	367.46	95.06	294.68
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	899.28	-837.96	224.00	-220.45
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	-21.98	-26.09	-5.05	8.47
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	7340.01	7004.14	767.15	832.23

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	7555.51	7216.31	822.37	849.64	530.62	490.69	37.11	39.36	12.06	14.72	2.56	1.95
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	7340.00	7004.14	767.15	832.23	525.47	484.05	40.86	37.50	15.62	15.06	2.25	1.95
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	215.51	212.17	55.22	17.41	5.15	6.64	0.00	1.86	0.00	0.00	0.31	0.00

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		78.45	30.11	56.25	47.32	41.36	35.33	0	0	3.45	2.94	0	0
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		451.34	489.00	49.20	60.26	32.72	36.07	2.63	2.70	0.98	1.06	0.13	0.12
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)		579.94	579.96	68.91	57.38	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)		730.66	622.23	96.33	40.36	-34.15	-61.59	-1.13	0.66	-3.87	-3.45	0.48	0.17
राशि /Amount (A+B-C+D)		680.51	561.38	132.87	90.56	39.93	9.81	1.50	3.36	0.56	0.55	0.61	0.29
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss during the FY 2019-20	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 **(A)**	644.96	517.68	132.87	90.56	39.93	9.81	1.50	3.36	0.56	0.90	0.61	0.29
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution **(B)**	35.55	43.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction,	0	0	0	166.14	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	680.51	561.38	132.87	256.70	39.93	9.81	1.50	3.36	0.56	0.90	0.61	0.29

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	708.68	596.14	91.28	48.83	(34.15)	61.59	(4.88)	0.66	(7.09)	3.45	0.48	0.17
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(21.98)	(26.09)	(5.05)	8.47	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	730.66	622.23	96.33	40.36	(34.15)	61.59	(4.88)	0.66	(7.09)	3.45	0.48	0.17
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	730.66	622.23	96.33	40.36	(34.15)	61.59	(4.88)	0.66	(7.09)	3.45	0.48	0.17

निवेश के ब्योरे :

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियां एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	**100.00%**

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.50 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.38% (पेंशन हेतु/For Pension) 8.28% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 8 वर्ष (उपदान)/8 Years on an average (Gratuity) औसतन 19 वर्ष (पेंशन)/19 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट **Business Segment**	ट्रेजरी **Treasury**		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग **Corporate/Wholesale Banking**		रिटेल बैंकिंग **Retail Banking**		अन्य बैंकिंग परिचालन **Other Banking Operations**		योग **Total**	
विवरण **Particulars**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
राजस्व Revenue	8264.25	6809.87	5470.04	5046.71	4231.14	3947.60	40.12	39.97	18005.55	15844.14
परिणाम Result	2684.17	1353.23	(-)2964.18	(-)3195.27	(-)2196.93	(-)2503.65	40.12	39.97	(-)2436.83	(-)4305.73
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4835.60	2760.24
आयकर Income Tax									0.00	15.36
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									(-)2436.83	(-)4321.09
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	119052.63	117611.41	66039.24	63039.76	50331.21	49343.15	485.04	489.76	235908.15	230484.08
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									235908.15	230484.08
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	108670.50	102199.01	72206.26	71959.88	55031.39	56325.19	0.00	0.00	235908.15	230484.08
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									235908.15	230484.08

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/**Particulars**	देशी/**Domestic**		अंतरराष्ट्रीय/**International**		योग/**Total**	
	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
राजस्व/Revenue	17423.73	15376.84	581.81	467.31	18005.55	15844.15
आस्तियां/Assets	222361.13	218814.74	13547.02	11669.34	235908.15	230484.08

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ए. के. गोयल (01.04.2019-31.03.2020)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री चरण सिंह (01.04.2019 - 09.03.2020) (सेवानिवृत्त)

श्री अजय व्यास (03.04.2019 - 31.03.2020)

9.5 Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD & CEO)

Shri A. K. Goel (01.04.2019-31.03.2020)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Charan Singh (01.04.2019 - 09.03.2020) (Retired)

Shri Ajay Vyas (03.04.2019 - 31.03.2020)

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन / **b) Transactions with Key Management Personnel**

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	**अवधि Period**	**मदें Items**	**राशि Amount**
श्री ए. के. गेयल प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2019 से/to 31.03.2020	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	 30.65 8.94 3.77 0.29 –
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh ED	01.04.2019 से/to 09.03.2020	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	 151.78
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas ED	03.04.2019 से/to 31.03.2020	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	 24.49 3.82 0.10 3.35

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management.

ग. सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) निम्नलिखित हैं:

i) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी): यूको बैंक ने पीबीजीबी की शेयर पूंजी में रु.108.16 करोड़ का निवेश किया है, जो 309.02 करोड़ रुपये में शामिल है।

ii) यूको बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) को भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2018 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से समामेलित कर दिया गया था। हमें शेयर पूंजी में हमारे योगदान की राशि रु.76.35 करोड़ दिनांक 30.03.2019 को प्राप्त हुई है। तथापि, शून्य कूपन बॉण्ड्स (टियर II बॉण्ड) के तहत रु.6.57 करोड़ का निवेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

c) **Associates**

Regional Rural Bank (RRB) sponsored by the Bank is as under:

i) Paschim Banga Gramin Bank (PBGB): UCO Bank is having an investment of Rs.108.16 crore in the Share Capital of PBGB consisting of Rs.309.02 crore.

ii) Bihar Gramin Bank (BGB) sponsored by UCO Bank was amalgamated vide Gazette Notification issued by Government of India dated 21.12.2018. We have received our contribution towards share capital amounting Rs. 76.35 crore on 30.03.2019. However the investment under Zero Coupon Bonds (Tier II Bond) amounting Rs.6.57 crore is yet to be received.

d) The transactions with RRB have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are State Controlled Enterprises

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एएस-20):

9.6. EARNINGS PER SHARE (EPS)- (AS-20):

	31.3.2019	**31.3.2019**
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	-2436.83	-4321.08
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	991,83,40,622	542,33,98,204
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	786,54,85,592	387,03,18,135
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्युटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	-3.10	-11.16

9.7 एस-21, 23, 24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अत: आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा एएस 23, असतत परिचालन-एएस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹1275.71 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 ₹2759.12 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

9.7 Applicability of AS-21, 23, 24, 27

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21- Consolidated Financial Statements, AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the year net amount of ₹ 1275.71 Crore (₹ 2759.12 Crore for FY 2018-19) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	8268.60	7246.00
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	185.40	171.44
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	23.69	47.06
कर्मचारियो के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	21.66	20.80
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	172.33	172.21
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	64.91	30.40
कपट एवं अन्य के लिए प्रावधान/Provision for Fraud and other	625.50	398.46
योगः/TOTAL :	**9362.08**	**8086.37**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योगः/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	**9362.08**	**8086.37**

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the quarter ended/ year ended 31st March, 2020 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.9 अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

9.9 Intangible assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/**Intangible Assets as on 31.03.2020** (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	30.68	35.32
2	घटाएं. : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.00	0.00
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरूद्ध Net Block at the beginning of the year	30.68	35.32
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	36.92	8.29
5	घटाएंः अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	12.46	12.93
6	योग/Total	55.14	30.68
7	घटाएंः अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	21.50	17.57
8	घटाएंः अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	0.00	0.00
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	33.64	13.11

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2020

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2020	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2019
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	17.56	18.32
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.00	0.00
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	17.56	18.32
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	0.00	0.00
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	16.40	12.18
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	12.46	12.93
16 अंतिम शेष/Closing Balance	21.50	17.57

9.10 आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9.10 Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 अतिरिक्त प्रकटन : / Additional disclosures:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण **Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account**	**चालू वर्ष** **Current Year**	**पिछले वर्ष** **Previous Year**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	59.32	6.47
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	6143.81	8294.92
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	342.83	267.20
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	-2.39	-4.91
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	0.00	15.36
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	1.03	8.17
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	-66.89	-69.56
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-1275.71	-2759.12
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	263.66	190.00
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	1806.77	1132.80
योग / Total	**7272.43**	**7081.33**

10.2 आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमश: न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर,टीडीएस, शास्ति ,ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹14.51 करोड़ (₹16.40 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

10.2 Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to Rs. 14.51 Crore (Rs. 16.40 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to Rs. 3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has not received any intimation/notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

10.3 अस्थायी प्रावधान शून्य

10.4 रिजर्व से ड्रा डाउन शून्य

10.3 Floating Provisions Nil

10.4 Draw Down from Reserves Nil

10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

अ) ग्राहक-शिकायतें :

10.5 Disclosure of Complaints

A) Customer Complaints:

		चालू वर्ष Current Year	**पिछले वर्ष Previous Year**
क A	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	371	467
ख B	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	23067	21470
ग C	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	22921	21566
घ D	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	517	371

नोठ : ग्राहक शिकायतों में एटीएम शिकायतें भी शामिल हैं

Note : Number of customer complaints also includes ATM complaints.

आ) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.20

30 दिन तक Upto 30 days	**31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months**	**3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months**	**6 माह से अधिक तक > 6 months**	**योग Total**
400	101	10	6	517

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डः

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क a	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0	0
ख b	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	2	0
ग c	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of Awards implemented during the year	2	0
घ d	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

ई) एटीएम से संबंधित शिकायतें :

D) ATM Related Complaints:

		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क a	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतो की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	149	222
ख b	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	6455	6981
ग c	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	6537	7054
घ d	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	67	149

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार है:

10.6 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2019-20	शून्य / Nil
2	वर्ष 2019-20 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2019-20	शून्य / Nil
3	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2020	शून्य / Nil

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

10.7 Provisioning Coverage Ratio

	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) **As on 31.03.2020 (Current Year)**	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) **As on 31.03.2019 (Previous Year)**
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात/Provisioning Coverage Ratio	85.46%	74.93%

10.8 बैंकाश्योरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्योरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्योरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि., मेसर्स फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि., मेसर्स लिबर्टी विडियोकान जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्योरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
लाइफ कारोबार / Life Business	2.45	2.75
नॉन-लाइफ कारोबार / Non Life Business	6.05	5.90

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण / 10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures

क) जमाराशियों का संकेंद्रण / a) Concentration of Deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) **As on 31.03.2020 (Current Year)**	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) **As on 31.03.2019 (Previous Year)**
20 अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of 20 largest depositors	20981.69	20899.62
कुल जमाराशियां/Total Deposits	193203.44	193046.63
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में 20 अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Top 20 Depositors as % Total Deposits	**10.86%**	**10.83%**

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण / b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम /Total advances to twenty largest borrowers	17214.77	15929.19
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	14.97%	13.32%

ग) ऋण का संकेंद्रण / c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	19252.72	19404.04
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	9.26%	9.85%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण / 10.10 Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2019-20	2018-19
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	2291.90	3595.28

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

10.11 Sector wise Advances

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/ Current Year 2019-20			पिछले वर्ष/ Previous Year 2018-19		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstand-ing Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / Priority Sector (Including RIDF)						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	16818.44	4385.42	26.08	21197.49	4479.75	21.13
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1860.94	651.61	35.02	2540.34	682.62	26.87
3	सेवा क्षेत्र/Services	18124.64	2207.93	12.18	16411.65	2199.46	13.40
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	900.86	129.41	14.37	10482.92	507.19	4.84
	उप-योग(अ)/Sub-total (A)	**37704.88**	**7374.37**	**19.56**	**50632.40**	**7869.02**	**15.54**
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
2	उद्योग/Industry	19210.7	6877.78	35.80	31857.30	18179.93	57.07
3	सेवा क्षेत्र/Services	2885.57	161.49	5.60	3262.64	102.76	3.15
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	12727.15	1027.17	8.07	10633.66	499.35	4.70
5	अन्य/Others	42433.15	3841.14	9.05	22187.01	3237.27	14.59
	उप-योग (आ)/Sub-total (B)	77256.57	11907.58	15.41	68940.61	22019.31	31.94
	कुल (अ+आ)/**Total (A+B)**	**114961.45**	**19281.95**	**16.77**	**119573.01**	**29888.33**	**25.00**

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ / Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets		
विवरण / **Particulars**	**2019-20**	**2018-19**
क) दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2019 (Opening Balance)	29888.33	30549.92
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर b) Additions (Fresh NPAs) during the year	6118.08	9027.16
plus Exchange Difference	63.30	55.28
उप योग (अ)/Sub Total (A)	**36069.71**	**39632.36**
ग/c) घटाएं:/Less:		
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	1592.39	2332.20
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) / Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2716.28	2991.52
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालना/Technical/Prudential Write-offs	11496.57	3433.19
(iv) उक्त (iii) के अधीन को छोड़कर बट्टे खाते डालना/Write-Off other than those under (iii) above	982.52	987.12
उप योग (आ)/Sub total (B)	**16787.76**	**9744.03**
दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ-आ) (d) Gross NPAs as on 31st March 2020 (Closing Balance) (A-B)	**19281.95**	**29888.33**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का ब्योरा / Details of Technical/Prudential Written-Off Accounts:

विवरण/Particulars तकनीकी बट्टे खाते डाले गए एवं वसूलियां/Technical Write-off and Recoveries	2019-20	2018-19
दिनांक 01.04.2019 को तकनीकी /विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 01.04.2019	**8598.76**	**5915.11**
Add: (i) वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए Technical/Prudential write-offs during the year	11496.57	3433.19
(ii) पुराने खातों से अधिक/Addition to Old Accounts	193.75	17.60
उप योग (अ)/ (A) Sub-total	20289.08	9365.90
घटाएं / Less:		
वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली (आ) (B) Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year	1668.20	767.14
(आ) 31.03.2020 को अंतिम शेष / (B) Closing balance as at 31.03.2020	**18620.88**	**8598.76**

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /**Overseas Assets, NPA's and Revenue** (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2019-20	2018-19
कुल आस्तियां/Total Assets	13547.02	11669.34
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	1006.31	655.48
कुल राजस्व/Total revenue	581.81	467.31

10.14 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10.15 समाधान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप ही जाता है। अंतर शाखा लेन-देन एवं अंतर-बैंक शाखा लेन-देन में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2020 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.16 10.16. अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

10.17 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

Reconciliation of entries outstanding has been drawn up to 31.03.2020 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz., branch adjustment, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities are not be material.

10.16 Entra Group Exposure - NIL

10.17 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	164.69	122.98
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	140.46	46.90
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	1.50	5.19
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	303.65	164.69

10.18 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र युक्त निकायों के एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) हेतु 31.03.2020 को ₹26.30 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

10.19 चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज,बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हे 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर का परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

एलसीआर का निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एलसीआर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं :

10.18 Unhedged Foreign Currency Exposure:

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 26.30 lacs as on 31.03.2020 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

10.19 Liquidity Coverage Ratio (LCR):

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकासियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/ 10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

- **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**

  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त में मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 13% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।

- **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**
- **स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

- **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

  1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
  2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
  3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

निधियन स्रोतों का संकेंद्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधियन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यत: शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

- **Level 1 Assets**

  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 13% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

- **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**
- **Under Level 2A assets**

  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- **Under Level 2B assets**

  1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
  2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
  3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit (normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

चलनिधि कवरेज अनुपात/LIQUIDITY COVERAGE RATIO

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/**Quantitative Disclosure:**	(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)			
	चालू वर्ष/**Current Year** *		पिछले वर्ष/ **Previous Year****	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/High Quality Liquid Assets				
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां Total High quality Liquid Assets		57887.000		43923.87
नकदी निकासी/Cash Outflow				
2 रिटेल जमा/Retails Deposit	1,32,104.98	10,739.76	126070.15	9724.42
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	49,414.78	2,470.74	57651.85	2882.59
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Depsoit	82,690.21	8,269.02	68418.31	6841.83
3 अप्रतिभूत थोक अग्रिम जिनमें Unsecured Wholesale Advance	40,882.52	22,515.86	31571.10	13785.89
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposit (All Counter Parties)	1.03	0.26	0.14	0.04
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposit (All Counter Parties)	40,881.49	22,515.60	31570.96	13785.85
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-
4 प्रतिभूत थोक निधियन /Secured Wholesale Funding	608.36	-	-	-
5 अतिरिक्त जरुरतें, जिनमें Additional Requirements of Which	4,669.76	1,553.06	2804.58	2804.58
(i) व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1,314.21	1,314.21	2804.58	2804.58
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outlows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	3,355.55	238.86	-	-
6 अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	13,454.70	480.03	839.54	839.54
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	549.61	549.61	25648.03	997.36
8 कुल नकदी निकासी/Total Cash Outflows	1,92,269.94	35,838.32	-	28151.79
नकदी आगमन/ Cash Inflow				
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repo)	2,140.98	-	268.74	-
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	5,207.39	4,228.22	8357.87	6764.67
11 अन्य नकदी आगमन/Other Cash inflow	1,273.53	736.53	1120.80	783.28
12 **कुल नकदी आगमन/Total Cash inflow**	8,621.89	4,964.75	9747.41	7547.94
	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
21 **कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA**	59,535.83	57,887.00	-	43923.87
22 **कुल निवल नकदी निकासी/Total Net Cash Outflow**	-	30,873.57	-	20603.84
23 **चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)**	-	187.50%	-	213.18%

I **पिछली तिमाही समाप्ति का औसत, यानी अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020**/Average of Daily LCR of Current Year i.e. April 2019 to March 2020

II **पिछले वर्ष, यानी अप्रैल, 2018 से मार्च 2019 के दैनिक एसीआर का औसत** /Average of Daily LCR of Last Year i.e. April 2018 to March 2019

10.19 अचल आस्तियां

(i) बैंक ने भूमि एवं भवन के लिए पुनर्मूल्यन मॉडल को तथा अन्य अचल आस्तियों के लिए लागत मॉडल को अपनाया है।

(ii) बैंक ने स्वतंत्र सुयोग्य मूल्यांककों द्वारा अंतिम बार 31.03.2016 को अपने परिसर का पुनर्मूल्यन कराया था। बही मूल्य से अतिरिक्त उचित मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है। नियत तिथि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि की कुल राशि (हटाई गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) ₹2585.61 करोड़ (₹2555.36 करोड़) है तथा पुनर्मूल्यित भाग पर लगाया गया अवमूल्यन ₹237.24 करोड़ (₹205.60 करोड़) है। संशोधित एएस 10 के अनुसार भवन के पुनर्मूल्यन के कारण ₹31.20 करोड़ (₹21.20 करोड़) के अतिरिक्त अवमूल्यन के बराबर की पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

(iii) मूल्यांकक ने निम्नांकित रीतियों से उपर्युक्त संपत्तियों का मूल्यांकन किया है:

भूमि: नवीनतम लेन-देन के आधार पर स्थानीय पूछताछ द्वारा बाजार दरों पर, और जहाँ भी यह सूचना उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित दर को संदर्भ दर लिया गया है।

भवन: निर्माण प्रकार के आधार पर नवीनतम अनुसूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्लिंथ दर पर और भवन की आयु के अनुसार अवमूल्यन घटक लागू किया गया है।

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अचल आस्तियों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण :

क) परिसर में ₹433.11 करोड़ रु के पट्टे पर ली गई संपत्ति शामिल है एवं वर्ष के दौरान ₹1.74 करोड़ रु परिशोधित की गई।

ख) दो वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण / पंजीकरण हेतु लंबित लीज़ की सात (7) लीज़ धारित संपत्तियों में से एक संपत्ति वर्ष 1995 से लंबित है। बैंक ने सभी मामलों में वांछित कार्रवाई की है और यह समय पर पूरा हो जाएगा।

ग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700 001 में स्थित अपने भवन में अनधिकृत छब्बीस (26) किरायादारों में से अठारह (18) किरायादारों के विरुद्ध बैंक ने 20.05.2015 में मामला दायर किया है और यह मामला सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित है।

घ) देयताओं की प्रतिभूति रूप से गिरवी रखे गए हक, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर बंधन का अस्तित्व एवं सीमा – शून्य

ङ) निर्माण प्रक्रिया में संयंत्र उपस्कर की किसी वस्तु की वहनीय मात्रा में लिया गया व्यय – ₹7.28 करोड़ (₹3.09 करोड़)

च) 31.03.2020 को संपति, संयंत्र एवं उपस्कर के आधिग्रहण हेतु संविदागत वायदा - ₹25.31 करोड़ (₹37.27) करोड़।

छ) सक्रिय उपयोग से हटाकर निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की मात्रा - शून्य

10.20 अमर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का वर्गीकरण निर्धारित नहीं हैं। जैसा कि तुलन-पत्र अनुसूची-9 में कहा गया है कि विभिन्न वर्गो के सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उसकी कटौती की जाती है ताकि निवल अग्रिम शेष प्राप्त किया सके।

10.19 Fixed Assets

(i) Bank has adopted Revaluation Model for Land and Building and Cost Model for other Fixed Assets.

(ii) Bank has revalued its premises last on 31.03.2016 by independent qualified valuers. The excess of fair market value over the book value is credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is Rs. 2585.61 crore (Rs 2555.36 crore) and depreciation on the revalued portion charged is Rs 237.24 crore (Rs 205.60 crore). As per revised AS 10, Revaluation Reserve equal to the additional depreciation on account of Revaluation of the Building amounting to Rs. 31.20 Crore (21.20 Crore) has been transferred to Revenue Reserve.

(iii) The valuer has valued the properties on the following methods :

Land: On market rates by enquiry from the locality based on the latest transactions and wherever this information is not available, Govt. approved rate is taken as reference rate.

Building: On PWD plinth rate as per latest schedule on the basis of type of construction and applying depreciation factor depending on age of the Building.

Other Disclosures regarding Fixed Assets for FY ending 31.03.2020:

a) Premises include Leasehold property of Rs.433.11 Crores and amortised during the year Rs.1.74 Crores.

b) In respect of Seven (7) lease hold properties, renewal/ registration of lease is due for more than two years, out of which registration of lease of one property is pending since year 1995. The Bank has taken necessary measures in these cases and shall be completed in due course.

c) Out of twenty six (26) unauthorised tenants at its own building at 2, India Exchange Place, Kolkata-700001, suit has been filed by the Bank on 20.05.2015, against eighteen (18) tenants and case is pending before City Civil Court.

d) Existence and amount of restriction on title, property, Plant & Equipment pledged as security for liabilities - NIL.

e) Expenditure recognized in the carrying amount of an item of plant equipment and property in the course of construction is Rs 7.28 crore (3.09 crore).

f) Contractual commitments for the acquisition of the property, plant & equipment as on 31.03.2020 - Rs. 25.31 Crore (37.27 crore).

g) Amount of assets retired from active use and held for disposal - NIL

10.20 Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from Gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Scheduled 9 of the Balance Sheet.

10.21 तुलन पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया गया है। इससे तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों का अनुमान सुलभ करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होता है।

10.21 Assets and liabilities have been suitably adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date.

11. धोखाधड़ी का प्रकटीकरण / Disclosure on Frauds

क्र.सं./ S.No.	विवरण/ Details	
1.	दि. 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या। No. of frauds reported during the year ended 31.03.2020	118
2.	शामिल राशि/ Amount involved	₹ 5384.48 करोड़/crores
3.	भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के बाद की गई वसूली Recovery made after reporting the fraud to RBI	₹ 73.62 करोड़/crores
4.	दिनांक 31.03.2019 को बकाया राशि/Balance outstanding as on 31.03.2019	₹ 5310.86 करोड़/crores
5.	किए गए प्रावधान की मात्रा/Quantum of Provision made	₹ 5310.86 करोड़/crores

11.1 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक को उधारकर्ता कपट श्रेणी के तहत दो ऋण खातों की सूचना दी है और दिनांक 31.03.2020 तक बकाया राशि रु. 581.59 करोड़ थी। खाते पहले से ही एनपीए की श्रेणी में थे और दिनांक 31.03.2020 तक खाते में रु.282.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बैंक ने दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु.74.73 करोड़ (शेष प्रावधान का 25%) का अतिरिक्त प्रावधान किया है और शेष रु.224.22 करोड़ की राशि आरबीआई के परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक18.04.2016 के अनुसार रिज़र्व के लिए आरक्षित और आस्थगित कर दी गई है।

11.1 Bank has reported two loan accounts under Borrowal Fraud category to RBI in Quarter I of FY 2020-21 and amount outstanding was Rs.581.59 crore as on 31.03.2020. The accounts were already under NPA category and provision amounting to Rs.282.64 crores was held in the account as at 31.03.2020. Bank has made additional provision of Rs.74.73 crore (25% of remaining provision) as on 31.03.2020 and the remaining amount of Rs.224.22 crore has been charged to Reserves and deferred for adjustment in subsequent quarters in line with RBI circular No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016

12. विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटीकरण / Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु चुने गए उधारकर्ताओं की सं No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीली संरचना हेतु ली गई ऋण राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की औसत अवधि का वित्त भार Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After Applying flexible structuring
पिछला वित्त वर्ष Previous Financial Year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 19 से मार्च 20) Current Financial Year (From April 19 to March 20)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

13) नियोजित ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें एसडीआर दावा किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन हुआ है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL						

14) एसडीआर योजना के बाहर मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन का निर्णय लिया No. of accounts where banks have decided to effect change in owners hip	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि, जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित हैं Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि, जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित हैं Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग की तारीख को उन खातों में बकाया राशि, जिनमें नए शेयरों के निर्गम या प्रमोटर ईक्विटी की बिक्री द्वारा मालिकाना परिवर्तन किया जाता है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
1	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

15) कार्याधीन परियोजनाओं के मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परियोजना ऋण खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन करने का निर्णय किया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL			

16) 31.03.2020 तक दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए) के सतत ढांचे के लिए योजना पर प्रकटीकरण

Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2020

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जहाँ एस 4ए लागू किया गया है जो मानक के रुप में वर्गीकृत हैं। No. of accounts where S4A has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में In Part A	भाग ख में In Part B	
Classified as Standard				
2 (2)	267.04 (287.46)	88.47 (108.49)	178.57 (178.97)	162.80 (162.80)
एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	शून्य/NIL (शून्य/NIL)	शून्य/NIL (शून्य/NIL)	शून्य/NIL (शून्य/NIL)	शून्य/NIL (शून्य/NIL)

नोटः भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई /2017 - 18 /131 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.101 /21.04.048 /2017 – 18 दिनांक 12.02.2018 के पहले जबसे लागू

Note: Since implemented prior to RBI circular No. RBI/2017-18/131 DBR No. BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018

17) आईएनडी एएस पर प्रकटीकरण

पृष्ठभूमिः

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीतिः

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवयकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

बैंक ने आरबीआई/एमसीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में बैंक के सहयोग के लिए आईएनडी एएस परामर्शदाता के रूप में मेसर्स डेलॉयट हर्स्किस एंड सेल्स एलएलपी को नियुक्त किया है।

17) Disclosure on IND AS

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019.

Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

Bank has also appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as IND AS consultant to assist the bank in implementation of Indian Accounting Standard (IND AS) as per RBI/MCA guidelines.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगतिः

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है । पिछले जीएएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर,2019 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 29 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किया गया ।

18) संशोधित ढांचा के अंतर्गत दबावग्रस्त खातों के लिए समाधान योजना के कार्यान्वयन का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बंक के निदेश सं. आरबीआई / 2017-18 / 131 डीबीआर.नं. बीपी.बीसी.101 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित नीति को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह दिनांक 12.02.2018 से परिचालन में है। तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र को "अधिकारातीत" बताते हुए इसे रद्द कर दिया है और यह विचार व्यक्त किया है कि विधि में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

एसएए 1 तथा एसएमए 2 श्रेणी के अंतर्गत रु.20.00 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक्सपोजर की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन के लिए एक पृथक संप्रभाग बनाया गया है ताकि समर्पित, विशेषज्ञतापूर्ण तथा प्रेरित टीम के माध्यम से अधिकाधिक तथा समयबद्ध वसूली पर प्रयास केंद्रित किया जा सके।

19) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी नंबर 8/11.01.005/ 2016-17 दिनांक 13 अप्रैल 2017 के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 5 मई 2017 के माध्यम से यूको बैंक पर शुद्ध अनर्जक आस्ति में हुई वृद्धि एवं प्रतिकूल आरओए के फलस्वरूप सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) लागू किया है।

बैंक पीसीए ढांचा मानदंड का कड़ाई से पालन कर रहा है। बैंक ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है और अनर्जक आस्तियों को घटाने एवं अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। बैंक पीसीए ढांचे के तहत अपनी प्रगति के संबंध में आवधिक रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करता है।

20) कोविद -19 के प्रसार के कारण भारत एवं पूरे विश्व में लॉकडाउन है। निरंतर लॉकडाउन के परिणामस्वरूप विश्व एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बड़ी गिरावट आई है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक इसकी निगरानी कर रहा है। इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों और वर्तमान में बनी चिंताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह चालू वित्त वर्ष में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण पर 'कोविद-19 नियामक पैकेज' और कोविद-19 नियामक पैकेज-आस्ति वर्गीकरण पर दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020 एवं 23.05.2020 का प्रावधान से संबंधित दिशानिर्देश तथा बैंक के प्रावधान ने आस्ति वर्गीकरण के लाभ को बढ़ाया है और निम्नानुसार प्रावधान गया किया हैः

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on quarterly basis and last submitted on February 29, 2020 for the nine months ended December 31, 2019 compared with the previous GAAP figures.

18) Disclosure on Implementation of resolution plan on stressed accounts under Revised Framework:

Revised policy for resolution of stressed assets as per RBI direction no. RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04. 048/ 2017-18 February 12, 2018 has been approved by Bank's Board and put in to operation effective from 12.02.2018. Subsequently Supreme Court has struck down the RBI circular dated 12.02.2018 as "Ultra-Vires" and opined that it has no effect in law.

To augment the process of resolution of stressed assets under SMA1 and SMA2 category for exposure above Rs.20.00 crores a separate vertical for stressed asset management has also been created as approved by Bank's Board to focus recovery effort through a dedicated, specialized and motivated team for enhanced and timely recovery.

19) Prompt Corrective Action (PCA)

In terms of the RBI Circular No. RBI/2016-17/276 DBS.CO.PPD.BC.No. 8/11.01.005/2016-17 dated April 13, 2017, RBI through its letter dated May 05, 2017 put UCO Bank under Prompt Corrective Action (PCA) framework on account of high Net NPA and negative RoA.

Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve its profitability. Bank is also reporting its progress made on PCA framework to RBI periodically.

20) The Spread of COVID 19 has resulted a lockdown in India and across the Globe. The continued lockdown has resulted in significant decline in globe and local economic activities. The situation continues to be uncertain and Bank is closely monitoring the same. Despite these events and conditions, there would not be any material impact on Bank's results in future and going concern assumptions as at presently made. Management belief that no adjustments are required in the financial results as it does not significantly impact in the current financial year.

In accordance with RBI guidelines relating to 'COVID 19 Regulatory Package' on asset classification and provisioning dated 27.03.2020, 17.04.2020 and 23.05.2020 on COVID -19 Regulatory Package- Asset Classification and Provisioning the Bank has extended asset classification benefit and made provision as under:

क्र.सं./ S.No.	विवरण/ Particulars	(रु. करोड़ में)/ **(Rs. In Crore)**
1	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ा दिया गया है Respective amount where asset classification benefits is extended	571.54
2	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए प्रावधान Provisions made during the 4th quarter of FY 2019-20	57.15
3	स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के बदले संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	शून्य/Nil

कोविद-19 नियामक पैकेज - दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत समाधान की समीक्षा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर नं. बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 दिनांक 17.04.2020 के अनुसार कोई भी खाता उक्त समाधान अवधि में विस्तार के लिए पात्र नहीं था।

21) कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

In terms of RBI circular DOR No. BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020 on COVID 19 Regulatory Package - Review of resolution Timelines under the Prudential Framework on resolution of stressed assets, none of the account was eligible for getting extension of the said resolution period.

21) The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

i) 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,

ii) 1471 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने की है

iii) 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 1594 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, इसमें शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 9.49 प्रतिशत अग्रिम का, 31.87 प्रतिशत जमा का, 11.05 प्रतिशत ब्याज आय का तथा 32.55 प्रतिशत ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) 31,03,2020 को तुलन पत्र तथा बैंक की स्थिति की सही तथा साफ छवि की

ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हानि के सही अतिशेष की तथा

ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही तथा साफ छवि की ।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं। उन मानकों के तहत हमारे अन्य दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणी भाग में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व के अंतर्गत दिया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ साथ वित्तीय विवरणी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए संगत अपेक्षित आचार के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा कोड ऑफ एथिक्स की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

3. **ध्यान देने योग्य बातें**

i) हम कोविद- 19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के संबंध में वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट सं. 20 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक का वित्तीय प्रदर्शन भविष्य पर निर्भर है। बैंक निरंतर आधार पर सामना कर रही चुनौतियों से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है।

ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान पहचान किए गए कुछ कपट खातों से संबंधित रू. 224.22 करोड़ के प्रावधान के आस्थगन से संबंधित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट सं 11.1 का अवलोकन करें जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 से अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीनों तिमाहियों में लाभ और हानि खातों में प्रभारित किया जाएगा।

इन मामलों से संबंधित हमारी अवधारणा में संशोधन नहीं है।

मूल लेखा परीक्षा मामले

4. मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज़ करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	लेखापरीक्षा के प्रमुख विषयों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
अग्रिमों का वर्गिकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।	हमने आस्ति वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई: हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एंव जांच की।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	लेखापरीक्षा के प्रमुख विषयों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्ट्वेयर द्वारा किया जाता है । विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है। क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।	वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है।
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना ह, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।	निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया। हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया; उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के	इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था : • कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन। • विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूलिंगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन । • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।

मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण् यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

कोविद-19 के प्रकोप के कारण संशोधित ऑडिट प्रक्रियाएँ:

कोविद 19 महामारी के प्रकोप के कारण सरकारी प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और गतिशीलता प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया जो बैंक के वार्षिक वित्तीय समापन तथा बैंक की विभिन्न शाखाएं / अन्य कार्यालयों सहित इसकी लेखा-परीक्षा के समय के साथ जुड़ गया। लॉकडाउन संबंधी गतिशीलता प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा आरबीआई द्वारा दूरस्थ आधार पर बैंक ऑडिट कार्य, जहाँ भी भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, को करने के निदेश के अनुसरण में, कई शाखाओं-अंचलों - विभागीय कार्यालयों के मामले में दूरस्थ आधार पर लेखापरीक्षा की गई।

जैसा कि हम व्यक्तिगत रूप से / शारीरिक रूप से या शाखाओं / अंचलों / कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखा परीक्षा के साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने लेखा परीक्षा करने के लिए संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया और इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना गया। तदनुसार, सुदूर क्षेत्रों में लेखा परीक्षा करने के लिए हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं को संशोधित किया गया था।

हमारी ऑडिट की अवधि के दौरान, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए कोविड 19 महामारी संबंधी लॉकडाउन और गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण, बैंक के कई लेखा परीक्षक आवंटित शाखाओं / क्षेत्रीय / विभागीय कार्यालयों तक नहीं पहुँचने के कारण ऐसे संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से लेखा परीक्षा नहीं कर पाए।

जहां भी जा पाना संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल, सीबीएस के लिए दूरस्थ पहुंच / वैकल्पिक बैंक शाखाओं / कार्यालय स्थानों और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए।

बताई गई सीमा तक, ऑडिट प्रक्रिया ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर की गई, जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो ऑडिट के लिए ऑडिट सबूत के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग पर निर्भर थे।

इसके अलावा, हमने वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर कोविड 19 से संबंधित प्रभाव पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए विभिन्न मार्गदर्शन / परामर्श को भी ध्यान में रखा है।

उक्त के अनुसरण में हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है जो इस प्रकार है :

ए. बैंकों की कुछ शाखाओं / अंचलों / अन्य कार्यालयों के संदर्भ में, जहाँ कहीं भी व्यक्तिगत दौरा / पहुंच संभव नहीं था, वहाँ सीबीएस / डिजिटल माध्यमों / ईमेल से उत्पन्न विवरणों आदि की समीक्षा सहित आवश्यक अभिलेखों और दस्तावेजों की जाँच की गई।

वी. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और सुदूर पहुँच के माध्यम से दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाण पत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां का सत्यापन कार्य किया गया।

सी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपसी संवाद और फोन कॉल / कॉनफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाए गए। बैंक के संबंधित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी ऑडिट टिप्पणियों का समाधान किया गया।

अन्य बातें

5. हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 1471 शाखाओं और 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल अग्रिम रु. 53,703.60 करोड़ कुल ब्याज आय रु. 5011.27 करोड़ रुपये दर्शाती है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक हमारी राय में इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, जो पूरी तरह से रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

   उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी अवधारणा में परिवर्तन नहीं है।

वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताना होगा।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणी के गवर्नेस के लिए प्रभारीजनों का दायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं । इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना , कार्यान्वयन और रखरखाव करना , जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने ये समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैः

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारीलेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकतीं हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।
- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।
- जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमीं किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

10. उक्त पैराग्राफ 5 एंव 6 में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

(ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा

(ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

11. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

(क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;

(ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;

(ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।

(घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे हम उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार हैः

क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) जैसा कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से "आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों" को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है जैसा कि आरबीआई ने 19 मई, 2020 को अनुमति दी थी, हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं देते हैं।

कृते आर एम लाल एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 000932सी

(सीए विकास चंद्र श्रीवास्तव)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 0401216
यूडीन : **20401216AAAABW3605**

कृते एम सी भंडारी एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002ई

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 064393
यूडीन : **20064393AAAAMW6776**

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 311017ई

(सीए दिव्येंदु पाल चौधुरी)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 016830
यूडीन : **20016830AAAABF2989**

कृते रमा के गुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 005005सी

(सीए नितीन गुप्ता)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 419124
यूडीन : **20419124AAAABC2400**

कृते रावला एंड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 001661एन

(सीए हरदीप सिघंल)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 505618
यूडीन : **20505618AAAABY9585**

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.06.2020

Independent Auditors' Report

To

The Members of UCO Bank

Report On The Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2020, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

   i) 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us

   ii) 1471 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors

   iii) 2 overseas branches audited by overseas local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 1594 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.49 per cent of advances, 31.87 per cent of deposits, 11.05 per cent of interest income and 32.55 per cent of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;

   b. true balance of losses in case of the Profit and loss account for the year ended on that date; and

   c. true and fair view of cash flows in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Emphasis of Matter

i) We draw attention to Note No. 20 of Schedule 18 of the Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and Bank's financial performance is dependent on future development. Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.

ii) Refer Note no. 11.1 of Schedule 18 of the Financial Statements relating to deferment of provision of Rs. 224.22 crore pertaining to certain fraud accounts identified during the 1st quarter of the financial year 2020-21 and to be charged to the Profit and Loss accounts in the three quarters of financial year 2020-21 in terms of RBI Circular DBR No .BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments; We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments; For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision thereagainst; In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.
Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates , primarily , to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial	Our audit procedure in response to this key Audit Matter included • Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. • Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. • Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.

statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.	• Analysis of opinion received from the experts where ever available. • Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.
Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak: With the outbreak of COVID 19 pandemic, nationwide lockdown and mobility restrictions were imposed by the Government authorities, which has been extended from time to time and coincides with the timing for annual financial closing of the bank as well as with the audit of the bank including its various branches/ other offices. Considering the lockdown related mobility restrictions and RBI advisory to facilitate undertaking of the bank audit on remote basis, wherever, physical access was not feasible. As a consequent of the above, in case of many branches-zones-departmental offices audit were undertaken on remote basis. As we could not gather audit evidence in person /physically or through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/Zonal/Corporate Offices, we have to adopt modified audit procedures to undertake the audit and the same has been considered as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	During the period of our audit, due to the COVID 19 Pandemic related lockdown and mobility restrictions as imposed by the Government authorities, many of the auditors of the Bank could not undertake travel to the allocated Branches/Zonal/Departmental Offices and carry out the audit processes physically at such respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails, remote access to CBS/ access through alternative Bank branches/office locations and other relevant application software. To the said extent, the audit process were carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Further, we have also considered the various guidance/advisory issued by the Institute of Chartered Accountants of India on the COVID 19 related impact on the audit of financial statements. In the backdrop of above, we have suitably modified our audit procedures as follows: a. In respect of the certain branches/zones/Other offices of the banks, checking of necessary records and documents including review of the CBS housed/generated statements through digital mediums/emails etc, wherever, physical visit/ access was not feasible. b. Undertaking verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records as made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. c. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the concerned officials of the Bank.

Other Matters

5. We did not audit the financial statements / information of 1471 branches and 2 overseas branches included in the Financial Statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflects total advances of Rs.53703.60 crore at 31st March, 2020 and total interest income of Rs. 5011.27 crore for the year ended on that date, as considered in the Financial Statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 and 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:
    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. **We further report that:**
    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/ offices not visited by us;
    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:
    a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
    c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
    d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
    e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any comment in this regard.

For R M LALL & CO
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(CA VIKAS CHANDRA SRIVASTAVA)
Partner
Membership No. 0401216
UDIN: 20401216AAAABW3605

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No.064393
UDIN: 20064393AAAAMW6776

For V SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830
UDIN: 20016830AAAABF2989

For RAMA K GUPTA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(CA NITIN GUPTA)
Partner
Membership No. 419124
UDIN: 20419124AAAABC2400

For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(CA HARDEEP SINGHAL)
Partner
Membership No. 505618
UDIN: 20505618AAAABY9585

Place: Kolkata
Date: 26.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	(24368289)	(43057202)
समायोजन / Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	1372893	1368811
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	5304824	5914201
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for non-performing assets	61438130	82949254
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	(23932)	(49114)
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	6005254	(18154698)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(1062)	(94905)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया) Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1586520	1889793
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश Dividend received	(89780)	(48483)
टियर-II बॉंडों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग माना गया) Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	(14177)	(318973)
एटी-1 बॉंडों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया) Interest paid on AT-1 Bonds (treated separately)	0	57699
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)	1835952	445000
उप-योग/Sub-total	**53046332**	**30901383**
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	53046332	**30901383**
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(92976036)	(118609649)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(80042236)	(1387465)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	(1287114)	10758577
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	70184282	(31418631)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	(47033382)	160575018
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(8476005)	(8919880)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ) **Net cash flow from operating activities (A)**	**(106584159)**	**41899353**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(1432220)	(755047)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	200148	250176
प्राप्त लाभांश/Dividend received	89780	48483

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹
	टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds	14177	318973
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ) **Net cash flow from investing activities (B)**	**(1128115)**	**(137415)**
इ. **C.**	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/** **Cash flow from financing activities :**		
	ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares	25561436	14682578
	ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	17158564	16077422
	भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	33300000
	ईसपीएस आवेदन मुद्रा राशि/Amount of ESPS Application Money	0	2666822
	बासेल -III अनुपालित टीयर-2 बॉण्ड जारी करना / Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	10000000	0
	एटी-1 बाँडों का मोचन/ Redemption of AT-1 Bonds	0	(7500000)
	अपर टियर-2 बाँडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	(5000000)	0
	गौण ऋण का मोचन /Redemption of Subordinated Debts	(10750000)	(1000000)
	नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	9279553	(1337202)
	एटी-1 बाँडों पर ब्याज/Interest paid on AT-1 Bonds	0	(57699)
	अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/ Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(1835952)	(445000)
	गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(1586520)	(1889793)
	वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) **Net cash flow from financing activities (C)**	**42827081**	**54497128**

अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक
AJAY VYAS
Executive Director

ए. के. गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A. K. GOEL
Managing Director & CEO

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

के राजीवन नायर
निदेशक
K RAJIVAN NAIR
Director

डॉ. आशीष साहा
निदेशक
DR. ASISH SAHA
Director

आनंद मधुकर
निदेशक
ANAND MADHUKAR
Director

शशिकांत कुमार
उप महाप्रबंधक
SHASHI KANT KUMAR
Deputy General Manager

राम कुमार
महाप्रबंधक
RAM KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 26-06-2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2020 ₹	31.3.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2019 ₹
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)		
	Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	**(64885193)**	**96259066**
	विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	(1374213)	581563
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**(66259406)**	**96840629**
	क्रमश:1 अप्रैल 2018 और 2017 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2019 & 2018 respectively	**244320990**	**147480361**
	क्रमश: 31 मार्च 2019 और 2018 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	Cash and cash equivalents as on March 31,2020 & 2019 respectively	**178061584**	**244320990**
ई.	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य**		
D.	**Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year**		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
	Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5850833	6363014
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	82379270	74887777
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	156090887	66229570
		244320990	**147480361**
उ.	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य**		
E.	**Cash and Cash Equivalents at the end of the Year**		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
	Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9234231	5850833
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	58533053	82379270
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	110294300	156090887
		178061584	**244320990**

वास्ते आर एम लाल एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी
For **R M LALL & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 000932C

(सीए विकास चंद्र श्रीवास्तव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 0401216
यूडीन : **20401216AAAABW3605**
(CA VIKAS CHANDRA SRIVASTAVA)
Partner
Membership No. 0401216
UDIN: 20401216AAAABW3605

वास्ते एम सी भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई
For **M C BHANDARI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 303002E

(सीए नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393
यूडीन : **20064393AAAAMW6776**
(CA NEERAJ JAIN)
Partner
Membership No. 064393
UDIN: 20064393AAAAMW6776

वास्ते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई
For **V SINGHI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 016830
यूडीन : **20016830AAAABF2989**
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY)
Partner
Membership No. 016830
UDIN: 20016830AAAABF2989

वास्ते रमा के गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी
For **RAMA K GUPTA & CO**
Chartered Accountants
Registration No. 005005C

(सीए नितीन गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 419124
यूडीन : **20419124AAAABC2400**
(CA NITIN GUPTA)
Partner
Membership No. 419124
UDIN: 20419124AAAABC2400

वास्ते रावला एंड कं.
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001661एन
For RAWLA & CO
Chartered Accountants
Registration No. 001661N

(सीए हरदीप सिघंल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 505618
यूडीन : **20505618AAAABY9585**
(CA HARDEEP SINGHAL)
Partner
Membership No. 505618
UDIN: 20505618AAAABY9585

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 26-06-2020

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता हैः

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानददंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Cate	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
		लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज (कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)			
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10	5 तक Upto 5	निरंक NIL	

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का
बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

तालिका डीएफ - 1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.

ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध: लागू नहीं

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2020

UCO BANK

Table DF - 1:

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.

(i) Qualitative Disclosures:

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank	No	NA	No	NA	NA	NA
India						

a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
NA	NA	NA	NA

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NA	NA	NA	NA	NA

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NA	NA	NA	NA	NA

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable

तालिका डी एफ - 2

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	8141.37
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	1837.25
ब्याज दर जोखिम	1722.02
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.46
ईक्विटी जोखिम	88.77
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	793.44
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	
(ङ) **सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :**	
सामान्य ईक्विटी टियर 1	8.98%
टियर 1	8.98%
कुल पूँजी अनुपात	11.70%
शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	लागू नहीं

Table DF - 2

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures		
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.	
Quantitative Disclosures		(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk :	
	Portfolio subject to Standardized Approach	8141.37
	Securitization Exposures	Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk :	
	Standardized Duration Approach	1837.25
	Interest Rate Risk	1722.02
	Foreign Exchange Risk (including Gold)	4.46
	Equity Risk	88.77
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)	793.44
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
	Common Equity Tier I	8.98%
	Tier I	8.98%
	Total Capital ratios	11.70%
	For the top consolidated group	Not Applicable
	For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है –

i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।

iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।

iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।

v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।

ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i. ऋण जोखिम अधिग्रहण – कार्यनीति एवं नीतियां

ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया

iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया

iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण (सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	114961.44	8860.82
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	105457.91	7823.24
विदेशी	9503.53	1037.58

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	432.96	535.75
क.1 कोयला	94.40	517.54
क.2 अन्य	338.56	18.22
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख5)	**1,953.36**	**227.39**
ख.1 चीनी	343.04	17.41
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	9.57	120.75
ख.3 चाय	634.62	7.97
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	966.13	81.26
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	**43.20**	**7.14**
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	43.20	7.14
घ. वस्त्र (क से च तक)	**1,220.27**	**134.98**
क. सूती वस्त्र	664.91	67.41
ख. जूट	5.36	2.81
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	550.00	64.76
घ (अर्थात कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	**65.38**	**1.86**
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	**93.58**	**1.04**
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	**455.58**	**37.55**
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	**1190.79**	**45.69**
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	**636.08**	**181.43**
झ.1 उर्वरक	56.38	8.03
झ.2 औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स	245.15	15.69
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर)	81.31	58.93
झ.4 अन्य	253.24	98.78
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	**140.99**	**12.80**
ट. कांच एवं कांच के सामान	**140.91**	**15.93**
ठ सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	**625.67**	**60.52**
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	**4,143.69**	**419.06**
ड.1 लोहा एवं इस्पात	3448.52	330.44
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	695.17	88.62
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2	**2246.12**	**852.61**
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	988.78	182.42
ण.2 अन्य	1,257.34	670.19
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	**562.78**	**5.06**
थ. रत्न एवं जेवर	**398.32**	**0.00**
द. विनिर्माण	**531.27**	**830.66**
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	**10645.02**	**1780.48**
क. यातायात (क.1 से क.6)	3023.67	490.48
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	2868.20	490.48
क.2 बंदरगाह	0.0	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	155.47	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	0.0	0.0

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम		एक्सपोजर	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख.	ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	5,382.03	993.07
ख.1	बिजली (उत्पादन)	3756.83	205.76
ख.1.1	केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.1.2	राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
ख.1.3	निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.2	बिजली (संचारण)	1099.77	787.31
ख.2.1	केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2	राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
ख.2.3	निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.3	बिजली (वितरण)	525.43	0.00
ख.3.1	केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2	राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
ख.3.3	निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4	तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5	तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6	गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.	जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	272.11	0.0
ग.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंध	0.00	0.00
ग.2	जल-आपूर्ति पाईपलाईऩ	272.11	00
ग.3	जलशोधन संयंत्र	0.00	0.00
ग.4	अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5	सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6	बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ.	संचार (घ.1 से घ.2)	856.16	92.39
घ.1	दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	795.67	92.39
घ.2	दूरसंचार टॉवर	60.49	0.00
ङ	सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से इ.9)	1111.05	204.54
ङ.1	शिक्षण संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)	61.25	9.71
ङ.2	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)	5.49	0.01
ङ.3	1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	159.44	2.56
ङ.4	औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	143.64	0.0
ङ.5	उर्वरक (पूंजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6	बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	741.23	192.27
ङ.7	अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8	मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9	शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न.	अन्य उधोग	15738.42	126.61
	समस्त उद्योग (क से न तक)	**41,264.39**	**5,276.56**

घ) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
१ दिन	2,593	672	-	46	609	440
२ से ७ दिन तक	4,347	1,477	-	-	142	90
८ से १४ दिन तक	4,089	1,893	35	5,535	627	469
१५ से ३० दिन तक	8,066	2,933	337	-	3,961	1,196
३१ दिन से २ माह तक	9,579	3,448	701	35	3,438	588
२ माह से अधिक परंतु ३ माह तक	7,330	3,825	925	68	3,622	335
३ माह से अधिक परंतु ६ माह तक	21,494	7,701	2,012	105	1,734	1,144
६ माह से अधिक परंतु १ वर्ष तक	28,997	13,491	2,531	2,628	3,177	2,810
१ वर्ष से अधिक परंतु ३ वर्ष तक	32,067	13,854	5,905	5,278	2,549	7,588
३ वर्ष से अधिक परंतु ५ वर्ष तक	16,634	11,658	8,785	0	189	344
५ वर्ष से अधिक	58,007	54,009	71,684	2,000	4,776	3,362
Total	**1,93,203**	**114961**	**92915**	**15695**	**24824**	**18366**

च) एनपीए की राशि (सकल) : 19281.95 करोड़
- अवमानक : 3714.92 करोड़
- संदिग्ध 1 : 3022.36 करोड़
- संदिग्ध 2 : 6737.14 करोड़
- संदिग्ध 3 : 2777.93 करोड़
- हानि : 3029.60 करोड़

छ) शुद्ध एनपीए : 5510.66 करोड़

ज) एनपीए अनुपातः -
- सकल अग्रिम पर सकल एनपीए : 16.77 %
- शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए : 5.45 %

झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)
- प्रारंभिक शेष : 29888.33 करोड़
- वृद्धि : 6181.38 करोड़
- कमी : 16787.76 करोड़
- अंत शेष : 12981.95 करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़ (₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	18993.71	492.87
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	6143.81	शून्य
बट्टे खाते डालना	12479.09	शून्य
अतिरेक प्रावधानों को बट्टे खाते से निकालना	शून्य	-2.39
विनिमय अंतर	34.92	2.74
अंत शेष	12693.35	493.22

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ञ) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं	—
(बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	₹1002.97 करोड़

ट) अनर्जक निवेशों की राशि : 1186.82 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि : 1078.53 करोड़

ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़

- प्रारंभिक शेष : 778.15 करोड़
- अवधि के दौरान किए गए प्रावधान : 129.69 करोड़
- बट्टे खाते डालना : शून्य
- विनिमय अंतराल : 0.04 करोड़
- अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना : 70.37 करोड़
- अंत शेष : 837.51करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	18.08	2.55
2	खाद्य प्रसंस्करण	625.19	380.48
3	वस्त्र	554.83	472.93
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	37.51	22.87
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	55.69	30.82
6	कागज एवं कागज उत्पाद	306.18	272.64
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	67.77	67
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	197.23	161.41
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	42.47	22.82
10	कांच एवं कांच के सामान	1.20	0.25
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	502.67	401.23
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	1239.43	989.85
13	समस्त इंजीनियरिंग	1616.37	1288.48
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	517.00	501.62
15	रत्न एवं आभूषण	274.51	263.09
16	निर्माण	207.17	77.03

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	18275.64	1006.31	19281.95
एनपीए के लिए प्रावधान	11744.83	948.52	12693.35
मानक अग्रिमों के प्रावधान	459.61	33.61	493.22

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

i. Credit Risk acquisition - strategies & policies,
ii. Credit approval processes.
iii. Credit Risk monitoring processes.
iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹ 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ₹ 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	114961.44	8860.82
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	105457.91	7823.24
Overseas	9503.53	1037.58

c) Industry type distribution of Exposures (Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposures	
	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	432.96	535.75
A.1 Coal	94.40	517.54
A.2 Others	338.56	18.22
B. Food Processing (B.1 to B.5)	**1,953.36**	**227.39**
B.1 Sugar	343.04	17.41
B.2 Edible Oils and Vanaspati	9.57	120.75
B.3 Tea	634.62	7.97
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	966.13	81.26
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	**43.20**	**7.14**
Of which Tobacco and tobacco products	43.20	7.14
D. Textiles (a to f)	**1,220.27**	**134.98**
a. Cotton	664.91	67.41
b. Jute	5.36	2.81
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00
d. Silk	0.00	0.00
e. Woolen	0.00	0.00
f. Others	550.00	64.76
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
E. Leather and Leather products	**65.38**	**1.86**
F. Wood and Wood Products	**93.58**	**1.04**
G. Paper and Paper Products	**455.58**	**37.55**
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**1190.79**	**45.69**
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	**636.08**	**181.43**
I.1 Fertilizers	56.38	8.03
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	245.15	15.69
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	81.31	58.93
I.4 Others	253.24	98.78
J. Rubber, Plastic and their Products	**140.99**	**12.80**
K. Glass & Glassware	**140.91**	**15.93**
L. Cement and Cement Products	**625.67**	**60.52**
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	**4,143.69**	**419.06**
M.1 Iron and Steel	3448.52	330.44
M.2 Other Metal and Metal Products	695.17	88.62
N. All Engineering (N.1 + N.2)	**2246.12**	**852.61**
N.1 Electronics	988.78	182.42
N.2 Others	1,257.34	670.19
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	**562.78**	**5.06**
P. Gems and Jewellery	**398.32**	**0.00**
Q. Construction	**531.27**	**830.66**
R. Infrastructure (a to d)	**10645.02**	**1780.48**
a. Transport (a.1 to a.6)	3023.67	490.48
a.1 Roads and Bridges	2868.20	490.48
a.2 Ports	0.0	0.00
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00
a.4 Airport	0.00	0.00
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	155.47	0.00
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	0.0	0.0

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	5,382.03	993.07
b.1 Electricity (Generation)	3756.83	205.76
b.1.1 Central Govt PSUs	-	-
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	-	-
b.1.3 Private Sector	-	-
b.2 Electricity (Transmission)	1099.77	787.31
b.2.1 Central Govt PSUs	-	-
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	-	-
b.2.3 Private Sector	-	-
b.3 Electricity (Distribution)	525.43.	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	-	-
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	-	-
b.3.3 Private Sector	-	-
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	272.11	0.0
c.1 Solid Waste Management	-	-
c.2 Water supply pipelines	272.11	0.00
c.3 Water treatment plants	0.00	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c. 6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	**856.16**	**92.39**
d.1 Telecommunication (Fixed network)	795.67	92.39
d.2 Telecommunication towers	60.49	0.00
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1111.05	204.54
e.1 Education Institutions (capital stock)	61.25	9.71
e.2 Hospitals (capital stock)	5.49	0.01
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	159.44	2.56
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	143.64	0.0
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	741.23	192.27
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
S. Other Industries	15738.42	126.61
All Industries (A to T)	**41,264.39**	**5,276.56**

d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)

Particulars	Deposit	Advance Gross	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency-Asset	Foreign Currency-Asset
1 Day	2,593	672	-	46	609	440
2-7 days	4,347	1,477	-	-	142	90
8-14 Days	4,089	1,893	35	5,535	627	469
15-30 Days	8,066	2,933	337	-	3,961	1,196
31 days to 2 Month	9,579	3,448	701	35	3,438	588
Over 2 Months upto 3 Month	7,330	3,825	925	68	3,622	335
Over 3 Months upto 6 Month	21,494	7,701	2,012	105	1,734	1,144
Over 6 Months upto 1 Year	28,997	13,491	2,531	2,628	3,177	2,810
Over 1 Year upto 3 Year	32,067	13,854	5,905	5,278	2,549	7,588
Over 3 Year upto 5 Year	16,634	11,658	8,785	0	189	344
Over 5 Year	58,007	54,009	71,684	2,000	4,776	3,362
Total	**1,93,203**	**114961**	**92915**	**15695**	**24824**	**18366**

e) Amount of NPAs (Gross) : 19281.95 Cr
- Substandard : 3714.92 Cr
- Doubtful 1 : 3022.36 Cr
- Doubtful 2 : 6737.14 Cr
- Doubtful 3 : 2777.93 Cr
- Loss : 3029.60 Cr

f) Net NPAs : 5510.66 Cr

g) NPA Ratios: -
- Gross NPAs to gross advances : 16.77%
- Net NPAs to net advances : 5.45 %

h) Movement of NPAs (Gross)
- Opening balance : 29888.33 Cr
- Additions : 6181.38 Cr
- Reductions : 16787.76 Cr
- Closing balance : 12981.95 Cr

i) Movement of Specific & General Provision (₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	18993.71	492.87
Provisions made during the period	6143.81	NIL
Write-off	12479.09	NIL
Write-back of excess provisions	NIL	- 2.39
Exchange difference	34.92	2.74
Closing balance	12693.35	493.22

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement	—
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	₹1002.97 crore

k) Amount of Non-Performing Investments: 1186.82 Cr

l) Amount of provisions held for non-performing investments: - 1078.53 Cr

m) Movement of provisions for depreciation on investments

• Opening balance	:	778.15 Cr
• Provisions made during the period	:	129.69 Cr
• Write-off	:	NIL
• Exchange Difference	:	0.04 Cr
• Write-back of excess provisions	:	70.37 Cr
• Closing balance	:	837.51 Cr

n) Industry wise NPA and provisions (₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	18.08	2.55
2	Food Processing	625.19	380.48
3	Textiles	554.83	472.93
4	Leather and Leather products	37.51	22.87
5	Wood and Wood Products	55.69	30.82
6	Paper and Paper Products	306.18	272.64
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	67.77	67
8	Chemicals and Chemical Products	197.23	161.41
9	Rubber, Plastic and their Products	42.47	22.82
10	Glass & Glassware	1.20	0.25
11	Cement and Cement Products	502.67	401.23
12	Basic Metal and Metal Products	1239.43	989.85
13	All Engineering	1616.37	1288.48
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	517.00	501.62
15	Gems and Jewellery	274.51	263.09
16	Construction	207.17	77.03

o) Geography Wise NPA & Provisions (₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	18275.64	1006.31	19281.95
Provisions for NPA	11744.83	948.52	12693.35
Provisions for Standard Advances	459.61	33.61	493.22

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

1) सीएआरई
2) सीआरआईएसआईएल
3) इंडिया रेटिंग
4) आईसीआरए
5) बिक्रवर्क
6) एसएमईआरए

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1)	100% से कम का जोखिम भार	-	₹1,68,198.79 करोड़
2)	100% जोखिम भार	-	₹15,715.86 करोड़
3)	100% से अधिक का जोखिम भार	-	₹12,729.41 करोड़
4)	कटौती	-	₹3,385.95 करोड़
	योग	-	**₹1,93,258.11** करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

1) CARE
2) CRISIL
3) INDIA RATINGS
4) ICRA
5) Brickwork
6) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1)	Below 100% risk weight	-	₹ 1,68,198.79 Cr.
2)	100% risk weight	-	₹ 15,715.86 Cr.
3)	More than 100% risk weight	-	₹12,729.41 Cr.
4)	Deduction	-	₹3,385.95 Cr.
	Total	-	**₹ 1,93,258.11 Cr.**

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि –

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन है।

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगीः

क) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;

ख) 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

i) निर्माण की प्रकृति

ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती

iii) किराया से होने वाली आय

iv) निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि

v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र

vi) निर्माण की लागत

vii) जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

(क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य

(ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) **एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन**

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक

(ii) संयत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन

(iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना

(iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन

(v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार

(vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी

ii) कार्पोरेट गारंटी

iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹11957.10 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
iii) Operational requirement for guarantees must be met.
iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

i) Nature of construction
ii) Age of the building and its present strength
iii) Rental yield
iv) Tax amount assessed/paid
v) Area of land and building
vi) Cost of construction
vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

a) Current market price of the share

b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are -

i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
iv) Assignment of LIC Policies
v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,

ii) Corporate Guarantee

iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach-₹₹11957.10 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. **उद्देश्य एवं नीतियां:**

   निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. **कार्यनीति एवं प्रक्रिया:**

   यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. **संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठनः**

   निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. **जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**

   देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. **जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :**

   बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	1744.02
ईक्विटी स्थिति जोखिम	88.77
विदेशी मुद्रा जोखिम	4.46

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	1744.02
Equity Position Risk	88.77
Foreign Exchange Risk	4.46

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति(सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2020 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹793.44 करोड़ की है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEx for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹793.44 crores as on 31.03.2020.

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹29.70 करोड़
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- 8.45 % जोखिम पूंजी

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹29.70 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- 8.45 % Risk Capital

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) **डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:**

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) **जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:**

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) **जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :**

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्स्पोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	**राशि**
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्स्पोजर	0.00
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्स्पोजर**
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	26270.49	340.42
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	1670.79	23.63
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	27941.28	364.05

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

₹ in Cr

Particulars	Amount
Gross positive value of contracts	0.00
Netting Benefits	0.00
Netted current credit exposure	0.00
Collateral held	0.00
Net derivative credit exposure	0.00

₹ in Cr

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2020
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	26270.49	340.42
Single CCY Interest Rate Swaps	1670.79	23.63
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	27941.28	364.05

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग की जानेवाली बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका (यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		पूर्व-बासेल III उपचार के अधीन राशियां	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँज़ी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	256387.0	
2	प्रतिधारित उपार्जन		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	-78673.6	
4	*सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)*		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)		
6	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व**	**177713.4**	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	86388.8	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें सेः वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें सेः बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें सेः अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क+ 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क *जिसमें सेः* असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख *जिसमें सेः* असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग *जिसमें सेः* प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ *जिसमें सेः* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	**सामान्य ईक्विटी टियर** 1 **पूँजी (सीईटीआई)** **अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत**	91324.6	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	*जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
36	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व** **अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः नियमनकारी समायोजन**	-	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क+41ख)		
	41क जिसमे से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमे से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**	-	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी** (एटी1)	-	
45	**टियर 1 पूँजी (टी1 = सीईटी +1 एटी 1) (29 - 44)**	91324.6	
	टियर 2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	22000.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	*जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
50	प्रावधान	5827.0	
51	**टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व**	27827.0	
	टियर 2 पूँजीः नियमनकारी समायोजन		

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	137.8	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख *जिसमें से:* प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	**टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**		
58	**टियर 2 पूँजी** (टी2)	27689.2	
59	**कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)**	**119013.8**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)**	**1016754.9**	
	60क *जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ*	748632.1	
	60ख *जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ*	168942.9	
	60ग *जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ*	99179.9	
	पूँजी अनुपात एवं वफर		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (*जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में*)	8.98%	
62	टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.98%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.70%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: *पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता*		
66	*जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता*		
67	*जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता*		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी तियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

Table DF - 11

Composition of Capital

(₹ in million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	256387.0	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-78673.6	
4	*Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies[1])*		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**177713.4**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	86388.8	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a *of which:* Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b *of which:* Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c *of which:* Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d *of which:* Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments **to Common** equity Tier 1		
29	**Common Equity Tier** 1 **capital (CET1)**	**91324.6**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	-	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	-	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	-	
45	**Tier 1 capital (T1 = CETI + AT1) (29 + 44)**	**91324.6**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	22000.0	
48	Tier 2 instruments (and CETI and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
50	Provisions	5827.0	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**27827.0**	

	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	137.8	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a *of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	27689.2	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**119013.8**	
60	**Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1016754.9**	
	60a *of which: total credit risk weighted assets*	748632.1	
	60b *of which: total market risk weighted assets*	168942.9	
	60c *of which: total operational risk weighted assets*	99179.9	
	Capital Ratios & Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.98%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.98%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.70%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of *which: capital conservation buffer requirement*		
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*		
67	*of which: G-SIB buffer requirement*		
68	*Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)*		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ – 12

पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	99183.406	
	आरक्षित एवं अधिक निधि	92912.835	
	अल्प संख्य ब्याज		
	शेयर एप्लीकेशन राशी		
	कुल पूंजी	192096.241	
ii	जमाराशि		
	जिसमें से : बैंक जमाराशि	19913.505	
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशि	1912120.930	
	जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)		
iii	उधार		
	जिसमें से: भा.रि. बैंक से	78490.000	
	जिसमें से: बैंकों से	35715.504	
	जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से	12284.625	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	460.492	
	जिसमें से: पूंजीगत लिखत	30000.000	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	78000.216	
कुल		**2359081.513**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	67767.284	
	अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	110294.300	
ii	निवेश :		
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति	637561.388	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	20.000	
	जिसमें से : शेयर	2829.233	
	जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड	232162.165	
	जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक	1081.569	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	36333.775	
iii	ऋण एवं अग्रिम		
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	262.087	
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1011480.442	
iv	अचल आस्ति	28403.728	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	93620.800	
	जिसमें से : अन्य	137264.742	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**2359081.513**	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी *जिसमें से :* सीईटी 1 के लिए पात्र राशि *जिसमें से :* एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	99183.406 99183.406 0.00 92912.835 192096.241	
ii	जमाराशि *जिसमें से :* बैंकों से जमाराशि *जिसमें से :* ग्राहक जमाराशि *जिसमें से :* अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	 19913.505 1912120.930	
iii	उधार *जिसमें से :* भा.रि. बैंक से *जिसमें से :* बैंकों से *जिसमें से :* अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से *जिसमें से :* अन्य (कृपया उल्लेख करें) *जिसमें से :* पूंजीगत लिखत	 78490.000 35715.504 12284.625 460.492 30000.000	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान *जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी* *जिसमें से :* अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी **कुल**	78000.216 **2359081.513**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	67767.284 110294.300	
ii	निवेश *जिसमें से :* सरकारी प्रतिभूतियां *जिसमें से :* अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां *जिसमें से :* शेयर *जिसमें से :* ऋण-पत्र एवं बांड *जिसमें से :* सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम / सहायक *जिसमें से :* अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	 637561.388 20.000 2829.233 232162.165 1081.569 36333.775	
iii	ऋण एवं अग्रिम *जिसमें से : बैंकों को ऋण* एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	 262.087 1011480.442	
iv	अचल आस्तियां	28403.728	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां *जिसमें से :* साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	 93620.800 137264.742	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**2359081.513**	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	256387.0	
2	प्रतिधारित आमदनी		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	-78673.6	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व	177713.4	
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	86388.8	

Table DF – 12

Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	99183.406	
	Reserves & Surplus	92912.835	
	Minority Interest		
	Share Application Money		
	Total Capital	192096.241	
ii	Deposits		
	of which: Deposits from banks	19913.505	
	of which: Customer deposits	1912120.930	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	of which: From RBI	78490.000	
	of which: From banks	35715.504	
	of which: From other institutions & agencies	12284.625	
	of which: Others (Outside India)	460.492	
	of which: Capital instruments	30000.000	
iv	Other liabilities & provisions	78000.216	
	Total	**2359081.513**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	67767.284	
	Balance with banks and money at call and short notice	110294.300	
ii	Investments:		
	of which: Government securities	637561.388	
	of which: Other approved securities	20.000	
	of which: Shares	2829.233	
	of which: Debentures & Bonds	232162.165	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1081.569	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	36333.775	
iii	Loans and advances		
	of which: Loans and advances to banks	262.087	
	of which: Loans and advances to customers	1011480.442	
iv	Fixed assets	28403.728	
v	Other assets		
	of which: Goodwill and intangible assets		
	of which: Deferred tax assets	93620.800	
	of which: Others	137264.742	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**2359081.513**	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	99183.406	
	of which: Amount eligible for CET1	99183.406	
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	
	Reserves & Surplus	92912.835	
	Share Application Money		
	Minority Interest		
	Total Capital	**192096.241**	
ii	Deposits		
	of which: Deposits from banks	19913.505	
	of which: Customer deposits	1912120.930	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	of which: From RBI	78490.000	
	of which: From banks	35715.504	
	of which: From other institutions & agencies	12284.625	
	of which: Others (pl. specify)	460.492	
	of which: Capital instruments	30000.000	
iv	Other liabilities & provisions	78000.216	
	of which: DTLs related to goodwill		
	of which: DTLs related to intangible assets		
	Total	**2359081.513**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	67767.284	
	Balance with banks and money at call and short notice	110294.300	
ii	Investments		
	of which: Government securities	637561.388	
	of which: Other approved securities	20.000	
	of which: Shares	2829.233	
	of which: Debentures & Bonds	232162.165	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1081.569	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	36333.775	
iii	Loans and advances		
	of which: Loans and advances to banks	262.087	
	of which: Loans and advances to customers	1011480.442	
iv	Fixed assets	28403.728	
v	Other assets		
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	93620.800	
	Others	137264.742	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**2359081.513**	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	256387.0	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-78673.6	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	177713.4	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	86388.8	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग्र)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं
	विनियमनकारी उपचार	विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी – कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	99183.406
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद
		की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	विनियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	2000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹1 मिलियन
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूल परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल ॥। अनुपालित टियर -॥ बांड 8.95% शृंखला ।

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए INE691A08047
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल ॥। नियम	टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल ॥। नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-॥
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	10000
9	लिखत का सममूल्य	10000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2017
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	31.03.2027
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2022
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.95% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वांइट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बॉड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल ॥। अनुपालित टियर -॥ बांड 9.644% शृंखला ॥

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08054 INE691A08054
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल ॥। नियम	टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल ॥। नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-॥
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.06.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	28.06.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.644% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः		पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी		स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण		लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।	
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण		नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें		लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल ııı अनुपालित टियर -ıı बांड 9.71% शृंखला ııı

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691ए 08062 INE691A08062
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल ııı नियम	टियर-ıı
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल ııı नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-ıı
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	17.12.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	17.12.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.71% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वाईंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	Regulatory treatment	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	99183.406
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2000.00
9	Par value of instrument	₹1 million
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08047
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000 .00
9	Par value of instrument	10000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2022
16	Subsequent call dates, if applicable *Coupons / dividends*	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08054
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.644% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08062
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	17.12.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	17.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.71% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:

		a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14

नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्ते

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्ते
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयरः असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्राः ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीखः 28.12.2012, प्रतिदान की तारीखः 28.12.2022, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.95% शृंखला I (आई एन ई 691ए 08047)	निर्गम मात्राः ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख 31.03.2017, प्रतिदान की तारीखः 31.03.2027, सममूल्य ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीख 31.03.2022 ब्याज दर एवं आवृत्तिः 8.95%, 31 मार्च. सूचीकरणः एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.64% शृंखला II (आईएनई691ए08054)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 28.06.2019, प्रतिदान की तारीखः 28.06.2029, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.644%, 28 जून. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 9.71% शृंखला II (आई एन ई 691ए 08062)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 17.12.2019, प्रतिदान की तारीखः 17.12.2029, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.71%, 17 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

तालिका डीएफ - 15

पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 14
Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: 10 Lakhs, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
3.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I (INE691A08047)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 31.03.2017, Date of Redemption: 31.03.2027, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date 31.03.2022. Rate of Interest and frequency: 8.95%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
4.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.64% Series II (INE691A08054)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 28.06.2019, Date of Redemption: 28.06.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.644%, 28th June. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
5.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series II (INE691A08062)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 17.12.2019, Date of Redemption: 17.12.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.71%, 17th Dec. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

Table DF - 15
Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

तालिका डीएफ-16:
बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर "पूँजी आरक्षित निधि" में विनियोजित किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्वत भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	209.50	209.50	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए)		108.16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर,जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		0.00

ग. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारित जोखिम दर /@ 250%	41.51
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर,2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारित जोखिम दर /@ 150%	0.00

Table DF - 16

Disclosure for Banking Book Positions

QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A. Value of Investments

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	209.50	209.50	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types and Nature of Investments

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		108.16
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		0.00

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	41.51
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.00

तालिका डीएफ- 17:
लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2359081.51
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	8714.39
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	71406.85
7	अन्य समायोजन	(82686.10)
8	लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर	**2356516.65**

तालिका डीएफ-18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोज़र	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	2359081.51
2.	(बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(82686.10)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोज़र (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2276395.41
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	3640.49
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	5073.90
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	8714.39
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र	
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति **12** से लेकर **15** का कुल योग)	0.00
	तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र	
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	168104.00
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(96697.15)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	71406.85
	पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20.	टियर 1 पूँजी	91324.60
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	2356516.65
	लीवरेज अनुपात	
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	**3.88%**

Table DF - 17

Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	2359081.51
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	8714.39
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	71406.85
7	Other adjustments	(82686.10)
8	Leverage ratio exposure	**2356516.65**

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
	On-Balance sheet exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2359081.51
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(82686.10)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2276395.41
	Derivative exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	3640.49
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	5073.90
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework -	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions) -	

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	8714.39
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions -	
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	168104.00
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(96697.15)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	71406.85
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	91324.60
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2356516.65
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio	3.88%

Printed at Swapna-Kol-9